खण्ड-480, अंक-7
बुधवार, 30 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(20 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
मेडिकल कालेज में बिजली की अव्यवस्था के चलते हो रही नवजात शिशुओं की मृत्यु विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ...	7
प्रश्नोत्तर	7-66
पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	66-67
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम गोपाल संड एवं श्री बद्री प्रसाद अवस्थी के निधन पर शोकोद्गार	67
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	68-69
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद अन्तर्गत बसन्त खेड़ा व सुल्तानगढ़ के बीच 133 के0वी0ए0 विद्युत् उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर के ग्राम पैलीपार में सड़क व पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	69
इलाहाबाद में नये बने यमुना पुल के दोनों ओर ऊंची लोहे की जाली लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर की मुख्य मार्ग की सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	70
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70-72
शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत पांच नालों की सफाई और सीवर लाइन का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
जनपद कौशाम्बी में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति से हो रही मौतों एवं फैल रही बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 31 मई, 2012 को बुलन्दशहर स्याना मार्ग पर रोडवेज की बस तथा टाटा 407 की टक्कर में मृत 24 तथा घायल 21 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
विधान सभा क्षेत्र उतरौला में फौजदारी न्यायालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत ग्राम मोटी खेड़ा से परवारिस नगर के बीच छोटा रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पुल एवं मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद चन्दौली के मनोज कुमार बिन्द एवं 25 अन्य लोगों को फर्जी मुकदमें में फंसाये जाने के प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
हमीरपुर की राठ विधान सभा के अन्तर्गत गेहूं क्रय केन्द्रों पर सही माप-तौल न किये जाने एवं बोरों के अभाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	75
जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज क्षेत्र में संचालित सोमैया डिस्टलरी फैक्ट्री को चलाये जाने एवं मजदूरों के वेतन आदि देयों के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद फैजाबाद अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रुदौली में लगाये जा रहे हैण्डपम्पों की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	76
विधायकों को जारी रेलवे कूपन से तत्काल श्रेणी टिकट बनवाने एवं वरिष्ठ नागरिकों की भांति किराये में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	76-80
बाराबंकी की जिला स्तरीय बैठक में विधायकों को न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	80
मुख्यमंत्री द्वारा आहूत जिला स्तरीय विकास सम्बन्धी बैठकों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	80-81
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	81-83
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0 प्र0, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	83
ग्राम्य विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 1457/38-7-2007-8 एन0आर0 ई0जी0ए0/2005, दिनांक 5 अक्टूबर, 2007 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	83
ग्राम्य विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या 59/38-7-09-10 एन0आर0 ई0जी0ए0/2005, दिनांक 7 जनवरी, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	84
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	84-85
श्री विजय कुमार दुबे, सदस्य, विधान सभा के गोरखपुर स्थित आवास में चोरी की घटना से सम्बन्धित व्यक्तिगत प्रकरण	85-86
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	86-90

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान- अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	91-137
महिला एवं बाल कल्याण विभाग का बजट पहले लिये जाने का अनुरोध ...	137
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	137-143
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान अनुदान संख्या 79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या 80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या 81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या 83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), अनुदान संख्या 87-सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	143-186
उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, स0वि0स0 द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	186-187
जिला योजना समिति में विधान सभा सदस्यों/जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एवं वर्ष 2011-2012 में इस हेतु आवंटित धन के दुरुपयोग के विषय में इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वर्ष 2010-2011 के बजट में आवंटित धनराशि की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जांच हेतु संसदीय समिति के गठन की सूचना	188-189
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें . .	
जनपद बुन्देलखण्ड में वर्ष 2007-2008 में किसानों द्वारा निजी नलकूपों हेतु विद्युत् कनेक्शन में छूट हेतु कराये गये पंजीकरण के आधार पर छूट के साथ विद्युत् कनेक्शन न उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	191
जनपद इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय 'गामा' नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य का स्थगन	191
विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में जंगली सुअरों द्वारा फैलाये जा रहे आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य का स्थगन	191

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महोबा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला अस्पताल का दर्जा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	191-193
जनपद गोण्डा के ब्लाक मुजेहना अन्तर्गत ग्राम बनकसिया दतौली मोतीगंज मार्ग पर अवैध रूप से आरा मशीन का संचालन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती नंदिता शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	193-195
जनपद प्रबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र शामली में फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	195
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में मालीपुर से जलालपुर होते हुए रामगढ़ तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेर बहादुर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	195
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में मानक के अनुरूप कानून व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु नया थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जाकिर अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	196
जनपद लखनऊ के कुर्मांचल नगर एवं समीपवर्ती इलाकों में विद्युत् के अत्यन्त लो वोल्टेज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	196
जनपद सहारनपुर में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के शेष वेतन का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	196
जनपद बागपत में वाटर लेवल नीचे होने तथा नहरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती हेमलता चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	196-197
जनपद बलरामपुर स्थित विकास खण्ड रेहराबाजार के कई ग्रामों में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	197-198
नत्थियां	199-217

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार दिनांक 20 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-314

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू, श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
10. अताउररहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
21. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीरनगर
28. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
30. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
32. अविनाश, श्री — सोनभद्र
33. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
34. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
35. आनन्द सिंह कुंवर, श्री — गोण्डा
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
40. आशीष यादव, श्री — बदायूं
41. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
42. इकबाल, श्री — बिजनौर
43. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
44. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
45. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
46. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
48. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
49. उदयराज, श्री — उन्नाव
50. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
51. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
52. उमाशंकर, श्री — बलिया
53. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ
54. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
55. ओम प्रकाश वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
56. कामेश्वर, श्री — देवरिया
57. काली चरन सुमन, श्री — आगरा
58. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
59. कृष्ण कुमार ओझा, श्री — बहराइच

60. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
61. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
62. केशव प्रसाद कुशवाहा (मौर्य), श्री कौशाम्बी
63. कैलाश, श्री गाजीपुर
64. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
65. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
66. गंगा, श्री कुशीनगर
67. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
68. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
69. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
70. गायत्री प्रसाद, श्री क्षत्रपति शाहूजी महराज नगर
71. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
72. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
73. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
74. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
75. गोमती यादव, श्री लखनऊ
76. गोरख पासवान श्री बलिया
77. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
78. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
79. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
80. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
81. जगपाल, श्री सहारनपुर
82. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
83. जफर आलम, श्री अलीगढ़
84. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
85. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ
86. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
87. जय प्रकाश, श्री गोरखपुर
88. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जाहीद बेग, श्री संत रविदास नगर (भदोही)
91. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
92. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
93. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
94. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
95. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
96. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
97. दलजीत सिंह, श्री बांदा
98. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
99. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
100. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
101. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
102. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
103. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
104. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
105. धर्मराज, श्री बाराबंकी
106. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
107. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
108. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
109. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
110. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
111. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
112. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
113. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री प्रतापगढ़
114. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
115. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
116. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
117. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
118. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
119. पीतमराम, श्री पीलीभीत
120. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
121. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
122. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
123. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
124. प्रदीप यादव, श्री औरैया
125. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
126. प्रभुदयाल बाल्मीकि, श्री मेरठ
127. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
128. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
129. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
130. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
131. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
132. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
133. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
134. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज

135. बदलू खां, श्री उन्नाव
136. बाबू खां, श्री हरदोई
137. बाबूलाल, श्री गोण्डा
138. बावन सिंह, श्री गोण्डा
139. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
140. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
141. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
142. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
143. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
144. बैजनाथ, श्री मऊ
145. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
146. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
147. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
148. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
149. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
150. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
151. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
152. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
153. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
154. मनबोध, श्री दवरिया
155. मनीष रावत, श्री सीतापुर
156. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
157. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
158. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
159. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
160. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
161. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
162. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
163. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
164. महेश शर्मा डा0 गौतमबुद्धनगर
165. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
166. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
167. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
168. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
169. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
170. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
171. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
172. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
173. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
174. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
175. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
176. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
177. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
178. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
179. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
180. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
181. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
182. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
183. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
184. यासर शाह, श्री बहराइच
185. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
186. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
187. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
188. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
189. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
190. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
191. रणजीत सुमन, श्री एटा
192. रमेश चन्द्र, श्री मिर्जापुर
193. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
194. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
195. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
196. रशिम आर्य, डा0 झांसी
197. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
198. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
199. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
200. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
201. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
202. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
203. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
204. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
205. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
206. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
207. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
208. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर

209. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
210. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
211. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
212. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
213. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
214. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
215. राम करन आर्य, श्री बस्ती
216. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
217. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
218. राम गोविन्द, श्री बलिया
219. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
220. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
221. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
222. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
223. राम मगन, श्री बाराबंकी
224. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
225. राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
226. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
227. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
228. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
229. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
230. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
231. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
232. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
233. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
234. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
235. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
236. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
237. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
238. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
239. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
240. ललितेश प्रति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
241. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
242. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
243. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
244. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
245. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
246. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
247. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
248. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
249. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
250. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
251. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
252. विजय सिंह, श्री रामपुर
253. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
254. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
255. विशम्बर सिंह, श्री बांदा
256. वीरपाल राठी, श्री बागपत
257. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
258. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
259. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
260. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
261. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
262. शमीमूल हक, श्री मुरादाबाद
263. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
264. शाकिर अली, श्री देवरिया
265. शारदा प्रताप शुक्ल, श्री लखनऊ
266. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
267. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
268. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
269. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
270. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
271. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
272. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
273. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
274. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
275. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
276. श्रद्धा सुमन, श्रीमती जौनपुर
277. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
278. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
279. संजय कपूर, श्री रामपुर
280. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
281. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
282. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर

283. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
284. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
285. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
286. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
287. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
288. सन्तराम, श्री जालौन
289. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
290. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
291. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
292. सियाराम सागर, डा0 बरेली
293. सीमा, श्रीमती जौनपुर
294. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
295. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
296. सुधाकर, श्री मऊ
297. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
298. सुनील कुमार लाल, श्री लखीमपुर खीरी
299. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
300. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
301. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
302. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
303. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
304. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
305. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
306. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
307. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
308. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
309. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
310. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
311. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
312. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
313. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
314. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव) राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा पंचायतीराज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

मेडिकल कालेज में बिजली की अव्यवस्था के चलते हो रही नवजात शिशुओं की मृत्यु विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने नियम-311 में दिया है। मान्यवर, स्थिति यह है मेडिकल कालेज के बच्चे मर रहे हैं उसमें, बिजली की व्यवस्था नहीं है उसमें, ए0 सी0 चल नहीं रहे हैं, नवजात शिशु इस तरह मर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे गैस चैम्बर हो गया हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अगर आपकी अनुमति हो तो इसको नियम-311 में ले लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, 311 में नहीं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद आगरा में 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग

*1-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल की सुरक्षा एवं देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत क्या निर्बाध 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति के आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय के हैं ? यदि हां, तो क्या मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ताजमहल को 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति हो रही है ? क्या यह सही है कि विद्युत् कटौती के दौरान ताजमहल की सुरक्षा के लिए लगाये गये सी0सी0टी0वी0 कैमरे और डी0एफ0एम0डी0 उपकरण काम नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री-(श्री शिवपाल सिंह यादव)-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

ताजमहल की सुरक्षा के दृष्टिगत 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 08-06-2012 को पुनः आदेश निर्गत किया गया है, किन्तु राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के दृष्टिगत आकस्मिक विद्युत् कटौती करनी पड़ जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, विश्व के सातवें आश्चर्य ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने 10-04-1996 में आदेश किया था कि इससे पहले आगरा में बहुत जेनरेटर और ईंट-भट्ठा उद्योग चलते थे, उनकी जो गैसें निकलती थीं, उनसे प्रदूषण होता था और ताजमहल पर उसका फर्क पड़ता था। मा0 अध्यक्ष जी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 10-04-1996 से अभी तक

आगरा को लगातार विद्युत् आपूर्ति हो रही थी लेकिन पिछले एक महीने से ताजमहल और ताजमहल के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में विद्युत् की आपूर्ति खराब है। जैसा कि मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि 08-06-2012 को आदेश दे दिया गया है लेकिन कल भी मा0 अध्यक्ष जी, ताजमहल और उसके पास टी0टी0जेड0 क्षेत्र में 12 घण्टे में केवल 01 घण्टा बिजली आयी। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में क्या आगरा को कटौती मुक्त करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, वैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार कोई कटौती नहीं होगी और जब कभी भी ग्रिड फेल हो जाता है और जब ग्रिड फेल हो जाता है तब भी अब प्रयास किया गया है कि जो पथकर है उसके द्वारा इन्वर्टर खरीदने के आदेश कर दिये गये हैं और जब वैसे तो बिजली के आदेश हैं, बिजली कटौती के कोई आदेश नहीं है और अगर ग्रिड फेल हो जाता है तो इन्वर्टर का इंतजाम पथकर के द्वारा किया जा रहा है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, हमने यह सवाल किया था कि क्या आगरा को 24 घण्टे बिजली मिलेगी मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। पिछले एक महीने से आगरे में 10 से 12 घण्टे कटौती हो रही है। मैंने मा0 मंत्री जी से पूछा कि क्या आज जो कटौती लखनऊ से बराबर, जब भी हम लोग वहां सम्पर्क करते हैं तो यह कहा जाता है कि लखनऊ से कटौती हो रही है। मैं आपके द्वारा मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आगरा को कटौती से बिल्कुल मुक्त करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे तो कटौती है ही नहीं। 24 घण्टे बिजली है और फिर मा0 सदस्य खुद ही मांग कर चुके हैं इन्वर्टर की तो इन्वर्टर की व्यवस्था की जा रही है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि ग्रिड फेल होने से विद्युत् आपूर्ति बाधित रहती है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी, आदेश के बाद भी, हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ग्रिड फेल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक महीने के बाद कितनी बार ग्रिड फेल हुई है और पूर्व में ग्रिड क्यों नहीं फेल होती थी ? अगर अब ग्रिड फेल हो रही है तो एक महीने में कितनी बार फेल हो रही है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, ग्रिड वैसे तो फेल नहीं होती ग्रिड अगर फेल हो रही है तो माननीय नेता विरोधी दल जो इस समय हैं, पिछले 5 साल में जो इन्होंने किया है, कितने ताजमहल बनवाये ? एक तो लखनऊ में बनवा लिया है। अगर नेता विरोधी दल कहें तो यहां की बिजली कटवाकर वहां दे दी जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह माननीय ऊर्जा मंत्री जी का उत्तर नहीं है। यह तो घुमाने और बहकाने वाली बात को आपने रखा है। अगर पूर्व में 5 साल तक सरकार ने काम नहीं किया होता तो ग्रिड पहले भी फेल होती। सरकार का नियंत्रण था इसलिए समय-सारिणी के मुताबिक चाहे शहर हो या गांव हो

बिजली की आपूर्ति होती थी। (शोर) आप स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि बार-बार ग्रिड फेल होने से विद्युत् आपूर्ति बाधित हो रही है जब कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर ग्रिड फेल होने से विद्युत् आपूर्ति बाधित हो रही है तो कृपया यह बतायें कि एक महीने में कितनी बार ग्रिड फेल हो रहा है और उसके फेल होने का क्या कारण है ? इसी एक महीने में क्यों फेल हो रही है उसका कारण जानना जरूरी है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मेरे पास सूचना नहीं है। आगरा में निजी कम्पनी टोरेंटो को बिजली दी गई है। नेता विरोधी दल को पता है, टोरेंटो को तो आपके समय में ही दी गई। वैसे हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार कोई कटौती नहीं है। ग्रिड फेल होता है तब भी इंतजाम कर दिया है इन्वर्टर का, जो माननीय सदस्य जी ने मांग की थी। उसके अनुसार प्रबन्ध कर दिया है। जो सूचना माननीय नेता विरोधी दल ने जो ग्रिड की सूचना चाही है, इस समय मेरे पास वह सूचना नहीं है। आप चाहेंगे तो आपको दे दी जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने खुद कह दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में यद्यपि कोई कटौती नहीं है। आप ही कह रहे हैं, इसका मतलब कि अघोषित कटौती हो रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती कर के पूरे प्रदेश में कर्फ्यू की स्थिति पैदा कर दी है। विद्युत आपूर्ति में आपका कोई नियंत्रण नहीं है। यह सरकार किसान विरोधी है, प्रदेश की जनता की विरोधी है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिष्कार करती है।

(नेता विरोधी दल के साथ बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

इलेक्ट्रिक उपकरणों के ऊपर कितना खर्च किया ग्रिड के मेंटीनेंस में आपने क्या किया ? 5 साल में आपने क्या किया ? इसका हिसाब दे दीजिये, तब आप बहिष्कार करिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह जो प्रश्न था 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में था। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

आपके किसके समर्थन में हैं ? बसपा वाले तो किसान के लिये मजदूर के लिये नहीं गये ताजमहल के लिये गये।

श्री सतीश महाना-

हम कहीं नहीं जा रहे। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे आगरा में 24 घण्टे अबाध्य विद्युत आपूर्ति के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं। मान्यवर, बहुत सारी जगहों के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं होगा, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही होगी कि कुछ जिलों में 24 घण्टे विद्युत दे रही है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में उत्तर

प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जहाँ 24 घण्टे अबाध विद्युत दी जा रही है ? और कौन-कौन से जिले हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न ताज का है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक जगह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विद्युत आपूर्ति हो रही है और कुछ जगह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बिना आपूर्ति हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न को अलग से लायें। श्री हुकुम सिंह जी, आप इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं 74 के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने सवाल का जबाव मा0 शिवपाल जी से नहीं चाहता हूँ। मैं अपने सवाल का जवाब मा0 आजम साहब से चाहता हूँ। अभी एक सवाल आया कि ताजमहल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिये। शिव पाल जी ने कहा कि एक ताजमहल लखनऊ में बनवा दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस ताजमहल का इतिहास मुझे मालूम है कि शाहजहाँ ने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। मैं आदरणीय शिवपाल जी और मा0 आजम खाँ जी से जानना चाहता हूँ कि लखनऊ का शाहजहाँ कौन है और मुमताज महल कौन है ?

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, यह कौन सा सवाल पूछ रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा था, अगर इतिहास न बताना चाहें तो न बतायें। मैं इसी से लगा हुआ एक दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। मान्यवर, मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। ताजमहल की बात आयी, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, वहीं उच्च न्यायालय का भी निर्णय है कि प्रदेश के किसानों को जल आपूर्ति के लिए, सिंचाई के लिये, सूखे को देखते हुए अधिक से अधिक ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति की जाय तो मैं जानना चाहूँगा क्या इसकी कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल में कहाँ है, आप घुमाकर ले जाते हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 24 घण्टे बिजली आपूर्ति के लिए कहा है। अभी आगरा का मुद्दा उठा, फिर आप कहेंगे कि मथुरा, वृन्दावन की बात आप करते हैं। मथुरा, वृन्दावन अन्तर्राष्ट्रीय शहर है। मान्यवर, वहाँ 24 घण्टे बिजली का कमिटमेंट आपका है और वहाँ मुश्किल से आठ-दस घण्टे बिजली आ रही है तो

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति कराने का आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह मथुरा का सवाल कहाँ से आ गया। आप पूरे प्रदेश के नेता हैं क्या मथुरा-मथुरा लगा रक्खा है।

श्री प्रदीप माथुर-

ताजमहल, राधा कृष्ण सब इण्टरनेशनल हैं। लार्ड कृष्णा इण्टरनेशनल हैं।

(श्री मोहम्मद आजम खाँ के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं आप बैठ जायं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

एक फारसी की मसल है-कंगा मत, बजंगा मत, परेशान कर दिया है हमारे इन साथी ने। पहले तो ताजमहल को विवादित किया। इनका बस चले तो ताजमहल बनाकर सबसे पहले प्रमोद तिवारी को गाढ़ेंगे उसमें, (हँसी) नम्बर दो, मथुरा की बात आई, मान्यवर, कोई तरीका है कि यह विधान सभा मथुरा में चली जाय। हमेशा के लिये पिंड छूट जाय। मान्यवर, एक मस्जिद में इमाम हुसैन थे, बंगाली इमाम थे वह थाने गये। रपट लिखी गयी। क्या-क्या चोरी हुआ ? उन्होंने कहा कि कपड़े चोरी हो गये, अण्डरवियर चोरी हो गया, बनियान चोरी हो गये, चादर चोरी हो गयी, बिस्तर चोरी हो गया, कम्बल चोरी हो गया, तो दरोगा ने कहा-यार, चोर बड़ा ही जालिम था, कुछ छोड़ा ही नहीं, बोला-जी, तैबन्द चली गयी, सब चला गया।

(हँसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सीधा सा प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। प्रदेश में विद्युत की कमी है, क्या माननीय मंत्री जी विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत खरीदेंगे ? बिना अतिरिक्त विद्युत खरीदे प्रदेश की इस समस्या का निदान सम्भव नहीं है। इसलिये मंत्री जी से मैं यह स्पष्ट क्विशचन पूछना चाहता हूँ ?

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, आपका प्रश्न तो ठीक है, लेकिन इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। क्या मंत्री जी ताज महल सहित पूरे प्रदेश की विद्युत की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त विद्युत की व्यवस्था करेंगे ? मान्यवर, उसके बिना इस समस्या का कोई निदान नहीं है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो प्रयास चल ही रहा है और प्रतिदिन 7 करोड़ की बिजली खरीदी जा रही है, 7 करोड़ पर डे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्या मंत्री जी इसे बढ़ाकर 15 करोड़ करेंगे ? यह पूरे प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा प्रश्न है, शाहजहाँपुर में रात तीन बजे विद्युत की कटौती होती है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। एक मथुरा और एक शाहजहाँपुर, बरेली वाला कोई नहीं है नहीं तो वही घूम-घूम कर आते रहते। अब आप बैठिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे-जैसे बजट की व्यवस्था होती जायेगी, वैसे-वैसे इनके आदेश का पालन होता जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना, डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना तथा डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम जनता तक पहुँचाने की कार्य योजना

*3-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या पी0डी0एस0 योजना का सीधा लाभ आम जनता तक पहुँचाने के लिए सरकार ने कोई नयी कारगर योजना बनायी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया)-

जी नहीं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु त्रिस्तरीय चेकिंग/सत्यापन करने की व्यवस्था के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी वृहद कार्यक्रम पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रथम चरण के अन्तर्गत लगभग सम्पूर्ण राशन कार्डों का डाटा डिजिटाइजेशन तथा खाद्यान्न का आनलाइन आवंटन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

द्वितीय चरण में सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं उचित दर की दुकानों को वितरण को कम्प्यूटरीकरण करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

तृतीय चरण में लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का मुझे अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। जब कि सच्चाई यह है कि आज समूचे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था ध्वस्त है। गरीब परेशान हैं, बिचौलिये मजा मार रहे हैं और विश्व बैंक का भी अध्ययन है कि 41 परसेण्ट मात्र खाद्यान्न ही लाभार्थियों तक पहुँचता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में प्रदेश में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्या उनकी जाँच करायी जायेगी या ऐसी कोई टीम गठित की जायेगी कि समूचे उत्तर प्रदेश में इसकी जाँच की जाये कि जो शिकायतें मिली थीं, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''-

श्रीमन् लाभार्थियों को खाद्यान्न पहुँच सके, इसके लिए यह सरकार गम्भीर है और स्मार्ट कार्ड योजना जो है, जिसको कि कार्ड-धारक स्वयं लेकर जायेगा, उसकी फिंगर प्रिंट का देख करके उसके खाते में कितना खाद्यान्न है, यह पता लग जायेगा और उसको सीधे खाद्यान्न मिलेगा। इसके साथ ही जो बोगस राशन कार्ड की शिकायत मिलती रहती है, उनकी भी जाँच कराई गई है। बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है, यदि आदेश हो तो हम अलग से माननीय सदस्य को भिजवा देंगे कि कब-कब जाँच हुई है। उचित दर की दुकानों की भी जाँच होती रहती है और समय-समय पर उन पर कार्यवाही होती रहती है और जिसमें उनकी प्रतिभूति राशि भी जब्त की गयी है। कोटेदारों का लाभांश जो 12 रु0 प्रति कु0 था, उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर 12 से 17 रु0 प्रति कु0 कर दिया है। ताकि उनको फायदा होता रहे। इसके साथ ही त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था है, जिसमें चीनी, मिट्टी के तेल का हर स्तर पर सत्यापन कराया जाता है। और एक बहुत बड़ा कदम डोर स्टेप डिलीवरी का जल्दी ही लागू होने वाला है, जिसमें कोटेदार के दरवाजे तक, फुटकर विक्रेता के दरवाजे तक हम खाद्यान्न और तेल पहुँचाकर उसको वही डिलीवर करायेंगे ताकि इसका दुरुपयोग या कालाबाजारी न हो सके।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो क्रांतिकारी परिवर्तन वितरण प्रणाली में सरकार ला रही है, बायोमेट्रिक तरीके से पहचान किया जायेगा तो वह तरीका आप कब तक पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर लेंगे।

श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''-

हम सभी लोग जानते हैं कि आर्थिक सामाजिक और जातीय जनगणना जल्दी ही शुरू होने वाली है, उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा बी0पी0एल0 की सूची जब फाइनल हो जायेगी उसके तुरन्त बाद ही यह काम शुरू हो जायेगा।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य योजना बनाने जा रहे हैं, वह काफी सराहनीय है। जब यह प्रणाली लागू हो जायेगी तो काफी कुछ ईमानदारी आ जायेगी। लेकिन इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था लागू है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था में है कि प्रथम स्तर पर मासिक आवंटन के सापेक्ष 22 तारीख तक गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्न, चीनी की मात्रा का सत्यापन।

श्री अध्यक्ष-

आज बहुत बजट है। इतना लम्बा न करिये।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस त्रिस्तरीय प्रणाली पर पिछले पाँच वर्षों में कोई कार्य नहीं हो रहा था। इसकी व्यवस्था खराब रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर अब तक जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हों तो क्या इस पर कोई बृहद जाँच करायी जायेगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"-

माननीय अध्यक्ष जी, हम इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। शिकायतें इतनी अधिक मिली है कि उन सारी शिकायतों को यहाँ लेकर आना और माननीय सदस्य को अवगत कराना सम्भव नहीं था। माननीय सदस्य चाहें तो माननीय सदस्य के आवास पर यह जानकारी उपलब्ध करा दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप अपने कार्यालय में इनको बुला लीजिये उधर समझा दीजिये। अब बहुत हो गया।

तारांकित प्रश्न

नत्थी (ख)

*1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*2-श्री सतीश महाना-

[अस्पष्टता एवं राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या

*3-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने इंजीनियरिंग कालेज हैं तथा वे किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एवं पश्चिमी हिस्से में एक-एक और तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 864 इंजीनियरिंग एवं व्यवसायिक अभियंत्रण संस्थायें हैं। इनमें से 288 गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा 576 महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर से सम्बद्ध है।

इस सम्बन्ध में शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें प्रश्न करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं यह प्रश्न सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि यह जो हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय हैं या जो हमारे तकनीकी डिग्री कालेज हैं, वह प्रदेश के कुछ ही हिस्से में सिमटकर रह गये हैं। पूर्वांचल के 31 जिले आते हैं, तराई के कुछ जिले आते हैं, बुन्देलखण्ड के जनपद आते हैं इनमें उनका विस्तार नहीं हो पाया। लगभग 50 प्रतिशत भी नहीं हैं। और जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है एक विश्वविद्यालय के पास पौने छः सौ कालेज उससे सम्बद्ध हैं। यह जो असन्तुलन है, एक रिपोर्ट यह भी है कि तकनीकी शिक्षा में उत्तर प्रदेश के 30 प्रतिशत विद्यार्थी बाहर चले जाते हैं यू0पी0 से बाहर शिक्षा लेने के लिए, उनको अपने स्थान पर शिक्षा नहीं मिल पाती है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री जी भी है तो हम मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस बात पर कोई विचार करेगी कि जो जिले बहुत कम तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हैं। पूर्वान्चल हो, बुन्देलखण्ड हो या तराई हो वहाँ पर इस तरह के कालेज खुलें, क्या उसके लिए सरकार कोई नीति बनायेगी ? दूसरी बात दो ही विश्वविद्यालय हैं, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज है, एक झाँसी में है, अगर इन दोनों को भी विश्वविद्यालय बना कर के उस इलाके में तकनीकी शिक्षा के विकास के बारे में विचार किया जाय, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है। तीसरा प्रश्न मान्यवर, मेरा यह है।

श्री अध्यक्ष-

अब सारे प्रश्न एक साथ न करें। एक-एक पूछें। मा0 मंत्री जी क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो डिग्री कालेज हैं, इसको विश्वविद्यालय बनाने पर विचार करेंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, कोई ऐसी पॉलिसी जिसमें इन इलाकों में इंजीनियरिंग कालेज को प्राथमिकता में खोलने की बात हो।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, 2000 में तो गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हुई थी और महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में की गई थी और इस समय कोई प्रस्ताव शासन में नहीं है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा था, यह तो जवाब में भी आ गया है कि विश्वविद्यालय बनाने का शासन में प्रस्ताव नहीं है। मा0 मंत्री जी हम यह जानना चाहते हैं कि अब जो कालेज खुलेंगे या खोलने के लिए प्रोत्साहित किये जायं, ऐसा कोई रूल बनाया जाय कि इन इलाकों में भी यह तकनीकी शिक्षण संस्थायें खुलें, जिससे वहाँ के बच्चों को भी अपने स्थान पर ही तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध हो सके। विश्वविद्यालय के बारे में तो आपने बताया, लेकिन आप उन इलाके में तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने के लिए क्या कोई विशेष कार्य योजना बनायेंगे, क्योंकि यह सारे कालेज

सिर्फ 14-15 जनपदों मे हैं। तो प्रदेश के इतने बड़े इलाके में यह कालेज नहीं है तो उस इलाके के नौजवानों के लिए क्या कोई ऐसी चीज बनायेंगे, कार्ययोजना बनायेंगे, जिससे इस तरफ मोटीवेट होकर कालेज खुले ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक तो किसी ने इस तरह की कोई मांग की नहीं, जब मांग की जायेगी तब उस पर विचार किया जायेगा। जब कालेज कोई मांग करेगा तो उस विचार किया जायेगा, वैसे तो अभी सोनभद्र में मांग की गई है तो उस पर विचार किया जा रहा है और मा0 सदस्य अगर मांग करते हैं तो उस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

हम मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मांग करने से कुछ नहीं होगा, क्या ऐसे कालेज खोलने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा दिया कि जहाँ से मांग आयेगी, आप जानते हैं कि शिक्षण संस्थायें प्राइवेट उसमें खुल रही है तो आपका कहना यह है कि जहाँ से मांग आयेगी वहाँ हम उस पर विचार कर लेंगे। तो इस तरह आपका उत्तर आ गया।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या सरकार यह मानती है कि किस जनपद में अधिकतम कितने डिग्री कालेज/इंजीनियरिंग कालेज खुलने चाहिये, इसकी कोई लिमिटेशन तय करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी कोई मानक तय करेंगे कि कितने खुलने चाहिये।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी इस पर कोई मानक नहीं है, जहाँ पर जितनी डिमाण्ड कोई करता है, कितने भी खुल सकते हैं, मुझको तो एनओसी देना है। अगर किसी को खोलना है तो हमें एनओसी देना है तो एनओसी दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

*4-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में भयंकर रोग से ग्रसित गन्ने की बीमारी की रोक थाम के उपाय

*5-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में खेत में खड़ा गन्ना एक भयंकर रोग व बीमारी से ग्रसित हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसके उपचार हेतु कोई प्रभावी कदम सरकार द्वारा अथवा सम्बन्धित मिलों द्वरा उठाया गया ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि गन्ने से

बनने वाली चीनी की रिकवरी लगभग 25-30 प्रतिशत कम हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा प्रश्नगत बीमारी की जाँच करायी गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्यमंत्री (ठा0 मूल चन्द्र चौहान)-

पेराई सत्र 2011-12 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल घासीय प्ररोह (ग्रासीशूट) नामक बीमारी से ग्रसित हुई।

घासीय प्ररोह (ग्रासीशूट) रोग एक बीज जनित रोग है, जिसका कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। बीज बदलाव ही इसका सबसे महत्वपूर्ण निदान है।

उक्त बीमारी के कारण पश्चिमी क्षेत्र में चीनी रिकवरी में कमी आई है। गत् पेराई सत्र 2010-11 में जहाँ पश्चिमी क्षेत्र में चीनी रिकवरी का औसत 8.91 प्रतिशत था, वहीं वर्तमान सत्र में औसत रिकवरी 8.55 प्रतिशत रही है, जबकि पूर्वी उ0प्र0 में विगत वर्ष की रिकवरी 9.24 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान पेराई सत्र में रिकवरी का प्रतिशत 9.45 रहा है।

विगत पेराई सत्र 2010-11 में चीनी का उत्पादन 58.75 लाख टन के सापेक्ष वर्तमान पेराई सत्र 2011-12 में चीनी का उत्पादन 69.58 लाख टन हुआ है।

प्रश्नगत रोग की जाँच उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् के वैज्ञानिकों द्वारा करायी गई। जाँच में पाया गया कि जनपद मुजफ्फरनगर की सभी चीनी मिलों में घासीय प्ररोह (ग्रासी शूट) रोग से 60 से 80 प्रतिशत तक को0शा0 767 प्रजाति का गन्ना क्षतिग्रत हुआ।

चूँकि उक्त रोग में बीज का बदलाव सबसे महत्वपूर्ण निदान है, अतः राज्य सरकार द्वारा व्यापक बीज बदलाव कार्यक्रम चलाया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप देखेंगे कि जो प्रश्न मैंने किया था, उसमें लगभग सारी बातें सरकार ने स्वीकार की, बीमारी है और रिकवरी कम हुई है और उसमें केवल इतनी बात बढ़ाई गयी है कि बीमारी का नाम बता दिया गया है। मैंने नाम नहीं लिखा था, मैंने लिखा था कि बीमारी से ग्रसित है, रोग लगा हुआ है तथा रिकवरी कम हुये हैं और खड़ी फसल में बीमारी आयी है। मान्यवर, अगर यह बीज से सम्बन्यित बीमारी है तो यह बीमारी आयी है। मान्यवर, अगर यह बीज से सम्बन्धित बीमारी है तो यह बीमारी एक दिन की तो है नहीं। यह बीमारी न जाने कब शुरू हुई होगी और विभाग का नाम है, गन्ना विकास विभाग। यह गन्ना विभाग नहीं है, यह गन्ना विकास विभाग है। और अगर यह गन्ना विकास विभाग है तो क्या इस गन्ना विकास विभाग का दायित्व यह नहीं बनता था कि बराबर इसका परीक्षण करते रहे और बराबर जाँच चलती रहे कि कोई रोग आने वाला है क्या ? जब यह रोग इस हद तक आ गया, मान्यवर, कि किसान की खड़ी फसल को नुकसान हुआ और दूसरा रिकवरी प्रभावित हुई। दोनों तरह से प्रभावित हुआ है, इसमें 30 से 40 प्रतिशत पैदावार इसलिए कम होगी क्योंकि गन्ना खेत में खड़े ही सूखना शुरू हो गया। रिकवरी इस लिए प्रभावित हो गयी, क्योंकि उसमें रस की मात्रा ही कम रह गई। जब खेत में खड़ा गन्ना सूख रहा है और गन्ना विकास विभाग है तो आखिर क्यों नहीं गन्ना विकास विभाग ने 2 साल पहले, 3 साल पहले इसकी जानकारी करनी शुरू की कि इस वैरायटी में कौन सा रोग आने वाला है ? एक सवाल तो मेरा मान्यवर यह है। इसके साथ ही एक सवाल यह भी जोड़ दूँ कि सरकार ने यह बताया है, यह जो आपके विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया है कि

को0शा0 767 किस्म का गन्ना है, जिसमें यह रोग है। उन्होंने आगे यह क्यों नहीं बताया, जैसा कि आपने कहा कि बीज बदला जाना चाहिए तो आगे कौन सी किस्म का बीज आना चाहिए और क्या विभाग के पास में वह बीज उपलब्ध है ? मान्यवर, अभी मैं ये दो सवाल कर रहा हूँ आगे आप और मौका देंगे तो मैं और सवाल करूँगा।

श्री अध्यक्ष-

सब तो उन्होंने अपने उत्तर में बता ही दिया है।

ठा0 मूलचन्द्र चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी, को0शा0 767 प्रजाति को तत्काल नई प्रजातियों, को0शा0 7250, को0शा0 1434, को0शा0 97 हजार 261, को0शा0 96 हजार 275, को0 शा0 8 हजार 436 और को0शा0 9 लाख 69 हजार 268 जो नई जातियाँ है, जिनको लाया जायेगा। इनका जो शोध केन्द्र है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन शोध केन्द्रों में जो नई प्रजाति है, उनके बीज के लिए पिछले वर्ष 1 लाख कुन्तल बीज नई प्रजाति का पैदा किया गया और 1 लाख 20 हजार कुन्तल जो किसान है उन्होंने भी अपनी पौधशाला लगाकर वह बीज पैदा किया। मैं समझता हूँ कि 5 सालों के अंदर यह नई प्रजाति का बीज किसानों की पौधशाला पर और जो शेध केन्द्र हैं, उन शोध केन्द्रों पर बीज का उत्पादन बढ़ा कर, जो 767 है उनके स्थान पर नई प्रजातियों को लाया जायेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रकोप हुआ है और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रकोप आपके जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ है। तो, बराबर नई प्रजातियों के लिए शोध केन्द्रों पर और जो किसान अपनी पौधशाला लगाते है, उन पर नये बीज की शुरुआत की जा रही है और उनको सब्सिडी के रूप में किसानों को और शोध केन्द्रों पर भी सहायता की जा रही है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सात प्रजातियों का जिक्र आपने किया कि विकसित की जा रही है। मैंने केवल इतना पूछा था कि 767 का रिप्लेसमेंट क्या है ? क्योंकि सबसे अच्छी रिकवरी इसी बीज की थी इसलिए किसान इसको बोता था। अब इसमें रोग आ गया, आपने सात ब्राइटी कर दी जो आपने विकिसत की हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जाति विशेष को रिप्लेस करके हम किस प्रजाति से बदलना चाहते हैं, एक तो इसका उत्तर आ जाए। दूसरा, मिलों का भी कुछ दायित्व होता है मान्यवर, आप तो स्वयं जानते हैं कि बीज उत्पादन में मिलों का भी कुछ दायित्व होता है, शनैः शनैः हमने अपनी नीतियों को ऐसा बना दिया कि मिल भी अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठे अब किसी को इसमें कोई रुचि नहीं रही। यह मान्यवर, ऐसी फसल है जो उत्तर प्रदेश की आमदनी की रीढ़ की हड्डी है, चीनी पर आप कर लेते हैं, परचेज टैक्स लेते हैं, अरबों रुपए की आमदनी प्रदेश सरकार की होती है और यह शोधकेन्द्र की स्थिति हैं, मेरे जनपद में भी शोधकेन्द्र बना हुआ है और शाहजहॉपुर में भी शोधकेन्द्र बना हुआ है। आज तक 15-20 साल के इतिहास में अगर एक भी प्रजाति किसान को उन शोध केन्द्रों ने उपलब्ध कराई हो तो बता दें। जितनी आपने गिनाई हैं यह सब कोयम्बटूर की प्रजातियां है। आज मेरी शिकायत यही है कि इतना धन देने वाली यह फसल है और इसकी रिसर्च पर इतना खर्च भी किया जाता है कि कोई प्रजाति हम भी अपनी विकसित कर दें। मान्यवर अगर तीन-चार साल में प्रजातियां नही बदली जाएंगी तो उनकी रिकवरी भी कम हो जाएगी और उनकी इनिंग भी कम हो जाएगी, दोनों चीजें कम हो जाएंगी इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहा था कि जब इस प्रजाति में

बीज से सम्बन्धित रोग है तो यह बीज से सम्बन्धित रोग एक वर्ष में नहीं आता है, इसमें चार-पांच साल जरूर लगते हैं। गन्ना विकास विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वह इस बात के लिए पहले से क्यों नहीं चेते, वह पहले से मिट्टी की जांच करते, बीज की जांच करते, किसानों को सलाह देते कि बीमारी आ रही है आप लोग इसको मत लगाओ। आज मान्यवर, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत जिस फसल की कमी खेत में हो गयी, उस किसान के ऊपर क्या गुजरेगी। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। जो किसान 10 हजार रुपये कमाता था, उसकी आमदनी घट करके पाँच हजार रह गयी। सरकार के ढाई महीने, तीन महीने का सवाल नहीं है, बल्कि सरकार एक निरन्तर प्रक्रिया है, अधिकारी वही हैं, क्यों नहीं उनसे जवाब मांगा जाता, इस बात के लिए कि वह पाँच साल से कहाँ सोये हुये थे ? कैसे यह रोग आ गया, उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं होती ? यह दो मेरे सवाल थे, उस पर सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया है।

ठा0 मूलचन्द्र चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह बीमारी 767 गन्ने में लगी है और सबसे ज्यादा इसका नुकसान जनपद मुजफ्फरनगर के गन्ना कृषकों को हुआ है। लगातार शोध केन्द्रों पर, मुजफ्फरनगर में भी शोधकेन्द्र हैं, मुजफ्फरनगर के शोध केन्द्र के अधिकारियों ने बराबर किसानों के सम्पर्क में रहकर नई प्रजातियों के लिए बराबर उन्हें आगाह करने का काम किया है और पाँच सालों के अन्दर क्योंकि नई प्रजातियों का बीज शोधकेन्द्रों पर और कृषक की अपनी पौधशाला लगाते हैं उसमें भी पाँच सालों के अन्दर निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में नई प्रजातियों को उपजाया है। 767 जो बीज है, इसमें निश्चित रूप से जबर्दस्त नुकसान हुआ है, हमारे जनपद बिजनौर में भी नुकसान हुआ है। चार पाँच सालों के अन्दर हम पूरे प्रदेश में नई प्रजातियों को निश्चित रूप से शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय हुकुम सिंह जी यह जानना चाहते हैं कि यह रोग एक दिन में तो आया नहीं है, यह धीरे-धीरे आया तो क्या आपने उन अधिकारियों से इसकी जांच पड़ताल की कि इसमें वह क्या कार्यवाही कर रहे थे ?

ठा0 मूलचन्द्र चौहान-

मान्यवर, निश्चित रूप से हम इसकी जाँच करायेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। एक जनपद का नाम विशेष रूप से लिया। बाकी पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभावित है और वहाँ पर शोधकेन्द्र भी है और आपने कहा कि शोधकेन्द्र के अधिकारी बराबर इस बीज की आपूर्ति करने में लगे हुए थे। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर में गन्ने के बीज की कितनी आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार और कितना वहां उपलब्ध है ? मान्यवर, जितनी आवश्यकता है उसका 1 प्रतिशत भी नहीं है। जिस आधार पर आप सारी क्रान्ति लाना चाह रहे हैं। गन्ने के क्षेत्र में वहाँ 1 प्रतिशत तो उपलब्ध नही है, आखिर कहाँ से बीज उपलब्ध हो जायेगा। आपने यह कहा कि गन्ना शोधकेन्द्र पर कई ब्राइटी के बीज उपलब्ध हैं। मैं पूछनाा चाहता हूँ कि कितनी आवश्यकता है और कितना उपलब्ध हैं, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी क्या आप यह बता पायेंगे ?

ठा0 मूलचन्द्र चौहान-

मान्यवर, इसकी सूचना हम बाद में माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे।

*6-श्री केशव प्रसाद-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिल्ली तक मेट्रो ट्रेन चलाये जाने का विचाराधीन प्रकरण

*7-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती आबादी के कारण सड़कों पर यातायात को सुगम बनाने हेतु क्या सरकार एन0सी0आर0 क्षेत्र में नोएडा की तर्ज पर जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक मेट्रो ट्रेन चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी नहीं।

वर्तमान में एन0सी0आर0 क्षेत्र में नोएडा की तर्ज पर जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक मैट्रो ट्रेन चलाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गेहूँ भण्डारण की क्षमता बढ़ाये जाने पर विचार

*8-डॉ0 धर्मपाल सिंह तथा प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्रय किये जा रहे गेहूं के लिए समुचित भण्डारण की व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा भण्डारण क्षमता को बढ़ाये जाने के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी नहीं।

जी हाँ।

उ0प्र0 राज्य में गेहूँ का भण्डारण केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। प्रदेश में खाद्यान्न के भण्डारण क्षमता की कमी को देखते हुये भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित पी0ई0जी0/-2008 योजनान्तर्गत निजी उद्यमियों की सहभागिता से 18.60 लाख मी0 टन की लक्षित भण्डारण क्षमता के सापेक्ष गोदामों का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप में प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि भारत सरकार/भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित पी0ई0जी0-2008 योजनान्तर्गत निजी उद्यमियों की सहभागिता से 18.60 लाख मी0 टन की

लक्षित भण्डारण क्षमता के सापेक्ष गोदामों का निर्माण हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन गोदामों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"-

माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ यही नहीं अभी मण्डी समिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि ग्रेन साइलोज जिस तरह से यूरोप में और विदेशों में बोरा रहित खाद्यान्न रखने की व्यवस्था की जाती है, उसी तरह से बड़े पैमाने पर ग्रेन साइलोज बनाने की योजना है, सरकार भण्डारण के प्रति गम्भीर है और जल्दी ही इसको पूरा कराया जायेगा।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न मैंने पूछा था, जिसे आपने आज के लिए ट्रांसफर किया और इस प्रश्न के साथ ही मेरे प्रश्न को जोड़ दिया गया तो मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न को बिल्कुल डाइल्यूट करके उसे सिर्फ भण्डारण पर लाया गया है। यह खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और आज ही के समाचार-पत्र में आपने देखा होगा कि बलिया में चार हजार टन गेहूँ भीग गया और 10 हजार टन गेहूँ बाहर पड़ा है, पहली बौछार के साथ। जो प्रश्न मैंने पूछना चाहा था उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि आपने लक्ष्य बड़ा-बड़ा रखा है, आपने बहुत अच्छी खरीद की है लेकिन सरकार ने भण्डारण की जो व्यवस्था थी उसको भी ठीक से यूटिलाइज भी नहीं किया है। बलिया में 10 से 15 मीटर पर, 100 मीटर पर एफ0सी0आई0 के गोदाम हैं, गेहूँ पड़ा रहा, लेकिन उसे एफ0सी0आई0 के गोदाम तक नहीं पहुँचाया गया। स्वयं जिलाधिकारी महोदय ने यह स्वीकार किया है कि बड़ी चूक है कि गेहूँ पड़ा है और 10 मीटर पर एफ0सी0आई0 का गोदाम है और उसे वहाँ तक नहीं पहुँचाया गया, इस तरह की कमियाँ खामियाँ पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से हो रही है। भण्डारण के लिए जो आपकी वर्तमान में कैपेसिटी है आप उसका तो यूटिलाइजेशन कीजिये। अगर उसके रहते आपका गेहूँ सड़ जाय, खराब हो जाय, भीग जाय तो यह बहुत ही दुःखद परिस्थिति होगी। आपने हमारे प्रश्न को भण्डारण पर ही केन्द्रित कर दिया और आपने हमारे इश्यू को यहाँ आने ही नहीं दिया वरना खरीद से लेकर बोरों तक और भण्डारण तक कितनी समस्यायें हैं। मैं नहीं जानती कि आप हमें अनुमति देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 30 तारीख आखिरी तिथि है खरीद की। शायद आपने 10 दिन और एक्सटैड कर दिया है। क्यों मंत्री जी, आपने उसकी तिथि आगे बढ़ायी है ? नहीं बढ़ायी है, 30 जून अन्तिम तिथि है। बोलने का मौका सदन में मिला नहीं, सच्चाई सामने लाने का अवसर आपने दिया नहीं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस विषय पर थोड़ी चर्चा आज किसी वक्त करवा लेते तो बड़ी कृपा होती। परन्तु सरकार से मेरा निवेदन है कि जो कैपासिटी है उसका तो फुल यूटिलाइजेशन करिये।

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

माननीय धर्मपाल सिंह जी का जो प्रश्न था उसका उत्तर है कि अक्टूबर, 2013 तक लगभग 18 लाख मीट्रिक टन की स्टोरेज की आवश्यकता है और 15.58 लाख मीट्रिक टन अक्टूबर, 2013 तक हमारे पास उपलब्ध हो जायेगा। श्रीमन्, 03-06-2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें सभी गेहूँ क्रय केन्द्र एजेंन्सियों को यह कह दिया गया है कि अपने पास वह त्रिपाल, पॉलीथीन गेहूँ को ढंकने के लिए रखें। यह सही बात है कि कल आकस्मिक बौछार से कुछ जगह गेहूँ भीगा है लेकिन वह खराब नहीं हुआ है। वह सड़ा नहीं है, कोई क्षति नहीं हुई है। उसको जल्दी ही

ढक दिया गया है। लम्बी लाईन ट्रकों की एफ0सी0आई0 के गोदामों के सामने लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे खाद्य विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। रही बात बोरों की, तो कल ही बजट था, अगर माननीया रीता जी उसमें होती तो इन सब विषयों पर चर्चा कल हो चुकी है। हमारा बोरों का पैसा जा चुका है। यह सही बात है कि पिछली सरकार ने थोड़ी देर से भेजा। बीच में बोरों की किल्लत आयी थी, उसकी वजह से खरीद में भी व्यवधान आया था, असुविधा हुई थी। अब बोरे भी हमारे पास पर्याप्त हैं और जल्दी ही अगली खरीफ की जो फसल है उसके लिये हम लोग धनावंटन कर रहे हैं ताकि वे बोरे समय से मिल सकें और खरीद निर्बाध रूप से चल सके।

श्री केशव प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बरसात हुई, वह हल्की बरसात नहीं हुई, भारी बारिश हुई है और उस बारिश में बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे जनपद कौशाम्बी में गेहूँ भीग गया है और कुछ अंकुरित होना भी शुरू हो गया है। (सत्ता पक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ यह कहने पर कि बारिश हुई नही तो गेहूँ अंकुरित कैसे हो जायेगा, से सदन में शोर उत्पन्न हो गया।) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिराथू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अमेठा नामक क्रय केन्द्र है वहाँ पर जो गेहूँ पड़ा हुआ था, पूरी तरह से वह भीग गया, वहाँ पर रखने की जगह नहीं थी, गड्ढा था। आज मैं आ रहा था तो किसानों ने मुझे फोन किया, संयोग से यह प्रश्न आ गया। मैं यह विषय उठाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मा0 खाद्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, जिन किसानों का गेहूँ भीग गया है उनका गेहूँ खरीद करने से मना किया जा रहा है। क्या उनका गेहूँ खरीदा जायेगा, उनको परेशान नहीं किया जायेगा ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

श्रीमन्, माननीय केशव मौर्या जी और हमारी विधान सभा के बीच में सिर्फ गंगा जी हैं। इतनी भारी बरसात वहाँ हुई इसकी सूचना हमको तो नहीं है और हमारी तरफ नहीं बरसा, आप ही की तरफ बरसा। लेकिन यह भी अविश्वसनीय लग रहा है कि कल ही शाम को बारिश हुई और आज गेहूँ अंकुरित भी हो गया। श्रीमन् यह अतिश्योक्ति लगती है। इसके साथ ही आपने यह बताया कि किसानों को उसका मुआवजा, तो वह हमारा खरीदा हुआ गेहूँ था या किसानों का था ? तो हम अपने खरीदे हूए गेहूँ के तो जिम्मेदार हैं। अगर किसान अपना गेहूँ कहीं भी रख दे और वह बारिश में भीग जाय तो इसमें विभाग का दायित्व कैसे बनता है ? आप यह स्पष्ट कर दीजिये कि खरीदा हुआ था या किसान का था ?

श्री केशव प्रसाद-

अध्यक्ष महोदय, वह खरीदा हुआ नहीं था। लाइन में किसान लगे हुए थे। खरीद नहीं हो पा रही है, तौल नहीं हो पा रही है और आपके क्रय केन्द्र के सामने रखा हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। माननीय मंत्री जी, किसान जब गेहूँ ले जाता है तो उसको एक चिट देते हैं कि आपका नम्बर लगा देते हैं। इनका सवाल यही है कि अगर ऐसा गेहूँ जो किसानों का वहां रखवा दिया गया कि बारी-बारी से तौला जायेगा, अगर वह भीग गया तो क्या आप उसको खरीदेंगें, यही इनकी मंशा।

श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया-

श्रीमन, पहले तो जो किसान खरीद केन्द्र पर ले करके आते हैं, उनको अपनी फसल को सुरक्षित ले आना चाहिए, यह उनका दायित्व होता है। आप भिगोते हुए ले आयें और हमसे यह उम्मीद करें कि हम उसको खरीद लें। लेकिन फिर भी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और आप जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में ऐतिहासिक खरीद हो रही है। यह सही बात है कि क्रय केन्द्रों पर और एफ0सी0आई0 के गोदामों पर लम्बी लाइन लगी हुई है और साथ ही साथ स्टाफ की भी कमी है। तो इन सारी बातों को देखते हुए आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि खरीद की गति को बढ़ाने के लिए हम लोग निरन्तर प्रयासरत हैं और वह खाद्यान्न सड़े नहीं, इसकी भी पूरी की पूरी चिन्ता है। इसलिए कहा कि दिनांक 03-06-2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो गेहूँ खरीदा गया है उसको त्रिपाल या पालीथीन से ढक दिया जाए। अगर कहीं इसका पालन नहीं हो रहा है और इस नाते गेहूँ सड़ता है तो सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से इसकी रिकवरी करायी जायेगी, उनको दंडित किया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, स्थिति दूसरी है, उस पर आप प्रकाश नहीं डाल पाये। किसान गेहूँ बेचने के लिए गया, लाइन में लगा है, उसको पर्ची दे दी गयी है कि तुम्हारा नम्बर आ जायेगा। इत्फाक से नम्बर नहीं आ पाया, बारिश हो गयी, गेहूँ भीग गया तो क्या आप उस गेहूँ को लेगें यह सवाल है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया-

श्रीमन, हमारा दायित्व और जिम्मेदारी तो तभी शुरू होती है जब हम गेहूँ खरीद लें। यह सही बात है कि बारिस किसी को बता करके नहीं आती है। यहां सदन में बैठे हुए अधिकांश सदस्य खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उसी पृष्ठिभूमि से आते हैं। मुझे नहीं लगता कि कौशाम्बी में ऐसे बहुत ज्यादा संख्या में किसान होंगे जो लाइन में लगे होंगे और सबका गेहूँ अंकुरित हो गया होगा। यह प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है और क्रय केन्द्र पर जब इस मौसम में ले आ रहे हैं, 20 और 25 जून, के बीच यह माना जाता है कि मानसून आता है तो उनको भी ढककर, ऐहितयात बरतते हुए लाना चाहिए। अब आप अपने साधन से ले आये, अभी आपने अपना गेहूँ बेचा भी नहीं है। उनका गेहूँ उन्हीं की कस्टडी में है, वह भीग गया और दायित्व आप हमारा लगा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं यह उचित नहीं होगा। हम इतना निवेदन आप लोगों के माध्यम से जरूर करना चाहेंगे कि सुरक्षित क्रय केन्द्र तक गेहूँ पहुंचा दें, खरीद की जिम्मेदारी हमारी है खरीद के बाद अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है वह भीग जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है तो उनसे रिकवरी भी की जायेगी और उनको दंडित भी किया जायेगा।

*9-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के कतिपय ग्रामों को राप्ती नदी के कटान से बचाये जाने की मांग

*10-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के ग्राम जगदीशपुर, मोहनपौहरिया से पौहरिया तक के गांवों को राप्ती नदी के तेज कटाव से बचाने हेतु पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो बचाव कार्य कब तक शुरू किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का जो उत्तर आया है, मैं उसके बारे में जानकारी देते हुए और एक उससे जुड़ा हुआ प्रश्न करना चाहता हूँ। जिस जगह के बारे में यह जानकारी है, 07 गांव ऐसे हैं जो पिछड़ी जाति के लोगों से जुड़े हैं। वह सातों गांव राप्ती नदी के किनारे हैं और 05 कि0मी0 बंधा न बन पाने के कारण, 45 कि0मी0 बंधा बना लेकिन 05 कि0मी0 बंधा अवशेष रह गया। ये सातों गांव उसी के बीच में हैं। राप्ती नदी इतनी तेजी से काट रही है कि जगदीशपुर गांव जो यादव बाहुल्य गांव है, मोहन पौहरिया गांव जो निषाद बाहुल्य गांव है, ये सारे गांव खतरे में हैं, लोक उजड़ करके जा रहे हैं। इसके बगल में राम जानकी मार्ग, राज्य मार्ग संख्या 72 है जो सीधे देवरिया होते हुए बिहार को जोड़ता है। सरकार ने 29 करोड़ रुपये उसके सुधार के लिए दिया भी है और उस पर कार्य करा रही है। वह राम जानकी मार्ग, अगर यह जगदीशपुर गांव कटा तो राम जानकी मार्ग खत्म हो जायेगा। चूंकि कटते हुए गांव को बसाने की सरकार के पास कोई योजना नहीं होती। यह हम अवगत है और यह भारत सरकार की गाइड लाइन है। हम एक प्रश्न अलग से लगाये है कि क्या सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी कि कटे हुए गांवों को बचाया जाऐ। जो गांव कट रहे है और सरकार उसे नहीं बचा सकती मगर वहीं राम जानकी मार्ग जो बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और सीधे बिहार और देवरिया को जोड़ता है इस गांव के कटने के बाद वह सड़क बर्बाद होगी और मार्ग अवरूद्ध हो जायेगा। इस नाते सिंचाई विभाग और पी0डब्लू0डी0 के अधिकारियों ने पूर्वान्चल विकास निधि मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश की बात मैं कह रहा हूँ उससे प्रस्ताव आया था वह 596 लाख रुपये का प्रस्ताव है वह शासन में लम्बित है अगर उसको स्वीकार करा देंगे तो यह गांव और सड़क बच जायेगी। मान्यवर, पुनः बाढ़ आने की संभावना है अगर समय रहते इस पर स्वीकृति नहीं हुई और कार्यवाही नहीं हुई तो यह गांव खत्म हो जायेंगे और सड़क खत्म हो जायेगी। मान्यवर, यह 07 गांव रामजानकी मार्ग पर है। क्या इन पर मंडराते खतरे को देखते हुए सरकार लम्बित स्वीकृति को जारी करने पर शीघ्र विचार करेगी ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, जो अभी मा0 सदस्य ने कहा है कि पूर्वान्चल विकास निधि से 596 लाख पुल के लिए पिछले साल से प्रस्ताव आया है। मान्यवर वह आचार संहिता लागू हो जाने के कारण वह रुक गया था इसमें शायद कमिश्नर साहब ने प्रस्ताव भी भेजा था लेकिन वह खर्च नहीं हो पाया था। और वह कदाचित लैप्स हो गया है। इनका कोई भी नया प्रस्ताव या आगणन नहीं आया है। मान्यवर, आगणन और प्रस्ताव आ जायेगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है कि प्रस्ताव आया था लेकिन उस समय आचार संहिता लग जाने के कारण कोई पैसा यहां से रिलीज नहीं हो सका। यह प्रस्ताव आया हुआ है और शासन स्तर पर लम्बित है।

मा0 सिंचाई मंत्री जी ने स्वयं वहां का दौरा किया था विभाग भी उसके प्रति संवेदनशील है मैं अनुरोध करूंगा कि वह प्रस्ताव शासन के पास है चाहे कोई भी सरकार रही हो या है वह जनहित का कार्य है सारे अधिकारी इस बात को मानते हैं। कि अगर समय रहते उस पर कार्य नहीं हुआ तो बाढ़ के समय गांवों को और सड़कों को बचाना मुश्किल होगा इसलिए शासन स्तर पर लम्बित उस प्रस्ताव को स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, उसका परीक्षण करा लेते हैं।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण सीमान्तर्गत कोलोनाइजर द्वारा निर्मित अनधिकृत कालोनियों में मानक के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी

*11-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण सीमान्तर्गत प्राधिकरण से ले-आउट पास कराकर या बिना ले-आउट पास कराये बहुत सारे कोलोनाइर्जर या लैण्ड डेवेलपर ने अधोमानक तथा सुविधाविहीन कालोनिया बनाकर या सिर्फ प्लाटिंग करके नागरिकों को बेच दिया है ? यदि हां, तो इनका विवरण क्या है ? क्या सरकार एक उच्च स्तरीय जांच कराकर ऐसी सभी अधिकृत एवं अनाधिकृत कालोनियों में प्राधिकरण के मानक के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन कोलोनाइर्जर या लैण्ड डेवेलपर को बाध्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत डेवेलपर/बिल्डर्स एवं कालोनी निर्माताओं द्वारा निम्न कालोनियों का तलपट मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य किये गये हैं-

दिव्य नगर, दिव्य नगर विस्तार, हरि ओम नगर, हरि ओम नगर फेज-दो, दिव्य नगर, गोल्ड, महादेवपुरम, महादेवपुरम द्वितीय वीर बहादुरपुरम फेज-1, वीर बहादुरपुर फेज-2, वीर बहादुरम, फेज-3, मालवीय नगर, जूही इन्क्लेव, चाणक्यपुरी, सहारा स्टेट, अनूप खण्ड, राप्ती नगर तृतीय, श्री राम सहकारी आवास समिति लच्क्षीपुर, साकेत नगर लच्क्षीपुर, पारसनाथ , कैलाश नाथ नकहा नं0-1, वृन्दावन, लच्क्षीपुर, मिलीनियम सिटी, शिवम सहकारी आवास समिति, पोखरभिन्डा, इन्द्रप्रस्थ पोखर भिण्डा, ग्रीन सिटी, पट्टन मंगलम, मल्हार मंगलम, उपहार राप्तीनगर, हरिद्वार पुरम, बशारतपुर, हरिद्वार पुरम, बशारतपुर द्वितीय, शारदापुरी, लच्छीपुर, श्याम बिहार, लच्छीपुर, भाटी विहार, लच्छीपुरम गोविन्द नगरी बशारतपुर, गायत्री देवी लच्छीपुर, महावीरपुरम नकहा नं0-1, सैनिक सहकारी आवास समिति, सैनिक विहार महादेव, झारखण्डी टुकड़ा नं-3 श्री बृज रमण दास व रेवती रमण दास शाहपुर, श्याम कुंज शाहपुर, संत हुसैन नगर शिवपुर शाहबाजगंज।

कालोनाइजर द्वारा मानक के अनुरूप विकास कार्य पूर्ण कराने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करने पर प्राधिकरण द्वारा जांचोपरान्त नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्राधिकरण की सीमा अन्तर्गत किसी कालोनाइजर एवं लैण्ड डेवलपर द्वारा अधोमानक एवं सुविधा विहीन प्लाटिंग करके बेंचने का तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, उत्तर के पहले हिस्से के लिए माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ जो गोरखपुर महानगर की वास्तविक स्थिति है, उसकी अधिकांश करीब-करीब 95 प्रतिशत कालोनियों का नाम माननीय मंत्री जी ने लिया। आप स्वयं गोरखपुर गये हुए हैं इन कालोनियों को देखने की कोशिश करें तो यह आधा गोरखपुर है। लेकिन जो दूसरे प्रश्न का जवाब है वह बहुत दुखी करने वाला है। उन भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार, लापरवाह, गरीबों का शोषण करने वाले कालोनाइजर्स को इस जवाब के माध्यम से विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बचाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, जब कोई कालोनाइजर्स कोई कालोनी बनाता है उसका काम है कंस्ट्रक्शन स्वीकृत कराना, उस मानचित्र के अनुरूप उन कालोनियों का विकास करना, विकास प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण-पत्र लेना और इन कालोनियों को नगर निगम को हैण्डओवर करना। क्योंकि कोई भी कालोनाइजर्स हैण्डओवर करने के बाद उसका मेन्टीनेंस नहीं करना चाहता। यह इतनी पुरानी-पुरानी कालोनियां है, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और विशेष रूप से हमारे आवास मंत्री सदन में बैठे हुए है, मैं उनके संज्ञान में विषय लाना चाहूँगा इनमें से किसी कालोनाइजर्स ने आज तक कोई पूर्णता सर्टिफिकेट नहीं लिया, इन कालोनियों को नगर निगम को हैण्डओवर नहीं किया। आज स्थिति यह है कि इन कालोनाइजर्स ने खुलेआम अधोमानक निर्माण कराये और चूंकि नगर निगम को यह कालोनियां हैण्डओवर नहीं हुई और इस नाते नगर निगम वहां कोई अनुरक्षण और देखरेख का काम भी नहीं कर रहा है। यह जिम्मेदारी प्राधिकरण के अधिकारियों की होती है कि वह सुनिश्चित करे कि जो मानचित्र पास कराये गये हैं उसके अनुरूप इन कालोनियों का विकास कराया गया होता, प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपने उस दायित्व का निर्वहन तो किया नहीं और इस सदन को एक गलत जवाब भेज करके गुमराह करने का काम किया है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूँगा कि मैं गोरखपुर शहर से विधायक हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कह रहा हूँ कि यह जो कालोनियां है यह पूरी तरह से अधोमानक हैं, जो मानचित्र स्वीकृत किया गया है उसके अनुरूप उन्हें जो सुविधाएं है, जो मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, नागरिकों का जीवन नारकीय हो चुका है, सड़के नहीं है, नालियां नहीं है, जलजमाव है, निकासी का समाधान नहीं है, पथप्रकाश की व्यवस्था नहीं है और इसीलिए हैण्डओवर नहीं हो रही है। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी मांग कर रहा हूँ क्या इन सारी कालोनियों के बारे में जो मानचित्र स्वीकृत कराये गये उसके अनुरूप इसका विकास हुआ है या नहीं, यह जांच कराकर सुनिश्चित करेंगे ? यदि यह निकलता है कि हां इनका विकास उस लायक नहीं हुआ है तो जिन अधिकारियों ने अब तक लापरवाही और गठजोड़ करके इस गलती को प्रश्रय दिया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और इन कालोनाइजर्स को सही तरह से विकास करने के लिए मजबूर करेंगे ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, अगर ऐसा है तो परीक्षण करा लेते है।

नोट-नत्थी 'ख' के ताराकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ की फर्म बी0एस0 गांधी एण्ड सन्स सदर बाजार के विरुद्ध फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्यवाही विषयक प्राप्त पर कार्यवाही की मांग

1-श्री राम सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 5-9-2009 को मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (मुख्यालय) द्वारा सीधे "ए" श्रेणी में

पंजीकृत फर्म बी0एस0 गांधी एण्ड संन्स सदर बाजार, प्रतापगढ़ के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण (मुख्यालय) को दिनांक 23-4-2012 व आपको दिनांक 8-5-2012 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पत्र दिनांक 23-4-2012 प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु पत्र दिनांक 8-5-2012 प्राप्त हुआ है।

पत्र दिनांक 8-5-2012 में उल्लिखित शिकायतो के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 30-5-2012 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये गेहूँ का वर्षवार विवरण

2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 से 2011 तक प्रतिवर्ष कितना-कितना गेहूँ किसानों से खरीदा गया तथा वर्ष 2012 में लक्ष्य के सापेक्ष कितना गेहूँ खरीदने का लक्ष्य सरकार का है और कितनी खरीदारी हो पाई है ? क्या सरकार उसके तथ्यात्मक आंकड़े सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"-

वर्ष 2005-06 से लेकर वर्ष 2011-12 तक प्रति वर्ष मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से निम्नानुसार गेहूँ की खरीद की गयी-

वर्ष	गेहूँ खरीद (मी0टन में)
2005-06	5,59,341
2006-07	48,850
2007-08	5,45,673
2008-09	31,37,452
2009-10	38,82,351
2010-11	16,45,379
2011-12	34,61,263

रबी विपणन वर्ष 2012-13 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 42.00 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष दिनांक 18-6-12 तक 42.64 लाख मी0टन की गेहूँ की खरीद की जा चुकी है।

जी हां। तथ्यात्मक आंकड़े मा0 मंत्री जी के कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगामी कुम्भ मेला हेतु जनपद इलाहाबाद में सड़कों का चौड़ीकरण तथा पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

3-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी कुम्भ मेला 2013 हेतु इलाहाबाद में विभाग द्वारा किन-किन सड़कों का चौड़ीकरण तथा पुनर्निर्माण कराया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कुम्भ मेला 2013 हेतु जनपद इलाहाबाद में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा राइडिंग क्वालिटी सुधार का कार्य कराया जा रहा है। मार्गों की सूची संलग्न है।†

माह दिसम्बर, 2012 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

4-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[4 थे गुरूवार के अतारांकिंत प्रश्न सं0 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती की भानपुर रूधौली तहसील के अन्तर्गत पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में मानक के अनुरूप डाक्टरों की सेवाएं रात्रि में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

5-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की भानपुर रुधौली तहसीलों के अन्तर्गत आने वाली पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में मानक के अनुरूप डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उक्त पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में मानक के अनुरूप कब तक चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार की जानकारी में है कि रात्रि के वक्त वहां पर डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध नहीं रहती हैं ? यदि हां, तो कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में चिकित्सा अधिकारियों का अभाव है। लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

उक्त केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सको की आकस्मिक सेवायें हेतु सी0एच0सी0 पर रात्रि निवास करने की व्यवस्था निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 199-201 पर)

जनपद बस्ती के भानपुर व रुधौली विद्युत सब स्टेशनों पर ट्रान्सफार्मर व तार बदले जाने की मांग

6-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के भानपुर व रुधौली विद्युत सब-स्टेशनों पर लगे हुए जर्जर ट्रान्सफार्मर व तारों की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त ट्रान्सफार्मर व तार बदले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद बस्ती के भानपुर व रुधौली के विद्युत स्टेशनों पर स्थापित 5 एम0वी0ए0 के परिवर्तक जर्जर नहीं है अधिक कार्यशील हैं।

बिजली के जर्जर तार आवश्यकतानुसार बदले जाते हैं।

इस क्षेत्र में विगत 6 माहों में जर्जर तार (8 कि0मी0) तथा जर्जर पोल (14 नग) बदले जा चुके हैं। अवशेष जर्जर तार एवं जर्जर पोलों को चिन्हित करके बिजनेस प्लान के अन्तर्गत बदलवाया जाना प्रचलन में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में लो वोल्टेज एवं विद्युत कटौती की समस्या के निराकरण कराये जाने की मांग

7-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर में लो-वोल्टेज एवं बड़े पैमाने पर विद्युत कटौती की समस्या है ? यदि हां तो क्या सरकार समयबद्ध तरीके से उक्त समस्या का निराकरण करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

07- विधान सभा क्षेत्र आलापुर के कतिपय क्षेत्रों में लो-वोल्टेज की समस्या है।

जी हाँ।

132 के0वी0 टाण्डा उपकेन्द्र से 33/11 के0वी उपकेन्द्र बसखारी तक 33 के0वी0 लाइन एवं 132 के0वी0 अकबरपुर से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र मरैला तक 33 के0वी0 लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिनके निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के वन विभाग द्वारा पेड़ों को लगाने व रख-रखाव में व्यय धनराशि के दुरुपयोग की जांच पर कार्यवाही की मांग

8-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में वर्ष 2006 से 30 अप्रैल, 2012 तक वन विभाग द्वारा नये पेड़ों को लगाये जाने व उसके रख-रखाव पर कितनी धनराशि वर्षवार खर्च की गयी है ? क्या यह सही है कि बगैर पेड़ लगाये ही शासकीय धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अम्बेडकर वन प्रभाग द्वारा नये पेड़ों को लगाये जाने व उसके रख रखाव पर खर्च धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	व्यय धनराशि (रु0 लाख में)
2006-07	144.11
2007-08	347.21
2008-09	556.09
2009-10	353.01
2010-11	345.89
2011-12	411.05
2012-13 (30 अप्रैल तक)	शून्य

इस संबंध में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को जांच के आदेश दे दिये गये है।

उपरोक्त जांच के निष्कर्ष के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में वन विभाग द्वारा पेड़ों के रख रखाव हेतु लगाये गये घटिया ईंटों पर जांच एवं कार्यवाही की मांग

9-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में वर्ष 2007 से 30 अप्रैल, 2012 तक कितनी धनराशि वन विभाग द्वारा पेड़ों के रख-रखाव हेतु लगाये गये ईटों पर वर्षवार खर्च की गयी है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि पेड़ों की सुरक्षा में लगाये गये ईटों में घटिया किस्म की ईंट का इस्तेमाल हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वन प्रभाग अम्बेडकर नगर द्वारा पेड़ों के रख-रखाव हेतु लगाए गये ईंटों पर वर्षवार खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	व्यय धनराशि (रु0 लाख में)
2007-08	62.24
2008-09	9.50
2009-10	281.71
2010-11	75.92
2011-12	118.12
2012-13 (30 अप्रैल तक)	शून्य

प्रमुख वन संरक्षक, उ0 प्र0 के स्थाई आदेश संख्या-6/36-8/टी-4/64, दिनांक 01-2-2002 में उल्लिखित मानक के अनुरूप ईंटों का इस्तेमाल हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजनान्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जाना

10-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत कूटरचित तरीके से पूर्ण रूप से विद्युतीकरण दिखा दिया गया है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि काफी गांव विद्युतीकरण से आज भी वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर वंचित गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

कूटरचित तरीके से गांव के विद्युतीकरण का कार्य नहीं दिखाया गया है, बल्कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में चयनित/स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण नियमानुसार किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में 300 से अधिक आबादी वाले मजरों के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत है। धन प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

वंचित मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित है।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में विभिन्न स्तरों पर किये गये कार्यों का सत्यापन

11-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में वर्ष 2007 से 30 अप्रैल, 2012 तक पेड़ों के रख.रखाव में लगाये गये ईटों की चुनाई में घटिया सीमेन्ट, मौरंग, मसाला का इस्तेमाल किया गया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर किये गये निरीक्षण/सत्यापन में कोई कमी नहीं पायी गयी।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में वनरोजों द्वारा किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों व जान-माल की सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी

12-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के रुधौली विधान सभा क्षेत्र में जंगली जानवरों की अधिकता के कारण किसानों की फसल तथा जान.माल दोनों की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की फसल एवं जान-माल की रक्षा हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बस्ती वन प्रभाग के रुधौली विधान सभा क्षेत्र में पाये जाने वाले जंगली जानवरों में से विशेष रूप से वनरोजों द्वारा किसानों की फसलों को क्षति होने की सूचनायें कभी.कभी प्राप्त होती रहती हैं।

किसानों की फसलों एवं जान-माल की क्षति को रोकने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित धारा 4 (1) के अन्तर्गत शासनादेश सं0 736/14-4-94-854/92, दिनांक 9-3-1994 एवं शासनादेश सं0 2194/14-4-2001-854/92, दिनांक 28-9-2001 व शासनादेश सं0 1464/14-4-2008-854/92, दिनांक 31-7-2008 से समस्त जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी से लेकर क्षेत्रीय/वनाधिकारी के स्तर तक एवं राजस्व विभाग के समस्त तहसीलदारों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

शासकीय पत्र सं0 1487/14-4-2011-854/92 दिनांक 30-8-2011 द्वारा वनरोजों से कृषि फसलों की क्षति को नियंत्रित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अतः प्रभावित कृषक अपने अपने क्षेत्र के इन अधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

13-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कूडी से नकहर मार्ग 3 कि0मी0 बस्ती डुमरिया मार्ग के भानपुर से तेनुआ असनहरा मार्ग बस्ती डुमरिया मार्ग के दुबौली पोखरा से अमारे डीहा वाया तुसायल मार्ग, बस्ती डुमरियागंज मार्ग के सल्टौआ से भिरिया मार्ग, बस्ती बासी मार्ग के महुआर से केशवापुर वाया हटवा मार्ग, बस्ती मार्ग के विशुन पुरवा से हनुमानगंज वाया हटवा मार्ग तथा बस्ती बासी मार्ग के नसीबगंज से मुगरहा चौराहा वाया आमा मैनी मार्ग की सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के गंडक नगर के मझरिया स्कैप व सिंधवा स्केप कटान से हो रही फसलों के नुकसान को रोकने के उपाय

14-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में मुख्य पश्चिमी गंडक नगर से निकलने वाले मंझरिया स्कैप व सिंधवा स्केप के समरेखन बिगड़ जाने के कारण पानी की दिशा बदलने से आउट कटान होने लगता है जिससे किसानों के खेत की बर्बादी हर वर्ष होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कटान को रोकने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत स्केप के समरेखन में परिवर्तन न होने के कारण।

जनपद कुशीनगर की गंडक नहर की सिल्ट सफाई कराये जाने की मांग

15-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर की मुख्य पश्चिमी गंडक नहर कि0मी0 81.00 से 131.04 तक की रेगुलेशन क्रास/रेगुलेशन के आन्तरिक भाग का सुदृढ़ीकरण रेगुलेशन के मरम्मत का कार्य तथा ढाई मीटर सिल्ट जमा होने के कारण पानी पूर्णक्षमता से न मिलने के कारण तमकुही विधान सभा क्षेत्र में चामू शाखा, पृथ्वीपुर, गगलवा, परसौनी, भगवान कोटेंडा, बहादुरपुर, कोईन्दी, मिछोसी रजवहा के किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्य पश्चिमी गंडक नहर की सिल्ट की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ की नियुक्ति की मांग

16-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि कुशीनगर जनपद के खड्डा विधान सभा के अन्तर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र सी0एच0सी0 में वर्षों से डाक्टर एवं

स्टाफ न होने के कारण बन्द हैं ? क्या उक्त प्रकरण पर प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-4-12 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है तथा आवश्यकतानुसार समस्त चिकित्सालयों में चिकित्सक/स्टाफ की तैनाती की जा चुकी है।

जी हां।

मा0 सदस्य का संदर्भित पत्र दिनांक 09-04-2012 मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर को समस्याओं का समाधान कराने हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा की क्षतिग्रस्त सड़कों के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

17-श्री विजय कुमार दूबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-5-12, जिलाधिकारी, कुशीनगर एवं पत्र दिनांक 18-5-12 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

दिनांक 15-05-2012 के दो पत्र एवं दिनांक 18-05-2012 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। दिनांक 15-05-2012 के दोनों पत्रों में से एक पत्र प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित है, जिसे ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, कसया, कुशीनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। शेष पत्रों में निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के कतिपय ग्रामों के घाघरा नदी के किनारे थर्मल पावर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

18-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत बेल्थरा रोड तहसील के ग्राम मझवलिया, करीमगंज, बेल्थरा बाजार, हल्दी रामपुर के बगल में घाघरा नदी के किनारे थर्मल पावर स्टेशन बनाये जाने की कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

वित्त, भूमि एवं कोयले का प्रबन्ध न होने के कारण कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

जनपद बलिया के संतपति महराज के स्थान के पुनरुद्धार की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

19-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत ससना बहादुरपुर में संतपति महराज के स्थान पर पुनरुद्धार की सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बलिया के अन्तर्गत ससना बहादुरपुर में संतपति महराज के स्थान के पुनरूद्धार की कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत योजना के वित्त पोषण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग

20-श्रीमती लालमुन्नी सिंह-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत शोहरतगढ़-नैपाल सीमा/बार्डर से सटा हुआ माओवादियों से त्रस्त क्षेत्र में रात्रि में बिजली उपलब्ध न होने के कारण अप्रिय घटनायें घटती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में रात्रि में निर्बाध विद्युत व्यवस्था बहाल करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

निर्धारित शिड्यूल के अनुसार रात्रि 23 बजे से प्रातः 9 बजे तक साप्ताहिक परिवर्तन अदल-बदल कर विद्युत आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपलब्धता के आधार पर साप्ताहिक अदल-बदल कर रात्रि व दिन में विद्युत आपूर्ति की जाती है।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में बूढ़ी राप्ती नदी के क्षेत्र में बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

21-श्रीमती लालमुन्नी सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, शोहतरगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत शोहरतगढ़ क्षेत्र में बूढ़ी राप्ती नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ की वजह से जन धन की हानि होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बन्धे का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

तकनीकी रूप से साध्य न होने के कारण।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के बाढ़ प्रभावित ग्रामों को बचाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

22-श्रीमती लालमुन्नी सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के अन्तर्गत बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होने वाले बालानगर, कचरिहवा, ईटहिया, भूतहवा, भूतहिया, तौलिहवां, कोमरी, सेमरहवां आदि गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये सरकार कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

समस्त ग्राम नदी के नजदीक होने के कारण तकनीकी रूप से किसी कारगर योजना का बनाया जाना साध्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के सरकारी अस्पतालों में कतिपय इंजेक्शनों की कमी को दूर करने की मांग

23-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 अस्पतालों में ए0आर0वी0 तथा ए0एस0वी0 इंजेक्शनों की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में ए0आर0वी0/ए0एस0वी0 इंजेक्शन को मांग के अनुरूप उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जी नहीं।

जनपद बहराइच के केन्द्रीय औषधि भण्डार में 250 वायल ए0आर0वी0 एवं 90 वायल ए0एस0वी0 उपलब्ध है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के महिला चिकित्सालय के स्थानान्तरण के पश्चात् खाली पड़े अस्पताल में चिकित्सकीय कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

24-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के वि0खं0, पयागपुर स्थित महिला चिकित्सालय को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार खाली पड़े महिला अस्पताल के भवन में पुनः चिकित्सीय कार्य प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड, पयागपुर हेतु महिला चिकित्सालय की सेवाओं सहित अन्य चिकित्सा सुविधायें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पयागपुर से संचालित करके प्रदान की जा रही है। खाली पड़े महिला अस्पताल का अन्य चिकित्सीय कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरऊवा की विलासपुर की जीर्णशीर्ण सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

25-श्री अली यूसुफ अली-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरऊवा के अन्तर्गत विलासपुर सड़क अत्यन्त जीर्ण शीर्ण है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रूद्रपुर ईकाई (उत्तराखण्ड) के अधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरऊवा के कतिपय ग्रामों के जर्जर विद्युत लाइन एवं ट्रान्सफार्मरों को बदलवाये जाने की मांग

26-श्री अली यूसुफ अली-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरऊवा के ग्राम पेदा नगर, लालपुर इमरता, नगलिया में जर्जर विद्युत लाइन तथा ट्रान्सफार्मरों के खराब होने के कारण स्थानीय जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में विद्युत लाइनों एवं खराब ट्रान्सफार्मरों को बदलवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम लालपुर, इमरता एवं नगरिया में कोई परिवर्तक खराब नहीं है एवं जर्जर तार आवश्यकतानुसार बदल दिये जाते हैं।

ग्राम पेदा नगर में लगभग 30 विद्युत उपभोक्ताओं पर रु0 4 लाख राजस्व बकाया है जो कि उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। इसी कारण उपभोक्ताओं के संयोजन विच्छेदित कर दिये गये हैं। उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये जाने के उपरान्त उनके संयोजन जोड़कर विद्युत आपूर्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानुपर के किदवई नगर क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा अल्प आय वर्ग के लोगों को आवंटित कालोनियों के मासिक किराये की बढ़ोत्तरी को वापस लेने की मांग

27-श्री अजय कपूर-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर, कानपुर नगर में विकास प्राधिकरण द्वारा 1960 के दशक में अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये निर्माण कर आवंटित की गई बहुमंजली कालोनियों का मासिक किराया रुपया 14.50 से रुपया 19.50 तक था, जिसे अब बढ़ाकर 300 रुपये से 450 तक कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में बढ़ा किराया वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत कालोनियों के रख-रखाव, स्टाफ मद में अत्यधिक धन व्यय होने तथा उसके सापेक्ष किराये से होने वाली आय बहुत कम होने के कारण शासनादेश संख्या 882/9-आ-1-2001-72 बैठक/1998, दिनांक 16-02-2001 के क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किराये में बढ़ोत्तरी की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा में महिला चिकित्सक के रिक्त पद पर तैनाती की मांग

28-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा में पिछले काफी वर्षों से रिक्त महिला चिकित्सक के पद पर सरकार तैनाती करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

डा0 संगीता सिंह महिला चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा, बलिया में तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा में खराब पड़ी एम्बुलेन्स को बदलवाये जाने की मांग

29-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत 1989 में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा में खराब एम्बुलेन्स की जगह पर दो एम्बुलेन्स (एक बड़ी व एक छोटी) देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानक के अुनसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ब्लाक पर स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक-एक नया रोगी वाहन दिया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्भर है।

जनपद बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अठियापुरा में डाक्टर की तैनाती की मांग

30-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अठियापुरा में किसी डाक्टर की तैनाती नहीं हुई है ? यदि हां, तो वहां पर क्या सरकार किसी डाक्टर की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद बलिया के अठियापुरा में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सराय भारती के अन्तर्गत अठिलापुरा नाम का उपकेन्द्र स्थापित है जहां पर 02 पद क्रमशः ए0एन0एम0 एवं दाई के स्वीकृत हैं। उक्त के अतिरिक्त कोई पद सृजित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के किदवई नगर में विकास प्राधिकरण की अल्प आय वर्ग कालोनियों के अध्यासियों को स्वामित्व सौंपे जाने की योजना

31-श्री अजय कपूर-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर, कानपुर नगर में विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1960 के दशक में अल्प आय वर्ग के लिए बनाई गई कालोनियों का स्वामित्व किरायेदार को सौंपे जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 1960 के दशक में प्राधिकरण की पूर्ववर्ती संस्था कानपुर नगर महापालिका के समय में किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र में कुल 11 कालोनियों का निर्माण किया गया जिसमें कुल क्वार्टरों की संख्या 6065 थी। शासनादेश संख्या-2798/9-आ-5-23-8 मिस/86, दिनांक 16-06-1993, संख्या-4872/9-आ-1-99 बैठक/98 दिनांक 4-11-1999 एवं संख्या 882/9-आ-1-2001-72 बैठक/1998 दिनांक 16-02-2001 के क्रम में प्रश्नगत क्वार्टरों की बिक्री हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी जिसके सापेक्ष केवल गोविन्दनगर कालोनी के किरायेदारों द्वारा पहल की गयी। गोविन्दनगर योजना के 1132 क्वार्टरों का लीज डीड निबन्धन संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, 05 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही प्रचलित है और अवशेष 4928 आवासियों द्वारा निबन्धन हेतु आवेदन-पत्र नहीं दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के किदवई नगर में अघोषित बिजली कटौती को रोकने की मांग

32-श्री अजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर, कानपुर नगर में बेतहासा विद्युत कटौती से जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कानपुर नगर में बिजली की घोषित कटौती की निर्धारित समय सीमा कितनी है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को रोकने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

कानपुर नगर की घोषित कटौती 02 घण्टे है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी होने के कारण राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए कभी-कभी आकस्मिक कटौती करना अपरिहार्य हो जाता है। स्थिति सामान्य होने पर विद्युत आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

जनपद बिजनौर में उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल खुलवाये जाने की मांग

33-श्री तसलीम-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बिजनौर में 100 बेड का उच्च आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 100 बेड वाला अस्पताल खुलवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जनपर बिजनौर में 169 शैय्याओं का जिला संयुक्त चिकित्सालय स्थापित एवं क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कतिपय ग्रामों में अधिक क्षमता का ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने की मांग

34-श्री तसलीम-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर, विधान सभा क्षेत्र, नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम-जटपुरा मोण्डा, ग्राम-लालपुर, ग्राम-प्रतापपुर में मानक से कम क्षमता के लगे ट्रान्सफार्मर अतिभारित होने के कारण आये दिन खराब हो जाते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रान्सफार्मर की जगह अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर लगवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ग्राम लालपुर एवं प्रतापपुर के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत किया गया था। जिसमें ग्राम लालपुर एवं प्रतापपुर प्रत्येक में तीन नं0-10 के0वी0ए0 एक फेज परिवर्तक लगाये गये थे। ग्राम लालपुर राय में 5 नं0-10 के0वी0ए0 1 फेज के अतिरिक्त परिवर्तक लगाये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है एवं ग्राम प्रतापपुर में अतिरिक्त परिवर्तक लगाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

ग्राम लालपुर एवं प्रतापपुर का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रथम चरण में एच0बी0डी0एस0 प्रणाली द्वारा किया गया था। अतः ग्राम में 10 के0वी0ए0 के परिवर्तक ही स्थापित करना उचित है।

कार्य प्रगति पर है शीघ्र पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण करवाये जाने की मांग

35-श्री तसलीम-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर, विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत लालपुर, सोजीमल, सैलमपुर अट्टा, मझाड़ी, बोरो की, नया गांव कोटद्वार रोड का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ग्राम लालपुर, सोजीमल, सेलमपुर, भट्टा, महाबतपुर, दलपत उर्फ मझाड़ी एवं नया गांव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं थे। इस कारण इन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका।

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में ग्राम लालपुर, सोजीमल, सेलमपुर, भट्टा, महाबतपुर, दलपत उर्फ मझाड़ी एवं नया गांव को विद्युतीकरण के कार्य हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। योजना स्वीकृत हो चुकी है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

ग्राम बोरो की जनसंख्या 100 से कम होने के कारण इसको राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

भारत सरकार से धन प्राप्त होने पर विद्युतीकरण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम शमीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

36-श्री तसलीम-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर, विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद से आठ किमी0 की दूरी पर ग्राम शमीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर नहीं है तथा मरीजों के लिये एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड मशीनें व दवा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां,

तो क्या उक्त पी0एच0सी0 में डाक्टर तथा अन्य सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

ग्राम-शमीपुर में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। ग्राम शमीपुर के निकट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नजीबाबाद बिजनौर पर वर्तमान में 03 डाक्टर कार्यरत हैं। एक्सरे मशीन स्थापित है तथा दवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अल्ट्रासाउण्ड मशीन व रेडियोलाजिस्ट उपलब्ध नहीं है।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में चिकित्साधिकारियों का अभाव है। लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किया गया है। आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् उपलब्ध के आधार पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

अन्य सुविधायें यथा उपलब्धतानुसार प्रदान की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के कतिपय मार्गों के निर्माण की जाँच एवं पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

37-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत पीलीभीत-बीसलपुर मार्ग (एल0बी0मार्ग) बीसलपुर से खनका उचासिया मार्ग, (एल0बी0 मार्ग) बीसलपुर से बिलसण्डा मार्ग (बी0बी0जी0 मार्ग) बीसलपुर से चुर्रा (बीसलपुर-बरेली मार्ग) नव निर्मित मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर मार्गों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए थे।

प्रश्नगत मार्ग की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से करायी जा रही है। उक्त मार्ग की मरम्मत करा दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर में सहकारी गन्ना प्रक्रिया इकाई एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना एवं कार्यशील रहने के सम्बन्ध में जानकारी

38-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर के अन्तर्गत राजस्व गांव खमरिया नवादिया की भूमि पर सहकारी गन्ना प्रक्रिया इकाई एवं कोल्ड स्टोरेज कब स्थापित किये गये तथा कब तक कार्यशील रहे ? क्या दोनों प्रतिष्ठान इस समय बन्द हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन प्रतिष्ठानों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा है ? यदि हां, तो अनधिकृत कब्जा हटाने हेतु कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद पीलीभीत के नगर बीसलपुर के राजस्व गांव खमरिया नवदिया की भूमि पर सहकारी गन्ना प्रक्रिया इकाई की स्थापना वर्ष 1968 में एवं शीतगृह की स्थापना वर्ष 1975 में हुई। सहकारी गन्ना प्रक्रिया इकाई वर्ष 1977 तक एवं शीतगृह वर्ष 1991 तक कार्यशील रहे।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र के तोपखाना प्रानपुर होते हुए बन्जरिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

39-श्री अली यूसुफ अली-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तोपखाना प्रानपुर होते हुए बन्जरिया तक लगभग 15 कि0मी0 सड़क जीर्णशीर्ण है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरऊवा के कतिपय विद्युत केन्द्रों में निर्धारित विद्युत सप्लाई कराये जाने की मांग

40-श्री अली यूसुफ अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरऊवा के अन्तर्गत पांच मिनी विद्युत केन्द्र थोट, वमना, खोद, दरगला व स्वार में समय से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण स्थानीय जनता को अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पांच मिनी विद्युत केन्द्रों पर निर्धारित विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद रामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चमरऊवा की विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 5 नग विद्युत उपकेन्द्रों भोट मिलक खानम, खौद, दुर्गनगला एवं स्वार से की जाती है।

निर्धारित शिड्यूल के अनुसार 10 घण्टे साप्ताहिक अदल-बदल कर विद्युत आपूर्ति आदेशित है, जिसके सापेक्ष मई, 2012 में औसत विद्युत आपूर्ति उक्त क्षेत्रों की निम्नवत् है:-

1. भोट-	9.08 घण्टे
2. मिलक खानम (वमना)-	9.32 घण्टे
3. खौद-	9.28 घण्टे

4. दुर्गनगला- 9.22 घण्टे

5. स्वार- 9.48 घण्टे

उपरोक्त विवरण से विदित है कि प्रश्नगत् क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति लगभग निर्धारित शिड्यूल के अनुसार ही किया जा रहा है, जो आंशिक कटौती हुई है, वह स्थानीय व्यवधान और राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के दृष्टिगत है। अतः समस्या का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

41-श्री अली यूसुफ अली-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुरसेना के आगे अजीम नगर जिठनियां की सड़क अत्यन्त जीर्णशीर्ण है जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मुरसैना से अजीम नगर मार्ग के कि0मी0 6 से 9 व 13 क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

मार्ग का नवीनीकरण इसी वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद की समस्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को समय से न खोलने एवं कम वितरण करने की जांच की मांग

42-श्री तसलीम-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में समस्त शहरी व ग्रामीण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को समय से न खोलने एवं स्वीकृत मात्रा से कम राशन देने के कारण स्थानीय जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान कराते हुए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां ? तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी नहीं। उचित दर विक्रेताओं द्वारा सम्बद्ध कार्डधारकों को निर्धारित समय एवं मानक के अनुसार राशन का वितरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के नजीबाबाद तहसील के सामने पुल की चौड़ाई बढ़ाये जाने की मांग

43-श्री तसलीम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के नजीबाबाद तहसील के सामने पुल बनाया जा रहा है जिसकी चौड़ाई अत्यधिक कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की चौड़ाई बढ़वायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण प्रगति पर है। रेल उपरिगामी सेतु की चौड़ाई मानक के अनुरूप है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

44-श्री तसलीम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में कोटद्वार फाटक से ग्राम जागी रमपुरी तक, कासिमा इण्टर कालेज से ग्राम हरसुवाड़ा, ईदगाह, कटहेड़ी फाटक होते हुये बिजनौर रोड तक कासिमा इण्टर कालेज से जालाबाद से बाईपास तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत सप्लाई कराये जाने की मांग

45-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मिलकमिर्जा फयाज का मजरा में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है लेकिन विद्युत सप्लाई नहीं होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्राम में विद्युत सप्लाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ग्राम मिलकमिर्जा फयाज का मजरे की 11 के0वी0 विद्युत लाइन चोरों द्वारा काटे जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित है, प्राथमिक सूचना दिनांक 07.05.2012 को दर्ज कर दी गयी थी।

सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। 11 के0वी0 लाइन का कार्य इस माह में पूर्ण करके विद्युत आपूर्ति सुचारु करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल का निर्माण कराये जाने की मांग

46-श्री तसलीम-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के चमरऊवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दोकपुरी टाण्डा व खेड़ाटाण्डा की आबादी तीस हजार से अधिक है लेकिन वहां पर कोई सरकारी अस्पताल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में सरकारी अस्पताल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

ग्राम दोकपुरी टाण्डा व खेड़ाटाण्डा की आबादी तीस हजार से कम है। अतः मानक के अनुसार उक्त स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेमपुर 05 कि0मी0 की दूरी पर स्थापित एवं क्रियाशील है।

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का मानक पूरा न करने के कारण स्थापना नहीं की गयी है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कतिपय क्षतिग्रस्त पुलिया व सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

47-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत भूपगंज बाजार से बारीपुरवा होते हुये कांधी कुइयां ग्राम तक जाने वाली खड़न्जा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया व डामरीकरण का कार्य अवशेष है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण व उक्त सड़क डामरीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के जिला अस्पताल को उच्चीकृत कराये जाने की मांग

48-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिला अस्पताल बहराइच के उच्चीकरण की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। 100 शैय्या वार्ड की व्यवस्था जिला महिला चिकित्सालय में एन0आर0एच0एम0 द्वारा उच्चीकरण हेतु प्रस्ताव एन0आर0 एच0 एम0 की शासी निकाय की बैठक द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। प्रस्ताव भारत सरकार स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। वेन्टीलेटरयुक्त 10 शैय्या वार्ड विशेष रूप से जे0ई0/ए0ई0एस0 ग्रसित व्यक्तियों हेतु प्रस्तावित है स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के समस्त सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

49-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में सभी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर ओ0पी0डी0 एवं इनडोर मरीजों की संख्या काफी बढ़ी हुई है? क्या सरकार की जानकारी में है कि बेड के अभाव में मरीज बरामदे में लिटाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुये उक्त अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत मिशन निदेशक एन0आर0एच0एम0 से जनपद बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैसरगंज में 50 शैय्या मेटरनिटी बिग की स्थापना हेतु प्रस्ताव पी0आई0पी0 वर्ष 2012-13 में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।

एन0आर0एच0एम0 योजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सम्पर्क मार्गों पर पुल एवं पुलिया निर्माण विषयक कथित पत्र

50-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर आवागमन के दृष्टिकोण से विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर पुल एवं पुलिया के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/2012-13/क-एस0नं0-022531/453, दिनांक 23-5-2012 अधिशासी अभियन्ता पी0डब्ल्यू0डी0 बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपपल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जे0पी0 नगर के मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-3 के समस्त अभियन्ताओं द्वारा किये गये अपशब्दों के प्रयोग सम्बन्धी शिकायत पर कार्यवाही की मांग

51-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-3 अमरोहा (जे0पी0नगर) के समस्त अवर अभियन्ताओं एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये असंसदीय भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग करने सम्बन्धी शिकयती-पत्र दिनांक अप्रैल, 2011 पर मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा परियोजना) द्वारा गठित अधीक्षण अभियन्ताओं की समिति द्वारा प्रशासनिक आधार हटाने की संस्तुति रिपोर्ट पर मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा परियोजना) द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ द्वारा गठित अधीक्षण अभियन्ताओं की समिति की जांच रिपोर्ट एवं प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता का स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के तहत मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर में विस्तारित बिजनेस प्लान अन्तर्गत तार व विद्युत पोल हेतु स्वीकृत धनराशि से कार्य कराये जाने की मांग

52-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में विस्तारित बिजनेस प्लान 2010-2011 से विद्युत पोल मय तार 10 स्थानों पर लगवाने हेतु रु0 7.76 लाख स्वीकृत किये जाने की सूचना पत्र सं0-1284 पी0एस0डी0डी0/2011 वि0वि0 प्लान के द्वारा निदेशक, (वितरण) (तत्कालीन) उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ ने दिनांक 17-12-2011 को एम0डी0 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ को भेजी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सभी खम्भे वांछित स्थानों पर मयतार के स्थापित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण आचार संहिता लग गयी जिसके कारण वित्तीय अनुमोदन नहीं हो पाया। अतः कार्य नहीं कराया जा सका।

उपरोक्त कार्यों को बिजनेस प्लान 2012-13 में सम्मिलित कर लिया गया है धन की व्यवस्था होने के उपरान्त उपरोक्त कार्यों को यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर के ग्रामीण अंचल में निजी नलकूपों के उच्चीकृत करने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

53-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-3-2012 से दिनांक 25-3-2012 तक जो कि जनपद शाहजहांपुर के शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में निजी नलकूपों के उच्चीकृत करने हेतु है, उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव

दिनांक 15-03-2012 से दिनांक 25-03-2012 तक जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण करने हेतु कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु श्री फकीर मोहम्मद पुत्र श्री अज्जू बक्श, निवासी ग्राम शाहबाजनगर, ब्लाक ददरौल, जनपद शाहजहांपुर, श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम कपेडकटका, पो0 घुसगंवां, ब्लाक ददरौल, तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर तथा श्री तुलाराम पुत्र श्री शिवनारायण, निवासी ग्राम विझड़ा हुसैनपुर ब्लाक भावलखेड़ा, तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर के पत्र प्राप्त हुए हैं, जो प्रश्नकर्ता के विभिन्न पत्रों के संदर्भ में हैं।

उपरोक्त संस्तुत उपभोक्ताओं में से श्री फकीर अहमद पुत्र श्री अज्जू बक्श का वर्ष 2012-13 में माह मई, 12 में भार स्वीकृत होकर दिनंक 16-05-2012 को नलकूप संयोजन हेतु अनुबन्ध कर दिया गया है तथा भण्डार से सामग्री उपभोक्ता को स्वयं अपने साइट तक ले जाना है। श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह एवं श्री तुलाराम पुत्र श्री शिवनारायण द्वारा नलकूप संयोजन हेतु प्रोसेसिंग फीस क्रमशः दिनांक 28-05-2011 तथा दिनांक 28-12-2011 को जमा किया गया है और इनका पंजीयन क्रमांक 1609 तथा 2071 है। वर्तमान में अभी पंजीयन क्रमांक 1138 से 1478 तक कुल 335 उपभोक्ताओं को ही वर्ष 2012-13 के लक्ष्यानुसार वरीयता क्रम में नलकूल ऊर्जीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ डालीगंज रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के स्थान पर सबवे बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

54-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के डालीगंज रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के स्थान पर सबवे बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम के निलम्बित कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

55-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम के 17 कर्मचारियों को दिनांक 12.08.2011 को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 12-08-2011 को 12 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था।

जी हां। निलम्बित कर्मचारियों को जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया के अनेकों ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

56-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत बैरिया तहसील के मुनहपरा (बच्छीमपुर) दलमतपुर, गोपालपुर के पुरवे शिवपुर कपूर दियर के पुरवे, समपुर आदि गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

56-जनपद बलिया के बैरिया तहसील के अन्तर्गत ग्राम मुनछपरा (बच्छीमपुर) विद्युतीकृत हैं ग्राम दलपतपुर के सभी पुरवे विद्युतीकृत हैं। केवल एक पुरवा भेडिहार टोला स्थानीय विवाद के कारण अविद्युतीकृत है। ग्राम गोपालपुर के सभी पुरवे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन लि0 द्वारा विद्युतीकृत हैं। केवल एक पुरवा पूरब टोला स्थानीय विवाद के कारण अविद्युतीकृत है। ग्राम शिवपुर कपूर दियर के सभी पुरवे विद्युतीकृत हैं। ग्राम रामपुर के विद्युतीकरण का कार्य किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया के बाढ़ ग्रस्त गांवों को बचाये जाने की योजनायें

57-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत बैरिया तहसील के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गांवों को बाढ़ से बचाने के लिये सरकार कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

योजनायें बनाई जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीवाबाद के कतिपय मोहल्लों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

58-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम सुगड़ बहड़ा, मोहल्ला-शाहदे नगर, मोहल्ला-नई बस्ती जाठतागंज पालोमल कालोनी मुनीरगंज का विद्युतीकरण कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां ? तो सरकार उक्त ग्रामों व मोहल्लों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद सुगड़ बहड़ा, मोहल्ला शाहदे नगर, मोहल्ला नई बस्ती, जाठतागंज पालोमल, कालोनी मुनीरगंज का विकास निजी विकासकर्ता द्वारा किया गया था। इनका विद्युतीकरण कार्य भी विकासकर्ता द्वारा कराया जाना था किन्तु विकासकर्ता द्वारा कोई भी आवेदन विद्युतीकरण हेतु नहीं किया गया है अतः इन स्थानों के विद्युतीकरण की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

विकास कर्ता द्वारा आवेदन करने पर धन जमा कराकर विद्युतीकरण करवाया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के कतिपय ग्रामों में विद्युत सप्लाई चालू कराये जाने की मांग

59-श्री तसलीम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के ग्राम अर्जुन गंज सरसवां के सरस्वतीपुरम् में तीन पोल विद्युत तार सहित लगाये जा चुके हैं लेकिन अभी तक उसमें विद्युत सप्लाई चालू नहीं हो सकी हैं ? यदि हां, तो विद्युत सप्लाई कब तक चालू करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लाइन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 06..6.2012 को विद्युत आपूर्ति चालू करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के कतिपय चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती किये जाने की मांग

60-श्री भीम प्रसाद सोनकर-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, अम्बेडकर नगर के सी0एच0सी0 आलापुर, पी0एच0सी0 रामनगर, सी0एच0सी0 जहंगीरनगर और उपकेन्द्र मुबारकपुर में दवाओं की कमी है व डाक्टर भी मानक के अनुसार नहीं हैं ? क्या

सरकार की जानकारी में है कि अस्पतालों पर रात्रि में डाक्टर व अन्य स्टाफ उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में दवाओं की कमी को दूर करने व मानक के अनुरूप डाक्टरों व अन्य स्टाफ की तैनाती करायेगी ? यदि हां ? तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

सी0एच0सी0 आलापुर, पी0एच0सी0 रामनगर, सी0एच0सी0 जहांगीर नगर में औषधियों की कोई कमी नहीं है तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के स्तर से चिकित्सकों की तैनाती प्रक्रियाधीन है।

जी हां।

औषधियों की कोई कमी नहीं है तथा मानक के अनुसार चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती वर्तमान में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की स्वीकृत पदों के विपरीत कमी के फलस्वरूप सम्भव नहीं हो पा रही है।

चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं उनकी उपलब्धता के पश्चात् स्वीकृत मानक के अनुसार तैनाती संभव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में समयबद्ध तरीके से विद्युत सप्लाई किये जाने की मांग

61-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में विद्युत कटौती बड़े पैमाने पर हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से विद्युत सप्लाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी हां।

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया को 22 बजे से 04 बजे एवं 10 बजे से 14 बजे तक (कुल 11 घण्टे) विद्युत आपूर्ति आदेशित है, जिसमें स्थानीय व्यवधान शामिल नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के प्रत्येक विकास खण्ड में मच्छर मारने की दवाओं का छिड़काव

62-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में मच्छर जनित रोगों के नियंत्रण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामवार मच्छर मारने की दवाओं के छिड़काव हेतु कोई व्यापक कार्य योजना सरकार ने बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा इसे कब से शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद बहराइच में मच्छर जनित रोगों के नियन्त्रण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रत्येक विकास खण्ड में ग्रामवार मच्छर मारने की दवाओं के छिड़काव हेतु व्यापक कार्य योजना बनायी गयी है।

कार्य योजना के अन्तर्गत मच्छर जनित रोगों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु मच्छर मारने की दवाओं का विड़काव दिनांक 27 जून 2012 से प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में जर्जर खड़न्जा मार्गों के डामरीकरण विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

63-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर बहराइच में जर्जर हो चुके खड़न्जा मार्गों के डामरीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/12-13/क-एस0नं0-022530/452, दिनांक 23-05-2012 अधिशासी अभियन्ता, पी0डब्लू0डी0, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कारागार बंदियों को मोबाइल/टेलीफोन की सुविधा से वंचित करने के सम्बन्ध में जानकारी

64-श्री मित्रसेन यादव-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार के बंदियों को मोबाइल/टेलीफोन की सुविधा से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया"-

जी हां।

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में बंदियों द्वारा टेलीफोन/मोबाइल फोन का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

कारागारों की सुरक्षा एवं कारागारों में निरुद्ध कुख्यात व संगठित आपराधिक गिरोहों के बंदियों की आपराधिक गतिविधियों के संचालन को रोकने के उद्देश्य की दृष्टि से टेलीफोन/मोबाइल का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

जनपद बलिया में आशा कार्यकत्रियों को भारत सरकार से अनुमोदित समस्त सुविधाएं एवं आवंटित धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में जानकारी

65-श्री उमाशंकर-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में भारत सरकार की एन0आर0एच0एम0 योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 में चयनित आशा कार्यकत्रियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है ? क्या यह सही है कि उन्हें भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा लागू शासनादेशों के अनुरूप भुगतान भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आशा कार्यकत्रियों को उनके बकाये का भुगतान करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

आशा कार्यकत्रियों को भारत सरकार से अनुमोदित समस्त सुविधाओं एवं शासनादेशानुसार मदवार आवंटित धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

बकाये का भुगातन बजट की उपलब्धता पर नियमानुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित यू0पी0डी0पी0एल0 की वर्तमान स्थिति एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कराये जाने की मांग

66-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र की लखनऊ स्थित यू0पी0डी0पी0एल0 की वर्तमान में क्या स्थिति है तथा इसके कर्मचारियों का वेतन कब से और कितना बकाया है ? सरकार उक्त कर्मचारियों के बकाये का भुगातन कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

यू0पी0डी0पी0एल0 की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 28-01-1978 को हुई है। यू0पी0डी0पी0एल0 में कार्यरत कर्मचारियों के 22 माह का वेतन कुल रु0 2239.24 लाख बकाया है।

यू0पी0डी0पी0एल0 की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है जिसके कारण बकाया धनराशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

प्रकरण को बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल-रीकन्सट्रक्शन (बी0आई0एफ0आर0) को सन्दर्भित किया गया था। उनके द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त संस्था के पुनर्वासन हेतु शासनादेश संख्या-2830/पांच-1-11-2(1)/95 टी0सी0, दिनांक 21-12-2011 निर्गत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।†

प्रदेश में किसानों को सामान्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूपों के कनेक्शन व निर्गत सामग्री तथा जले हुए ट्रान्सफार्मर बदलने का प्रयास

67-श्री केशव प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों को नलकूप के लिये सामान्य योजना में कनेक्शन दिया जाता है उनको सामान उपलब्ध कराने की समय अवधि क्या है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जले हुए ट्रान्सफार्मरों को बदलने की समय सीमा क्या है ? क्या निर्धारित समय में ट्रान्सफार्मर न बदले जाने पर इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर सामान्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप के कनेक्शनों हेतु किसानों को सामग्री निर्गत की जाती है।

---

†(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 202-203 पर)

शहरी क्षेत्र में 72 घण्टे के अन्तर्गत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 7 दिन के अन्दर क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर बदलने का प्रयास किया जाता है।

जी हां।

शिकायत के आधार पर जांच कराकर दोषी पाये जाने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में चालू व खराब नलकूपों की संख्या तथा खराब नलकूपों को चालू कराये जाने की मांग

68-श्री केशव प्रसाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु लगे नलकूपों में से दिनांक 28-05-2012 की स्थिति के अनुसार कितने चालू हैं और कितने किन-किन कारणों से बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार सिंचाई की समस्या के निदान हेतु खराब तथा बन्द पड़े नलकूपों को ठीक कराकर चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में 127 अदद राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिसमें 31 अदद फेल नलकूप स्थायी रूप से बन्द हैं, दिनांक 28-05-2012 की स्थिति के अनुसार अस्थाई रूप से यांत्रिक दोष से 03 नलकूप तथा विद्युत दोष से 06 नलकूप इस प्रकार कुल 09 अदद नलकूप बन्द हैं।

जी हां।

अस्थाई रूप से नलकूपों का बन्द होना एवं ठीक कराया जाना एक सतत् एवं निरन्तर प्रक्रिया है जिसके अनुरूप यांत्रिक दोष से बन्द 03 नलकूपों एवं विद्युत दोष से बन्द 02 नलकूपों को ठीक करा दिया गया है तथा विद्युत दोष से बन्द 04 नलकूपों को विद्युत विभाग द्वारा ठीक कराया जा रहा है। स्थाई रूप से फेल नलकूपों में से 05 अदद नलकूप वर्ष 2011-12 में पुनःनिर्मित करा दिये गये हैं, जिनके ऊर्जीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है शेष 26 अदद नलकूपों में से 15 अदद नलकूप 1054 नलकूप परियोजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में पुनःनिर्माण परियोजना में लिये गये हैं। अवशेष 11 नलकूपों का पुनः निर्माण भविष्य में स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं में सम्मिलित कर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के कस्बा सरधना में स्थित माता मरियम के गिरजाघर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

69-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के कस्बा सरधना में विश्व प्रसिद्ध माता मरियम के गिरजाघर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मेरठ के कस्बा सरधना में स्थित माता मरियम के गिरजाघर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्नगत योजना के वित्त पोषण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद मेरठ के क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

70-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में राष्ट्रीय राज मार्ग मेरठ से करनाल पर स्थित नानू नहर से सरधना नगर को जाने वाला मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

71-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक राया बल्देव एवं फर में कितने ग्राम विद्युतीकरण से वंचित हैं ? क्या सरकार इन तीनों ब्लाकों के विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों में से 15-15 ग्रामों का चयन कर विद्युतीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मथुरा के अन्तर्गत ब्लाक राया बल्देव तथा फरह में कोई भी राजस्व ग्राम विद्युतीकरण से वंचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

72-श्री सुल्तान बेग-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उसके सापेक्ष वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) की कमी को पूरा करने के लिये रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के 1986 पद स्वीकृत हैं, जिसके सपेक्ष 769 पद रिक्त हैं।

वर्तमान में सरकारी भर्तियों (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) अन्य समस्त प्रकार की भर्तियों पर दिनांक 15-03-2012 से प्रतिबंध है। उक्त प्रतिबन्ध को प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) की तात्कालिक आवश्यकता के परीक्षणोपरान्त उक्त प्रतिबन्ध के शिथिलीकरण के विषय पर आवश्यकता के दृष्टिगत अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच स्थित पारले शुगर फैक्ट्री परसेन्डी में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया का प्रकरण

73-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में स्थित पारले शुगर फैक्ट्री परसेन्डी द्वारा विभिन्न पदों में नियुक्ति हेतु अखबारों में वर्ष 2012 में प्रकाशन स्थानीय समाचार-पत्रों में न कराकर मात्र मेरठ एवं गोरखपुर संस्करण में कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल को स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराने का आदेश प्रदान कर इसका पालन न करने के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां,

जनपद बहराइच में स्थित पारले शुगर फैक्ट्री परसेन्डी एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। मिल प्रबन्धन द्वारा की जा रही कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने की मांग

74-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली माइनरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है और न ही माइनर पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में 19 अदद पूर्ण एवं अपूर्ण माइनर/रजवाहे हैं, जिनके विरुद्ध 06 अदद पूर्ण माइनर/रजवाहों की टेल पर पानी पहुंचता है। शेष 13 अदद माइनरें अभी अपूर्ण हैं।

जी हां।

अपूर्ण माइनरों के गैप पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विश्वेश्वरगंज स्थित सहकारी समिति के भवन में समिति संचालन कराये जाने की मांग

75-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विश्वेश्वरगंज में सन्तनगर चौराहा ग्रा0 बुढ़नी भलुहिया में सहकारी समिति का भवन 15 वर्षों से बनकर तैयार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन में समिति संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के गेहूं क्रय केन्द्र में गेहूं खरीद क्रय वितरण एवं भुगतान की स्थिति

76-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में कितने एवं कौन-कौन से गेहूं क्रय केन्द्र हैं तथा प्रत्येक का गेहूं क्रय करने का कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य के सापेक्ष कितना-कितना गेहूं दिनांक 15-05-12 तक क्रय किया जा चुका है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्रय किये हुए गेहूं का किस तिथि तक का भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

वर्ष 2012-13 में पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में कुल 29 गेहूं क्रय केन्द्र खोले गये, जिसके संबंध में गेहूं खरीद की स्थिति निम्नवत् है :-

क्रय केन्द्र का नाम	कार्यकारी लक्ष्य (मी0 टन में)	दि0 15.5.12 तक की खरीद (मी0 टन)
1	2	3
बिलसंडा ऐटगौहनिया	4,000	3657.55
बीसलपुर मण्डी	4,000	3016.05
बरखेडा	500	7.50
जोगीठेर	500	0.5
बीसलपुर	1500	1150.0
जसोली दीवाली	1500	352.7
नवदिया रोहनियां	500	425.0
बिलसंडा	1000	199.0
भदेनकंजा	500	625.3
रामनगर जगतपुर	500	10.0

1	2	3
बिलसण्डा	2500	1618.5
बीसलपुर	3500	1279.7
रड़ैता	1500	984.3
शीतलपुर मरौरी	2000	486.3
खननका	1500	259.0
मधवापुर	700	640.0
घनश्यामपुर	500	479.0
बरसिया	500	475.0
ईशापुर	500	698.0
अमृता	300	265.0
खजुरिया पचपेड़ा	2000	53.96
बीसलपुर मण्डी	3000	171.6
भीकमपुर	2000	148.93
कुरैयाकला	2000	126.39
बीसलपुर मण्डी	1500	1285.0
चुर्रासकतपुर	500	793.8
चरखौला	500	444.0
बिलसण्डा	1000	2123.2
करेली	500	375.3

दिनांक 15-5-12 तक खरीदे गये समस्त गेहूं का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत गेहूं क्रय केन्द्रों में नियुक्त परिवहन ठेकेदारों का विवरण

77-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत वर्ष 2011-2012 में किन-किन गेहूं क्रय एजेन्सियों द्वारा कौन कौन से गेहूं क्रय केन्द्रों पर गेहूं क्रय किया जा रहा हैं तथा उन पर किस-किस का पल्लेदारी एवं परिवहन का ठेका है ? क्या उनके द्वारा पल्लेदारी एवं परिवहन के ठेके सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूर्ण हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

वर्ष 2012-13 में पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में गेहूं क्रय एजेन्सियों के द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर नियुक्त परिवहन ठेकेदारों के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :-

एजेन्सियों का नाम	क्रय केन्द्रों का नाम	परिवहन ठेकेदार का विवरण
1	2	3
खाद्य विभाग	बिलसंडा गौहनिया	श्री कुलविन्दर सिंह
खाद्य विभाग	बीसलपुर मण्डी	श्री राकेश कुमार
पी0 सी0 एफ0	बरखेडा	सहकारी समिति
पी0 सी0 एफ0	जोगीठेर	सहकारी समिति
पी0 सी0 एफ0	बीसलपुर	सहकारी समिति
पी0 सी0 एफ0	जसोली दीवाली	सहकारी समिति
पी0 सी0 एफ0	नवदिया रोहनियां	सहकारी समिति
पी0 सी0 एफ0	बिलसंडा	सहकारी समिति
पी0 सी0 एफ0	भदेनकंजा	सहकारी समिति
पी0 सी0 एफ0	रामनगरजगतपुर	सहकारी समिति
यू0 पी0 एग्रो	बिलसण्डा	श्री सुरेन्द्र कुमार
यू0 पी0 एग्रो	बीसलपुर	श्री महताब अहमद
यू0 पी0 एग्रो	रड़ैता	श्री मुकेश कुमार
यू0 पी0 एग्रो	शीतलपुर मरौरी	श्री शाहिद खां
यू0 पी0 एग्रो	खननका	श्री अजयपाल सिंह
यू0 पी0 एस0 एस0	मधवापुर	श्री मो0 नबी बीसलपुर
यू0 पी0 एस0 एस0	घनश्यामपुर	श्री धर्मबीर जायसवाल
यू0 पी0 एस0 एस0	बरसिया	श्री पवन पाण्डेय
यू0 पी0 एस0 एस0	ईशापुर	श्री कुलविन्दर सिंह
यू0 पी0 एस0 एस0	अमृता	सहकारी समिति
एस0 एफ0 सी	खजुरिया पचपेड़ा	केन्द्र प्रभारी द्वारा स्वयं
एस0 एफ0 सी	बीसलपुर मण्डी	श्री शाहिद खां
एस0 एफ0 सी	भीकमपुर	श्री अवध नरेश
एस0 एफ0 सी	कुरैयाकला	श्री अमरजीत सिंह
कर्म0 क0 नि0	बीसलपुर मण्डी	श्रीमती सविता अग्रवाल
कर्म0 क0 नि0	चुर्रासकतपुर	श्री हेतराम
कर्म0 क0 नि0	चरखौला	श्री दिनेश गुप्ता
एन0 सी0 सी0 एफ0	बिलसण्डा	श्री पंकज जायसवाल
नैफेड	करेली	के0पी0 गंग समिति

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

78-श्री संगीत सिंह सोम-

[4थे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित आवासों का आवंटन कराये जाने की मांग

79-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009-2010 में मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित आवासों का आवंटन अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कब तक उक्त आवासों का आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (द्वितीय चरण) में निर्माण लक्ष्य 42676 के सापेक्ष 35634 भवनों का आवंटन कर दिया गया है।

अवशेष भवनों के आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की हरीपुर रेन्ज में मृत बाघ के सम्बन्ध में जांच कराकर कार्यवाही की मांग

80-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की हरीपुर रेन्ज में 2 बाघ के शव प्राप्त हुए हैं तथा एक बाघ का शव दुधवा टाईगर रिजर्व के संरक्षित किशनपुरी सेंचुरी के जंगल में मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पीलीभीत प्रकरण की जांच वन संरक्षक, बरेली से करायी गयी। जांच में दोषी पाये गये अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में 02 अपराधियों, अखलाख एवं रामकुमार उर्फ लल्ला को दोषी पाते हुए उन्हें मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पीलीभीत के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

जहां तक दुधवा प्रकरण का प्रश्न है, इसकी जांच निदेशक, दुधवा टाईगर रिजर्व से करायी जा रही है। इस प्रकरण में वन अपराध वाद (एच0 टू0 केस) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। जांच प्रगति पर है। जांच के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मध्यांचल डिस्काम में जनपद लखनऊ में समय सीमा से अधिक कार्यकाल पूर्ण करने वाले अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किये जाने की मांग

81-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्यांचल डिस्काम में ऐसे कितने अभियन्ता हैं जो जनपद लखनऊ में 10 वर्ष या इससे अधिक समय का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उक्त सभी अभियन्ताओं का लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

81-मध्यांचल डिस्काम में जनपद लखनऊ में 10 वर्ष या अधिक समय का कार्यकाल पूर्ण करने वाले विभिन्न स्तर के निम्नलिखित अभियन्ता हैं :-

1-मुख्य अभियन्ता	02
2-अधीक्षण अभियन्ता	05
3-अधिशासी अभियन्ता	10
4-सहायक अभियन्ता	28
5-अवर अभियन्ता	46

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की स्थानान्तरण नीति 2012-13 के नियम 2.05 द्वारा डिस्काम मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को सामान्य समय सीमा से मुक्त रखा गया है। जिनकी कुल संख्या निम्नवत् है :-

1-मुख्य अभियन्ता	02
2-अधीक्षण अभियन्ता	05
3-अधिशासी अभियन्ता	09
4-सहायक अभियन्ता	05
5-अवर अभियन्ता	शून्य

वर्तमान में चुनाव आचार संहिता लागू है। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त स्थानान्तरण नीति के अनुसार शेष अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पंचशील नगर के विधान सभा क्षेत्र हापुड़ में सरकारी अस्पतालों की संख्या एवं उसमें मानक के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती की मांग

82-श्री गजराज सिंह-

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पंचशील नगर के हापुड़ विधान सभा क्षेत्र में कितने सरकारी अस्पताल हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सभी अस्पतालों में मानक के अनुरूप चिकित्सक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो उक्त अस्पतालों में मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

10 शासकीय चिकित्सा इकाई हैं। (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-1, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-7, महिला चिकित्सालय-1 तथा पी0पी0सी0-1)

हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में नदियों पर बैराज बनाकर बरसात के पानी को रोकने के सम्बन्ध में जानकारी

83-श्री छोटे लाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद राजस्थान की सीमा से लगे होने के कारण और यमुना उटंगन खारी नदियों के बीच ऊबड़-खाबड़ होने के कारण बरसात का पानी न रुकने से भूगर्भ जल काफी गहरा हो गया है ? यदि हां ? तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नदियों पर बैराज बनाकर बरसात के पानी को रोके जाने की कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त समस्या के निराकरण हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा के कौलक्खा ग्राम में 33/11 के0 वी0 ए0 का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग

84-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के कौलक्खा ग्राम में विगत वर्ष 2011 में 33/11 के0 वी0 ए0 का विद्युत सब-स्टेशन बनवाने हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां ? तो उक्त विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

कौलक्खा ग्राम में 33/11 के0 वी0 ए0 का उपकेन्द्र वर्ष 2010-11 में स्वीकृत किया गया था, परन्तु अभी तक भूमि उपलब्ध न होने के कारण सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है।

जनपद आगरा के अनेक ग्रामों में नहर पटरियों की क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत कराये जाने की मांग

85-श्री काली चरन सुमन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के सिरोली, बाईखेड़ा, पचगाई खेड़ा, नगला कारे एवं संकरपुर के बीच नहर की पटरियों पर स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

आगरा नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना की परियोजना की फिजिबिल्टी रिपोर्ट में उल्लिखित क्षतिग्रस्त पुलियों को सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा के अनेकों ग्रामों में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत सड़कों की मरम्मत तथा नव निर्मित कार्यों में अनियमितता का कथित प्रकरण

86-श्री काली चरन सुमन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्ष 2011 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क मार्ग क्रमशः ग्वालियर रोड, नगला पदमा से वरपुरा, ग्वालयिर रोड से रोहता, रोहता से ठाकुर दास की घड़ी, कौलक्खा से नगला वृन्दावन, कहरई से नगला कली, कौलक्खा और शमशाबाद रोड से रजरई तक सड़क मरम्मत एवं नवनिर्माण कार्यों में अनियमितता की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी जांच कराकर अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

वर्ष 2011 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत केवल कौलक्खा से नगला वृन्दावन (वास्तविक नाम आगरा देवरी मार्ग कि0मी0-7 से नगला विन्द्रामन) तथा आगरा ग्वालियर मार्ग से रोहता की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसे स्वीकृत मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है तथा निर्माण कार्य में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है। अन्य सड़कें अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के अनेक फीडर लाइन के जर्जर हाईटेंशन तारों को बदले जाने की मांग

87-श्री काली चरन सुमन-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर बरौली अहीर फीडर से नगला कली, कौलक्खा, सेमरी, इटोरा फीडर लाइट के हाईटेंशन तार जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

पोषक की अतिभारिता के कारण लाईन का सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है। अगले दो से तीन माह में कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में राप्ती नदी पर सेमरा घाट के अधूरे पुल निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

88-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील के अन्तर्गत राप्ती नदी पर सेमरा घाट पुल का निर्माण कार्य कब से बन्द है तथा कितने प्रतिशत कार्य शेष है ? क्या सरकार इस पुल के अधूरे निर्माण को पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद गोरखपुर के गोला तहसील के अन्तर्गत राप्ती नदी पर सेमरा घाट सेतु का निर्माण कार्य सितम्बर, 2008 से मार्च, 2012 तक बन्द था तथा 60 प्रतिशत कार्य शेष है।

जी हां।

प्रश्नगत सेतु का शेष कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के राम जानकी राज मार्ग का सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

89-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील में राज्य मार्ग संख्या-72 राम जानकी मार्ग का सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण का कार्य धीमा क्यों हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मार्ग की कुल लागत कितनी है तथा कितने समय में पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग की वर्ष 2010-11 में कुल स्वीकृत धनराशि रु0 2891.98 लाख के सापेक्ष वित्तीय संसाधनों के अभाव में कुल रु0 778.40 लाख की धनराशि आवंटित की गयी, जिसके कारण कार्य की प्रगति धीमी रही।

मार्ग की कुल स्वीकृत लागत रु0 2891.98 लाख है। कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के मोतीयारी का पुरवा से पड़मई क्षतिग्रस्त की मरम्मत कराये जाने की मांग

90-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतीयारी के अन्तर्गत मोतियारी का पुरवा (कछिया पुरवा) से पड़मई सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपसे कृपापूर्वक निवेदन है कि नत्थी 'क' का प्रश्न संख्या-2 जो आज पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त किया गया, यह 20 जून, 2012 को आदरणीय सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के नाम से यह शायद उत्तरित हुआ था। मान्यवर, आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 20 जून, 2012 को उत्तरित हुआ था जो हमने प्रश्न लगाया था वह मान्यवर, मई में जिस समय महामहिम राज्यपाल जी ने और सरकार ने निर्णय किया था हाउस करने का उसके पहले दिन वह प्रश्न लगा दिया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ आपका ध्यान और आपका संरक्षण चाहता हूं कि जो प्रश्न उस तारीख से पहले हमने भी दिया था और उस तारीख से पहले माननीय सदस्य ने दिया था या तो सभी का नाम उसमें आ गया होता, अगर उसमें सबका नाम नहीं आया तो हम यह मानते हैं कि हमारा प्रश्न उत्तरित नहीं हुआ। मान्यवर, चूंकि हमने भी उस प्रश्न को लगाया था अगर उसके साथ साथ हमारा नाम उसमें अंकित हो गया होता तो आप मुझे भी कृपापूर्वक अवसर दे देते कि आपका नाम लिखा है आपको बुला लेंगे। ऐसे कई प्रश्न है जिस पर मेरा कृपापूर्वक निवेदन है कि उसे दिखवा लें।

श्री अध्यक्ष-

हम इसे दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, पिछले बृहस्पतिवार को यह प्रश्न आया था जो आज की कार्यसूची में प्रश्न संख्या 2 पर इस टिप्पणी के साथ निरस्त किया गया, पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त किया गया। मान्यवर, बीच में जहां तक मुझे जानकारी है न तो किसी विषय पर इसमें चर्चा हुई सदन में किसी नियम के तहत और न मान्यवर, प्रश्न ही आया। मान्यवर, प्रश्न संख्या 2 के बारे में बात कर रहें हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें प्रश्न संख्या-2 तो महाना जी का है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी आप हमारे संरक्षक है। हम लोग तो आपसे ही सीखते है। मैं नत्थी क की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लेते हैं। आपको सामने बिठाकर इसको दिखवा लेंगे। अगर बनेगा तो फिर से लगवा देंगे।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राम गोपाल संड एवं श्री बद्री प्रसाद अवस्थी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम गोपाल संड का 5 मार्च, 2012 को निधन हो गया वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री राम गोपाल संड का जन्म 24 जनवरी, 1925 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एम0एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम गोपाल संड वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद शहर (दक्षिण) जिला इलाहाबाद से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम गोपाल संड प्रयाग नगर महापालिका के सभासद, आर0एस0एस0 के सदस्य तथा कई संस्थाओं के मंत्री एवं अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने शिक्षा शास्त्र सहित कई विषयों पर पुस्तकें लिखी थी। वे शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों में रुचि रखते थे। श्री राम गोपाल संड के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बद्री प्रसाद अवस्थी का 15 जून, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री बद्री प्रसाद अवस्थी का जन्म 2 जून, 1933 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने एम0काम0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बद्री प्रसाद अवस्थी वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ (छावनी), जिला लखनऊ से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बद्री प्रसाद अवस्थी वर्ष 1977 में मीसा में एक वर्ष जेल में रहे। वे लखनऊ लायर्स एसोसिएशन के मंत्री, लखनऊ कैन्टूमेंट बोर्ड की सेवा बोर्ड के सदस्य तथा उपाध्यक्ष रहे थे। वे कई शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धक रहे थे। श्री अवस्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की ला सोसाएटी, रजक स्पोर्टिंग क्लब, लखनऊ तथा यंग लाइफ क्लब, लखनऊ के अध्यक्ष भी रहे थे। वे वर्ष 1996 से 2001 तक राज्य भण्डारण निगम के चेयरमैन रहे थे। फोटोग्राफी तथा अध्ययन में उनकी रुचि थी।

श्री बद्री प्रसाद अवस्थी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है।

इन पूर्व विधान सभा सदस्य के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाओं को शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा।

(सभी सदस्य दो मिनट का मौन खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग स्थान ग्रहण करें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 जून, 2012 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें 15 सूचनायें स्वीकार की गयी :-

1-श्री मदन गोपाल वर्मा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद अन्तर्गत बसन्त खेड़ा व सुल्तानगढ़ के बीच 133 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। 2-श्री राम चन्द्र चौधरी की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर के ग्राम पैलीपार में सड़क व पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 3-श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में नये बने यमुना पुल के दोनों ओर उंची लोहे की जाली लगाये जाने के सम्बन्ध में है। 4-श्री अब्दुल मशहूद खां की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर की मुख्य मार्ग की सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 5-श्री आदिल शेख की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। 6-श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत पांच नालों की सफाई और सीवर लाईन का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 7-श्री केशव प्रसाद मौर्य की जनपद कौशाम्बी में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति से हो रही मौतों एवं फैल रही बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 8-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 31 मई, 2012 को बुलन्दशहर स्याना मार्ग पर रोडवेज की बस तथा टाटा-407 की टक्कर में मृत 24 तथा घायल 21 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है। 9-श्री आरिफ अनवर हाशमी की विधान सभा क्षेत्र उतरौला में फौजदारी न्यायालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। 10-श्री बाला प्रसाद अवस्थी की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत ग्राम मोटी खेड़ा से परवारिस नगर के बीच छोटा रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में है। 11-श्री अगयश राम सरन वर्मा की विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पुल एवं मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 12-श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली के मनोज कुमार बिन्द एवं 25 अन्य लोगों को फर्जी मुकदमे में फसाये जाने के प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 13-श्री गयादीन अनुरागी की हमीरपुर की राठ विधान सभा के अन्तर्गत गेंहू क्रय केन्द्रों पर सही माप-तौल न किये जाने एवं बोरों के अभाव के सम्बन्ध में है। 14-डा0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज क्षेत्र में संचालित सोमैया डिस्टलरी फैक्ट्री को चलाये जाने एवं मजदूरों के वेतन आदि देयों के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है। 15-श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रूदौली में लगाये जा रहे हैण्ड पम्पों की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

1-डा0 राधामोहनदास अग्रवाल,

2-श्री बजरंग बहादुर सिंह,

3-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

4-श्री उमाशंकर सिंह,

5-श्री भगवती प्रसाद,

6-ठा0 दलवीर सिंह,

7-श्री विजय कुमार दुबे,
8-श्री भीम प्रसाद सोनकर,
9-श्री मनबोध प्रसाद,
10-श्री शारदा प्रताप शुक्ला,
11-श्री काली चरन सुमन,
12-डा0 धर्मपाल सिंह,
13-श्री दलजीत सिंह,
14-श्री जय प्रकाश अंचल तथा
15-श्री पंकज मलिक।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुईं मानी गयीं।)

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद अन्तर्गत बसन्त खेड़ा व सुल्तानगढ़ के बीच 133 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोपाल वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 238 जहानाबाद, फतेहपुर बहुत ही पिछड़ा एवं गरीब क्षेत्र है। चार नदियों के बीच का क्षेत्र है। एक तरफ गंगा, बीच में रिन्द नदी, व सोन नदी तथा दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है। यमुना पट्टी पर बुन्देलखण्ड से भी ज्यादा बदतर स्थित हैं। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि ग्राम-बसन्त खेड़ा व सुल्तानगढ़ के बीच 133 KVA विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता हैं। जिससे किसानों को बिजली मिलने से खेतों की सिंचाई व छात्रों की पढ़ाई हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर के पास ग्राम पैलीपार में सड़क व पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र चौधरी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद-सुल्तानपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 191 कादीपुर के अन्तर्गत ग्राम पैलीपार की सड़क पर बड़ी-बड़ी गिट्टियां डाली गयी हैं उस पर रोलर तक भी नहीं चलाया गया है जिसके कारण आने-जाने में आम जनता को कठिनाई का समाना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनायी जा रही है। लगभग एक वर्ष से सड़क पर गिट्टी पड़ी है। उसी पर एक पुल भी बना था वह भी टूट गया है। पानी बरस जाने पर अगल-बगल के गांव पैलीपार-सिरखिनपुर तथा बनगवांडीह के गांव पानी से घिर जायेंगे। क्षेत्रीय जनता के सामने विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। पुल का बनना तथा सड़क का बनना अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व को सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है जनहित में उक्त सड़क तथा पैलीपार में पुल बनाये कराये जाने की मांग करता हूँ। जिससे जनता का आक्रोश समाप्त हो।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद में नये बने यमुना पुल के दोनों ओर ऊंची लोहे की जाली लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, इलाहाबाद का नया यमुना पुल मौत का प्लेट फार्म बन गया है। आये दिन वहां से कूद कर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सन 2005 में यह बनकर तैयार हुआ। तब से अब तक लगभग 1000 नवयुवक, नवयुवतियां, वृहद, बीमार यहां से यमुना नदी में कूदकर जान दे चुके हैं। पुल के उत्तरी छोर में कीड़गंज थाना क्षेत्र है तथा दक्षिणी ओर नैनी थाना क्षेत्र है। दोनों थानों की पुलिस आत्महत्या करने वाले मामलों की जांच में ही जुटी रहती है। हर घटना के साथ ही पुल पर जाम लगने से यातायात बाधित होती रहती है।

अभी पिछले सप्ताह दो नवयुवक तथा नवयुवती द्वारा पुल से कूद कर आत्महत्या करने पर भारी हंगामा हो गया। पुल पर दोनों ओर ऊंची लोहे की जाली लगाने की मांग लगातार उठ रही है किन्तु मामला दो विभागों की कार्य सीमा में उलझकर रह जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति है तथा टोल टैक्स वसूला जाता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर अतिशीघ्र यमुना नये पुल पर दोनों ओर 10 फिट ऊंची लोहे की जाली संबधित विभाग से लगवाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर की मुख्य मार्ग की सड़कों की जर्जर हालत होने उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्दुल मशहूद खां-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत जर्जर हालत में सड़कों पर आम जनता को चलना मुश्किल हो गया है। यहां की (1) तुलसीपुर-चौधरी डीह मुख्य मार्ग पर बेलवा से महमूद नगर, हर्रैया, बरदौलिया मणिपुर होते हुए चौधरी डीह तक एवं (2) बलरामपुर-हर्रैया मुख्य मार्ग पर धनुहिया मोड़ से कौवापुर-महराजगंज तराई, बल्देव नगर होते हुए ललिया तक की सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं, जिस पर इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि आम जनता को अपने वाहन से चलना मुश्किल हो गया है। विगत कई वर्षो से यह सड़कें इसी तरह से पड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त बलरामपुर-हर्रैया मुख्य मार्ग पर सेमरी मोड़ से खैरहनिया होते हुए शिवपुरा प्रधान मंत्री सड़क तक की सड़क का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है। विकसित प्रदेश में सड़क के अभाव में वहां की जनता का विकास सम्भव नहीं है।

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से जनहित में इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़कों की मरम्मत कार्य एवं निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आदिल शेख-

[आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है तथा विधानसभा के समस्त सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो गयी है। जनहित को देखते हुये निम्न मार्गो का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना अति आवश्यक है।

1-ग्राम जमीन मोहम्मदपुर में फरिहा पिच रोड से जमीन मोहम्मदपुर तक लेपन कार्य, दूरी 1.50 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

2-संजरपुर छाऊं मोड़ से खोरमपुर डिग्री कालेज तक चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण (निवास प्लान्ट द्वारा) कार्य, दूरी 9 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

3-नन्दांव से पारा आषाढ़ होते हुये छित्तेपुर तक मरम्मत कार्य दूरी 8 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर/मार्टिनगंज।

4-परशुरामपुर पिच रोड से टिकरिया होते हुये नरदह (नन्दांव) तक लेपन कार्य दूरी 3.50 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

5-मोहम्मदपुर जुमा मस्जिद से फरिहां पिच रोड तक दूरी 1 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

6-नन्दांव डिग्री कालेज से बरबसपुर तक मरम्मत कार्य, 1.50 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

7-फरीदगंज से कमरवा होते हुये चकमुक्ति नगवां तक मरम्मत कार्य दूरी लगभग 3 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

8-आजमगढ़ मोहम्मदपुर मेन रोड जित्तूगंज से अदरसपुर होते हुये आवक तक पिच रोड का कार्य दूरी लगभग 3 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

9-सिकरौर, सोबहरी, मार्टिनगंज रोड से जैगहां मोड़ तक मरम्मत कार्य दूरी लगभग 10 किमी0 विकास खण्ड मार्टिनगंज।

10-जैगहां (बरदह) से बर्रा तक मरम्मत कार्य दूरी लगभग 4 किमी0 विकास खण्ड मार्टिनगंज।

11-जैगहा मार्टिनगंज मोड़ से कुसवां तक मरम्मत कार्य दूरी लगभग 6 किमी0 विकास खण्ड मार्टिनगंज।

12-पल्थी राजागंज रोड गुवाई से संग्रामपुर तक पिच रोड एवं मरम्मत कार्य दूरी लगभग 6 किमी0 विकास खण्ड मार्टिनगंज।

13-सिकरौल, सहबरी फूलपुर रोड से भाटिनपारा होते हुये नहर तक मरम्मत एवं नया निर्माण, दूरी लगभग 5 किमी0 विकास खण्ड फूलपुर।

14-भारा गोदाम से राजागंज तक मरम्मत कार्य दूरी लगभग 4 किमी0 विकास खण्ड मार्टिनगंज।

15-लहबरिया जमालपुर मार्ग से खरहटी तक पिच रोड एवं मरम्मत कार्य दूरी लगभग 2 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

16-सिरसाल से चकनौवा तक पिच रोड का कार्य 2.50 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

17-ग्राम अहिआई में श्रीराम के घर से जमुना के घर तक सीसी रोड दूरी 1 किमी0 विकास खण्ड मोहम्मदपुर।

18-महुजा पिच रोड से जय मां अष्टभुजा मंदिर तक सीसी कार्य दूरी 1 किमी0 विकास खण्ड मार्टिनगंज।

19-पुष्पनगर नहर से समुद्रपुर होते हुये पल्थी शहीद राम आसरे यादव द्वार पर लम्बाई 6 किमी0 विकास खण्ड फूलपुर।

20-भोरमऊ नहर से पुष्पनगर नहर के पुल तक मरम्मत कार्य दूरी 7 किमी0 विकास खण्ड फूलपुर।

अतः उपरोक्त सड़कों को शासन की नीति के तहत निर्माण कराने का निर्देश देना चाहें।]

शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत पांच नालों की सफाई और सीवर लाइन का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् में जनहित में 5 बड़े नाले काफी भरे हुए हैं इनकी तलीझाड़ सफाई जनहित में आवश्यक है- 1-मोहल्ला भारतद्वाजी वाला नाला, 2-शहीद उद्यान के पश्चिम वाला नाला, 3-स्टेशन रोड वाला नाला, 4-पुलिस चौकी हद्दफ वाला नाला, 5-मोहल्ला बंगस/सिंजई वाला नाला, 6-भोलागंज के पूर्व वाले फाटक वाला नाला, 7-मो0 रेती वाला नाला सफाई न होने से बीमारी फैलने की आशंका रहती है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 1980 के दशक से सीवर लाइन योजना शाहजहांपुर नगर में चल रही है। लगभग 2 करोड़ रुपया सीवर लाइन निर्माण पर खर्च हो चुका है परन्तु सीवर लाइन का कार्य पैसे के अभाव में अधूरा पड़ा है यदि इस सीवर लाइन को पैसा देकर पूर्ण न किया गया तो जो भी धन इस पर खर्च किया गया है वह भी बर्बाद हो जायेगा।

जनहित में नालों की सफाई और सीवर लाइन का कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं]

जनपद कौशाम्बी में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति से हो रही मौतें एवं फैल रही बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

[महोदय, सिराथू विधान सभा क्षेत्र जनपद कौशाम्बी की नगर पंचायते-सिराथू, अजुहा, भरवारी में लगातार हो रही प्रदूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण अब तक राजबाबू पुत्र चिरौजीलाल व राजरानी पत्नी स्व0 श्री शिवबाबू की मौत हो गयी तथा सैकड़ों लोग पीलिया रोग से पीड़ित हैं। स्थानीय जनता ने इस घटना के विरोध में जिले के आला अधिकारियों से शिकायत भी किया परन्तु स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर जांच की खानापूरी कर दी लेकिन प्रदूषित पेयजल की सप्लाई को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही जैसे पाइपों को बदलने आदि के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस कारण स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाटर लेबिल नीचे चले जाने के कारण पीने के पानी का गम्भीर संकट बना हुआ है। नगर पंचायत क्षेत्रों में लगे हैण्डपम्प भी खराब पड़े हैं। पाइप लाइन चालीस साल से अधिक पुरानी हो चुकी है। शासन प्रशासन द्वारा शिकायत करने और लगातार समाचार पत्रों में प्रदूषित पेयजलापूर्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित होने के बावजूद भी ध्यान न देने से स्थानीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 31 मई, 2012 को बुलन्दशहर स्याना मार्ग पर रोडवेज की बस तथा टाटा-407 की टक्कर में मृत 24 तथा घायल 21 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, जनपद बुलन्दशहर में दि0 31 मई, 2012 को बुलन्दशहर स्याना मार्ग पर रोडवेज की बस तथा टाटा-407 में आमने सामने की भयंकर टक्कर हुई थी जिसमें 21 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था तथा तीन लोगों की बाद में मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुये थे। उक्त दुर्घटना से प्रभावित होने वाले सारे लोग अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्ति थे। यह दुर्घटना अखबारों की सुर्खियों में भी आई थी। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लगभग 15 दिन बीतने के बाद भी सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है तथा न ही सरकार द्वारा इसकी कोई आधिकारिक घोषणा की गई है।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग करता हूं]

विधान सभा क्षेत्र उतरौला फौजदारी न्यायालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत मात्र एक दीवानी न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत विद्यमान है। एक ही न्यायालय में दीवानी और फौजदारी के मुकदमें देखे जाते हैं। कई हजार मुकदमों की संख्या होने के कारण एवं एक न्यायालय होने के कारण वादकारियों को न्याय पाने में बड़ी असुविधा हो रही है। कृपया जनहित में फौजदारी न्यायालय हेतु जुडीशियल मजिस्ट्रेट फौजदारी की नियुक्ति बहुत आवश्यक है। सिविल जज न्यायालय के बगल में ही एक अतिरिक्त भवन भी उपलब्ध है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही कराने हेतु फौजदारी न्यायालय स्थापित कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत ग्राम मोठी खेड़ा से परवारिस नगर के बीच छोटा रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद लखीमपुर खीरी के मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम मोठी खेड़ा से परवारिस नगर के बीच छोटा रपटा न होने के कारण किसानों को गन्ना खेत से निकालने में काफी कठिनाई होती है। किसानों को गन्ना फसल को कम पैसे में ही बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिसके कारण किसानों को काफी मात्रा में आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। क्षेत्रीय जनता एवं किसानों द्वारा वहां पर छोटा रपटा बनाये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक छोटा रपटा बनाये जाने हेतु शासन स्तर पर कोई भी कार्यवाही नही की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त स्थान पर छोटा रपटा के निर्माण किये जाने की भी मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पुल एवं मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130 बीसलपुर को राजा मोरध्वज, नीलध्वज, बेन एवं बलि जैसे महापुरुषों के अवतरण का गौरव प्राप्त है जिनके पौराणिक अवशेष अविकसित मौजूद हैं। विदेशी पर्यटकों का भारी संख्या में आना-जाना रहता है। दुर्भाग्य है कि इस विधान सभा क्षेत्र में मार्गों तथा पुलों का सर्वथा अभाव है। बरेली से बीसलपुर बहुत पुराना अन्तर जनपदीय मार्ग है लेकिन गांव चुर्रा सकतपुर से बीसलपुर तक मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। इस मार्ग में नदी दियोहा पर एक पुल की भी आवश्यकता है। इसी मार्ग से बाया बस अड्डा मंडी समिति होते हुए चीनी मिल तक रिंग रोड भी बानाये जाने की आवश्यकता है। इस रिंग रोड में रेलवे लाइन पर दो ओवर ब्रिज अपेक्षित है। विगत दिनों हॉट मिक्स से बने बीसलपुर पीलीभीत मार्ग, बीसलपुर विलसंडा मार्ग बीसलपुर से गांव चुर्रा सकतपुर तक तथा बीसलपुर से गांव खन्नका उचसिया तक के मार्ग टूट चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सभी मार्ग जीर्ण-क्षीण हैं। विशेष रूप से घटिगंवा मार्ग, मुड़िया कुडरी मार्ग, मोहम्मदपुर ता0 रामपुर अमृत मार्ग, भीकमपुर उर्फ परानपुर मार्ग, बीरमपुर उफ्र खानपुर मार्ग, करेली रजवाहा नहर मार्ग, खुदागंज मार्ग एवं शाहजहांपुर शाखा नहर मार्ग विशेष उल्लेखनीय है। जिनकी तकनीकी जांच कर कार्यवाही कराया जाना अपरिहार्य है। बीसलपुर बिलसड़ा मार्ग में कटना नदी पर ब्रिटिशकाल का बना पुल टूट चुका है। जिस पर अब तक अनेक घटनाएं भी हो चुकी हैं। जिसका बनना नितान्त आवश्यक है, साथ ही साथ नदी माला पर गांव मकरन्दपुर रोशन सिंह, गांव ढकिया रंजीत तथा गांव बुहिता के पास भी छोटे-छोटे तीन पुल बनने अपरिहार्य हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कथित मार्ग एवं पुल निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के मनोज कुमार बिन्द एवं 25 अन्य लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने के प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत की सूचना

श्री सुशील सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली के मनोज कुमार विन्द ग्राम ककरइत थाना कन्दबा को 05 जनवरी, 2011 को कोतवाल जमनियां जनपद गाजीपुर ने उस लड़के को घर से जबरदस्ती कोतवाली ले गयी, जब ग्रामीण अंचल व क्षेत्र के लोग कोतवाली जा रहे थे कि कोतवाल ने 25 लोगों को फर्जी मुकदमें लगाकर फंसा दिया।

अतः मा0 अध्यक्ष जी आप से सादर अनुरोध है कि हमारे जनपद चन्दौली के उन फर्जी लोगों को कोतवाल द्वारा जो फंसाया गया, यानी कोतवाली जमनिया प्रकरण की जांच में सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने की मांग करता हूं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय के विषय के ध्यानाकर्षण सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हमीरपुर की राठ विधान सभा के अन्तर्गत गेहूं क्रय केन्द्रों पर सही माप तौल न किये जाने एवं बोरों के अभाव के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयादीन अनुरागी-

[जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत पड़ने वाले राठ, मुस्करा, गोहाण्ड एवं सरीला गेहूं क्रय केन्द्रों पर वर्तमान में सही माप तौल नहीं की जा रही है और क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों का एकाधिकार है। इसके अलावा केन्द्रों में गेंहू की भरान हेतु बोरों की भारी कमी है। क्षेत्र के किसान 15-15 दिनों तक ट्रैक्टर व ट्रालियों में अपना गेंहू लिये हुए कतार में खड़े रहते हैं, किन्तु किसानों का गेंहूं नहीं खरीदा जा रहा है। यदि लिया भी जाता है तो माप तौल सही तरीके से नहीं की जाती है, जिससे क्षेत्रीय किसानों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो भी गेहूं खरीदा गया है, वहां बोरों की अनुपलब्धता के कारण गेहूं खुले आसमान के नीचे जमीन पर खुला पड़ा हुआ है। किसानों का गेहूं भी क्रय केन्द्रों पर खुला पड़ा है। बरसात का मौसम आ रहा है। यदि समय से पहले बरसात हो गयी तो हजारों कुन्तल गेहूं बेकार व सड़ जायेगा, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान तो होगा ही, सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी मांग है कि इस मामले में सरकार द्वारा कार्यवाही की जाय।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज क्षेत्र में संचालित सोमैया डिस्टलरी फैक्ट्री को चलाये जाने एवं मजदूरों के वेतन आदि देयों के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सोमैया डिस्टलरी बहुत पुरानी डिस्टलरी है जहां पर हजारों मजदूर कार्यरत हैं। इधर प्रबन्ध तन्त्र द्वारा मजदूरों का वेतन एवं अन्य देयों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। और बार-बार डिस्टलरी बन्द किये जाने की धमकी दी जा रही है। जिससे मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह गम्भीर विषय है और लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं एवं फैक्ट्री को चलाये जाने व मजदूरों के वेतन आदि देयों के भुगतान कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रुदौली में लगाये जा रहे हैण्डपम्पों की गुणवत्ता मानक के अनुसार न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत की सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद अंतर्गत वि0क्षे0 रुदौली में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए विगत वर्षों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित किये गये जिनकी संख्या लगभग 500 है। उक्त सभी हैण्डपम्प अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद द्वारा स्थापित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी शासनादेश सं0 343(2)/अड़तालीस-5-12-67 सम/07 टी0सी0-1, दिनांक 19 मई, 2012 द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार स्थापित किया जाना है। परन्तु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फैजाबाद की निर्माण इकाई द्वारा शासनादेशों की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है जबकि जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा पत्रांक सं0 601/जी0सी0 शासन दिशानिर्देश/12-13, दिनांक 28 मई, 2012 को सभी जनप्रतिनिधियों को जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पत्र भेजा जिस पर मैंने भी हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान प्रेषित किया है। यह भी अवगत कराना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की अनदेखी करके कई बस्तियों में एक ही घर के आगे पीछे हैण्डपम्प स्थापित कराये गये हैं। हैण्डपम्पों में उपयोग की गयी सामग्री अत्यन्त निम्न कोटि की है। बोरिंग भी 50-60 फुट करके मशीनें बांधी गयी हैं। एथर, उधरौरा, खैरी आदि स्कूलों में काली पाइप का प्रयोग किया गया है। गोमती नदी के किनारे बसे गांवों को पीने के लिए पानी की अति आवश्यकता है। इसका प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत मवई की बैठक व रुदौली की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किया गया था। शासनादेशों की अनदेखी करने, हैण्डपम्पों की स्थापना के नाम पर अवैध वसूली करने से क्षेत्र की ग्रामीण जनता में भयंकर असंतोष है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 जून, 2012 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 5 सूचनायें प्राप्त हुई-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की मा0 विधायकों को जारी रेलवे कूपन से टिकट बनवाने पर वरिष्ठ नागरिकों की भांति वरिष्ठ विधायकों को किराये में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में स्थापित सिंचाई व सहकारिता विभागों के कार्यालय फैजाबाद स्थानान्तरित किये जाने व जनपदीय बैठकों में माननीय विधायक को आमंत्रित न किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सतीश महाना की विधान सभा के सत्र के दौरान मा0 मुख्यमंत्री द्वारा विकास सम्बन्धी बैठकें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के बिना न कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, बीसलपुर में सृजित पद के अनुरूप प्राध्यापक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में। यह संविधान के अनुच्छेदों तथा सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियमों से सम्बन्धित न होने के कारण पोषणीय नहीं है इसलिये नहीं लिया गया है। पांचवी सूचना श्रीमती लक्ष्मी गौतम की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत चिनहट में अधूरे पड़े सीवर कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में। यह नियम 300 में नहीं आती है।

विधायकों को जारी रेलवे कूपन से तत्काल श्रेणी टिकट बनवाने एवं वरिष्ठ नागरिकों की भांति किराये में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बहुत ही साधारण सा है लेकिन गंभीर है। मान्यवर, रेलवे कूपन सभी विधायकों को दिया जाता है। यह कूपन किसी को फ्री में नहीं मिलता है। आपका कार्यालय, आपका सचिवालय इसके लिये रेलवे को पैसा जमा करता है और जितना पैसा जमा करता है, उसी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुरूप कूपन आते हैं और जो विधायकों को अनुमन्य है वो मिलता है। मान्यवर, इसमें आज एक एनॉमली है, एक अनियमितता है। मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये औचित्य के माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, रेलवे में छूट है कि जो विधायक एक आयु पूरी कर चुके हैं उनको किराये में छूट मिलती है और जब वो कैश लेते हैं, किराया दे करके लेते हैं तो वो छूट उनको मिल जाती है जो आधी के बराबर होती है। लेकिन यही कूपन से जब विधायक लोग लेते हैं तो वो छूट नहीं मिलती है। बड़ी साधारण सी बात है क्योंकि यह कूपन जो है ये पूरी तरीके से कैश की तरह है। आप देते हैं यह पैसा, शासन देता है और ये पैसा जब दिया जाता है तो कूपन आता है तो रेलवे हमे फ्री में नहीं देता। हमारा यह कहना है कि जो सुविधायें कैश में मिलती है, वे विधायकों के कूपन पर भी लागू होनी चाहिये। दूसरा यह है कि आज कल एक तत्काल रिजर्वेशन चला है और आजकल पता नहीं कैसे रिजर्वेशन में मान्यवर समस्यायें आती हैं। कन्फर्म नहीं होता तो टिकट वापस जब किया जाता है तो किसी विधायक को उसके रेलवे कूपन को वापस करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और नहीं होती। मान्यवर, तो वह पैसा चला जाता है। इसमें किसी विधायक का क्या दोष है मान्यवर। हमने रिजर्वेशन कराया, प्रयास किया जाने का, नहीं हुआ तो कैश का तो वापस हो जाता है, पर कूपन का वापस नहीं होता। तीसरा मान्यवर, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है मान्यवर कि उसी में आप डीजल देते हैं, पेट्रोल देते हैं। मान्यवर, उसका दाम बढ़ जाता है। यह तय हुआ था कि रेलवे का बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ जायेगा। डीजल, पेट्रोल का बढ़ा तो ऑटोमेटिकली इसका भी बढ़ना चाहिये। परन्तु मैं दूसरी दोनों बातों पर बल देता हूं मान्यवर कि आप बैठ लेंगे, संसदीय कार्य मंत्री बैठ लेंगे, रेलवे के लोगों को बुला लेंगे। तय हो जायेगा। अगर कैश के अनुरूप किराये में छूट मिलती है तो वह कूपन में भी मिलनी चाहिए। दूसरा जब विधायकगण का रिजर्वेशन न हो और वह यात्रा न कर सकें तो वह कूपन की धनराशि वापस हो। यह मात्र आपके और रेल अधिकारियों के बीच बैठकर तय हो सकता है। और लाखों रुपया प्रत्येक वर्ष जो इस विधान सभा का जा रहा है, वह बचाया जा सकता है। मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, बड़ी गम्भीर समस्या है और रोज यह परेशानी सामने आ रही है। एक तो मैं इस पर बल देना चाहूंगा कि जो कूपन हम खरीदते हैं उसका पैसा हम पहले देते हैं, मुसाफिर चलते हैं वक्त के वक्त देते हैं। हमारी पहले अदायगी हो जाती है और उस पैसे का इन्टरेश्ट भी मिलता है रेलवे को। बहुत से माननीय विधायक ऐसे होते हैं जिनके कूपन इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं, बच जाते हैं जो करीब के क्षेत्रों के हैं। बहुत से विधायक जो दूर के हैं, उनके कम पड़ते हैं। मान्यवर, इस पर व्यापक विचार होना चाहिए। दूसरा मान्यवर, रिजर्वेशन मुसाफिर का अधिकार, जो टिकट खरीदते हैं उनका ज्यादा महसूस करता है रेलवे और जो कूपन वालों को यह समझते हैं जैसे मुफ्त के आ गये यह लोग। ट्रेन में सफर करने वाला मुसाफिर हमारा जो कूपन से माननीय विधायक चल रहे हैं जो कन्डक्टर साहब हैं इतनी हीन निगाहों से उसे देखते हैं इसलिये कि उससे तो 500 रुपये मिलेंगे नहीं। अगर हमारा टिकट वेटिंग में है तो हमें बर्थ नहीं मिलेगी और दूसरे का जो बहुत नीचे है उसका बर्थ मिल जायेगी, क्या कर लेंगे आप उसका ? यह बड़ी प्रेक्टिकल प्राब्लम है मान्यवर। रिजर्वेशन मसलन कोई बारात जा रही है तो उसके लिये बोगी लग सकती है, सत्र चल रहा है तो क्यों नहीं लग सकती बोगी तो इस पर मेरे ख्याल से बिल्कुल सही सुझाव है। यह हमारा कैश मनी है हमें सरकार देती है सफर करने के लिये। उस कैश मनी को डैड मनी नहीं माना जा सकता। उस कैश मनी से बिजनेस

करता है रेलवे। उस कैश मनी को पहले ले लेता है तब हमको बुक रिलीज करता है। मान्यवर, इस पर बात हो, वरना फिर कोई और भी सिस्टम सोचा जा सकता है। यह कैश पैसा है, अगर हम कूपन न लें तो फिर किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल सरकार और विधायकों के बीच में हो सके तो आपकी अध्यक्षता में, आप ही बुला लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक बात और इसमें जोड़ देता हूं। बात हो रही थी, बहुत अच्छे मूड में दिख रहे हैं आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इसलिये मामले को ठीक कर लेना चाहिए। मैं यह कह रहा था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप फिर आगे बढ़ाकर गड़बड़ करने वाले हैं। हम इस पर निर्णय दे रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं तो सिर्फ अच्छे मूड का फायदा उठाना चाहता हूं और वह कोई गुनाह नहीं है। मान्यवर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो एयर कूपन आपकी कृपा से मिलता है वह इंडियन एयरलाइन्स में चलता है और सच्चाई यह है कि जो लखनऊ से और जो दूसरी फ्लाइट जाती है इंडिगो, गो एयर की वह ज्यादा सुविधाजनक टाइम से जाती है। बहुत से लोग उससे यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा सिर्फ यह कहना है कि जो एयर का कूपन है मान्यवर, उसको उनसे भी खरीद लिया जाय जैसे एयर लाइन्स से खरीदते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप इंडियन एयरलाइन्स से ही . .

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बाध्यता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मेरी, जानकारी में नहीं था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बाध्यता है। जेट और इंडियन एयरलाइन्स है आपका। मुख्यमंत्री जी का भी यह निर्देश है और उनकी ख्वाहिश है कि माननीय सदस्य जिससे जाना चाहें यात्रा करें। उनका पैसा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

आज ही घोषणा कर दीजिये कि इसकी सुविधा हो जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मुख्यमंत्री जी की घोषणा ही है यह। (मेजे थपथपाई गई) मान्यवर, एक चीज और आप जिसका टिकट बनवाना चाहें, जब एम0सी0ओ0 जारी हों। तो इसमें लिख दें कि फलां एयरलाइन्स का टिकट बनवा दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

आज जब मूड अच्छा लग ही रहा है, इधर आप नोटिस करें एयर का किराया मान्यवर, 23 हजार, 24 हजार के टिकट मिल रहे हैं। किराया बढ़ रहा है, आज अच्छे मूड में हैं तो जैसे उसका बढ़ा ऐसे ही कह दीजिए कि कूपन बढ़ाए देते हैं। क्या बुरा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक चीज और, प्रमोद तिवारी जी ने रखी थी वह आपके संज्ञान में आना आवश्यक है, जो सफर नहीं कर पाए, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला, तो हमारा तो नप गया, रेलवे वापस क्यों नहीं करेगा उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, हम एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, जितने टिकट हमारे कैंसिल हुए वह सर्टिफिकेट हम रेलवे आफिस में जमा कर दें, उतने कूपन्स हमें फिर इश्यू हो जाएं। इस पर व्यापक विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

इस पर मैंने एक पत्र प्रेषित किया है। एक दिन और चर्चा हुई थी। धर्मपाल जी आप क्यों खड़ें हो गए मेरी व्यवस्था तो सुन लो।

*श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जैसे और लोगों को इण्टरनेट की सुविधा है वैसे ही विधायकों को भी सुविधा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखी है, वरिष्ठ अधिकारियों को और उनको बैठक के लिए आमंत्रित किया है। यह चर्चा हुई थी एक दिन, उनका भी पत्र आ जाए, तो हम सब मा0 नेताओं को बुलायेंगे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी रहेंगे तो इस पर व्यापक चर्चा हो जाएगी। जहां तक कूपन बढ़ाने का सवाल है तो वह ऐक्ट है और ऐक्ट में सरकार संशोधन करेगी तभी कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे भी मा0 विधायक हैं कि वह कूपन का प्रयोग करते ही नहीं हैं उनके यहां रेलवे लाइन नहीं है। तो उनकी भी मांग है कि हमें आठ हजार मिलता है पहले पांच हजार था, तीन हजार हमने एक बार बढ़ा दिया था आजम साहब की सहमति से, तो इस पर भी विचार हो जाए कि जो सदस्य कूपन का प्रयोग नहीं करते हैं अपनी गाड़ी से आते हैं तो उस सब पर बैठकर विचार कर लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

जब बैठना ही हो तो मुख्य मंत्री जी के साथ बैठ लें।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी के पास बहुत काम रहता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरी बात तो सुन लें । जब बैठना हो एक बार, मा0 मुख्य मंत्री जी के साथ, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ और जिस-जिसको आप बुलायेंगे, तो उसी समय मान्यवर, आप यह भी तय कर लें, कि लोहे का दाम, सीमेंट का दाम, ईटे का दाम भी बढ़ गया है तो उसी हिसाब से विधायक निधि पर भी चर्चा करा लें। मैं तो काम निपटाने की बात कर रहा हूं। जब एक बार बैठ ही गए तो सब काम निपटा दें। एजेन्डे में डलवा दीजिएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तिवारी जी को सुना, अभी रेलवे की बैठक होनी है इस पर, इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं। रामचन्द्र यादव जी का है विधायक को आमंत्रित न किए जाने का मामला है।

बाराबंकी की जिला स्तरीय बैठक में विधायकों को न बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं जनपद फैजाबाद की रुदौली विधान सभा से चुनकर आया हूं। 1997 से फैजाबाद जनपद में रुदौली कान्सटीटुऐन्सी शामिल की गई। सारे विभागों के कार्यालय फैजाबाद से संचालित होते हैं। परन्तु आज सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, सहकारिता विभाग, इसमें ड्रेनेज, नलकूप, नहर, बाढ़ ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो बाराबंकी से संचालित हो रहे हैं जिनके कारण हमारे क्षेत्र की जो परेशानी है उसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता को फैजाबाद, बाराबंकी दोनों जगह का चक्कर लगाना पड़ता है। जिले के अधिकारी किसी जिला स्तरीय बैठक में शामिल नहीं होते हैं। मान्यवर, हमारी समस्या बढ़ रही है। आज जनपद बाराबंकी में कोई बैठक होती है तो उन बैठकों में हम लोगों को कभी बुलाया नहीं जाता है। इससे हमारे क्षेत्र की समस्याएं और विकास के बहुत सारे काम जो हैं, वह नहीं हो पाते हैं। मान्यवर, घाघरा नदी के किनारे कम से कम 50 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। आज ड्रेनेज की सफाई, खुदाई नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 में आपका इतना है कि आपको वहां की समिति की बैठकों में जिसके लिए शासन द्वारा माननीय सदस्यों को उसमें बुलाया जाना एक तरह से निर्देश है, आपकों नहीं बुलाते हैं, आपका बस इतना ही सवाल है। अब बैठें।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अब इन लोगों को क्या किया जाए ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि जो शुरुआत की थी आपने कि मैं फैजाबाद से आता हूं तो आते नहीं हैं, आये हैं। तो आता शब्द वहां होता है जहां 2, 4, 6 बार आये हों तो आया हूं। जब आया हूं तो थोड़ा सीखूंगा भी। इसे दिखवा लेंगे। लम्बी बात है, फिर भी दिखवा लेंगे क्योंकि आये हैं, इसलिये खासतौर से दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

मुख्य मंत्री द्वारा आहूत जिला स्तरीय विकास सम्बन्धी बैठकों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आता हूं या आया हूं, जो भी समझ लीजिए। (हंसी)

मान्यवर, थोड़ा व्यवस्थित कर दें तो कृपा होगी। मान्यवर, बड़े वर्षों के बाद एक अच्छा वातावरण इस हाउस में भी दिखा, सरकार में भी दिखा और प्रदेश की जनता में भी दिखा। इस अच्छे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वातावरण में मान्यवर, हमारे मन में भी कुछ उम्मीदें जागृत हुई हैं। आज जिस तरह काम करने का माहौल है और उस माहौल के अन्तर्गत हम किसी शहर की बात करते हैं। आज पूरे प्रदेश के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रदेश की जनता मिल सकती है, प्रतिनिधि मण्डल मिल सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी सबसे मिल रहे हैं और सबकी बातें सुन रहे हैं। प्रतिनिधि मण्डलों की भी बात सुन रहे हैं और विकास से सम्बन्धित जो दिशा-निर्देश हैं, वह दे भी रहे हैं। इसके लिए हम उनको साधुवाद और बधाई देते हैं। मान्यवर, हाउस चल रहा है। इस हाउस में जिस क्षेत्र से हम लोग चुनकर आते हैं, वहां की जनता हमारे से भी कुछ अपेक्षाएं करती हैं कि जिन लोगों को हमने चुना है, वह हमारी बात को सरकार के सामने रखेंगे और सरकार उस बात को मानकर जिस प्रकार का निर्देश होगा वह देगी। मैंने कहा था कि उम्मीद जगी है, इसलिए मैंने इस अवसर पर इस बात को कहा है। मान्यवर, कल कानपुर महानगर का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आया था, उन्होंने उसको सुना और दिशा-निर्देश दिए, उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई, धन्यवाद भी। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, हाउस चल रहा है, हम लोगों को भी जनता चुनकर भेजती है तो अपेक्षा करती है कि हम उनकी बात को रखें। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अच्छी परम्परा शुरू की है, लोगों से मिलने की, प्रतिनिधि मण्डलों से मिलने की, उसमें मेरा औचित्य के माध्यम से निवेदन है कि हम लोगों को भी जो उस जिले से सम्बन्धित विधायक हैं, कृपापूर्वक बुला लेंगे तो हमारी भी भागीदारी उसमें हो जायेगी, हम भी अपना कुछ सुझाव दें सकेंगे। मान्यवर, जनता के प्रतिनिधि जनता की बात आप तक पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग आए, उनकी बात को आपने सुना, लेकिन हम लोगों की भी भागीदार मान्यवर, हो जाए, आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर कुछ बोलेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जैसा आपका निर्देश होगा।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, विकास कार्यों के लिए जब माननीय मुख्य मंत्री जी आफिसर्स मीटिंग करते हैं या ऐसी कोई बात करते हैं तो उसमें आपको बुलाने का औचित्य तो नहीं है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं है, यह तो मुख्य मंत्री जी के विवेक पर है। वह अपनी इच्छानुसार चाहें तो बुला लें, चाहें तो न बुलायें। इसे मैं अग्राह्य करता हूं। श्री अगयश शरण शर्मा जी का पहले ही कह दिया था कि अग्राह्य है, श्रीमती लक्ष्मी गौतम का भी अग्राह्य है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 जून, 2012 को नियम 56 में कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है :-

1-डा0 महेश शर्मा-प्रदेश में प्रतिबन्धित दवाओं एवं रसायनों के प्रयोग से फैल रही गम्भीर बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। 2-श्री प्रदीप माथुर, श्री प्रमोद तिवारी-प्रदेश में गिरते हुये भूमिगत जल स्तर से पेयजल एवं सिंचाई की भीषण समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

3-श्री मनोज कुमार-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड धानापुर में विद्युत उपकेन्द्रों पर अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही की मांग को लेकर दिनांक 16 जून, 2012 से धरने पर बैठे किसानों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। 4-श्री बजरंग बहादुर सिंह-जनपद महाराजगंज के वि0स0 क्षेत्र फरेन्दा में वर्ष 2007 में 7.53 करोड़ की स्वीकृत बांध का कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। 5-श्री गयाचरन दिनकर, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री उमाशंकर सिंह, श्री महावीर सिंह राणा-जिला कुशीनगर के थाना हाटा में दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 को कुंवारी सिन्धू के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। 6-सुश्री सावित्री बाई फूले-जनपद बहराइच की तहसील नानपारा के अन्तर्गत हाडा बसेरी गांव के किसानों की भूमि सीमा सुरक्षा बल के लिये अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। 7-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-जनपद कुशीनगर के ब्लाक सेवरही में बूढ़ी गण्डक नदी में ए0पी0 तटबन्ध पर हो रहे व्यापक कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा 8-श्री सुशील सिंह-जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में विद्युत आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुई :-

1-अनुग्रह नारायण सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, कुंवर कौशल सिंह, श्री ललितेशपति त्रिपाठी श्री दलजीत सिंह,

2-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,

3-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

4-श्री सुनील कुमार सिंह यादव,

5-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,

6-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

7-श्री बंशी सिंह पहाड़िया,

8-श्री उमाशंकर सिंह,

9-श्री दलजीत सिंह,

10-श्री रामचन्द्र यादव,

11-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

12-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

13-डा0 धर्म सिंह सैनी तथा

14-श्री महावीर सिंह राणा।

देखिये यह जो पांचवी सूचना में जिला कुशीनगर के थाना हाटा में दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 की घटना का मामला है यह पुराना मामला है यहां नहीं उठ सकता।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, चुनाव आचार संहिता लगी थी उसी समय की घटना है। उसमें महामहिम राज्यपाल, शासन और हाई कोर्ट के निर्देश है, निर्देश के बावजूद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसलिए महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, ठीक है। उमाशंकर जी आप यह जो दो सूचनाओं पर दस्तखत करते हैं यह नहीं होना चाहिए। आप नये हैं इसलिये इसको जरा देख लीजिए।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मेरी नियम-311 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

311 की सूचना कोई ग्राह्य वाली सूचना तो होती नहीं है। क्यों 311 में दिया है। आपने नियम 56 में क्यों नहीं दिया ? बैठिये। आप इतने समझदार हैं, विद्वान हैं नियम-311 कोई सूचना है।

*श्री विजय कुमार दुबे-

मान्यवर, न नियम-56 में लिया जाएगा, न 301 में लिया जायेगा। अपने क्षेत्र की समस्या यहां नहीं उठा पायेंगे। निजी मामले को उठा नहीं पायेंगे। क्षेत्र की जनता की समस्या यहां उठा नहीं पायेंगे। हम नये लोगों की यहां कौन सुनेगा ?

श्री अध्यक्ष-

बहस मत करिये। आपकी कई सूचनायें ली हैं। आपने भाषण किया है। आपके घर में चोरी हुयी आपने व्यवस्था के मामले में सवाल उठाया है। मुझे सब याद है। फिर आप चोरी पर 301 दे रहे थे। आप नियम-56 दिये हैं कि मेरे घर में चोरी हो गयी है, कुछ हो नहीं रहा है। रुकिये।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मद संख्या-3 ले लें। मान्यवर, कार्य-स्थगन मद संख्या-10 पर है।

श्री अध्यक्ष-

रुकिये, मुझसे त्रुटि हुयी इसके लिए मैं दुखी हूं। यह हाचपाच करने लगते हैं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8 की उपधारा (3) में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-1457/38-7-2007-8 एन0आर0ई0जी0ए0/2006, दिनांक 05 अक्टूबर, 2007††

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं सदन की अनुज्ञा से, ग्राम्य विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-1457/38-7-2007-8 एन0आर0ई0जी0ए0/2006, दिनांक 05 अक्टूबर, 2007 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-59/38-7-09-10 एन0आर0ई0जी0ए0/2005, दिनांक 07 जनवरी, 2009†

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं सदन की अनुज्ञा से, ग्राम्य विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-59/38-7-09-10 एन0आर0ई0जी0ए0/2005, दिनांक 07 जनवरी, 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 6 व 7 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 जून, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 20 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं-

1-दिनांक 20 जून, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं,

2-दिनांक 20 जून, 2012 को वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पश्चात् श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा सम्बन्धी मद रख ली जाय,

3-दिनांक 30 जून, 2012 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या 50, 51, 52, 13, 23, 24, 22, 91 की मदें अब दिनांक 29 जून, 2012 को ली जायं,

4-दिनांक 29 जून, 2012 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या 84 एवं 26 की मदें अब दिनांक 30 जून, 2012 को ली जायं,

5-दिनांक 20 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय-

<u>जून, 2012</u>

20 बुधवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें,

2-वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान,

3-श्री हुकुम सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

† छापी नहीं गया।

जून, 2012

21 गुरुवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार 25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
29 शुक्रवार 30 शनिवार	वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

जुलाई, 2012

01 रविवार	बैठक नहीं होगी।
02 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान,
03 मंगलवार	**11.00 बजे पूर्वाह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री विजय कुमार दुबे, सदस्य, विधान सभा के गोरखपुर स्थित आवास में चोरी की घटना से सम्बन्धित व्यक्तिगत प्रकरण

श्री अध्यक्ष-

हां, विजय कुमार जी बताइये, आप क्या कह रहे थे।

*श्री विजय कुमार दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी मैं कह रहा था कि ऊसर और बंजर की जमीन को खेती योग्य बनाने के लिये,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपका है नहीं, आपका जो व्यक्तिगत हो, वह बताइये।

श्री विजय कुमार दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, 13 तारीख की रात में गोरखपुर नगर आवास पर हमारे 64-बी नवाचक, जो नगर के बीच में स्थित है। दरवाजे का लॉक दरवाजा तोड़ कर सारे सामान की चोरी कर लिया गया। इस न्याय के मंदिर में विश्वास और आस्था के साथ हम लोग ही नहीं हमारे साथ लाखों लोगों की उम्मीद और विश्वास हम सब लोगों की यहां लेकर आये हैं। आप के समक्ष अगर सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है तो हम लोग जो सरकार ने उम्मीद जगायी है, उसे हम लोग आदेश मानते हैं। उस घटना को यहां पर व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने उठाया था और उस दिन कार्यवाहक मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था। मैंने कहा था कि चोरी का सामान हमें वापस न मिले, रोज चोरी होती है, डकैतियां होती हैं और सामान वापस नहीं मिलता है, लेकिन कोई बड़ी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये उन्होंने आश्वासन दिया था, कार्यवाही कराने के लिये लेकिन आज एक हफ्ते के लगभग होने जा रहा है लेकिन एक सिपाही तक दरवाजे पर नहीं आया। हम मा0 सदस्य अगर जनता की आवाज उठाने यहां आते हैं और हमारा ही घर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने उस दिन भी इनके व्यवस्था के प्रश्न में कहा था और अब भी ये कह रहे हैं कि मेरे घर में पुलिस की कोई पूछ-ताछ तक नहीं हुई है।

श्री विजय कुमार दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी, उस समय मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं थे, कोई अन्य मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष-

यह सही है आप उस दिन नहीं थे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उस दिन नहीं, बल्कि उस समय सदन में नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

हां, उस समय नहीं थे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आश्वासन है और मा0 सदस्य से मेरी बात भी हुई थी। इस बात का खेद भी है। पुलिस वाले को जाना चाहिये था, दरोगा को भी जाना चाहिये था, जांच करनी चाहिये थी और ऐसा होगा भी लेकिन जहां तक आम जनता का सवाल है। आम जनता में कोई रोष न हो, कोई अन्याय न हो, उनकी पूछ हो इसके लिये सरकार हर वक्त कोशिश करने के लिये तत्पर है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। नियम 56 के अन्तर्गत डा0 महेश शर्मा जी आप दो मिनट में ग्राह्यता पर बोले आज बहुत बजट है और यह तो स्वास्थ्य का बजट है उसमें भी आप बोल सकते थे।

*डा0 महेश शर्मा-

दो मिनट की ही बात है मान्यवर, आज ऐसे समय पर आपने मुझे इजाजत दी है। मान्यवर, मैं मात्र 2 मिनट में छोटे समय में अपनी बात रखता हूं। मान्यवर, आज स्वास्थ्य विभाग के बजट में चर्चा के विषय में कहना चाहता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष-

उसी में आपको कहना चाहिये था।

डा0 महेश शर्मा-

मान्यवर, आपने कह दिया है।

श्री अध्यक्ष-

हां, मैंने कह दिया है, ठीक है।

डा0 महेश शर्मा-

मान्यवर, सभी लोग इस विषय पर तैयार हो जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की जब हम बात करेंगे, खर्चा बढ़ाने की बात करेंगे, डाक्टरों की कमी की बात करेंगे। तो मान्यवर, हमारे यहां तीन तरह के डाक्टर होते हैं। एक डाक्टर जो बीमारी होने से पहले उससे बचने की सलाह दे देते हैं। एक डाक्टर जो इलाज करते हैं और एक डाक्टर जो बीमारी बिगड़ जाये या बीमारी बिगाड़ के उसका इलाज करते हैं, वह निकृष्ट श्रेणी के डाक्टर होते हैं। मान्यवर, स्वास्थ्य पर हम सब लोग रोज टेलीविजन पर देखते हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा सुनते हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कल स्वीकार कर लिया कि आयुर्वेद के डाक्टर इतने हो गये हैं कि यूनानी चिकित्सा की जो हमारी पद्धति है उस पर समीचीन व्यवस्था होनी चाहिये। पशु कट रहे हैं। दूध की व्यवस्था खराब है। मान्यवर, जितना दूध प्रदेश की जरूरत है, उसका केवल आधा दूध ही यहां पर पैदा होता है, यह हम सब जानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप जो दवाइयों में मिलावट है उस पर बोलिये, ये सब आप कहां बोल रहे हैं।

डा0 महेश शर्मा-

मान्यवर, आक्सीटोसिन इंजेक्शन का मैंने विषय लिया है।

श्री अध्यक्ष-

तो उसी पर बोलिये न।

डा0 महेश शर्मा-

मैं उसी विषय पर बोल रहा हूं चूंकि यह दूध से रिलेटेड है, इसी विषय पर मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, यह हमारे समाज के लिये शर्म की बात है कि जिस आक्सीटोसिन इंजेक्शन का इलाज के लिये इस्तेमाल किया जाता है और वह इंजेक्शन डाक्टर के पर्चे पर दस रुपये की कीमत पर मिलता है, लेकिन वैटनरी चिकित्सा के माध्यम से वह इंजेक्शन बिना पर्चे के एक से दो रुपये में मिल जाता है और वह इंजेक्शन जब गाय-भैंसों को लगाया जाता है, या सब्जियों में और फलों में लगाया जाता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह सब्जी/फल हम और आप सब लोग खाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खायेंगी। मान्यवर, उसका दुष्परिणाम इतना ज्यादा हो गया है आज देश के अन्दर कि 50 प्रतिशत दूध आज जितनी जरूरत है देश, प्रदेश के अन्दर उसका पैदा होता है और बाकी 50 प्रतिशत दूध कहां से आता है। इसकी मान्यवर, जांच और गहन चिन्ता करनी चाहिये। आज प्रदेश की जनता हम सब जनप्रतिनिधियों पर, मैं इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा, इस विषय पर इस पर गम्भीरता से चर्चा हो। आखिरकार इस विषय पर अगर हम लोग चिन्ता नहीं करेंगे तो क्या वह किसान करेगा या गाय-भैंस पालने वाला व्यक्ति करेगा। मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप इजाजत देंगे तो इस विषय पर एक गम्भीर चर्चा की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी इन्होंने जो कहा कि पशुओं को जो इंजेक्शन लगाया जाता है, क्या आप उसके बारे में बोलेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इस समस्या पर सरकार कई बार अपना पक्ष रख चुकी है और बहुत गम्भीर सवाल है इस पर बराबर सरकार कोशिश कर रही है और इसे रोकेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रदीप माथुर जी और प्रमोद तिवारी जी, आपसे एक निवेदन है कि आज बहुत महत्वपूर्ण बजट है, इसलिये आप दो-दो मिनट से ज्यादा समय न लें और डा0 महेश शर्मा की सूचना अग्राह्य की जाती है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी चिन्ता किसी आलोचना के लिये नहीं, बल्कि यह चिन्ता का विषय है। आज पूरे प्रदेश में जल स्तर जो ग्राउन्ड वाटर है, वह तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा है। मान्यवर, मुझे चिन्ता बिल्कुल न होती, अगर यह रुका होता, स्थिर होता या सिर्फ नीचे होता। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, वह मैं आपको देना चाहता हूं। मान्यवर, 2004 में सिर्फ 37 जिले डार्क एरिया थे और साढ़े 4 साल बाद 2009 में यह 76 जिलों तक पहुंच गया है। क्रिटिकल में 2004 में सिर्फ 13 थे आज उनकी संख्या बढ़कर 32 ब्लाक हो गये हैं। मान्यवर, इसी तरह जो सेमी क्रिटिकल थे, उनकी संख्या पहले 88 थी, अब 108 हो गये हैं। मैं आपको इसलिये यह बता रहा था कि यह ग्राउण्ड लेविल से जो डार्क एरिया है, जो जहां पानी का स्तर है वह तेजी के साथ गिरता चला जा रहा है। मान्यवर, जो 2000 में था वह 2004 में उसका दुगना हुआ और 2004 में जो था, 2009 में वह बढ़कर ढाई गुना हो गया। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक दिन ऐसा आयेगा जब उत्तर प्रदेश की धरती के नीचे पानी नहीं रह जायेगा और वह दिन जब आयेगा तो क्या उत्तर प्रदेश रेगिस्तान में तब्दील हो जायेगा। मान्यवर, मेरी चिन्ता का विषय यही है और मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक-दो जिले नहीं अकोला, बिचपुरी, बरेली, फतेहपुर सीकरी, खदौली, शमसाबाद, गिनौसी, छपरौली, पूरा बुन्देलखण्ड, पूरा रूहेलखण्ड बढ़ता चला जा रहा है। आज छत्रपति शाहूजी नगर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हमीरपुर, बहराइच, बस्ती, महराजगंज, देवरिया, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर महानगर, रामपुर, बांदा, इलाहाबाद,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जालौन, मुजफ्फरनगर, गोण्डा, कुशीनगर, प्रबुद्धनगर, पंचशीलनगर, बिजनौर, अलीगढ़, मथुरा जिले इससे ग्रस्त हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम प्रकृति की वार्निंग को नहीं समझेंगे तो नेचर अपना काम करेगी। मेरा सिर्फ यह कहना है कि जल का प्रबन्धन होना चाहिये, जल हम उतना ही निकालें जितनी आवश्यकता हो और जो यह वर्षा का जल है, मान्यवर, मैं चेतावनी देते हुये कहना चाहता हूं कि अगर जल संचयन नहीं हुआ, इसे दुबारा जमीन में नहीं भेजा गया और यह पानी बहता रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब उत्तर प्रदेश राजस्थान से ज्यादा बदतर हालत में आयेगा, क्योंकि यह ग्रोथ दुगनी और तिगुनी होती जा रही है। मान्यवर, मैं इसी चिन्ता से सदन को अवगत कराते हुये चाहता हूं कि इस पर विचार हो।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह निहायत गम्भीर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जहां अंडर ग्राउन्ड वाटर बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है उधर हमारी प्रदेश सरकार को इस विषय पर चिन्ता करनी चाहिये। आप देखें कि गांव में हैंडपम्प बिल्कुल अपना बेस छोड़ चुके हैं, ट्यूबवेल सूख चुके हैं और उसका नतीजा यह हो रहा है, कृषि की सिंचाई के संसाधन कम हो रहे हैं, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, नहरों में पानी नहीं आता, पेयजल की गम्भीर समस्या अलग से है, दूसरी तरफ बिजली का वोल्टेज इतना कम है कि पानी लिफ्ट नहीं हो पाता। मान्यवर, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि नदियों में जो पानी होता है, वह लगातार बहता रहता है। उसके लिये भी हमें विचार करना होगा। कि बहते हुये पानी का हम संचय कैसे करें और संचय करके हम उसके रिचारजर्स बनायें ताकि गर्मियों में उस बहते हुये पानी को रोककर उससे हमारा वाटर लेविल भी ठीक होगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, यह भी कहना चाहता हूं कि वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्रयोग हैं, वह कतई नहीं हो रहे हैं। शहरों में जो डेवलपमेंट एथारिटीज हैं, वह नक्शे तो पास कर देती हैं, लेकिन उनके वी0 सी0, उनके इंजीनियर्स, उनके अधिकारीगण वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम को नहीं देखते हैं। वह नक्शे कैसे पास हो जाते हैं। जब वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं होगी और बारिश का पानी संचय नहीं किया जायेगा, तब तक समस्या हल होने वाली नहीं है। यह बहुत गम्भीर विषय है, जिस तरह से माननीय तिवारी जी ने आंकड़े दिये हैं, उससे उत्तर प्रदेश बिल्कुल रेगिस्तान में परिवर्तित हो जायेगा। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और इस पर चर्चा करायी जानी चाहिये तथा सरकार को इस पर गम्भीर होना चाहिये कि किस तरह से पानी का संचय किया जाये, किस तरह से नदियों के बहते हुये पानी के लिये प्लानिंग की जाये कि किस तरह से बारिश के पानी को रोका जाये, यहां माननीय सदस्य बैठे हैं, उनके क्षेत्र की जनता प्यासी है। मैं चाहूंगा कि इस गम्भीर विषय पर सरकार चर्चा कराये, इस पर गम्भीर हो और इस मुद्दे पर कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष-

अगर नेता लोग सहमत होंगे तो मैं बैठक बुलाता हूं तो पार्लियामेन्ट की तरह सबका समय निर्धारित कर दिया जाये, वह ठीक रहेगा, उसी में सब लोग बोलें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, इसका जवाब तो दिलवा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इसलिये इस पर जवाब नहीं दिलवाया, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। इससे समय बच जायेगा।

*श्री बजरंग बहादुर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बाढ़ की समस्या पर मेरे विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरी विधान सभा राप्ती नदी, रोहिन नदी, बूढ़ी राप्ती नदी तथा घोंघी नदी से घिरा हुआ विधान सभा क्षेत्र है। पूरे पूर्वांचल में जो बाढ़ की समस्या है, उससे हम भी और आप भी निश्चित रूप से अवगत हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2007 में बाढ़ की विभीषिका से उस विधान सभा को बचाने के लिये 15 किमी0 का बंधा स्वीकृत हुआ जिसकी लागत 7.53 करोड़ रुपये थी और उस समय बंधा बनना शुरू हुआ, 5-6 किमी0 वह बंधा बना, उसके बाद पूरा पैसा खत्म हो गया और 2007 से लेकर अब तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बात की चिन्ता नहीं हुयी कि जो हमने सरकार का पैसा बरबाद किया है जो लोगों की जानमाल की रक्षा के लिये खर्च करना था, लोगों की सिंचित भूमि को बचाने के लिये खर्च करना था, वह नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वांचल बहुत बड़ा क्षेत्र है और बाढ़ की जितनी भयावह स्थिति पूर्वांचल में रहती है, शायद और कहीं रहती हो।

श्री अध्यक्ष-

अब आप रुक जाइये, आपकी बात आ गयी आप बैठ जायें, मैं समझ गया, मैं आपके इस विषय पर नियम 56 में शासन से वक्तव्य दिलाने के निर्देश दे रहा हूं। इसमें वक्तव्य आ जायेगा तो सब पता चल जायेगा।

श्री मनोज कुमार की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड धानापुर में विद्युत् उपकेन्द्रों पर अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही की मांग को लेकर दिनांक 16-6-2012 से धरने पर बैठे किसानों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इसके बाद श्री गया चरन दिनकर, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री उमाशंकर सिंह, श्री महावीर सिंह राणा की जिला कुशीनगर के थाना हाटा वाली जो घटना है, उस पर मैं वक्तव्य के लिये निर्देश देता हूं। सुश्री सावित्री बाई फूले की जनपद बहराइच की तहसील नानपारा वाली घटना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के ब्लाक सेवरही के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली के विषय पर ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी सूचना पर बोलने का अनुरोध करने पर)

मैंने सबको अग्राह्य किया और सब पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। यह नियम-56 में नहीं आता। आप लोग बैठिये।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, मुझे दो मिनट अपनी बात कह लेने दीजिये, बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत जिद करते हैं, मैं आपको बार-बार समझाता हूं। आप विधायक हैं, आपको सदन की गरिमा का कुछ ख्याल होना चाहिये, जब होता है आप बीच में कूद पड़ते हैं। आप बैठ जाइये। माननीय नेता कांग्रेस, यह आपकी पार्टी के हैं, आप इनको समझाइये। अन्यथा मुझे बहुत दुख होता है। आप बजट को महत्व नहीं देते हैं और अपनी समस्या को महत्व देते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

*श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,80,58,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,66,72,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,77,06,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,64,44,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,22,33,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,53,50,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 वकार अहमद शाह-

श्रीमन्, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु अनुदान संख्या-31 के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं-

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग का मुख्य उद्देश्य, उच्च कोटि की एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा, विशिष्ट चिकित्सा उपचार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी व्यवस्था करना है। एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत स्नातक स्तर की एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 तथा स्नातकोत्तर स्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की डिप्लोमा, एम0डी0, एम0एस0 तथा एम0डी0एस0 उपाधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेषताओं में अति विशिष्ट उपचार पाठ्यक्रम (डी0एम0/एम0सी0एच0) भी संचालित है। प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 की कुल 1140 सीटें, एम0डी0/एम0एस0 (स्नातकोत्तर) कुल 647 सीटें एवं डी0एम0, एम0सी0एच0 की कुल 45 सीटें उपलब्ध हैं। उक्त के अतिरिक्त छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ में बी0डी0एस0 की 100 सीटें तथा एम0डी0एस0 की 28 सीटें उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्रों के मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 की 1700 सीटें तथा एम0डी0/एम0एस0 की 279 सीटें उपलब्ध हैं। इसी प्रकार निजी क्षेत्रों के डेन्टल कालेजों में बी0डी0एस0 की 2450 सीटें तथा एम0डी0एस0 की 349 सीटें उपलब्ध हैं। विशेष चिकित्सा उपचार में मुख्यतः विशेष चिकित्सकों द्वारा गम्भीर रोगियों का उपचार किया जाता है। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों के वाह्य रोग विभाग (ओ0पी0डी0) में आये मरीजों से रु0 1.00 (रुपये एक मात्र) के पंजीकरण शुल्क पर विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें मुहैया करायी जा रही हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सात मेडिकल कालेजों द्वारा की जा रही हैं, जिसमें मेडिकल कालेज आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी, गोरखपुर तथा अम्बेडकर नगर सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0 प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (इटावा) तथा डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ जन साधारण को विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं। स्नातक मेडिकल तथा डेण्टल पाठ्यक्रम निजी क्षेत्र में स्थापित 14 मेडिकल व 25 डेण्टल कालेजों में भी सम्पन्न किये जा रहे हैं। प्रदेश के मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश सी0पी0एम0टी0 (85% सीटों पर) तथा अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (15% सीटों पर) के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों में लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट को डिप्लोमा स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्तमान सरकार द्वारा कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी के मरीजों के समुचित इलाज के लिये एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है इस हेतु अनुदान संख्या-31 के आय-व्ययक में रु0 20.00 करोड़ (रुपये बीस करोड़ मात्र) का आय-व्ययक प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

इसी प्रकार गम्भीर एवं असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आय-व्ययक में रु0 25.00 करोड़ (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, सैफई (इटावा) को आगामी सत्र से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, इस महाविद्यालय के लिये आयोजनागत पक्ष में वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 20.00 करोड़ (रुपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

नव स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज को आगामी शैक्षिक सत्र (2012-13) से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु एम0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कालेज में ओ0पी0डी0 पूर्व से ही प्रारम्भ है। इस मेडिकल कालेज हेतु वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 45.00 करोड़ (रुपये पैंतालिस करोड़ मात्र) तथा उपकरण हेतु

रु0 05.00 (रुपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। कालेज के स्थापित हो जाने से क्षेत्रीय जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा एवं प्रदेश को प्रतिवर्ष कम से कम 100 अतिरिक्त चिकित्सक प्रतिवर्ष उपलब्ध हो सकेंगे।

शैक्षिक सत्र 2011 से संचालित नवस्थापित राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर के अधूरे निर्माण कार्यों हेतु रु0 19.2310 करोड़ (रुपये उन्नीस करोड़ तेइस लाख दस हजार मात्र) तथा उपकरणों हेतु रु0 05.2501 करोड़ (रुपये पांच करोड़ पच्चीस लाख एक हजार मात्र) अर्थात् कुल रु0 24.4811 करोड़ (रुपये चौबीस करोड़ अड़तालिस लाख ग्यारह हजार मात्र) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

मेडिकल कालेज, आजमगढ़ बांदा तथा पैरा मेडिकल कालेज, सैफई (इटावा) को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) योजना के अन्तर्गत संचालित किये जाने के पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुये इन्हें राजकीय क्षेत्र में संचालित किये जाने का वर्तमान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है तथा इस हेतु मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के लिये वेतनादि, वृहत् निर्माण कार्य एवं उपकरण मद में रु0 73.1009 करोड़ (रुपये तिहत्तर करोड़ दस लाख नौ हजार मात्र) एवं मेडिकल कालेज, बांदा के लिये वेतनादि, वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 10.7452 (रुपये दस करोड़ चौहत्तर लाख बावन हजार मात्र) तथा पैरा मेडिकल कालेज, सैफई में वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 20.00 करोड़ (रुपये बीस करोड़ मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

निर्माणाधीन राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई (जालौन) के लिये वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 45.00 करोड़ (रुपये पैंतालिस करोड़ मात्र) तथा उपकरण मद में रु0 05.00 करोड़ (रुपये पांच करोड़ मात्र) अर्थात् कुल रु0 50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़ मात्र) का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार निर्माणाधीन राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर के लिये वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 10.00 करोड़ (रुपये दस करोड़ मात्र) एवं उपकरण मद में रु0 00.45 करोड़ (रुपये पैंतालिस लाख मात्र) कुल रु0 10.45 करोड़ (रुपये दस करोड़ पैंतालिस लाख मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग में स्थापित स्वायत्तशासी संस्थान छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0 प्र0 लखनऊ के लिये आयोजनागत पक्ष में वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 120.00 करोड़ (रुपये एक अरब बीस करोड़ मात्र) उपकरण हेतु रु0 41.00 करोड़ (रुपये इकतालिस करोड़ मात्र) तथा बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 02.00 करोड़ (रुपये दो करोड़ मात्र) अर्थात् कुल रु0 163.00 करोड़ (रुपये एक अरब तिरसठ करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ के लिये आयोजनागत मद में उपकरण मद में रु0 41.00 करोड़ (रुपये इकतालिस करोड़ मात्र), वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 90.00 करोड़ (रुपये नब्बे करोड़ मात्र) बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रु0 02.00 करोड़ (रुपये दो करोड़ मात्र) अर्थात् कुल रु0 133.00 करोड़ (रुपये एक अरब तैंतीस करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ में रिवाल्विंग फण्ड के रूप में रु0 05.00 करोड़ (रुपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, गोमती नगर, लखनऊ में ओ0पी0डी0 तथा अन्तः रोगी सुविधायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं। जनहित एवं रोगी हित में संस्थान को पर्याप्त क्षमता के साथ संचालित किये जाने हेतु निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है तथा उपकरणों को स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। संस्थान हेतु आयोजनागत पक्ष में वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 83.2750 करोड़ (रुपये तिरासी करोड़ सत्ताइस लाख पचास हजार मात्र) तथा उपकरण हेतु रु0 55.0725 करोड़ (रुपये पचपन करोड़ सात लाख पच्चीस हजार मात्र) कुल रु0 139.00 करोड़ (रुपये एक अरब उन्तालिस करोड़ मात्र) की धनराशि के प्राविधान का प्रस्ताव है।

उ0 प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई (इटावा) जो पूर्व से संचालित है, में वृहत् निर्माण कार्य मद में रु0 60.00 करोड़ (रुपये साठ करोड़ मात्र) तथा उपकरण मद में रु0 26.00 करोड़ (रुपये छब्बीस करोड़ मात्र) अर्थात् कुल रु0 86.00 करोड़ (रुपये छियासी करोड़ मात्र) की धनराशि के प्राविधान का प्रस्ताव है।

सेन्ट्रल आफ बायोमैग्नेटिक रेजोनेन्स (सी0बी0एम0आर0) जिसमें जटिल रोगों के परीक्षण एवं निदान के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण शोध एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्य किया जाता है, के लिये वेतन हेतु रु0 01.30 करोड़ (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र), निर्माण कार्य हेतु रु0 02.9467 करोड़ (रुपये दो करोड़ चौरानबे लाख सरसठ हजार मात्र), उपकरणों हेतु रु0 02.9536 करोड़ (रुपये दो करोड़ पन्चानबे लाख छत्तीस हजार मात्र) अर्थात् कुल रु0 07.20 करोड़ (रुपये सात करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि के प्राविधान का प्रस्ताव है।

उक्त के अतिरिक्त मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी, गोरखपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर हृदय रोग संस्थान, कानपुर, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर हेतु आयोजनागत पक्ष में निम्नवत् प्राविधान प्रस्तावित किया गया है-

लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, कानपुर हेतु छात्र वेतन, अधूरे निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय हेतु रु0 18.8487 करोड़ (रुपये अट्ठारह करोड़ चौरासी लाख सत्तासी हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे हृदय रोगियों के उपचार में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जा सकेगा।

जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर हेतु छात्र वेतन, अधूरे निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय हेतु रु0 06.6676 करोड़ (रुपये छः करोड़ छांछठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) का बजट प्रस्तवित किया गया है, जिससे कैंसर रोगियों के उपचार में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जा सकेगा।

मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु छात्र वेतन, अधूरे निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय हेत रु0 06.1868 करोड़ (रुपये छः करोड़ अट्ठारह लाख अड़सठ हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

मेडिकल कालेज, आगरा हेतु छात्र वेतन, अधूरे निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय हेतु रु0 12.4620 करोड़ (रुपये बारह करोड़ छियालिस लाख बीस हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद हेतु छात्र वेतन, अधूरे निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय हेतु रु0 07.0599 करोड़ (रुपये सात करोड पांच लाख निन्यानबे हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु छात्र वेतन, अधूरे निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय हेतु रु0 11.3062 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़ तीस लाख बासठ हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

मेडिकल कालेज, झांसी हेतु छात्र वेतन, अधूरे निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय हेतु रु0 07.3524 करोड़ (रुपये सात करोड़ पैंतीस लाख चौबीस हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु छात्र वेतन, अधूरे निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय हेतु रु0 06.5817 करोड़ (रुपये छः करोड़ अठ्ठावन लाख सत्रह हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर हेतु निर्माण कार्यों हेतु रु0 00.5990 करोड़ (रुपये उनसठ लाख नब्बे हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

पैरा मेडिकल कालेज, झांसी के संचालन हेतु न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराने हेतु रु0 01.00 करोड़ (रुपये एक करोड़ मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप मुख्य मंत्री जी से उनके चेम्बर में भी मिल सकते हैं।

माननीय मंत्री जी यह जो आंकड़े आप दे रहे हैं यह तो बजट साहित्य में भी होगा। इसके अलावा कुछ नीतिगत बातें हों वह बता दें। एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी व यूनानी के बारे में कुछ कहना हो वह भी कह दें।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, यह सरकार पूरी तरह से गरीबों मजलूमों के प्रति संवेदनशील है। और कैंसर जैसे गम्भीर रोगों के मुफ्त इलाज के लिये सरकार ने व्यवस्था की है। सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिये भी सरकार ने व्यवस्था की है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों के सर्वांगीण विकास के लिये गत वर्षों में अनेकानेक महत्वपूर्ण योजनायें क्रियान्वित की जाती रही हैं। जिसका सुखद परिणाम है कि वर्तमान में इन विधाओं का एक समेकित समन्वित तथा सुगठित तंत्र प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में विकसित हो सका है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद/यूनानी) के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षेपतः निम्न आयाम हैं।

1-चिकित्सकीय क्रियाकलाप।

2-औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण।

3-शिक्षा एवं प्रशिक्षण।

1-चिकित्सकीय क्रियाकलाप

नवसृजित उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् सम्प्रति उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 2354 (दो हजार तीन सौ चौवन) चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सालयों में कुल 10597 (दस हजार पांच सौ सत्तानबे) शैय्याएं रोगियों को चिकित्सा हेतु उपलब्ध हैं एवं प्रतिवर्ष लगभग 1.50 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख) रोगियों को आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति के इन शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

2-औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

प्रदेश के सभी राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों को प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की दृष्टि से वर्तमान में लखनऊ एवं पीलीभीत में राजकीय औषधि निर्माणशालाएं कार्यरत हैं। प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये वर्ष 1977-78 से ड्रग एक्ट लागू कर दिया गया है। प्रदेश में लखनऊ में एक ड्रग टेस्टिंग लैब भी है जो प्रदेश में उपयोग में लाई जा रही औषधियों के संघटन, गुण-दोष आदि का निर्धारण कर गुणवत्ता नियंत्रण में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है।

3-शिक्षा तथा प्रशिक्षण

प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के निष्णात् स्नातकों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से लखनऊ, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अतर्रा-बांदा, हंडिया-इलाहाबाद तथा वाराणसी में 8 (आठ) राजकीय आयुर्वेदिक एवं लखनऊ तथा इलाहाबाद में 2 (दो) राजकीय यूनानी कालेजों के माध्यम से कुल 320 (तीन सौ बीस) आयुर्वेदिक तथा 80 (अस्सी) यूनानी स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रतिवर्ष सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।

4-भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश

यह संस्था प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे वैद्यों/हकीमों के पंजीकरण की एकमात्र संस्था है, जो उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 के प्राविधानों के अधीन इनके पंजीकरण का कार्य करती है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 का लक्ष्य

1-प्रदेश में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का, जहां भूमि उपलब्ध है, भवन निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु आय-व्ययक में रु0 35.00 करोड़ (रुपये पैंतीस करोड़ मात्र) का प्राविधान प्रस्तावित है।

2-सी0सी0आई0एम0 मानक के अनुसार राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों के अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण करवाने हेतु धनराशि आवंटित करने का लक्ष्य है। इस हेतु आय-व्ययक में रु0 31.8871 करोड़ (रुपये इकत्तीस करोड़ अट्ठासी लाख इकहत्तर हजार मात्र) का प्राविधान प्रस्तावित है।

3-प्रदेश के 8 आयुर्वेदिक कालेजों में योग एवं नेचुरोपैथी यूनिट स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु आय-व्ययक में रु0 00.3450 करोड़ (रुपये चौंतीस लाख पचास हजार मात्र) का प्राविधान प्रस्तावित है।

4-प्रदेश के दो यूनानी कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराया जाना है। इस हेतु आय-व्ययक में रु0 00.07 करोड़ (रुपये सात लाख मात्र) का प्राविधान प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या-33

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग का बजट निम्नवत् है-

1-आयोजनागत पक्ष-रु0 35.8026 करोड़ (रुपये पैंतीस करोड़ अस्सी लाख छब्बीस हजार मात्र)।

2-आयोजनेत्तर पक्ष-482.5072 करोड़ (रुपये चार अरब बयासी करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार मात्र)।

योग-रु0 518.3098 करोड़ (रुपये पांच अरब अठ्ठारह करोड़ तीस लाख अठ्ठान्नबे हजार मात्र)।

इस प्रकार अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत राजस्व मद में कुल रु0 482.9227 करोड़ (रुपये चार अरब बयासी करोड़ बान्नबे लाख सत्ताईस हजार मात्र) तथा पूंजीगत मद में रु0 35.3871 करोड़ (रुपये पैंतीस करोड़ अड़तीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) अर्थात् कुल रु0 518.3098 करोड़ (रुपये पांच अरब अठ्ठारह करोड़ तीस लाख अठ्ठान्नबे हजार मात्र) की प्रस्तावित बजट व्यवस्था में से लेखानुदान के रूप में स्वीकृत राजस्व मद में रु0 144.1807 करोड़ (रुपये एक अरब चौवालिस करोड़ अठ्ठारह लाख सात हजार मात्र) तथा पूंजीगत मद में रु0 07.4090 करोड़ (रुपये सात करोड़ चालीस लाख नब्बे हजार मात्र) कुल रु0 151.5897 करोड़ (रुपये एक अरब इक्यावन करोड़ अठ्ठावन लाख सत्तान्नबे हजार मात्र) को कम करते हुये लेखानुदान के अतिरिक्त रु0 366.7201 करोड़ (रुपये तीन अरब छांछठ करोड़ बहत्तर लाख एक हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 1575 (एक हजार पांच सौ पचहत्तर) राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत है तथा 07 (सात) राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं 03 निजी क्षेत्र में होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित हैं तथा जनपद गोरखपुर एवं अलीगढ़ में 02 (दो) नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु उक्त कालेजों के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में विभाग के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं-

1-वर्ष 2007-08 में 02 नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुसार जनपद गोरखपुर तथा अलीगढ़ में 02 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु उक्त मेडिकल कालेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मेडिकल कालेजों का लगभग 40% कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त दोनों कालेजों के निर्माण हेतु रु0 25.9481 करोड़ (रुपये पच्चीस करोड़ चौरान्नबे लाख इक्यासी हजार मात्र) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

2-सी0सी0एच0 के मानकों के अनुसार तीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों यथा-लखनऊ, कानपुर एवं इलाहाबाद के भवनों का निर्माण अन्तिम चरण में है। इस योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्माण मद में रु0 01.00 करोड़ (रुपये एक करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

3-केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के मानकानुसार प्रदेश के 07 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में उपकरणों की व्यवस्था हेतु नई मांग के माध्यम से रु0 00.8933 करोड़ (रुपये नवासी लाख तैंतीस हजार मात्र) धनराशि की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

4-राजकीय होम्योपैथिक औषधि परीक्षणशाला की स्थापना पूर्व राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में किये जाने की योजना है। भवन का निर्माण कार्य किया जा चुका है। आवश्यक पदों आदि के सृजन हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में टोकन बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

5-होम्योपैथिक निदेशालय में वर्तमान में अनुभाग वाइज कोई सेटप न होने के कारण शासकीय कार्यों के सम्पादन में कठिनाइयां हो रही हैं। तद्नुसार पदों के सृजन हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में है। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में टोकन बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

6-निर्माणाधीन जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों तथा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अधूरे भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु क्रमशः रु0 00.6965 करोड़ (रुपये उनहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) तथा 01.4619 करोड़ (रुपये एक करोड़ छियालिस लाख उन्नीस हजार मात्र) की बजट व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में प्रस्तावित है।

इस प्रकार होम्योपैथिक विभाग के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत राजस्व मद में कुल रु0 212.7553 करोड़ (रुपये दो अरब बारह करोड़ पचहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र) तथा पूंजीगत मद में रु0 30.3174 करोड़ (रुपये तीस करोड़ इकत्तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) अर्थात् कुल रु0 243.0727 करोड़ (रुपये दो अरब तैंतालिस करोड़ सात लाख सत्ताइस हजार मात्र) की प्रस्तावित बजट व्यवस्था में से लेखानुदान के रूप में स्वीकृत राजस्व मद में रु0 64.6857 करोड़ (रुपये चौंसठ करोड़ अड़सठ लाख सत्तावन हजार मात्र) तथा पूंजीगत मद में रु0 01.3196 करोड़ (रुपये एक करोड़ इकत्तीस लाख छियान्नबे हजार मात्र) कुल रु0 66.0053 करोड़ (रुपये छांछठ करोड़ तिरपन हजार मात्र) को कम करते हुये लेखानुदान के अतिरिक्त रु0 177.0674 करोड़ (रुपये एक अरब सतहत्तर करोड़ छः लाख चौहत्तर हजार मात्र) का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

मैंने अत्यन्त संक्षिप्त रूप में जनसामान्य की आशाओं/आकांक्षाओं से जुड़े चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्रिया-कलापों की रूप-रेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है। आपने मुझे ध्यान से सुना इसके लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं। सदस्यगणों से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे और उसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या-31, 33 एवं 34 की अनुदान मांगों पर अपनी अनुज्ञा प्रदान करेंगे, ताकि चिकित्सा विभाग की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को वर्ष 2012-13 में क्रियान्वित करना सम्भव हो सके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी अनुदान संख्या-32, 36 और 35 एलोपैथी चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर आप बोलें संक्षेप में थोड़ा-थोड़ा।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि यह चिकित्सा शिक्षा वाला एक साथ करा लें फिर चिकित्सा वाला एक साथ करा लें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें बहुत से लोग होंगे जो उसी में बोल लेंगे और फिर समय अभी आप देखिये ढाई घंटा इसके लिये है। देखिये 4-5 बजे तक सारे बजट पास हो जाने हैं। ढाई घंटा कुल इसके लिये है।

श्री अम्बिका चौधरी-

समय उसी हिसाब से दे दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

एक घंटे में फिर वो कटौती रखेंगे फिर एक का होगा।

बाल विकास, पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

सबसे पहले बाल विकास ले लीजिये, श्रीमन्।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मतलब जो गाड़ी देर से आती है वह सबसे पहले छूटती है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वैसे ही चलने दीजिये। अभी आपका करा लेते हैं।

श्री अहमद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बजट को पेश करने और उस पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, खुदा की मेहरबानी से और जनता के वोटों से आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है और हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हम लोगों को जनता की सेवा करने के लिये भारी जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले मैं अपने नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का शुक्रिया अदा करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यह भारी जिम्मेदारी दी है। मान्यवर, आप स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों को और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोगों को जो भारी जिम्मेदारी मिली है स्वास्थ्य के संबंध में, जनता की जो आशायें हैं, उम्मीदें हैं उनको हम पूरा करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेंगे। हमारी पार्टी की बुनियादी सोच, और नारा भी था कि दवा, पढ़ाई मुफ्त देंगे। मा0 मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे मुफ्त दवाओं के संबंध में जो उन्होंने शुरुआत की थी, जो काम किए हैं, आठ रुपये से एक रुपये का पर्चा उन्होंने किया, गरीबों को मुफ्त दवा उन्होंने पहुंचाई और जो काम उन्होंने किए वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जो उनकी सोच थी, जनता से जो वायदे किए हैं, घोषणा-पत्र में, हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक दवाओं का सवाल है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के साथ ही जो दवा गरीबों को दूर दराज के लोगों को तीन दिन मिलती थी उसको पांच दिन कर दिया गया है और जहां आवश्यक समझा जा रहा है वहां जनता को 15 दिन की दवा एक साथ मिलेगी। इससे जनता को बहुत सुविधा होगी। क्योंकि कैप्सूल तो एक मर्तवा पांच दिन के लिए काम ही करता था लेकिन दो चरणों में मिलता था वह खत्म कर दिया गया है। दवाओं के सिलसिले में जो नीति थी और सारी चीजें थीं, जनता को अच्छी दवा और निःशुल्क दवा देने की स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो बजट दिया गया है वह बहुत पर्याप्त है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि दवाओं की किसी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी। श्रीमन् दूर-दराज के लोगों के पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 और झुग्गी झोपड़ी वालों को, अच्छी से अच्छी दवायें मिलेंगी मान्यवर, एक महीने के अन्दर संजय गांधी आयुर्विज्ञान, दिल्ली और बड़े-बड़े नर्सिंग होम में जो दवायें मिलती हैं, वह मिलेगी। जो पर्चे पर लिखा होगा वह पूरा कर दिया जाएगा। मान्यवर, दवायें जो ब्रांड नेम की हैं, अच्छी

कम्पनियों की हैं वह दवायें खरीदी जाएंगी। खरीद की जो प्रक्रिया है वह पूरी प्रक्रिया बदल दी जा रही है। जो केन्द्र बने थे, बदकिस्मती इस विभाग की थी जो केन्द्र की खरीदारी हुई है वह लूट के अड्डे बन गए, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये, उनको समाप्त कर दिया गया है।

(मेंजें थपथपाई गई)

और अब सारे जिलों में खरीद होगी, ब्रांडेड दवाओं की खरीद होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बेईमान का नामो-निशान न रहे। पद हर जिलों में दिए जाएगें माननीय अध्यक्ष जी आपने देखा है, हमारे विभाग की बदकिस्मति थी जो छवि हमारे विभाग की थी वह बहुत अफसोसजनक थी, चिन्ताजनक थी उसको तोड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं मान्यवर, हम 20 से 30 प्रतिशत बजट जिलों में देंगे। जिले के सी0एम0ओ0 को देंगे। जिले के सी0एम0एस0 को देंगे और वह दवायें खरीदकर गरीबों को दी जाएंगी। चाहे कोई आपरेशन होगा, चाहे जो बीमारी होगी, सारी दवायें खरीदकर गरीबों को दी जाएंगी। अगर डाक्टर इसमें कमी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो अध्यक्ष जी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की स्वास्थ्य विभाग में कोई जगह नहीं होगी।

(मेंजें थपथपाई गई)

मान्यवर, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी तरह से उनको बख्शा जाएगा। मान्यवर, तीन महीने में एक दर्जन से ज्यादा सीनियर डाक्टर इसलिए सस्पेंड किए गए हैं जिन्होंने बाहर से दवायें लिखी हैं नहीं लिखना चाहिए था। गरीब कहां से खरीदेगा। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। चूंकि हम समझते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सरकार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यह सरकार भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ आई है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की खरीद के सिलसिले में कोई बेईमानी न हो और अच्छी से अच्छी गुणवत्तापरक दवाएं गरीब से गरीब लोगों को, झुग्गी-झोपड़ी वालों को और दूर-दराज इलाकों तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है। मान्यवर, जहां तक डाक्टरों की कमी का सवाल है, यह बात अपनी जगह पर सही है, हमारी प्राथमिकता भी है लेकिन डाक्टर कम हैं परन्तु डाक्टर कम होने के बावजूद लगभग 15 हजार डाक्टर हैं। जितना होना चाहिए था। मान्यवर, लगभग 5 हजार डाक्टरों की जगह खाली है। यह कितनी बदकिस्मती है कि आजादी के 64 सालों के बाद भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 5 हजार एलोपैथी डाक्टरों की जगह खाली है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसी कोशिश की जायेगी, मैनडेट हमें मिला है, माननीय अध्यक्ष जी, आपका आशीर्वाद है, समाजवादी पार्टी हर तरीके से हमेशा ठोस प्रयास करती है। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन से 1200 डाक्टर चुनकर आ गए हैं और उनको उनकी पोस्टिंग दे दी गयी। पहले जितने डाक्टरों की पोस्टिंग होती थी, उसमें से 50 परसेंट से ज्यादा डाक्टर ज्वाइन नहीं करते थे क्योंकि उनकी पोस्टिंग दूर-दराज इलाकों में कर दी जाती थी। बलिया के आदमी की पोस्टिंग बुलन्दशहर की जाती थी, बुलन्दशहर के आदमी की पोस्टिंग बलिया और गाजीपुर की जाती थी और उनसे पैसे मांगे जाते थे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इन 1200 डाक्टरों ने जब बताया कि पोस्टिंग में रिश्वत ली जा रही है तो मैंने उन डाक्टरों से कहा कि आपके जिले में तो पोस्टिंग हो नहीं सकती, आप तीन जगहों के नाम लिखकर दे दीजिए, उसमें से एक जगह पर पोस्टिंग कर दी जायेगी। मुझे खुशी है कि उन डाक्टरों ने लिखकर दिया और सारे के सारे डाक्टरों की पोस्टिंग की गयी और पहली बार ऐसा हुआ कि सारे के सारे डाक्टरों ने ज्वाइन कर लिया है। इसमें भ्रष्टाचार का खात्मा किया गया है। मान्यवर, अभी हमने पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा, उन्होंने कहा कि इसी साल 2500 से लेकर 3000 डाक्टरों का चयन कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि वे जरूर आयेंगे। हम

उनको अच्छा माहौल देंगे, काम करने का, मुझे उम्मीद है कि इन 5 हजार डाक्टरों की पोस्टिंग हो जायेगी। इसके अलावा यही नहीं करेंगे, इन 5 हजार के अलावा एन0आर0एच0एम0, जिस घोटाले ने उत्तर प्रदेश को दागदार और शर्मसार किया है उस विभाग को हम लोग एक हजार डाक्टर अस्पतालों से भेजेंगे, चूंकि वह ईमानदारी के साथ भेजे जायेंगे, उनको अर्बन हेल्थ पोस्ट में पोस्ट किया जायेगा, झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके हैं, अर्बन हेल्थ पोस्ट के लिए 7 हजार रुपये की किराये की बिल्डिंग ली जायेगी, वहां एक डाक्टर होगा, दो नर्स होंगी और वहां सारी दवाएं होंगी। मान्यवर, यह अर्बन हेल्थ पोस्ट अगली तीन महीने में खोल दिए जायेंगे, इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। हम लोगों ने डाक्टरों से उम्मीद की है, बहुत बड़े डाक्टर हैं, बहुत अच्छे डाक्टर हैं, बड़े-बड़े अस्पतालों में काम करते हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बड़े डाक्टर ने नर्सिंग होम में जा करके आपरेश किया, जो सबसे बड़े डाक्टर थे, जब मैंने उनका ट्रान्सफर किया, बड़ी सिफारिशें आईं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी डाक्टर यदि नर्सिंग होम में जा करके आपरेश करेगा तो वह आम जनता की सेवा क्या करेगा, वह अपने पेशे के साथ विश्वासघात कर रहा है। ऐसे डाक्टरों को हम विभाग में नहीं रहने देंगे। मैंने नर्सिंग होम एसोसिएशन वालों को बुलाया, मीटिंग की और उनसे कहा कि अगर आप किसी सरकारी डाक्टर से आपरेशन करायेंगे तो आपका नर्सिंग होम बन्द कर दिया जायेगा, उसे नहीं चलने देंगे। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े भ्रष्टाचार हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा।

आज खुदा की मेहरबानी से आज सरकार में आये हैं। उस तरह की तस्वीर नहीं देखना चाहते हैं। पहली बार इतने दिनों के बाद आज सिविल अस्पताल में एंजियोप्लास्टी का आपरेशन करके दिखा दिया। जो ढाई लाख में होता था वह 80000 में करके दिखा दिया। अगर यह डाक्टर ईमानदारी से काम करेंगे तो नयी हवा चलेगी। नयी तस्वीर बदलेगी, नया माहौल पैदा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम डाक्टरों के मामले में ऐसी कोशिश करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश का माहौल बदले। माननीय अध्यक्ष जी, एन0आर0एच0एम0 घोटाले से हम लोगों ने सबक लिया है, बहुजन समाज पार्टी ने इससे सबक नहीं लिया इसलिए इनका यह हश्र हुआ है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि निघासन थाने में एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है उसकी 1 बजे दिन में हत्या हो गयी। दो डाक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया और उन्होंने लिखा कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। दिन में हत्या होती है दिन में उसके साथ रेप होता है। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दो डाक्टर का पैनल लिखता है कि आत्महत्या है, रेप नहीं हुआ है। आज भी सी0बी0आई0 की जांच हो रही है। ठीक नतीजे नहीं निकल रहे हैं। मान्यवर, उस गरीब लड़की की मां तरन्नुम को एक पैसे की मदद नहीं दी गयी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे एक लाख रुपया देकर भेजा था कि बहुत गरीब लोग हैं उसके साथ ऐसा हुआ है। हम लोग गये। मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन दो डाक्टरों ने उस लड़की के साथ रेप और हत्या के बाद लिखा कि आत्महत्या है तो क्या वह डाक्टर हैं, वह तो शैतान हैं। उन्हें तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और करेंगे। यह हो रहा था बसपा सरकार में। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा किस्सा मान्यवर, लखनऊ के जेल में डा0 सचान की हत्या हुई। मान्यवर, 5 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ बहुजन समाज पार्टी का मंत्री जेल में है। 10 मंत्री वैसे भी बर्खास्त, एक विधायक जेल में है। अधिकारी जेल में हैं। माफिया भी जेल में है और स्वास्थ्य विभाग के बहुत से अधिकारी और बाबू भी जेल में हैं। इस गठजोड़ को तो तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसी बेइमानी रहेगी तो स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे सुधार होगा। मान्यवर, जिस डाक्टर ने डा0 सचान की हत्या होने के

बावजूद यह लिखा है कि आत्महत्या की है क्या वह डाक्टर डाक्टरी पेशे में रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। नहीं रखेंगे। लेकिन क्या हुआ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तस्वीर क्या थी। यही है डाक्टर का पेशा? यही डाक्टर इंसानों की खिदमत करेंगे। नहीं हम ऐसे डाक्टरों को नहीं रखेंगे मैं आपको आश्वस्त करता हूं। नहीं रखेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाये। इसलिए मान्यवर, बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है जो पिछली सरकार में हुआ उसको भुला नहीं सकते। जो कुछ है उसको ऊपर वाले ने तो सजा दे दी लेकिन हम दुनियावालों को भी तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत तकलीफ है। अपनी तकलीफों को आपके सामने कहूंगा। मान्यवर, डाक्टर भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं।

आप लोगों ने कहा तो इसलिए मैंने कहा कि आखिर हमको जो जिम्मेदारी मिली है, तो हम करके कुछ ऐसा दिखायें और जनता के जख्म पर मरहम लगायें। दवायें खरीदी नहीं गईं, दवाओं में गोल माल किया गया और 800 एम्बुलेन्स खरीदी ही नहीं गई एन0आर0एच0एम0 घोटाले में, और पैसा सब ले लिया गया। ऐसा घपला इतनी दिलेरी से और मा0 अध्यक्ष जी मैं आपको बता दूं, सेक्रेटरी गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया हेल्थ ने चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव को कि स्वास्थ्य और परिवार यह डिपार्टमेण्ट अलग-अलग न किये जायं, चिट्ठी लिखी कि इसमें बेइमानी होगी, यह भी लिखा मिशन डायरेक्टर दो महीने से वहीं थे जिसने यह चिट्ठी लिखी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उस चिट्ठी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और विभाग अलग किये गये, किसने किया, मुख्य मंत्री ने किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लोग कहते हैं कि घोटाले का कौन जिम्मेदार है, चिट्ठी लिखी गई, उसके बावजूद परिवार कल्याण विभाग अलग करके परिवार कल्याण सीएमओ की पोस्टिंग की गई, 50-50 लाख रुपया सीएमओ की पोस्टिंग में लिया गया, किसकी जिम्मेदारी है, अगर मुख्य मंत्री की नहीं है तो और किसकी जिम्मेदारी है, मुझे आप बतायें और हम आपके सामने कहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने सीएमओ से कहा कि हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग समझते हैं कि उनको सिर्फ मायावती जी को हिसाब देना है उसके बाद नहीं देना है, लेकिन हम लोग समाज के उन हिस्सों से आते हैं कि जहां हम लोगों को यहां के अलावा खुदा के सामने भी हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए सबको कह दिया कि अब किसी सीएमओ की पोस्टिंग में किसी से भी एक पैसा की रिश्वत नहीं ली जायेगी किसी भी पोस्टिंग में हजारों डाक्टर पोस्ट हो रहे हैं, नहीं ली जा रही है और जो लेगा अगर अपने डिपार्टमेण्ट में उसको भी सबक सिखा देंगे, लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं वह चिट्ठी मैं यहां रखूंगा आप देख लीजिए ऐसा है, क्या-क्या नहीं हुआ। पायलट दस दर्जा पास कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया। सारे घोटालों के तार जाकर वहीं मिलते हैं और उस पायलट ने इतना ऊंचा उड़ाया कि पिछली पूरी सरकार ही क्रेश हो गई और पूरी सरकार ही चली गई, पूरे सिस्टम को चरमरा दिया, हाईजैक कर लिया। कुल मिलाकर आईएएस, आईपीएस इनकी जिम्मेदारी है सरकार के प्रति, हमारी और इनकी जिम्मेदारी है हम लोग, करोड़ों लोग हिन्दुस्तान के एक वक्त खाना खाते हैं दो वक्त का उनको मिलता नहीं। हम लोग आईएएस, आईपीएस अधिकारी हम भी रहे हैं, कितना सम्मान था। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी उस दस दर्जा पास पायलट के सामने किस तरीके से अपने घुटने टेकते थे, मुझे शर्म आती है और पायलट अगर कहीं खेल रहे थे टेनिस, एक मंत्री जी मिलने पहुंच गये तो कहला दिया कि मंत्री जी को मंत्री रहना है कि नहीं रहना, चले जायं नहीं तो मंत्री नहीं रहेंगे, क्या सरकार थी। मान्यवर, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं, मैं कभी पर्सनल हमले नहीं करता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में ब्यूरोक्रेशी और पुलिस और यह

अफसरों का ढांचा जो था वह चरमरा गया था, इन लोगों ने अपना सम्मान खो दिया है, इसको बहाल करना है हम लोगों को, वह भी इन्सान हैं हम जानते हैं। तीन महीने में जितने डाक्टर थे, सब प्रमोट हो गये, पूछ लीजिए, इण्टरनेट पर डाल दिया। प्रमोशन भी हो गये। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सब लोग होते तो मालामाल हो जाते। उनके घर तो माला माल होते लेकिन ईमान उनका कंगाल होता। बहुजन समाज पार्टी के मंत्री मालामाल लेकिन ईमान कंगाल यह नारा लगता है अध्यक्ष जी, यह है सरकार। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कभी घमण्ड की बात नहीं करेंगे, प्रजा को कभी घमण्ड पसंद नहीं है। सर झुकाते हैं लेकिन हम फक्र तो करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आज नौजवान मुख्य मंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी, बेदाग हैं, हिम्मत से फैसले करते हैं और कोशिश कर रहे हैं नई दिशा में ले जाने की। नेता जी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, उन जैसा देश में कोई दूसरा नेता नहीं है, मैं तो खुद इस बात को जानता हूं। अध्यक्ष जी, आप तो उनके पॉलिटिकल साथी हैं। मैं तो बहुत छोटी जगह में उनके जमाने में था। मैं एस0पी0 था, 33 सालों से लेकिन मैं आपसे बिल्कुल दिल से कह रहा हूं कि मुलायम सिंह जी जैसा मानवीय संवेदनाओं का और हमदर्दी करने वाला कोई दूसरा राजनेता देश के अंदर नहीं है।

(मेंजें थपथपाई गई)

यह हमारी खुशनसीबी है कि हम आज ऐसे लोगों के साथ बैंठे हैं, जो अपनी छवि रखते हैं। देश के अंदर अपना सम्मान रखते हैं। हमारे भाई श्री शिव पाल सिंह यादव जी भी लड़े हैं, हम लोग दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, वे नेता विरोधी दल भी रहे हैं। बहुत कुछ देखा है। उनके फैसलों से हमें राहत भी मिलती है और बहुत मदद भी मिलती है इस परिवार से। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर जो भारी जिम्मेदारी आई हुई है, हम इसके बारे में ज्यादा आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि मान्यवर, मैं तस्वीर देखता रहा नेता समाजवादी दल की हैसियत से, और कठिनाईयां देखता रहा। मैं कभी सोचता नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि जब लोग इतनी बेमानी पर आमदा हो जाएंगे। आज उस घोटले की चारों तरफ चर्चा है, एन0आर0एच0एम0 का हम सिर्फ यह चाहतें हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे घोटाले न हों। हम ऐसी सरकार दें जो जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे। हम लोगों के कष्टों पर मरहम लगाएं। बहुत परेशानियों में लोग हैं। हमें उम्मीद है कि इसी सरकार में 5 साल में नहीं 2 साल के अंदर ऐसी तस्वीर बदलेंगी कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति को ऊंचे-से-ऊंचे इलाज की सुविधा मुफ्त मिलेगी। चूंकि राधा मोहन दास जी कह रहे थे कि हम बहक गए थे, बहकें नहीं हैं राधा मोहन दास जी। हम आपके जापानी बुखार के बारे में भी बात करेंगे। हम भूले नहीं हैं, आप समझ रहे होंगे कि हम आपके जापानी बुखार को भूल गए होंगे लेकिन हम नहीं भूले हैं अभी आते हैं, उस पर।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं जानता हूं कि आपका गोरखपुर से क्या लगाव है? इस नाते जितनी मुझे चिन्ता होगी उससे अधिक आपको होगी।

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, हमारी सरकार ने ग्रामीण अंचलों को स्वास्थ्य प्राथमिकताएं दी थीं। मा0 मुलायम सिंह जी ने ही 71 प्रतिशत ग्रामीण जनता के लिए अपना बजट दिया था। 116 सामुदायिक केन्द्र ऐसे हैं जिनके भवन मा0 अध्यक्ष जी, सालों से खड़े हैं, न वहां कोई डाक्टर है, न दवा है और बंद के

बहुत अच्छे बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि जब एक आदमी की नजर गड़ जाए पत्थरों पर तो उसे आदमी कहां नजर आएगा। तो मान्यवर, यह 116 सामुदायिक केन्द्र जो बंद पड़े हैं, हम बहुत शीघ्र महीने भर में उनको चालू कर देंगे, डाक्टर भेज देंगे, वहां पर पैरामेडिकल कर्मचारी भेज देंगे और दवाईयां भेज देंगे और जब यह 116 ब्लाक बन जाएंगे और उसके बाद 59 ब्लाक ऐसे हैं जिन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होना है उसके लिए बजट में पैसा दे दिया गया है। हमें उम्मीद है कि इसी साल जब भवन बनेगा, डाक्टर पहुंचेगे, दवा भेजेंगे, इसी एक साल में माननीय अध्यक्ष जी सारे के सारे जो सी0एच0सी0 हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वह सारे के सारे स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाएं होंगी, डाक्टर होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कर दिया जाएगा। इसी के साथ मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 47 हैं, वह भी हम बनाकर तैयार कर देंगे और जल्द ही उनका सामान भेज देंगे फिर कोई ऐसी पी0एच0सी0 भी नहीं होगी जहां उसकी अपनी बिल्डिंग न हो। इसी बजट में जो आज चल रहा है वित्तीय वर्ष 2012-13 में 15 चिकित्सालयों में सी0टी स्कैन की मशीन भेजेंगे जो अभी तक नहीं है, 45 स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे मशीन, 125 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउन्ड मशीन, 576 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ई0सी0जी0 मशीन की सुविधा दी जाएगी, इसकी व्यवस्था इसी बजट में कर दी गई है, उसे पहुंचा दिया जाएगा और हमने यह योजना ही नहीं बनाई है बल्कि यह संकल्प कर लिया है कि अगले सालों में यह सुविधाएं सारे के सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पहुंचा देंगे कोई उत्तर प्रदेश का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बचेगा। सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी है जितने भी ब्लाकों पर सी0एच0सी0 हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां एम्बुलेंस नहीं है, हम लोग हर जगह एम्बुलेंस पहुंचा देंगे और यह एम्बुलेंस गरीब मरीजों को जिला अस्पताल तक और लखनऊ तक मुफ्त लायेगी, यह व्यवस्था हम जनता की सुविधा के लिए कर देंगे। 26 जनपदों के लोगों के लिए 100 बेड का अस्पताल बहुत जल्द कायम कर देंगे। एक चीज और नई कर दी गई है इससे पब्लिक को फायदा हो रहा है, एक यहां लखनऊ में कन्ट्रोल रूम खोल दिया गया है, उसे हमने 19.04.2012 को खोला था उसका टोल-फ्री नम्बर पब्लिक को दे दिया गया है। उसमें पहले सौ-डेढ़ सौ शिकायतें आती थीं लेकिन अब तक 36 सौ शिकायतें आ चुकी हैं, उसमें ज्यादातर शिकायतें दवा न मिलने की थीं लेकिन अब शिकायतें कम हुई हैं। इस कन्ट्रोल रूम में डाक्टर 24 घण्टे बैठा रहता है, जो दिक्कतें जनता को होती हैं उन्हें वह हल कर देते हैं, मुझे उम्मीद है कि उससे भी जनता को काफी फायदा होगा। मान्यवर, काम तो बहुत कर लिये गये हैं और चुनौतियां भी बहुत हैं इसलिए अभी काफी काम करना बाकी भी है। चूंकि हम जानते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश है, लोगों की तमाम समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उसमें हमें बराबर काम करना पड़ेगा। जहां तक इंसेफ्लाइटिस जापानी बुखार का सवाल है, उसका भी अब सीजन आ गया है, मुझे जो बताया गया वह यह है कि अब तक 88 बच्चों की मृत्यु हो चुकी हैं, राधामोहन साहब हम कोई चीज छिपायेंगे नहीं क्योंकि जो आदमी छिपाता है वह गड़बड़ करता है। इस बीमारी के बारे में हमें डाक्टरों ने बताया कि इस बार वायरस कुछ दूसरी प्रकार के आ गये हैं। उन्होंने कहा कि पहले वायरस मच्छर से होता है लेकिन अब पानीजनित वायरस हो गया है तो मैंने उनसे कहा कि चाहे मौत पानीजनित वायरस से हो अथवा मच्छर काटने से हो मौत तो मौत है, इसलिए हम सिर्फ एक बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह गम्भीर बीमारी है और इसके बारे में पब्लिक को तो जाग्रत करना ही पड़ेगा लेकिन उसके साथ-साथ हमने सोचा कि एक डायरेक्टर रैंक के अधिकारी को पहली जुलाई से लेकर तीन महीने तक वहीं पोस्ट कर दें। मैंने कहा कि यहां एयरकंडीशन में तो तुम लोग वायरस का पता लगाते रहोगे तो वायरस जहां है वहीं रहेगा, बदकिस्मती यह है कि यह वायरस

गोरखपुर के ही करीब रहते हैं। मान्यवर, मैं सिर्फ इस बात का आश्वासन देता हूं कि जिसमें गोरखपुर और बस्ती मण्डल और मान्यवर, आपका जिला भी।

श्री अध्यक्ष-

मेरे इलाके में भी बहुत मरीज मरते हैं।

श्री अहमद हसन-

जितने भी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में बच्चों के डाक्टर और हर प्रकार के डाक्टर से कोई जगह खाली नहीं रहने देंगे इसके अलावा मैंने कहा कि तीन महीने के लिए दो-दो डाक्टर और भेज दो और मैंने कहा कि हो सके तो पांच-पांच डाक्टर भेज दो और पचास-पचास बेड बढ़ा दो। मान्यवर, आदमी तो मरेगा क्योंकि खुदा मौत और जिन्दगी देता है लेकिन दवाओं की कमी और डाक्टर की लापरवाही से अब आदमी को मरने नहीं दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन देते हैं। 25 जून को हम अपने प्रमुख सचिव को भेज रहे हैं क्योंकि हमारा सदन अभी 4 तारीख तक आप चला रहे हैं उसके बाद हम खुद आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। हम सभी पार्टियों से जन-प्रतिनिधियों को बुला लेंगे क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है। यह भी बदकिस्मती थी कि पुरानी सरकार में जन-प्रतिनिधि से लेकर हर स्तर पर भेदभाव हुआ है इसलिए आज से भेदभाव समाप्त, हम आपसे विचार-विमर्श करेंगे। सभी जगह पर दवा होगी और जितने आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर एम्बुलेंस खड़ी मिलेगी, हम लोग वादा नहीं कर रहे हैं बल्कि हम लोग काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस खड़ी रहेगी गरीब आदमी आएगा एम्बुलेंस उसे जिला अस्पताल पहुंचायेगी, जिला अस्पताल वाले क्या करते थे वह उन्हें मेडिकल कालेज भेज देते थे, उसे हम नहीं मानेंगे उस मरीज का इलाज वहीं हो। मेडिकल कालेज को बहुत सुसज्जित किया जा रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी उदारतापूर्वक कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग हो या मेडिकल एजूकेशन डिपार्टमेंट वहां न पैसे की कमी होगी न दवाओं की कमी होगी, फिर क्या बात है। मान्यवर मैं टाइम का इशारा समझ रहा हूं, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं एक ही बात है कि जो-जो कमियां हैं दवाओं की उन्हें 75 जिलों में भेज दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां तो 100 डाक्टर ऐसे थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में साल भर में एक भी आपरेशन नहीं किया, ऐसी शर्मनाक स्थिति मेडिकल डिपार्टमेंट में रही है। मान्यवर, खराब स्थिति तो सभी जगह रही होगी लेकिन मैं अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में कह सकता हूं। मान्यवर, जो सर्जन अपनी ड्यूटी नहीं करे, यह सब क्या है अब यह सब नहीं होगा, हमें उम्मीद है कि हम आपके सहयोग से आपके सुझाव से और आपकी मदद से उत्तर प्रदेश में ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश करेंगे कि जिससे डाक्टरों का नाम ईमानदारी के साथ लिया जाए और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सर्वोच्च स्तर पर हों। हम लोगों को खुदा ऐसी ताकत दे कि हम लोग इसे कामयाब कर सकें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और मा0 चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री जी द्वारा चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण पर वर्ष 2012-13 का बजट जो प्रस्ताव किया गया है मैं उस पर कटौती प्रस्ताव के लिए खड़ा हुआ हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आशय आपको सुझाव देना, समालोचना के स्तर तक सुझाव देना है। कारण यह है कि आज इस सरकार को मात्र 98 दिन हुए हैं। 98 दिन में, 100 दिन भी जिस सरकार के पूरे न हुए हों, हम उनकी आलोचना करने, उनके कार्यों की समीक्षा करने की स्थिति में फिलहाल अभी नहीं होंगे। इस नाते जिन बातों को हम रखने जा रहे हैं, हमें बखूबी याद है कि वर्ष 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार चुन करके आयी थी तब समाजवादी पार्टी के लोग इधर बैठे थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग सत्ता में थे तो इसी तरह का बजट तब भी आया था। उम्मीदों का बजट था, सपने दिखाये गये थे। इसमें कदापि दो राय नहीं है। मुझे यह भी याद है कि तब मैं जर्नलिस्ट हुआ करता था। **(इस समय 1 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।)** पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ था। मैं इस सदन का सदस्य तो नहीं था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सन् 2003-04 की सरकार जब आयी थी और उन्होंने जब स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा था जब वो बजट ले करके आये थे तब भी उम्मीदों का बजट था। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में जब स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने का बजट ले करके आये थे, तब भी उम्मीदों का बजट था। यानि कोई भी सरकार यह कतई नहीं चाहेगी कि उसके शासनकाल में गरीबों के साथ विशेषकर ऐसे विभाग के साथ जो सीधे-सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हो कही भी कोई ऐसी अनैतिक बात हो जाए जिससे कि पूरे समाज पर, उसकी सरकार पर, उसके संगठन पर असर पड़े। मगर हुआ है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने इशारा किया है, मैं आगे उस पर आऊंगा। मगर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि

दुनिया में कोई ऐसी विधा नहीं है, हर विधा में जान बचाने वाले मौजूद हैं। समाज में चलते समय हर वक्त एक दूसरे की लोग जान बचाया करते हैं। चिकित्सा विभाग एक ऐसी पैथी है जहां जान बचाने वाले को धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है और आज धरती के दूसरे भगवान से जुड़े हुए बजट को यहां पर प्रस्तुत किया गया है, इस नाते मैं उस पर खड़ा हुआ हूं। पूरी संवेदना के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जहां खड़े हैं, उत्तर प्रदेश कोई देश होता तो दुनिया का यह छठवां देश होता। यहां पर पूरी दुनिया में अगर संख्या का अनुपात देखें तो हर 36वां व्यक्ति इस प्रदेश में रहता है। पूरे देश का छठवां व्यक्ति इस प्रदेश का नागरिक है। हम उस जगह पर खड़े हैं और स्वास्थ्य जैसे महकमे को ले करके मा0 मंत्री जी आये हैं यकीनन मैं कह सकता हूं बहुत सारी योजनाओं को मा0 मुख्य मंत्री जी ले करके आये हैं। मेरी साधुवाद हैं, हमारी शुभकामना है, व्यक्तिगत रूप से हमारा साधुवाद है.....
.

जिन उम्मीदों के साथ आप चुनाव लड़े हैं जिन सपनों के साथ आप जनता के बीच से यहां सत्ता तक पहुंचे हैं उन सपनों को पूरा करेंगे यह उम्मीद करता हूं कि लोगों का भला होने वाला है चाहे उसमें बी0जे0पी0 के लोग शामिल हों या बी0एस0पी0 के लोग शामिल हों या अन्य दलों के शामिल हों। मान्यवर, सरकार कोई भी नीति लाती है वह पूरे प्रदेश की जनता के लिए लाती है। मान्यवर, आज भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह कहा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में सब कुछ बरबाद होकर रह गया है तो ऐसा नहीं है हर सरकार अपनी क्षमता के अनुसार काम करती है और जनता का कल्याण करती है। मान्यवर मैं मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि आजादी के 64 साल के बाद भी स्वास्थ्य विभाग का महकमा ज्यों का त्यों खड़ा है और उससे बद्तर स्थिति में आया है। मान्यवर कहीं न कहीं सरकारों में जो भी कुछ रहा हो कहीं ज्यादा अच्छा काम हो गया कहीं थोड़ा कम हुआ बस यही बातें हैं। मान्यवर भयावह स्थिति यह है कि आने वाले समय में हर दूसरा आदमी देश और प्रदेश का बीमार होने जा रहा है। मान्यवर बीमार आदमी अच्छी सड़क लेकर क्या करेगा बीमार आदमी लैपटाप लेकर क्या करेगा भले ही यह योजना आपकी अच्छी है मैं स्वागत करता हूं। लेकिन वह लैपटाप कैसे चलायेगा। बीमार आदमी इन सारी सुविधाओं का जो सरकार देने जा रही है कैसे लाभ उठा पायेगा यह सोचने की बात है।

मान्यवर, इस विधा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मैंने आपके बजट को देखा है आपने सभी महकमों में अपने बजट को बढ़ाया है मैं उसे धन्यवाद देता हूं। मान्यवर जो बजट पिछली सरकार में पेश हुआ था उससे ज्यादा लेकर आप आयें हैं। इसी तरह से जब पिछली बार जब बी0एस0पी0 की सरकार थी 2007 में तो वह उससे पूर्व की सरकार से अच्छा बजट लेकर आयी थी। मान्यवर, सरकारें आती हैं और अपना बजट लेकर आती हैं। आपने जो चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट पेश किया है उसमें 1844 करोड़ रुपये में से आपने 899 करोड़ रुपये आयोजनागत मद में रखा है और बाकी 900 करोड़ रुपये के लगभग आपने सुविधाओं के लिए रखा है। मान्यवर, यह एक दुखद पहलू है और यह सिर्फ आपको दोष नहीं देता हूं। मान्यवर, उपेक्षा का भाव इन दो पैथियों के प्रति रहा है और यह उनके नसीब में आ चुका है। मान्यवर, 35 मिनट के बजट भाषण में आपने सिर्फ 8 मिनट आयुर्वेद और होम्योपैथ के विषय पर कहा शेष ऐलोपैथ पर कहा। इसी तरह से मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण का अधिकांश भाग ऐलोपैथ पर भाषण देने पर लगाया और मुश्किल से 2 मिनट आयुर्वेद और होम्योपैथ पर बोले। मान्यवर, पूरी तरह से समय-समय पर प्रत्येक सरकारों ने इन दोनों पैथियों पर उपेक्षा का भाव रखा है आयुर्वेद और यूनानी विभाग के बजट पर 518 करोड़

रुपये का जो बजट दिया है उसमें 35 करोड़ रुपये आयोजनागत मद में देंगे यानी सब कुछ वेतन टेलीफोन, कार, ए0सी0 पर होने वाले व्ययों की मदों में देंगे।

मान्यवर, आयुर्वेद विभाग की पहचान भारत से है। मान्यवर धनवन्तरी ऋषि भारत की धरती से जुड़े हुए हैं आयुर्वेद की उत्पत्ति ही भारत की धरती से हुई है। मान्यवर आपने 2012-13 के बजट में मात्र 35 करोड़ रुपये विस्तार के मद में दिये हैं। यह आप कह सकते हैं कि पिछली सरकार से ज्यादा दिया है और हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने अपने समय में 2004-2006 में गठित सरकार से ज्यादा दिया था। मान्यवर, मुद्दा यह है कि आयुर्वेद की पहचान विदेशों में भारत से हुई है, बढ़ी है। आज कोई भी ऐलोपैथी डाक्टर जो 10 दवायें लिखता है उसमें से 4 आयुर्वेद की लिखता है। लेकिन आज इस पैथी को उपेक्षित किया गया है।

दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता था कि होम्योपैथ की दशा उससे भी बुरी है होम्योपैथ में लगभग ढाई करोड़ मरीजों ने पिछले साल इलाज कराया, होम्योपैथ का 253 लाख मरीजों ने पिछले वर्ष इलाज कराया है और 245 करोड़ का बजट आया है। मात्र 30 करोड़ रुपये आयोजनागत है, आप बिल्डिंग बनायेंगे, आप हास्पिटल बनायेंगे लेकिन बाकी 212 करोड़ वेतन से लेकर के, ए0सी0 से लेकर कमरों तक और टेलीफोन तक आप खर्च करने जा रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए रखना चाहता था कि स्थिति काफी खराब है वह कब है जब 21 करोड़ की आबादी में लगभग 4700 एलोपैथ के हास्पिटल चल रहे हैं, 44-45 हजार व्यक्ति पर एक हास्पिटल है एलोपैथ का, 85000 व्यक्तियों पर एक आयुर्वेद का हास्पिटल है, सवा लाख व्यक्तियों पर एक होम्योपैथ का हास्पिटल है, सवा लाख पैतालिस हजार यह बात दर्शाता है कि हम चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में केवल 7 मेडिकल कालेज, साढ़े 1100 डाक्टर हम हर साल एलोपैथ के पैदा कर रहे हैं, 300 डाक्टर हर साल हम होम्योपैथ के पैदा कर रहे हैं, 380 डाक्टर हर साल हम आयुर्वेद के पैदा कर रहे हैं। 21 करोड़ की आबादी में क्या यह डाक्टर पर्याप्त होंगे, नहीं होंगे और जो 7 मेडिकल कालेज माननीय मंत्री जी, आपने रखा बिलकुल वह कालेज है, उन्हें आप रेज कर रहे हैं उन्हें आप संशाधन उपलब्ध करा रहे हैं, माननीय मंत्री जी आपको साधुवाद आपको धन्यवाद। मगर हमें और मेडिकल कालेज की आवश्यकता है, पिछली सरकार ने इसको शिद्दत से महसूस किया था इसीलिए आजमगढ़ से लेकर के और उरई जालौन से लेकर कई ऐसे जनपदों में मैं बता रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

आजमगढ़ का अस्पताल पीपीपी में लेकर बेच खाये, आजमगढ़ का नाम न लीजिए बाकी कहीं का लीजिए।

श्री राजेश त्रिपाठी-

अम्बेडकर नगर से लेकर आजमगढ़ तक बात तो सबकी कर रहा हूं बिलकुल यह करने का प्रयास किया गया अर्थात् मेडिकल कालेज की संख्या बढ़नी चाहिए, हमारे डाक्टर्स और आने चाहिए चाहे वह आयुर्वेद के मेडिकल कालेज हों, चाहे होम्योपैथ के मेडिकल कालेज हों, होम्योपैथ के मेडिकल कालेज पूरे प्रदेश के 7 हैं 300 डाक्टर केवल निकलते हैं आज भी एमडी के कोई क्लासेज नहीं चलते, पिछली सरकारों में माननीय मुलायम सिंह के कार्यकाल में आयुष विभाग की एक बैठक हुई थी उसमें आयुष को रेज करने की बात आई थी लेकिन वह किन्ही परिस्थितियों के चलते नहीं हो पाई है। आज

आप आयें हैं उम्मीद करता हूं कि आप आयुष को मजबूत करेंगे। दो नये होम्योपैथिक मेडिकल कालेज जो अलीगढ़ और गोरखपुर में बन रहे हैं बिल्डिंग उसकी 34-35-40-45 प्रतिशत के आसपास पहुंच चुकी है उम्मीद करता हूं कि आप अगले साल से इन मेडिकल कालेजों में आप पढ़ाई शुरू करायेंगे तो हो सकता है कि उसमें हमारे डाक्टर्स निकल सकें। मान्यवर, 21 करोड़ की आबादी में महिलाओं की जो स्थिति है, लगभग 65 लाख महिलाएं हर साल प्रसव पीड़ा में आती है और 40 हजार के आस पास उनकी मौत हो जा रही है यकीनन परिवार कल्याण विभाग महिलाओं के लिए भारत सरकार के सहयोग से कार्य करना चाहता था जिस एन0आर0एच0एम0 की बात आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन की बात आप कर रहे हैं बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। सहमत हैं कि एक काकस पैदा होता है और एक बड़ा कलंक उत्तर प्रदेश के माथे पर लगाकर चला जाता है। आप हम जब सदन में बैठते हैं तो सपा बसपा की भले कह लें निश्चित रूप से दुनिया के स्तर पर बात होगी तो यह बात आयेगी कि सरकार के स्तर पर एक कलंक लगा था घोटाले का एन0आर0एच0एम0 जो 2007 के पूर्व की सरकार से काकस ने आरम्भ किया था और हम पूरी दुनिया में एक काले अध्याय के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में जाना जायेगा। यकीनन यह काकस अपने कार्य में सफल हुआ था इस नाते माननीय मंत्री जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने सबक नहीं लिया मगर समाजवादी पार्टी सबक ले रही है।

हम वह गलतियां कतई नहीं करेंगे जो पूर्ववर्ती सरकार में हुई। हमें उम्मीद है कि जिस काकस की शिकार अच्छी नीयत रहने के बावजूद पिछली सरकार अगर उस काकस ने अपने काम को अंजाम दिया और पूरी दुनियां के सामने एक अफसोसजनक घटनाक्रम हुआ इससे निश्चित रूप से आने वाली सरकारें भी सबक लेंगी और इस तरह के काकस पर प्रतिबन्ध लगेंगे। यह काला अध्याय रहा मैं सरकार को धन्यवाद इसलिए नहीं दूंगा कि अगर वह काकस पैदा हुआ तो सपा शासनकाल में पैदा हुआ।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

माननीय सदस्य एन0आर0एच0एम0 घोटाले के बारे में बोल रहे हैं इन्होंने बहन जी से अनुमति ली है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

आप बैठें।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मैं अध्यक्ष जी से पूछ रहा हूं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। उस पर नजर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती की भी गई उन्होंने इसकी सी0बी0आई0 जांच का आदेश दिया जिस नाते सी0बी0आई0 जांच चल रही है। यकीनन जो दोषी है वह चाहे मिनिस्टर हों, अधिकारी हों चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे इधर बैठा हो या उधर बैठा हो सी0बी0आई0 जांच कराई ही इसलिए जा रही है कि जो दोषी हो वह दंडित हो चाहे वह प्रदेश का या देश का कितना ही ताकतवर व्यक्ति क्यों न हो। इस्तीफा भी लेने की बात आई तो उन्होंने इस्तीफा लिया। सी0बी0आई0 जांच में दोषियों के चेहरे सामने आएंगे। जिसके आएंगे वह जाएगा। आप बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार में आए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में कहें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर आठ विभाग हैं कुछ तो समय लगेगा ही। मान्यवर मैं यह कहना चाह रहा था कि उम्मीदों के साथ बहुत सारे सपने जगाकर यह सरकार सत्ता में आई है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उम्मीदें जगाकर आई है। मेरी शुभकामना है ईश्वर से प्रार्थना है खुदा करे आप अपने मकसद में पूरे हों। मैं इतना कह सकता हूं कि हर चन्द ऐतबार में धोखे हैं मगर यह तो नहीं कि किसी पे भरोसा न किया जाय। इस नाते आपने उम्मीदों को जगाया सपनों की दुनियां में आप गए और आपने सपने जगाए मगर जब सपने टूटते हैं तो सपने दिखाने वालों को बिखरते भी देर नहीं लगती है। हमें डर इसी बात का है कि सपने वाकई आपने दिखाए हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि लगभग इस प्रदेश में 30 प्रतिशत जन्मदर हमारा है। प्रदेश में जो जन्मदर हमारा 30 प्रतिशत है राष्ट्रीय स्तर पर वह 23 प्रतिशत है। आपने इस स्तर को कम करने के लिए क्या प्रयास किया है? कोई कदम उठाया है। चाहे नसबन्दी के स्तर पर या महिलाओं के प्रसव की संख्या कम करनी हो इस स्तर पर गम्भीरता से प्रयास नहीं किए गए हैं या नहीं किए जा रहे हैं अगर आपने नियम लाया है तो निचले स्तर पर वह पूरे नहीं हो रहे हैं। जहां तक मृत्यु दर का सवाल है राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.6 प्रतिशत है और प्रदेश स्तर पर हम 8.7 है। पूरे देश में जो मृत्यु दर है हम उससे अधिक हैं। वहीं दिल्ली में हम 4.8 प्रतिशत पर आकर खड़े होते हैं। इस स्तर को भी हमें देखना होगा यह इसी महकमें से जुड़ा हुआ है जब तक व्यवस्था हमारी सुदृढ़ नहीं होगी तब तक इस प्रतिशत को कम करने की स्थिति में हम नहीं होंगे। आज स्थिति यह है जैसा कि माननीय मंत्री जी से स्वीकार किया डाक्टरों की भारी कमी आपने बहुत सख्ती से वायदा किया बहुत पुरजोर तरीके से आपने कहा कि हम ठीक करेंगे बड़े पुरजोर ढंग, तरीके से आपने कहा कि हम ठीक करेंगे डाक्टरों की कमी आप ठीक करेंगे। डाक्टरों की कमी को आप पूरा करेंगे। मेरी शुभकामनायें हैं आपके लिये। पूरा बाजार नकली दवाओं से भरा पड़ा है, नकली दवाओं से भरा पड़ा है। मेडिकल स्टोर नकली दवाओं को सब अपनी ऊर्जा का केन्द्र बनाये हुये हैं। उम्मीद करता हूं कि आप की नजर उन नकली दवाओं पर भी पड़ेगी। आपकी नजर उन दवाओं पर पड़ेगी कि लिखा तो कुछ और जाता है मरीज खरीदता कुछ और है और उसका सीधा-सीधा पाकेट कटता है। उम्मीद करता हूं कि कहीं न कहीं आप उस पर नजर रखेंगे। आप नीतियां बना लेंगे, पालन करने वाले जो निचले स्तर के लोग हैं उनके पाकेट भरे जा रहे हैं, उस पर भी आपकी नजर होगी। दूसरा मैं कहना चाहता था कि बड़े पैमाने पर एक्सपायरी दवायें पहुंच रही हैं। हमारे आपके चाहने के बावजूद पहुंच रही हैं। आपकी नजर होगी अपने अधीनस्थों पर आप पूरी तरह से पकड़ रखेंगे, मैं यह कहना चाहता था। आपने इस बात को मेरे कहने के पहले कहा है कि दवाओं की कमी भी आप दूर करेंगे। डाक्टर की कमी आप दूर करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आप इस मकसद में कामयाब होंगे। सरकारी डाक्टरों की प्रैक्टिस पर अभी आपने स्वयं बताया कि सरकारी डाक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यकीनन कर रहे हैं आपको बता दें कि जब आप सत्ता में आये, आपने फरमान जारी किया और आपकी सख्ती के बारे में लोग जानते हैं कि मा0 मंत्री जी जो इस समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जो कहते हैं वो करते हैं। बावजूद इसके तीन महीने हो गये, आपने सख्ती का आदेश किया मगर प्राइवेट प्रैक्टिस अब भी जारी है। ऐसा न करिये और किसी छलावे न रहिये। मैं आपकी आलोचना करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अगर मैं कह रहा हूं तो आप अगर कहें तो मैं नाम बताऊं, उस हास्पिटल का नाम बताऊं, डाक्टर का नाम बताऊं, बस

यही एक तरीका है। मैं मा0 मंत्री जी को लिखकर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि लखनऊ में आप किसी को जेल भेजे होंगे, किसी को सस्पेण्ड किये होंगे, उसकी हनक अभी भी गांव तक पहुंची नहीं है। आपकी हनक कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगायेंगे। ग्रामीण लेबल पर, टाउन एरियाज के लेबल पर अभी यह काम हो रहा है। यकीनन अभी 3 महीने हुये हैं, आपको समय लगेगा और हम निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद करते हैं कि मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है। प्राइवेट प्रैक्टिस डाक्टर कर रहे हैं। दूसरी बात उम्मीद करता हूं कि आप भ्रूण हत्या पर गंभीरता से विचार करेंगे। जो होना चाहिये इस बजट में वह नहीं है हो सकता है कि आप आगे बजट में लेकर आयें। भ्रूण हत्या में डाक्टर, आप इस बात पर यकीन करें उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे कि बाहर लगा है बोर्ड पैथालोजी पर कि यहां पर लिंग परीक्षण मना है, कानूनन अपराध है, मगर अंदर 5 हजार से 10 हजार तक रुपये ले करके आज भी इसका चेकअप डाक्टर कर रहे हैं और यकीनन इस पर आपकी ओर से अभी रोक लगाया जाना आवश्यक है। उम्मीद करता हूं कि आप कड़े कदम इस पर उठायेंगे। मान्यवर, इसके अलावा भ्रूण हत्या, एक मां अपने बच्चे की कातिल न हो, एक बाप हत्यारा न बन जाये। इसके लिये जनजागरण की आवश्यकता है। पिछली सरकार में इसी जनजागरण के उद्देश्य से बेटी के पैदा होने पर एक लाख रुपये की राशि रखी गयी थी उसके पीछे केवल आशय यह था कि अब शायद उस एक लाख रुपये के लालच में लोग अपनी बेटियों की हत्या नहीं करेंगे। उम्मीद करूंगा कि यह विभाग कोई ऐसी योजना लाएगा जिससे कि उन बेटियों की हत्या तत्क्षण रूके। दूसरी बात आज लोगों का सरकारी डाक्टरों पर से विश्वास खत्म हो चुका है। केवल 9 से 11 प्रतिशत मरीज ही ऐसे हैं जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। बाकी सारे के सारे मरीज यह उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट हास्पिटल जाना चाहिये। जब वही सरकारी डाक्टर प्राइवेट में जब बैठता है तो लोग दिखाते हैं, मगर उसके यहां सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आश्चार्य यह है कि सरकारी अस्पताल में जितने मरीज जाते हैं उतना तो ओझा, बाबाओं के दबार में जाते हैं। बाबा मुझे यह परेशानी है बाबा मुझे वह परेशानी हो रही है। ठीक कर दीजिये और लाल पीला पहनने वाले उन्हें यह आशीर्वाद देते हैं, कृपा बरसती है और कुछ लोग ठीक होने का दावा करने लगते हैं। यह दुर्भाग्य है कि जितना सरकारी अस्पताल में मरीज जा रहा है, उससे ज्यादा लोग बाबाओं, ओझाओं पर यकीनन करते हैं। यकीनन सरकारी डाक्टर के प्रति, सरकारी अस्पताल के प्रति विश्वास जगेगा लोगों का, आप कुछ ऐसा करेंगे, हम इस बात की उम्मीद करते हैं। लाल गमछा, हरा गमछा, पीले गमछे की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैंने बाबा, ओझा सबको देखा है कि झाड़ फूंक करके लोगों से ठगी करते हैं। इसको धार्मिक स्थल पर न लेकर जाइये। मैं किसी मंदिर मस्जिद के बाहर खड़े होकर फूंकते लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी का इस बात के लिये साधुवाद दे रहा हूं कि आपने देर से ही सही मगर मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन के लिये कड़े कदम उठाने का फैसला किया। आपने डायरेक्टर नियुक्त करने की बात की। उम्मीद करता हूं कि जो टीकाकरण अभियान चला है, एक टीका लगाने के बाद आपने बंद कर दिया है उम्मीद करूंगा कि आप दूसरी डोज भी प्राथमिकता से लगाने का काम करेंगे क्योंकि वह जिन बच्चों को लगता है अगर उसकी दूसरी डोज नहीं लगता है तो जो टीका लगा है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है और यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। मान्यवर, एड्स की बात मैं कहना चाहता था। आपने अपने बजट में भी इसका जिक्र किये हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप करें।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। आखिरी लाइन चल रही है हमारी अधिष्ठाता महोदय। मान्यवर, एड्स की स्थिति बहुत भयावह है। गलती कोई और कर रहा है और सजा कोई और भुगत रहा है। आपके पास आंकड़े बहुत कम हैं और वह इसलिये कम हैं क्योंकि लोग इस बीमारी को बताते नहीं हैं। गांव में नई बीमारी के नाम पर मौतें हो रही हैं और लोग उसको छिपाते जा रहे हैं। इसीलिये आंकड़े जो इस सरकार के पास या पिछली सरकार के पास थे वे सत्य के करीब नहीं हैं। उसमें अभी और काम करने की जरूरत है एड्स के मरीजों को चिन्हित किया जाना, उनको जागरूक करके उनको इस रोग से मुक्ति दिलाया जाना। महिलाओं में खून की कमी, मोतियाबिन्द के लिये भी आप इस बजट में लेकर आये हैं अभी इसमें काफी आवश्यकता है। मैं इस बात के लिये आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्य रूप से विशेषकर आप दोनों माननीय मंत्रियों जी से कि आयुर्वेद और होम्योपैथ को दम मत तोड़ने दीजिये। उनका गला घुट रहा है, दम घुट रहा है उनका, उन्हें आक्सीजन की जरूरत है और 243 करोड़ और 558 करोड़ जो आपने दिया है यह उनके लिये आक्सीजन पर्याप्त नहीं है 30 करोड़ और 35 करोड़ मात्र यह जो आपने आयोजनागत आपने दिया है, यह विभाग तो मर जायेगा। दोनों विभागों को मिलाकर के लगभग 5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष इलाज कराते हैं। दवा सस्ती मिलती है, नुकसान रहित हैं यह दवाइयां हम क्यों नहीं इस पर सोचते हैं। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों नहीं महसूस करते हैं? अगर आपको लगता है कि दोनों विभाग बेकार हैं तो इन पर इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च क्यों किया जा रहा है। अगर इतना लम्बा हजार करोड़ रुपया इसके लिये लेकर आ रहे हैं तो इसको और रिच करने की जरूरत है। आपको पता होगा, आज हम आपको बताना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी आप इस विभाग में रुचि कम लिये होंगे आज भी 100 डाक्टर प्रोफेसर 7 मेडिकल कालेज में 100 होना चाहिए लेकिन केवल 3 हैं और 97 पद खाली हैं। रीडर जहां पर 100 होना चाहिए वह पूरा का पूरा हम आपको यह जो सी0एच0ओ0 होते हैं डाक्टर। 70 जनपदों में एक एक होता है। 70 में 36 अभी भी खाली हैं। 1610 समूह ख के जो होने चाहिए उसमें आज भी 161 खाली हैं। मैं डाक्टर की बात कर रहा हूं पी0एच0सी0 की। अगर मेडिकल कालेज की बात करूं तो 114 रीडर में आज भी 66 पद खाली हैं। 126 होने चाहिए उसमें 108 पद खाली हैं। 275 जो समूह ग के जो लोग होने चाहिए 193 खाली हैं। आप यह कह कर नहीं बच सकते कि आपने 5 साल क्या किया। यह तो पीछे से चला आ रहा है। हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाह रहे हैं कि इसके पहले कौन सरकार थी, उसके पहले कौन सरकार थी। सच तो यह है कि किसी भी सरकार में जो बड़े अधिकारी स्तर के लोग रहे इसको पीछे कर गये एक सौतेले भाई की तरह से सगा भाई तो छोड़िए एक सौतेले भाई की तरह भी व्यवहार नहीं किया गया आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के साथ इस नाते मैं कह रहा हूं आज आप जब बीफ्रींग किए होंगे आज बजट के लिए, तो सबसे अन्त में जाकर कहा होगा, होम्योपैथ और आयुर्वेद के लिए, कि यह कर दीजिएगा, यह चल जाएगा, ये मैं इस नाते कह रहा हूं कि डी0पी0सी डाक्टरों की अभी तक नहीं हुई न आयुर्वेद के डाक्टरों की, और न होम्योपैथ के डाक्टरों की, 35-35 साल से डाक्टर कुंठाग्रस्त हैं अब तक उनको उनका अधिकार नहीं मिला। पूरा का पूरा जो होम्योपैथ का डायरेक्टेड है वह पूरा खाली है, न डायरेक्टर है, न असिस्टेंट डायरेक्टर है, न ज्वाइन्ट डायरेक्टर है, कोई नहीं है, सातों पद खाली पड़े हैं। एक कार्यवाहक से काम चलाया जा रहा है। आप होम्योपैथ और आयुर्वेद को भी एलोपैथ की तरह से, उम्मीद करूंगा आप संज्ञान लेंगे और उसको बेहतर करेंगे। मान्यवर, इसी तरह से यूनानी मेडिकल की बात करूंगा। मान्यवर, केवल दो यूनानी मेडिकल कालेज हैं 21 करोड़ की आबादी पर केवल दो यूनानी मेडिकल कालेज, मैं उम्मीद करूंगा कि आप आने वाले

समय में, पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में यूनानी मेडिकल कालेज को अधिक से अधिक संख्या में खुलवाने का काम करेंगे। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि एक वैन लगा हुआ है कि होम्योपैथ का जो मेडिकल कालेज है वह केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही खोल सकते हैं। दो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं एक इलाहाबाद में, और एक गाजियाबाद में, बाकी नहीं है। एक सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं एक क्रिश्चियन समाज से जुड़े हुए हैं। मेडिकल कालेज अगर खुल रहे हैं तो होम्योपैथ के मेडिकल कालेज को खोलने के लिए अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती हैं आप इस पर विचार करेंगे। मान्यवर, बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं। आपने संक्षेप में रखने की बात कहीं है आपने कन्नौज में कहा है कि कन्नौज में अगले साल आप पढ़ाई शुरू कराने जा रहे हैं। पी0डी0 चल रही है इसके लिए धन्यवाद आपको, लेकिन कई और मेडिकल कालेज हैं, पूर्वाचल में कई और मेडिकल कालेज हैं, उन पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। क्योंकि 21 करोड़ की आबादी में लगभग 8 करोड़ लोग पूर्वांचल से आते हैं। दो करोड़ लोग बुन्देलखंड से आते हैं और सात करोड़ लोग मध्यांचल से आते हैं। तो संख्या की दृष्टि के हिसाब से आपकी नजर होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता था कि जो आगरा विश्वविद्यालय है, होम्योपैथिक कालेज आगरा से जुड़ा हुआ है। पिछली सरकार में छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ मेडिकल कालेज को चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। चिकित्सा विश्वविद्यालय का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान लखनऊ में होगा। लेकिन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज आज भी आगरा से जुड़ा है। पूरे प्रदेश की परीक्षा करा लेते हैं अन्त में उन्हें होम्योपैथ याद आता है। श्रीमन् एक प्रस्ताव तो आपके बजट में मैंने देखा आप होम्योपैथ में एक होम्योपैथ की यूनिवर्सिटी की बात किए हैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी कार्यकाल में आप होम्योपैथ की यूनिवर्सिटी लेकर आएंगे लेकिन जब तक आप नहीं लाते हैं तब तक आप होम्योपैथ विधा को आगरा यूनिवर्सिटी से हटाकर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है तो उसको आगरा से हटाकर इससे सम्बद्ध कर दें। क्योंकि सी0पी0एम0टी0 के बच्चे एलोपैथ में भी जाते हैं, होम्योपैथ में भी जाते हैं, आयुर्वेद में भी जाते हैं फिर सी0पी0एम0टी से जुड़े लोगों का विश्वविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज हैं तो बाकी लोगों का क्यों नहीं है उनका आगरा क्यों है। उम्मीद करता हूं कि आप इन चारों पैथियों को भी इससे जोड़ेंगे ताकि इन पैथियों के साथ न्याय कर सकें। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा आन्ध्र प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर की बीमारी थी। वहां के डाकुमेंन्ट्स यह बता रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि बैलाडोना नाम की होम्योपैथ में एक दवा आती है तथा दो और दवायें, इन तीन दवाओं को लगातार 4 साल देने के बाद आन्ध्र प्रदेश से मस्तिष्क ज्वर खत्म हो चुका है। मैं यह कह रहा हूं, आप उसे मंगाये ही यह मैं नहीं कह रहा लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह चीजें प्रूव्ड हैं। आप उसे मंगाये और यदि पूर्वांचल की भयावह बीमारी को होम्योपैथ से ठीक कर सकते हैं तो करें। मान्यवर, गोरखपुर में होम्योपैथिक का मेडिकल कालेज जो बन रहा है, उम्मीद करूंगा, वैसे बजट में बहुत कम प्राविधान किया है, आप उसे और बेहतर करके अगले साल जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम प्रत्येक मेडिकल कालेज के लिए ज्यादा बजट की व्यवस्था करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मेडिकल कालेज को अगले साल से शुरू करायेंगे। मुझे उम्मीद है, आप सारी चीजों को और बेहतर करेंगे। हमारे साथी माननीय विधायक जी ने कहा कि आपका सेर समझ में नहीं आया तो मैं उसी बात को आगे कह रहा हूं।

"कि सोचते जाओगे जितना, आज के हालात को।

बिजलियां गिरती रहेंगी, जिस्म जलता रहेगा।", धन्यवाद।

*इंजी0 बृजेश कठेरिया-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, एक सुझाव देना चाहता हूं। अक्सर सभी लोग देखते हैं, पोस्टमार्टम की बड़ी बुरी हालत है और गरीब लोग जिनका कोई वहां से तालुकात नहीं होता है, 36-36 घण्टे लाशें पड़ी रहती हैं और उसमें कीड़े काटने लगते हैं। मान्यवर, कम से कम ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जब पंचनामा भर जाए, उसके अधिकतम् 4 घण्टे के अन्दर पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, इससे आम जनता को बहुत फायदा होगा। सम्बन्धित सीएमओ को यह बाध्यता हो जाए कि पंचनामा भरने के बाद 4 घण्टे के अन्दर उसका पोस्टमार्टम कराकर उसके घर को बाडी भिजवा दी जाए। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अधिष्ठाता जी, आपने राजेश त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं केवल दो बिन्दुओं की ओर जो चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए विषय वस्तु के साथ उठाऊंगा। मान्यवर, एक बार आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे और आपने आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथी में चिकित्सा के अधिकार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 के अधीन जो बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा दिया गया अधिकार है, उसके सम्बन्ध में आपने चिकित्सा शिक्षा मंत्री की हैसियत से स्वयं एक आश्वासन दिया था। मान्यवर, आपने उसमें कहा था कि इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रदेश के सभी मिश्रित चिकित्सा पद्धति के स्नातकों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत पूर्व में भी किया जा चुका है तथा उक्त पंजीकरण के फलस्वरूप उक्त चिकित्सा सम्बन्धी अधिकार यथावत् हैं और इसका एक अगला प्रश्न था कि तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, गुजरात आदि के आधार पर करेंगे? तो आपने कहा था कि परीक्षण करके कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में आया था, 19-05-2001 को, आपको सादर अवगत कराना है कि इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 के अधीन पंजीयन योग्य अर्हताधारक जिनका पंजीयन पैरा-1, 2 और 3 के अन्तर्गत किया गया है, वह सभी पंजीकृत चिकित्सक अपने चिकित्सा अभ्यास में ऐलोपैथी दवा के प्रयोग हेतु अधिकृत हैं। मान्यवर, इसी सदन में श्री रामवीर उपाध्याय जी जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मिश्रित चिकित्सा स्नातकों को मिश्रित चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा का अधिकार देने वाली भारतीय चिकित्सा परिषद् के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत माननीय सदस्य के पत्र में उल्लिखित शासनादेश संख्या 27150-21-7-53, 17-03-1961 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार संशोधित शासनादेश जारी किए जाने की कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, इसी बीच में उच्च न्यायालय का आदेश आया और न्यायालय के आदेश के कारण जिलाधिकारी और सीएमओ के स्तर पर कार्यवाही की बात आ गई, उस समय तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा सचिव ने शासनादेश जारी किया था, 24 फरवरी, 2003 को और उसमें उन्होंने कहा था कि सम्प्रति आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धति के अन्तर्गत आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को यू0पी0 मेडिसन ऐक्ट की धारा 39(1) व 41 (2) के अन्तर्गत ऐलोपैथिक औषधियों के भी उपयोग हेतु अधिकृत किया गया है तथा इन्हें ऐलोपैथिक चिकित्सकों के समान अधिकार प्राप्त है। समस्त जिलाधिकारियों और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यह गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके बाद विधान परिषद् में श्री शिवनाथ यादव जी के प्रश्न के एक उत्तर में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद् में उत्तर इसी प्रकार का दिया कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति के चिकित्सकों को यू0पी0 इंडियन मेडिसिन ऐक्ट 1939 की धारा 39(1)व 41(2) के अन्तर्गत आयुर्वेदिक दवाओं के साथ-साथ एलोपैथिक दवाओं के लिए भी अधिकृत किया गया है। मान्यवर, इसके बाद 28-01-09 को इसी सदन में एक माननीय सदस्य के नियम 301 की सूचना के उत्तर में सरकार ने कहा है कि आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को उनके चिकित्सा अभ्यास में उनके एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिषद में पंजीकृत चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाओं एवं आधुनिक तकनीक के प्रयोग का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में यू0पी0 इंडियन मेडिसिन ऐक्ट 1939 की धारा 4 में संशोधन के उपरान्त आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। मान्यवर, इसके बाद एक अन्य प्रश्न के उत्तर में नियम 51 की सूचना के उत्तर में इसी सदन में सरकार ने कहा है कि प्रदेश में सभी आयुर्वेदिक स्नातकों को आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रसव कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त इंटर्नशिप के दौरान एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में 6 मास का प्रशिक्षण दिलाया जाता है। आयुर्वेदाचार्य बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में आधुनिक औषधियों का भी ज्ञान कराये जाने का प्राविधान है। इन्हें अन्तिम व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य में प्रसूति तंत्र स्त्री रोग विषय के अध्यापन में प्रसव विषय सम्पूर्ण शैक्षिक एवं प्रायोगिक ज्ञान कराया जाता है। अतययी व्यवस्था में आधुनिक औषधियों के प्रयोग का ज्ञान कराया जाता है। आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में आधुनिक ज्ञान की पुस्तिका सन्दर्भित है। वर्तमान में प्रदेश में आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सकों को ऐलोपैथिक चिकित्सकों के समान ही एलोपैथिक औषधियों के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। मान्यवर, इस सदन में जब सरकार के द्वारा समय-समय पर आश्वासन दिया गया है। अब अचानक हाईकोर्ट का एक आर्डर आ गया। जिसके कारण पूरे प्रदेश में जो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक हैं उनके सामने चिकित्सा व्यवसाय करने में संकट आ गया है। मान्यवर, जिस प्रकार पिछली बार सरकार ने 24 फरवरी, 2003 को चिकित्सा शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर दिया था और स्थिति को स्पष्ट किया था और इसी सदन में सरकार का यह आश्वासन है कि इस सम्बन्ध में 1939 के अधिनियम के अन्तर्गत जो भारतीय चिकित्सा परिषद का आदेश है उस आदेश का नवीनीकरण किया जायेगा और इस सम्बन्ध में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद है उसने भी अपने 19-05-2004 के आदेश में कहा है कि द इंस्टीट्यूशनरी क्वालीफाइड प्रेक्टिशनर आफ आयुर्वेद यूनानी आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस रेस्पेक्टिव सिस्टम विथ मार्डन साईंटिफिक मेडिसन इन्क्लूडिंग सर्जरी गायनोकालाजी आफ एनेस्थालॉजी, ई0एन0टी0 एक्सेट्रा। सरकार यह मान रही है कि यह आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति से पढ़ने वाले छात्र इनके सिलेबस में एलोपैथिक चिकित्सा है इनकी ट्रेनिंग 6 माह की एलोपैथिक चिकित्सालयों में दी जाती है और सेन्ट्रल काउंसिल आफ मेडिसन ऐक्ट यह कह रहा है कि इनको यह सुविधा प्राप्त है तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में सरकार हाईकोर्ट के आदेश के कारण उत्पन्न परिस्थिति का निराकरण करने के लिए अपने पूर्व आदेश का सरकार नवीनीकरण करे और इस वक्त प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में सामान्य जनता को, गरीब और मध्यम वर्ग की जनता को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने मे जो चिकित्सक काम कर रहे हैं उन चिकित्सकों के चिकित्सा के अधिकार पर कोई रोक न लगे इसके लिए आज इस अवसर का उपयोग करके सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि सरकार तत्काल इस भयावह स्थिति में हस्तक्षेप करे। सामान्य जनता को जो चिकित्सा सुविधा उसको नहीं मिल रही है उसको मिलती रहे। और जो इन चिकित्सकों के अधिकार पर रोक लग रही है इस

अधिकार पर रोक न लगे और जो इस सदन की मूल भावना है कि आयुर्वेद और यूनानी भारत की मूल चिकित्सा पद्धति है इस चिकित्सा पद्धति को अक्षुण बनाये रखने के लिए सरकार इस पर विचार करे। यह बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। मान्यवर, इस आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के अस्तित्व का सवाल है और इसमें मैं सरकार का संरक्षण चाहता हूँ और अन्त में, मैं मांग करना चाहता हूँ कि इस अधिनियम में एमेण्डमेण्ट इन सेक्शन 41(2) और 1939 और यह किया जाय कि द रजिस्टर्ड पैक्टिशनर्स शैल हैव द सेम प्रविलेजेज ऐस द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड अण्डर द उत्तर प्रदेश मेडिकल ऐक्ट, 1917 इन्क्लूडिंग राईट टू यूज माडर्न साइन्टिफिक मेडिसन, हैव अण्डर उत्तर प्रदेश सक्साइज ऐक्ट, 1910 एण्ड एनी अदर ऐक्ट फार द टाईम बींइन इन फोर्स। मान्यवर, पूरे देश में चिकित्सकों की कमी है और अभी मा0 मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि चिकित्सकों की कमी है। भारत सरकार की जो केन्द्रीय सरकार की जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा योजना है उसमें भी महिला आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सकों एमएस थर्ड के नाम पर नियुक्तियां हैं वहां पर जब सेण्ट्रल काउन्सिल के ऐक्ट के अधीन होते हुए चिकित्सा का अधिकार प्राप्त है तब फिर हाई कोर्ट के किसी अन्य प्रसंग में इस प्रकार का आदेश किया है तो उसकी समीक्षा कराते और उसमें परिवर्तन करते अधिनियम में और उस हाई कोर्ट के आदेश को प्रभावहीन बनाते हुए आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों का जो ऐलोपैथिक चिकित्सा का अधिकार है वह अधिकार पूर्व की भांति जो अब तक हमें प्राप्त है उसको अक्षुण बनाये रखने की मैं मांग कर रहा हूँ और आपके माध्यम से सरकार से इसको संज्ञान में लेने की मैं कृपापूर्वक मांग कर रहा हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, एक व्यक्तिगत समस्या है किसी सरकारी अधिकारी की, इसी विभाग से सम्बन्धित है, डा0 एस0पी0 सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत, ब्रेन हेमरेज होने के कारण वह 01-04-2010 से बिस्तर पर हैं 03-03-2011 को उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया मान्यवर, आज तक वह वीआरएस का आवेदन सरकार के विचाराधीन है। उसके लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह बिस्तरे पर हैं, नौकरी पर जा नहीं रहा और वीआरएस उसका स्वीकृत करके उसके जो देय बनते हैं वह देय अगर दे दें तो बच्चे भी पढ़ लेंगे और ब्रेन हेमरेज से विकलांग हुआ सरकारी अधिकारी जो बिस्तरे पर पड़ा हुआ उसके साथ मानवीय संवदेना का व्यवहार अगर हो जाय तो वह भी कम से कम अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पायेगा, उसकी पारिवारिक आवश्यकतायें भी पूरी हो जायेंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि 03-03-2011 से लम्बित वीआरएस के प्रार्थना-पत्र पर सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले सकी, यह बड़े दुःख की बात है। अन्त में पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ कि यू0पी0 इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट 1939 के अधीन आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सा का जो अधिकार प्राप्त है, कृपा करके उसको अक्षुण बनाये रखने के लिए सरकार अधिनियम में संशोधन करे और तब तक उस शासनादेश का नवीनीकरण कर दे और जिलों में यह चिकित्सा शिक्षा विभाग से एक शासनादेश चला जाय सीएमओ को और लोगों को कि जो पैरा 1, 2, 3 इन्स्टीट्यूशनली क्वालीफाई चिकित्सक हैं उनको फिर कभी परेशान न किया जाय, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि स्वास्थ्य सम्बन्धित सात विभागों की जो सम्मिलित कटौती है, उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे विश्वास है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिकित्सा है चूँकि सात विभाग हैं इसलिए आप मुझे अपनी सातों विभाग की बातें रखने का अवसर देंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन में, मा0 मुख्य मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, भारत सरकार सिर्फ एक स्थान पर आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स बनाना चाहती थी, लेकिन आज जो समाचार पत्रों में भारत सरकार के एक मंत्री का बयान छपा है एक चिट्ठी मुख्य मंत्री के माध्यम से भेजी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर किया है कि वह उस स्थान के साथ-साथ पूर्वाचंल, बुन्देलखण्ड और रूहेलखण्ड इन तीनों स्थानों पर जमीन देने के लिए तैयार है। यह एक सैद्धान्तिक स्टैण्ड है इस पार्टी का और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की मांग है और मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ कि इस मांग को मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया। मान्यवर, मा0 स्वास्थ्य मंत्री का बहुत कुछ सम्बन्ध हम लोगों के गोरखपुर से है, हम लोगों के पिता तुल्य हैं, एक पीढ़ी से बड़े हैं और इस नाते हम सब पुत्रवत हैं इनके। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जब आपने अपना कार्यभार सम्भाला था तो जिस प्रकार की बातें आप लगातार कर रहे थे उससे हम लोंगों के मन में बड़ा उत्साहवर्द्धन हुआ था, बड़ी कड़ी टिप्पणियां आपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में उस समय की थी। डाक्टर्स बहुत दिनों से गायब हैं, डाक्टर्स अस्पताल में बैठते नहीं, डाक्टर्स आपेरशन नहीं करते और डॉक्टर्स बाहर की दवाएं लिखते हैं। अगर मैं एक छोटा सा शेर कहूँ तो हृदय में यह बहुत अच्छा लगा था। किसी ने लिखा है कि-

"इस नदी की धार में ठण्डी हवा आती तो है,
नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है,
एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों,
इस दिये में तेल से भीगी हुई बाती तो है।"

बहुत अच्छा लगा था कि आपने वह सैद्धान्तिक स्टैण्ड लिया था जो किसी जमाने में, जब आप गोरखपुर के पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, तो आप उस स्टैण्ड के लिए पहचाने जाते थे। मुझे विश्वास है कि जो कुछ आपने कहा है वह सिर्फ बातों से नहीं होगा आने वाले समय में काम से होगा। अन्त में जब मैं बातें समाप्त करूँगा तो इस विषय पर एक हल्की सी चर्चा करूँगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसी जमाने में यह कहा जाता था कि जब देश का आर्थिक विकास होगा तो स्वास्थ्य की सुविधाएं अपने आप बेहतर हो जायेगीं, लेकिन आज विकास की अवधारणा बदल चुकी है। आज लोग यह मानते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य को हम बेहतर कर दें, डीजी बर्डन (बीमारियों का बोझ) यदि हम कम कर दें। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे दें तो यह बेहतर स्वास्थ्य उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, उनकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ायेगा, उनकी उत्पादकता को बढ़ायेगा और देश के विकास में वह ऐतिहासिक योगदान कर पायेंगे। स्वयं उत्तर प्रदेश में अध्ययन से जो आंकड़े निकल कर आए हैं, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे और केरल की जीवन प्रत्याशा में 15 साल का अन्तर है और अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि यदि हम सिर्फ ऐसी स्वास्थ्य सुविधा दे दें कि हमारे नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 15 साल बढ़ जाए तो हमारे प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन 7 प्रतिशत बढ़ जायेगा। 7 प्रतिशत कुछ होता है, मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसलिए इस विभाग का इतना मौलिक महत्व है इस प्रदेश के विकास में अपनी क्रान्तिकारी भूमिका का निर्वहन करने के लिए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बहुत सारी बातें मा0 मंत्री जी के द्वारा रखी गईं। हमारे मन में चूँकि आपके प्रति आशा जगी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में आप इस आशा को बनाऐ रखेंगे, इसलिए कुछ चीजें, कुछ तथ्य मैं आपके सामने मा0 मंत्री जी रखना चाहता हूँ। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना जब प्रारम्भ हुई थी,

तो हम लोगों ने कुछ लक्षित गोल्स तय किये थे और यह कसम खाईं थी कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होते-होते, हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। आप उन लक्ष्यों से परिचित होंगे। इनफेन्ट मॉरटीलिटी रेट, पैदा होकर के 1 साल के अन्दर मरने वाले बच्चों की संख्या, मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि जो उत्तर प्रदेश में एक बच्ची पैदा होती है वह केरल पैदा होने वाली एक बच्ची के मुकाबले 20 साल कम जीती है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, 20 साल का अन्तर बहुत बड़ा अन्तर होता है। हमारे 14 बच्चों में से एक बच्चे एक साल के अन्दर मर जाते हैं और हमारे 10 में से 1 बच्चा 5 साल का होते-होते मर जाता है। आज यह स्थिति है कि अन्य सारे प्रान्तों की मुकाबले हमारे प्रदेश की इनफेन्ट मॉरटीलिटी 63 है, जबकि जो देश का औसत है वह घटकर के बहुत नीचे आ चुका है। केरल का औसत 13-14 पर आकर टिका है उससे नीचे वस्तुतः अमेरिका के लोग उसे नहीं ले जा पा रहे हैं। आज जो स्थिति लक्षित गोल्स की है मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी, उसका जो बहुत बड़ा आंकड़ा जो हमारे पास आया है वह मैटरनल मॉरटीलिटी रेट का है। गर्भवती महिलाएं जो मातृत्व करती हैं और इतनी दुर्भाग्यशाली होती हैं कि इस धरती पर एक नए जन्म को देने से पहले या उस दौरान उनकी मौत हो जाती है। हम लोगों ने एक लक्ष्य लिया था कि हम इस मैटरनल मॉरटीलिटी रेट को 517 से घटा करके 100 पर ले आयेंगे, पूरे 5 साल की योजना में मैं जानता हूँ कि जब इधर पर बातें आएंगी, तो ऐसा क्यों हुआ इस पर विस्तृत चर्चा होगी। यह लक्ष्य हम लोग सिर्फ 517 से घटाकर के 440 पर ला पाएं। इसी प्रकार से तीन वर्ष कम के जो छोटे बच्चे हैं, उनमें कुपोषण की दर, जो हम लोगों ने इसके लिए लक्ष्य बनाया था कि इस दर को 51 प्रतिशत से घटाकर साढ़े 23 प्रतिशत लाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है मा0 अधिष्ठाता महोदय कि इन पाँच सालों में हम जहाँ थे, वहीं रह गए। यह दर आज भी 47, साढ़े 47 प्रतिशत बनी हुई है और दुखद तो यह है कि जो खून की कमी गर्भवती माताओं को होती है। हमने ढेर सारी योजनाएं चलायीं, जननी सुरक्षा योजना चलाई न जाने कितना एन0आर0एच0एम0 का पैसा आ गया, आई0सी0डी0एस0 की स्कीम चलाई। सच्चाई यह है कि माननीय मंत्री जी खून की कमी दर गर्भवती महिलाओं में शुरूआत जब हुयी थी तब 100 में 47 महिलाओं में खून की कमी होती थी, इन 5 सालों में वह 5 प्रतिशत बढ़कर आज 52 प्रतिशत हो गयी है। यह आकड़ें मैं आपके सामने इसलिये दे रहा हूँ क्योंकि आप माननीय मंत्री जी इस विभाग को 5 साल तक चलाने वाले हैं और यह आकड़े आपके सामने एक यक्ष प्रश्न बनकर खड़े होगें। आपकी पहचान इससे नहीं होने वाली कि आपने कितनी पी0एच0सी0 की बिल्डिगें खड़ी की, कितनी सी0एच0सी0 की बिल्डिगें खड़ी की और कहॉ एम्बूलेंस खड़ा कर दिया। होगी यह सारी व्यवस्थायें और होती रहेगी। लेकिन आपकी पहचान इससे होगी कि 5 साल बाद जब आप हटेंगे तो इन्फैन्ट मार्टिलटी कितनी घटी, मैटर्टल मर्टिलटी कितनी घटी, हमारा फैटर्लिटी रेट कितना घटा, प्रजनन की दर हमारी कितनी घटी, हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी घटी। हमारी जो महिलायें मरती थीं, वह कितना कम हो गया, कुपोषण और खून की कमी के ऊपर एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपने कितना नियंत्रण कर लिया। अधिष्ठाता महोदय, जैसे-जैसे इन्फैन्ट मार्टिलटी बढ़ती है, वैसे ही बच्चों के पैदाइश होने की तादाद बढ़ती है। हम बहुत आसानी से इस सदन में कहते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगा दो, लेकिन हम यह नहीं जान पाते कि एक मॉ-बाप के मन में, जब एक बच्चा पैदा होता है तो किस प्रकार की पीड़ा होती है, आज की इस व्यवस्था में जब उन्हें इस बात की गारन्टी नहीं होती कि हमारा बच्चा 5 साल और 10 साल से बड़ा हो पायेगा कि नहीं, हम अगर उनसे कहते हैं कि अपने परिवार को छोटा कर लो, एक या दो बच्चे से अधिक पैदा न करो तो वह जो बड़े परिवार के लोग होते हैं जो सारी स्वास्थ्य सुविधायें अपने बच्चों को मुहैया करा पाते हैं, वह तो इस बात को मानते हैं। अक्सर इस सदन में कहा जाता है दलितों

और मुस्लिमों के बारे में, मैं उस दृष्टि से इस बात को नहीं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ कि यह गरीबी जन्य समस्या है, जिसके नाते वह लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। उनके मन में हमेशा इस बात का डर होता है कि अगर हमारे बच्चे मरते रहेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने विभाग के अधिकारियों और मेडिकल आफिसरों की संख्या के बारे में बताया है। सच्चाई यह है कि अनुपात जो आप बता रहे हैं, यह पुराने अनुपात है। आदर्श यह है कि एक सबसेंटर 5 हजार की जनसंख्या पर होगा, आदर्श यह है कि एक पी0एच0सी0 मैदानी इलाकों में 30 हजार की जनसंख्या पर होगी, आदर्श यह है कि एक सी0एच0सी0 एक लाख की जनसंख्या पर होगी। आज हमारी जनसंख्या 20 करोड़ है और इस लिहाज से आप पलटकर देखियेगा तो आज हमें 2000 सी0एच0सी0 की जरूरत है। आज हमें तकरीबन कम से कम 7000 पी0एच0सी0 की जरूरत है और जब आप इन डाक्टरों के बनिज्बत तुलना करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 15 हजार नहीं **(इस समय 2 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)** आपको 25 हजार डाक्टरों की जरूरत है। सवाल यह है कि यह डाक्टर आयेगें कहॉ से? अगर आप इन डाक्टरों से यह कहेगें, मैं इन डाक्टरों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मेरी आदत भी नहीं है, उन डाक्टरों ने जिन्होंने निघासन में उस गलत पोस्टमार्टम को लिखा, वह डाक्टर नहीं वह बूचड़ होगें। वह भगवान नहीं, भगवान के वेश में शैतान होगें। वह डाक्टर जिन्होंने उस जेल में मरने वाले का पोस्टमार्टम किया, वह आदमी की श्रेणी में नहीं हो सकते, भगवान तो बहुत दूर की बात है। उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसके साथ में एक दूसरी भी चीज है। आप कभी इस बात पर गौर करिये। समाज कितनी अपेक्षा करता है इनसे, सारे खर्च के बीच में से वह निकलते है। और इस नाते हम लोगों को जो इनकी वेतन की पद्धति है, माननीय मंत्री जी मैं आपसे भी इस बात को कहूँगा कि हम लोगों को इस वेतन पद्धति पर, जो हम इन डाक्टर्स को देते हैं, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यह तय करेगें कि आपको इसी वेतन पर काम करना है तो निकलने वाला डाक्टर जब लौटकर प्रैक्टिस में जाता है, उसके साथ के निकले हुये डाक्टर लाख, दो लाख रुपया कमाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि इतनी कम तनख्याहों पर काम करो तो स्वाभाविक रूप से वह भागने लगते हैं। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि अस्पतालों में डाक्टरों की कमी अगर कम हो, मैं उनकी बदमाशी की चर्चा अभी करूँगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह डाक्टर की कमी वास्तविक रूप से कम हो तो हमें कहीं न कहीं उनकी वेतन संरचना पर विचार करना चाहिये।

दूसरी चीज माननीय मंत्री जी, हम अपना समय खराब करते हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से। हमारे अन्दर साहस होना चाहिये कुछ नया करने का और कैम्पस इन्टरव्यू इंजीनियरिंग कालेज में हो सकता है, कम से कम आप इस बात पर विचार कीजिये कि आप कैम्पस इन्टरव्यू करा करके इन डाक्टरों को वहीं लेना सीखिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है, हमने ढेर सारे निजी मेडिकल कालेज खोल दिये। आज स्थिति यह है कि सरकारी मेडिकल कालेजों से हम 1100 बच्चे निकालते हैं जबकि निजी मेडिकल कालेज 1700 बच्चे निकालते हैं। यह ठीक है कि आपकी सीमायें हैं लेकिन एन0ओ0सी0 आप देते है। यह ठीक है कि आपकी सीमायें हैं कि एम0सी0आई0 देखती होगी लेकिन वह सब डाक्टर पढ़ लिखकर काम तो इसी उत्तर प्रदेश में करेंगे। इसलिये आप यह कह करके, कि इन निजी मेडिकल कालेजों की गुणवत्ता पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से माननीय वकार सहाब भाग नहीं सकते हैं। इसलिये कहीं न कहीं हम लोगों को यह

व्यवस्था करनी चाहिए कि इस प्रदेश मे जितने भी निजी मेडिकल कालेज चल रहे हैं, वह अपनी शिक्षा शर्तों को बनाये, शिक्षकों की वेतन शर्तों को बनायें, अपने दिन प्रतिदिन का काम करें लेकिन जो डाक्टर वह बनाकर भेज रहे हैं, उन्हें उसी उत्तर प्रदेश के नागरिकों का इलाज करना है और इसलिये हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हम उनकी गुणवत्तायुक्त शिक्षा की परिस्थितियाँ पैदा करें। मैं कहता हूँ कि राज्य सरकार को अपनी सीमाओं में रहते हुए हस्तक्षेप करने का अधिकार है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर 700 इंजीनियरिंग कालेज हैं निजी क्षेत्र में। आपने दो-दो तकनीकी विश्वविद्यालय बना दिये। निजी क्षेत्रों में आपको हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था तो आपने तकनीकी विश्वविद्यालय कैसे बना दिये। इसलिये मैं कहता हूँ कि गर आप तकनीकी कालेजों को नियंत्रित करने के लिये तकनीकी विश्वविद्यालय बना सकते हैं तो आपको इन निजी मेडिकल कालेजों पर नियंत्रण करने के लिये आपको एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनानी चाहिये। चाहे वह काम आप छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से करा लें या इस काम के लिये आप कोई अलग से एक तंत्र खड़ा करें। यह जो शिक्षा 1700 बच्चों को प्रतिवर्ष मिल रही है एम0बी0बी0एस0 बना करके, इनकी गुणवत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री जी मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, बजट मैंने आपका देखा है, नौ मेडिकल कालेज प्रदेश के हैं, आपकी बात सही है, आपके क्षेत्र में गोरखपुर मेडिकल कालेज आता है, इन 9 मेडिकल कालेज को मिलाकर आपने 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की और एक लखनऊ मेडिकल कालेज के लिये आपने अकेले 730 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। मैं लखनऊ मेडिकल को दी जाने वाली सुविधा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यह एक बड़ा अस्पताल है, सुविधायें मिलनी चाहिये लेकिन कभी आप इस बात की चिन्ता करिये कि एक लखनऊ मेडिकल कालेज को 730 करोड़ रुपये और इन नौ मेडिकल कालेजों को 725 करोड़ रुपये, आप इसके माध्यम से प्रदेश की सारी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक कर पायेगें। आप डाक्टरों की कमी दूर करना चाहते हैं, डाक्टर्स को आप पढ़ाते हैं, पढ़ने के बाद वह नौकरी करने नहीं आते हैं, अपनी प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। मैं स्वयं डाक्टर हूँ, इसलिये अध्यक्ष महोदय आपके सामने कहना चाहता हूँ हमें इनकी पढ़ाई की शर्तें बदलनी चाहिये, एक डाक्टर के बनाने में अध्यक्ष महोदय इस सरकार का 70 लाख रुपया खर्च होता है जो मैंने आकड़ें निकाले हैं, 1140 डाक्टरों के ऊपर 750 करोड़ रुपये का खर्च। हम उन्हें जनता के पैसे से पढ़ाते हैं, वह हमारे पैसे से पढ़ते हैं, गरीब नागरिकों के पैसे पढ़ते हैं तो उनके साथ भी कुछ सीमायें होनी चाहिये। यह शर्त उनसे ली जानी चाहिये कि एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई के बाद एक निश्चित समय तक उन्हें सरकारी सेवा करनी पड़ेगी और यह शर्त हम कोई पहले लेने वाले नहीं है। उत्तराखंड की सरकार ने यह नियम 5 साल का बनाया था। आर्म्डफोर्सेस में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, एफ0एम0सी0 में, उनसे 20 साल का बांड भराया जाता है, वह निःशुल्क शिक्षा पाते हैं और इस बात की गारन्टी देते हैं कि 20 साल तक उनको आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करनी पड़ेगी। आप अगर इन लोगों को निःशुल्क शिक्षा देते है। तो आपको भी शर्त लगानी चाहिये कि जो बच्चे हमारे सरकारी मेडिकल कालेजों से पढ़कर निकलेगें, उन्हें एक निश्चित समय तक सरकारी सेवा करनी पड़ेगी। अन्यथा जायें इस प्रदेश में, ढेर सारे निजी मेडिकल कालेज बन चुके हैं, रोज-ब-रोज बनते चले जायेंगे, वह जाकर उन्हीं के कालेजों में अपनी पढ़ाई करें और जाकर शहर में और पूरे प्रदेश में अपनी प्रैक्टिस करें। अपनी परीक्षा प्रणाली, अपनी शिक्षा प्रणाली में कम से कम, जिसका सम्बन्ध सीधे-सीधे डाक्टरों की कमी से है, आप रोज रोना रोते रहेगें लेकिन डाक्टरों को लायेगें कहॉ से, जब डाक्टरों को सरकारी सेवा में ले जा नहीं पायेगें। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूँगा कि चिकित्सा शिक्षा का दायित्व माननीय

मुख्य मंत्री के पास है, आपको इस पर विचार करना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी से आपको इस पर राय करनी चाहिये, इसलिये आप इस शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करें, अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी, आपने इंसेफ्लाइटिस की चर्चा की है, मैं आभारी हूँ आपका, कि सरकार ने इस सदन में घोषणा की थी कि हम शोध केन्द्र बनायेगें और इस सदन के चलते हुये 80 करोड़ रुपया गोरखपुर मेडिकल कालेज के शोध केन्द्र के लिये दिया गया, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। आज सच्चाई क्या है, अध्यक्ष महोदय, आप भली-भांति परिचित हैं। आपकी स्वयं की यह पीड़ा होगी, ढ़ेर सारे लोग आपके पास आते होंगे। कहां इलाज कराते हैं वह, कौन सी पी0एच0सी0, कौन सी सी0एच0सी0, कौन से जिला अस्पताल में उनका इलाज होता है? एक भी मरीज का किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज नहीं होता। जिला अस्पतालों में 10-10 बेड के इंसेफ्लाइटिस वार्ड बनाये गये हैं। आपके भी जिले में बनाये गये होंगे लेकिन आप वहां कभी घूम करके देखियेगा, इंसेफ्लाइटिस के मरीज उसमें नहीं होते। किसी को बुखार आ जाए, थोड़ी सी उल्टी होने लगे इंसेफ्लाइटिस की डायगनोसिस लिख करके उसे भर्ती कर दिया जाता है और बताया जाता है कि हमने इंसेफ्लाइटिस के मरीजों का इलाज कर दिया। यह इलाज नहीं है। हमें इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि गॉव जहॉ इंसेफ्लाइटिस पैदा हो रहे हैं, इन्हें वहॉ से उठा करके वस्तुतः पी0एच0सी0 में ले जाया जाये जब पी0एच0सी0 इलाज न कर पाये तो तब सी0एच0सी0 या जिला अस्पताल में ले जाया जाये। एक ऐसी नेटवर्किंग की जाए। पिछले पांच साल में जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे पूरा एक खर्रा बनाकर के, मीटिंग करा करके मैंने उन्हें दिया। आप मंत्री हैं, आप काम करिये, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी चर्चा होगी। इस व्यवस्था को लागू करिये। लेकिन बड़ा दुःखद रहा जो लागू करने का काम था उनका, उन्होंने लागू किया लेकिन जो जनता का काम था उन्होंने एक बार भी घूम करके ताकने की कोशिश नहीं की।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक जो सबसे बड़ी समस्या और एक कॉमन समस्या सभी विधायकों की होगी सॉप काटने की और कुत्ता काटने की सुई। कहॉ से बोलता हुआ, कहॉ आ गया हूँ लेकिन यह जनता की समस्या है। इसका एक दूसरा पक्ष भी जान लीजियेगा। जिला अस्पतालों में बैठै हुए डाक्टर कुत्ते के काटने की सुई का मार्केट पैदा करते हैं। इस तथ्य को अच्छी तरह मा0 मंत्री जी जानियेगा कि हर कुत्ते के काटने पर सुई नहीं लगायी जाती। लेकिन यह दवा कम्पनियां और डाक्टर्स की मार्केटिंग। जो भी व्यक्ति आता है जिसको कुत्ता काटता है उसको डरा देते हैं कि सुई लगानी पड़ेगी लेकिन सच्चाई यह है मा0 मंत्री जी कि सिर्फ उसी कुत्ते के काटने पर सुई लगानी चाहिए जो कुत्ता पागल हो। अगर वह कुत्ता पागल नहीं है तो कुत्ते के काटने से कोई बीमारी नहीं होती। पागल कुत्ते के काटने से आदमी पागल होता है। यह तथ्य आपका अस्पताल बताता ही नहीं है। एक डाक्टर के रूप में मैं कह रहा हूँ और इस बात को आपको सुनिश्चित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, अभी बहुत से लोगों को बोलना है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, अन्तिम विषय है। एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण इस सदन में आया भ्रूण हत्या को ले करके। मैंने इस बात को सदन में कहा था कि इस पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि यह भारत सरकार का कानून है। यह स्वास्थ्य का विषय है, उत्तर प्रदेश का विषय है और आपको इस बात का अधिकार है संवैधानिक रूप से कि भारत सरकार के इस कानून में उत्तर प्रदेश के स्तर पर आप आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। पहल करिये, साहस दिखाइये। यह भ्रूण हत्या नहीं है यह जघन्य हत्या है और वे लोग जो इस काम में लिप्त होते हैं उनके विरूद्ध हत्या के मुकदमें दर्ज कीजिए। धन्यवाद।

(कई मा0 सदस्यों द्वारा बोलने के लिए हाथ उठाने पर)

श्री अध्यक्ष-

ये डाक्टर लोग हैं, पहले बोल लें तब आपका नम्बर आयेगा, यही लोग समय लेते हैं। मा0 शिवा कान्त ओझा जी। अधिकांश तो स्वास्थ्य के मिनिस्टर ही बोल रहे हैं, इन डाक्टर को छोड़कर और जितने भी बोले हैं सब मिनिस्टर ही बोले हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, कल हम लोगों ने देखा है जिस तरह से कारागार विभाग पर लोग बोले, आज आप उसकी पुनरावृत्ति करिये। कम से कम डाक्टरों को तो बोलने दीजिए।

*प्रो0 शिवा कान्त ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हम दोनों लोगों को बधाई देना चाहते हैं। डाक्टरी पेशा एक संवेदनाओं और मानवीय भावनाओं को छूने का भी पेशा है। हमारे दोनों मंत्री जी ने हमारे अपने नेता के मन और विचार को संजो करके लोगों के मनों को भी छूने का प्रयास इस बजट के भीतर किया है। सबसे अच्छी बात जो इस बजट के भीतर उल्लेख किया है निःशुल्क एक रुपये में पर्चा बनवा करके दवा देने का काम है। मेरा भी बड़ा अनुभव रहा है इस विभाग को चलाने का। दवायें तो निःशुल्क देने की घोषणा हो जाती है लेकिन दवाओं क्वालिटी क्या होती है, यह सवाल खड़ा होता है? माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितनी ब्रांडेड हैं उन्हीं दवाओं को हम देंगे, उन्हीं कम्पनियों की दवायें हम देंगे। लेकिन अभी अनुभव यह आ रहा है कि जिला अस्पतालों में शायद कुछ मिल जा रही है लेकिन पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 के भीतर वही सफेद, पीली, नीली वाली गोली दे करके हटा दिया जाता है। मान्यवर, मेरे सामने एक घटना घटी। एक ऐक्सीडेन्ट हुआ था वह व्यक्ति गम्भीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुँचा। मैं बाद में पहुँचा तो मैंने देखा कि डाक्टर ने पूरा ट्रीटमेन्ट कर दिया था वहां सब डाक्टर उपस्थित थे। मा0 मंत्री जी आपकी कड़ाई का कहीं न कहीं अच्छा पालन हो रहा है।

मान्यवर, जो हमारे प्रदेश में मेडिकल कालेज हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। उनमें तब तक गुणात्मक सुधार नहीं हो सकता है जब तक वहॉ पर सभी प्रोफेसर, रीडर और लैक्चरर नियुक्त न हो जायें। मान्यवर, आप उनके पदों की अधियाचना लोक सेवा आयोग भेजते हैं लेकिन वहॉ कार्यरत डाक्टर लोग डी0पी0सी0 कराने के नाम पर कोर्ट में चले जाते हैं और उससे पूरी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो जाती है। मान्यवर, हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदना से युक्त सरकार है जनमानस का कल्याण करना चाहती है हम चाहते हैं कि मेडिकल कालेज में रिक्त पदों को भरने के लिए इसको फिलहाल आयोग के चंगुल से बाहर कर दें और चाहें तो एडहाक या अन्य तरीके से जो रिक्तियां हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको भर लेने का काम करें। मान्यवर आज प्रोफेसर रीडर के लगभग 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं जिससे वहॉ की पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

मान्यवर, इसी तरह से ऐलोपैथिक अस्पतालों में और मेडिकल कालेजों में पैरा मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है। सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 पर पैरा मेडिकल स्टाफ पूरा नहीं है। मान्यवर, वहॉ पर सारे उपकरण हैं लेकिन उनके उपयोग करने वाला पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं हैं जिससे वह मशीने जंग खा रही है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों का भरने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 हैं वह रेफरिंग सेन्टर बनते जा रहे हैं। वह जिला अस्पताल को रेफर कर देते हैं। मान्यवर, पिछले 3 माहों में तो जिला अस्पतालों के हालत कुछ ठीक हुई है अन्यथा जिला अस्पताल भी रेफरिंग सेन्टर बनते जा रहे थे वह रेफर कर देते थे मेडिकल कालेज को और मेडिकल कालेज रेफर कर देते हैं पी0 जी0 आई0 को।

मान्यवर, अगर कोई विशिष्ट या गम्भीर बीमारी है तो पी0जी0आई0 को रेफर करना उपयुक्त प्रतीत होता है अन्यथा मरीज चाहे सी0एच0सी0 पर जाये या पी0एच0सी0 पर जाये या जिला अस्पताल में जाये उसको ट्रीटमेन्ट मिल जाये। यह रेफरिंग सेन्टर के लिये तो स्थापित नहीं हुये हैं लोगों के इलाज की सुगमता के लिये यह सब व्यवस्था की गयी है। और इन्हें उपचार करना चाहिये। मान्यवर, रेफर तो छोटे-छोटे नर्सिंग होम करते हैं। सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, जिला अस्पताल फिर मेडिकल कालेज जो इस तरह से रेफर करने का काम कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। वहां पर पूरी व्यवस्थायें मौजूद हैं। अगर वह रेफर करते हैं तो यह डाक्टरों की अक्षमता है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक विभाग हैं इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। मान्यवर, हमारे पास बहुत से आंकड़े हैं और रिपोर्ट है जिससे इनकी उपयोगिता सिद्ध होती है। लेकिन दूसरी ओर जो आयुर्वेद होम्योपैथ और यूनानी के मेडिकल कालेज हैं वहां पर डाक्टरों और स्टाफ की तथा अन्य सुविधाओं की इतनी कमी मौजूद है कि पिछली बार तो जो राष्ट्रीय परिषद् है उसने कह दिया कि इनकी मान्यता खतरे में है। मान्यवर, केन्द्र सरकार आयुष के नाम पर इसके विकास के लिये पूरा धन देने को तैयार हैं लेकिन हम लोग उनसे पैसा नहीं ले पा रहे हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं भी पिछली सरकार में मंत्री रहा हूं और मैंने बहुत दौरा किया है और बहुत प्रयास किया कि इनका सुधार हो जो जे0ई0 की बीमारी है पूर्वांचल में उसका इलाज भी आयुर्वेद में है। तो हमें भारत सरकार से पूरा पैसा लेने का प्रयास करना चाहिये और इनकी हालत को सुधारना चाहिये। चिकित्सा की इन पैथियों को भी हमें मजबूत करना पड़ेगा। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि हर चीज का इलाज केवल एलोपैथ में है। आयुर्वेद में भी ट्रीटमेन्ट उपलब्ध है। मान्यवर, मैंने एक बार देखा कि पीलिया का इलाज पी0जी0आई0 में हो रहा था। पी0जी0आई0 के भीतर, आपके रिकार्ड्स में होगा, देख लीजियेगा, पीलिया का ट्रीटमेन्ट हो रहा था सक्सेज रेट था ओनली 10 परसेन्ट और आयुर्वेद कालेज में हमने सेल खुलवा दिये थे यहां ट्रीटमेन्ट हो रहा था और सक्सेज रेट 70 परसेन्ट हुआ करता था तो हम पीलिया के ट्रीटमेन्ट के लिये केवल एलोपैथ पर क्यों रिप्रसेन्ट करते हैं। हम आयुर्वेद को क्यों नहीं रिप्रासेन्ट करते। इन्सेफ्लाइटिस के अन्दर हमने रिसर्च का काम शुरू कराया था उस जमाने मे होम्योपैथिक डाक्टर्स की एक टीम बनाई थी उसने कहा था कि हम गारन्टी के साथ इसका ट्रीटमेन्ट करेंगे। होम्योपैथी में इन्सेफ्लाइटिस का ट्रीटमेन्ट है। 80-80 करोड़ रुपया सिर्फ रिसर्च के लिये

हम एक पैथी के लिये दे रहे हैं और जो पैथी गारन्टी के साथ यह कहने को तैयार है कि कम से कम पैसे में हम इसका ट्रीटमेन्ट कर सकते हैं उस पैथी को देने पर हम विचार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि छोटी पैथी है। मान्यवर, सारी पैथी आयुर्वेद हमारी पैथी, यूनानी हमारी पैथी, होम्योपैथिक दुनिया के भीतर सस्ती से सस्ती दवायें उपलब्ध कराती हैं, गरीबों का ट्रीटमेन्ट अगर सचमुच कोई पैथी कर सकती है बिना किसी उसके तो वह होम्योपैथ और आयुर्वेद कर सकता है। इसलिये सिर्फ एलोपैथ जो यूरोप से हमारे बीच में खरीदने और बेचने के लिये आ गया था उस पर आश्रित न रहा जाय। मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी पद्धति जो हमारी अपनी है उसको भी बढ़ाने का पूरा प्रयास कीजिये और उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेन्ट देकर हम गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि आपने गरीबों के लिये यह सारा काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई डाक्टर हैं जो बोलना चाहते हैं। आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है जिनका नहीं है उनको भी बोलने का मौका दीजिये उन्होंने सारी बातें कह दी हैं।

माननीय सदस्य 2-2 मिनट का समय है, साढ़े तीन बजे यह पास हो जायेगा, ढाई घन्टे का समय निर्धारित है, आगे नहीं चलेगा। जो लोग नहीं बोल पायेंगे, चूंकि बड़ा बजट है तो वह संक्षेप में ज्यादा नहीं 100 शब्दों में लिख देंगे हम प्रोसीडिंग में जुड़वा देंगे वह उनका बोलने के समान मान लिया जायेगा।

*श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि झांसी मेडिकल कालेज की जो समस्या है झांसी मेडिकल कालेज के बाहर यूं प्राइवेट नर्सिंग होम बनाये गये हैं मुझे नहीं मालूम कि मानक क्या है लेकिन जितने भी सरकारी डाक्टर हैं वह उन प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीजों को भर्ती करते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो गरीब लोग जाते हैं उनको वह पर्चा बनवाकर देखने का काम करते हैं लेकिन अगर उनका आपरेशन होता है तो वह मेडिकल कालेज में न भर्ती कराकर प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराने का काम करते हैं। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि सरकार सख्ती कर रही है सरकारी डाक्टरों पर प्राइवेट प्रेक्टिस पर तो उन्होंने एक नई पद्धति अपनाई कि वह किसी प्राइवेट डाक्टर को बैठा लेते हैं वह लिखता है जिससे उनकी राइटिंग पकड़ में न आ जाय तो दवाई बताने का काम वह डाक्टर करते हैं लेकिन लिखने का वह काम कम्पाउण्डर या प्राइवेट डाक्टर करता है। आपरेशन जब करते हैं तो बाहर के सारे गेट बन्द कर दिये जाते हैं कि कोई छापा न दे दे अन्दर की कुन्डी लगा दी जाती है कि कोई अधिकारी न आ जाये चेक न कर ले। मेरा आपसे अनुरोध है कि डाक्टर जो इस तरह का काम कर रहे हैं इस पर रोक लगायी जाय और जैसा हमारे साथी ने बताया कि जो पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 बने हुये हैं इनमें न तो महिला डाक्टर है और न कोई डाक्टर है। इसमें गांव से चलकर जो दिखाने के लिये आती हैं या जो गर्भवती महिलायें हैं वह पी0एस0सी0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर पहुंचती हैं तो वहां कह दिया जाता है कि यहां महिला डाक्टर नहीं है और उन्हें जिला चिकित्सालय या मेडिकल कालेज के लिये रिफर कर दिया जाता है। 75 या 100 किमी0 की दूरी वह जब तक तय करती हैं और जिला चिकित्सालय या मेडिकल कालेज पहुंचती हैं जब तक पता चलता है कि जच्चा-बच्चा की मृत्यु हो गयी है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से कि उन सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर महिला डाक्टरों की नियुक्ति कराई जाय जो हमारे मानक के अनुसार नहीं हैं तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेडिकल कालेज के बाहर झांसी में मेडिकल कालेज के बाहर नर्सिंग होमों की बहार सी आ गई है। कम से कम 100-150 नर्सिंग होम मेडिकल कालेज के बाहर हैं इतने नर्सिंग होम हैं कि कहीं पर भी आप पत्थर उछाल कर फेंकें वह नर्सिंग होम पर गिरेगा। मेडिकल कालेज से 50 मीटर की दूरी पर नर्सिंग होम बना रखे हैं तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन नर्सिंग होम पर अंकुश लगायें और सरकारी डाक्टर जो प्राइवेट नर्सिंग होम में गरीब जनता का आपरेशन कर रहे हैं और उनसे 25-30 हजार रुपये वसूल कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाय। जिससे गरीब जनता को सही और मुफ्त इलाज मिल सके। और सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम हो सके। ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं।

जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (डा0 शिव प्रताप यादव)-

अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जो बजट माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें महान चिन्तक समाजवादी चिन्तक डा0 राम मनोहर लोहिया जी के जो शब्द हैं उसकी झलक मिलती है। जिसको हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक स्लोगन के रूप में जीवन में उतारने का काम किया कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी दवा पढ़ाई मुफ्त होगी। यह फिलास्फी यह विचार इस बजट में साफ झलकते हैं सुदूर अंचल से लेकर राजधानी तक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिये बजट में प्रावधान किया गया है उससे हमारे नेता का विचार है दवा पढ़ाई मुफ्त होगी वह आवश्य होगा। मान्यवर, एक कहावत है हेल्थ इज वेल्थ। तन्दुरुस्ती लाख नियामत तो अगर हमारी तन्दुरुस्ती नहीं ठीक होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह साफ तौर पर कि हम अगर तन्दुरुस्त नहीं होंगे तो हमारा प्रदेश भी तन्दुरुस्त नहीं होगा। इस नजरिये से देखा जाये तो बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत हुआ है। मान्यवर, ज्यादा न कहकर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि डाक्टर को पांच साल का समय लगता है एम0बी0बी0एस0 बनने में और चार साल पी0जी0 कोर्स में लगता है। 9 साल उसका लग जाता है केवल अध्ययन में। इसलिये जो ऐज आफ रिटायरमेन्ट है जब डाक्टर पूर्णतया परिपक्व होता है तो उस समय उसकी रिटायरेमेन्ट एज आ जाती है। मेरा सुझाव है कि डाक्टरों का रिटायरमेन्ट 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दिया जाय। डाक्टर्स की कमी भी है ऐसा नहीं है कि कर दिया जायेगा तो अनइम्प्लाईमेन्ट बढ़ जायेगा। मैं वह डाक्टर नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप यूनिवर्सिटी वाले डाक्टर हैं। मैं जानता हूं। आप मंत्री भी हैं।

डा0 शिवप्रताप यादव-

मैं डाक्टर वाला कह रहा हूं। कालेज वाला नहीं। एक बात मैं और कहना चाहते हैं मैं बलरामपुर जनपद से आता हूं जिस बलरामपुर जनपद की निशानी बलरामपुर हास्पिटल है। बलरामपुर स्टेट के राजा ने लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है वहां बलरामपुर हास्पिटल दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं जो युवा मुख्य

मंत्री हैं उनका नाम भी बलरामपुर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्रान्ति रथ से जब वह बलरामपुर गये थे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो जिन्दगी में पहला मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ वह बलरामपुर में दर्ज हुआ। बलरामपुर में पचपेड़वा के भाषण मे उन्होंने कहा था। बलरामपुर क्षेत्र देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेई का क्षेत्र रहा है। वह दो बार एम0पी0 रह चुके हैं। मा0 नानाजी देशमुख भी वहां एक बार एम0पी0 रह चुके हैं। सुभद्रा जोशी भी वहां से एम0पी0 रह चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं और यह गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अगर बलरामपुर के राजा ने लखनऊ में बलरामपुर हास्पिटल जैसा शानदार हास्पिटल दिया तो मैं गुजारिश करता हूं कि बलरामपुर में जो एम्स की बात चल रही है। बलरामपुर बहुत ही तराई क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर पानी में आर्सेनिक है, जहां पर पेट की बीमारियां हैं जहां तक लकवा मारता है और बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बलरामपुर में एम्स या मेडिकल कालेज की स्थापना की जाये। चूंकि हम लोगों का हक इसलिए भी बनता है क्योंकि हम लोगों ने वहां के चारों विधान सभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी हैं। इसके अलावा 30, 32 साल से मैं मा0 नेता मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में, आप भी जानते हैं क्योंकि हमने आपके नेतृत्व में भी लड़ाई लड़ी है। मान्यवर, आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है और 30, 32 साल चूंकि हम लोगों ने डा0 राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धान्तों पर संघर्ष किया है इसलिए मजबूती से यह कहना चाहूंगा कि बलरामपुर में एक हास्पिटल, मेडिकल कालेज या एम्स की स्थापना के लिए हमारी मांग मान ली जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय समाजवाद।

श्री अध्यक्ष-

अरे ये मंच नहीं है, ये पब्लिक मंच पर कहा जाता है, आप इतने सीनियर आदमी हैं।

कुंवर कौशल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, 15-01-1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डा0 कुंवर घनश्याम सिंह का शिलान्यास जनवरी, 1995 में किया था और 30 शैय्या के अस्पताल का शिलान्यास किया और सभा में उन्होंने घोषणा की कि इसको हम 60 शैय्या का अस्पताल बनायेंगे लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण वह लटका। जिला योजना का सम्पूर्ण धन का बिल पेश होने का उसको किसी तरह से बनवाया गया। लेकिन फिर 22-04-05 को उस अस्पताल के लिए तत्कालीन सांसद कुंवर अखिलेश सिंह जी ने नेता जी से सिफारिश की और उन्होंने उस पर 45 लाख रुपया उस पर अवमुक्त कराया और उसके बाद भी वह कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है और हमारी माता बाल सुदंरी देवी जी ने और कुंवर अखिलेश सिंह जी ने जिस जमीन की कीमत आज 3 करोड़ रुपये होगी, दान दिया था और केवल इस भाव में दिया था कि गरीब जनता जब रात को गोरखपुर के लिए आती थी तो हम ले नहीं जा पाते थे तो हमने कहा कि जमीन ही दान दे दो, अस्पताल बनाया जायेगा, गरीबों का भला हो जायेगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई दे रहा हूं कि गरीब का बेटा अस्पताल के किनारे जब सड़क पर मरता है तो आपने एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी तो इसके लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज सामुदायिक केन्द्रों पर और पी0एच0सी0 पर ही दवा कराने जाते हैं लेकिन अवसरवादियों के कारण 13 साल वह अस्पताल उसी तरह से पड़ा रहा और 17वां साल है मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस पर इतना पैसा खर्च किया गया और वहां एक डाक्टर आया जो 150 से 200 मरीज रोज देखता था लेकिन अवसरवादियों ने उसको हटा दिया, आज वह अस्पताल सूना पड़ा है, उसकी जांच करा ली जाये और मेरी आपसे सिफारिश है कि उस अस्पताल को ढंग से चलवाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री पूर्णमासी देहाती-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा पेश बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत शानदार बजट पेश किया है और हर क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश किया है, उन्होंने जो एम्बुलेंस की व्यवस्था हर जगह करने की बात कही है, बहुत ही सराहनीय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पड़रौना कुशीनगर, जिला मुख्यालय है लेकिन वहां पोस्टमार्टम हाउस नहीं है और जिसको पोस्टमार्टम कराना होता है उसको कस्या जाना पड़ता है। एक मेरा उसमें सुझाव है मान्यवर, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन लोगों का पोस्टमार्टम करने के लिए डाक्टर हमेशा 2 या 3 बजे के बाद जाते हैं और घर के लोग उनके परेशान होते हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि 10 बजे के बाद ही पोस्टमार्टम की व्यवस्था कर दी जाय। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जहां पर चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। हमारे क्षेत्र के सारे लोग चिकित्सा सुविधा के लिए झोला छाप डाक्टर पर आधारित रहते हैं। 6 पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 अस्पताल हैं लेकिन कहीं पर भी एक महिला डाक्टर नहीं हैं। कहीं पर भी मानक के अनुसार स्टाफ नहीं है। आयुर्वेद के दो अस्पताल हैं। आज आयुर्वेद और एलोपैथ का बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद का ही सही, हमारे क्षेत्र में क्योंकि हम लोग उस परम्परा के हैं। हमारे अथर्वेद से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। आयुर्वेद संहिता उसी से बनी और सुश्रैत जी को जिन्होंने आयुर्वेद की संरचना की थी आज भी कहा जाता है 'फादर आफ सर्जन' वह सर्जरी के फादर थे और जो इन्स्ट्रूमेंट उन्होंने उस समय डेवलेप किये थे उसके अलावा आज तक सर्जरी के लिए कोई इन्स्ट्रूमेंट नया नहीं बन पाया है। ऐसे विद्वान ने आयुर्वेद की स्थापना की थी। चरक को मास्टर आफ फिजियोलॉजी माना जाता है। ऐसे लोगों की संरचना से, ऐसे लोगों की संहिता से आयुर्वेद की स्थापना हुई है। आयुर्वेद के जो छात्र पढ़कर आते हैं वह साढ़े चार साल को कोर्स और एक साल की इन्टर्नशिप करके आते हैं। मेरा यह निवेदन है कि हमारे जैसे जो विधान सभा क्षेत्र हैं जहां पर झोला छाप डाक्टरों के सहारे हम लोगों को जो बहुत समस्या उठानी पड़ती है, बीमार लोग वहां पर मृत्यु के गाल में समा जाते हैं ऐसी जगहों पर आयुर्वेद अस्पताल को परिपक्व किया जाय। वहां पर पूरी तरह से स्टाफ आये और हम लोगों को जो चिकित्सा सुविधा मिल सकती है उनको देने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे अस्पताल हैं आयुर्वेद के, वहां पर 4-4 बेड के हास्पिटल हैं, उनको मान लीजिए आप सी0एच0सी0 में पी0एच0सी0 में स्टाफ नहीं दे पा रहे हैं। आयुर्वेदिक हास्पिटलों में मैंने अभी बजट में पढ़ा 3 अरब 66 करोड़ रुपये का बजट है, काफी अच्छा बजट है इससे सारी सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों मे की जा सकती हैं और आयुर्वेदिक डाक्टर कम से कम शरीर की जानकारी तो रखते हैं। साढ़े पांच साल पढ़ाई की होती है उन्होंने। हम लोगों को झोला छाप डाक्टरों के सहारे छोड़ दिया जाय तो उससे अच्छा है कि आयुर्वेद डाक्टरों के सहारे ही हम लोग अपने क्षेत्र की व्यवस्था बना सकें यह मेरा आपसे और माननीय चिकित्सा मंत्री जी अनुरोध है कि हमारे यहां यह व्यवस्था करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, प्रबोधन के कार्यक्रम में आपने और हमारे वरिष्ठ साथियों ने हमारे गार्जियन बनकर मुझे बहुत अच्छी सीख दी थी। सीखा था हमने। मान्यवर, आपने सब कुछ तो बता दिया था लेकिन बताते-बताते एक चीज बोलने के लिए कही थी कि बोलने के लिए समय छीनना पड़ता है। मान्यवर, आपने छीनने के गुण हमको नहीं बताये, इसका हम लोगों को कष्ट है और जिसके कारण हम पिछड़ जाते हैं और बोल नहीं पाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बोलो-बोलो, आपको पूरी आजादी है।

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

सर, मैं बोलना चाहता हूं हमारे यहां मैनपुरी जनपद में, जब पिछली सरकार थी उस समय 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित हो रहे थे। सरकार चली गई। उसके बाद से अधूरे पड़े हैं रि-स्टीमेट हुआ, रिमाइन्ड स्टीमेट के बाद भी वह नहीं बने और यही नहीं यह पत्र लिखा है सी0एम0ओ0 की तरफ से चार बार जो कार्यदायी संस्था है निर्माण निगम इसको और 20 बार, कुल 24 बार पत्र लिखे गये। इसके बाद भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। जस के तस पड़े हुए हैं साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि एशिया में अगर सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज कहीं हैं तो वह मैनपुरी जनपद के हैं। वहां कैंसर यूनिट बनी खड़ी है, लाखों करोड़ों की मशीनें उसमें लगी पड़ी हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, डाक्टरों के अभाव में, कैंसर यूनिट बनने के बाद भी शुरू नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि वह कैंसर यूनिट शुरू की जाये। मान्यवर, अभी हमारे नेता विपक्ष कह रहे थे कि सभी के साथ समान व्यवहार हो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बदली थी सरकार बदलने के बाद मुंसिफी और डाक्टरी एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जहां पर पक्षपात पूर्ण नीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस समय सरकार बदली थी क्योंकि मेरा क्षेत्र सैफई मेडिकल कालेज की बाउण्ड्री तक है। सैफई से अच्छे-अच्छे डाक्टरों के ट्रांसफर इसलिए कर दिये गये थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बदल गई है। मैं पूछना चाहता हूं उस अस्पताल में जहां लाखों लोग, लाखों गरीब लोग ठीक हुआ करते हैं उनका इलाज हुआ करता है तो क्या किसी पार्टी का सर्टिफिकेट देकर इलाज हुआ करता है। यदि नहीं, तो फिर सरकार बदलने के बाद, वहां से अच्छे-अच्छे डाक्टरों का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया। आप समानता की बात करते हैं, यही नहीं मान्यवर, हमारे यहां मैनपुरी में डाक्टरों का अभाव है, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी को पूरा किया जाय। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ढाई घंटे चर्चा के हो गये हैं। आज एक निवेदन मैं कर दूं आप जो बोलना चाहते हैं एक सौ, डेढ़ सौ शब्दों में लिखकर हमें दे दीजिए। हम उसको अपनी कार्यवाही में जुड़वा देंगे वह बोला हुआ माना जायेगा। दूसरा वह हम अपने माननीय मंत्री जी को भी भेज देंगे वह उस पर विचार कर लेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

आपके नेता इतनी देर तक बात रखे। आप लिखकर दे दो। जुड़वा देते हैं।†

(खन्ना जी के खड़े होने पर)

खन्ना जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। अभी समाज कल्याण है, बाल पुष्टाहार है, इसके बाद एक घंटे की चर्चा है। इसके बाद और विषय हैं। रात का बारह बज जायेगा, कल तो दस ही बजा था। खन्ना जी, आप समाज कल्याण पर बोलियेगा आप पेंशन का मामला बहुत उठाते हैं।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने विशेष रूप से आपसे अनुरोध किया था यह समस्या पूरे प्रदेश की है मान्यवर, और सारे विधायकों की है मान्यवर, जब कोई विधायक एस0जी0पी0जी0आई0 में किसी मरीज को ले जाता है तो तीन-तीन दिन इमरजैंन्सी में मरीज को रखते हैं उसके बाद उसको हरी झंडी दिखा देते हैं कि हमारे पास बेड नहीं है। जिस समय पी0जी0आई0 बना था उस समय यह 1700 बेड का पी0जी0आई0 बना था।

श्री अध्यक्ष-

इसको आप प्रश्नकाल में भी कह चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लेकिन समाधान नहीं हुआ मान्यवर, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। मान्यवर, पूरी बात आ जाये। 1700 बेड का अस्पताल यह बना था, उसके स्थान पर 1000 बेड फंग्शनल है, 700 बेड वहां के जो डायरेक्टर थे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी, उन्हें बुलाया गया है, सब बात कर ली जायेगी। अब आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी और प्रमुख सचिव दोनों संवेदनशील हैं, यह लोग प्रयास कर लेंगे तो बेड की संख्या बढ़ जायेगी, इससे पूरे प्रदेश का फायदा होगा, मेरा अकेले इससे फायदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब बैठिये। संजय कपूर जी, आप लिखकर दे दीजिये।

*श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं मान्यवर, मैं रामपुर जनपद की तहसील बिलासपुर में सीएचसी और जो पीएचसी है, वहां पर स्टाफ की बहुत कमी है। उसमें न डाक्टर्स हैं, न नर्स हैं, न एम्बुलेंस है, न महिला डाक्टर है। इन सारी कमियों की वजह से मरीजों की मौतें हो जाती हैं, महिला डाक्टर न होने की वजह से बहुत दिक्कत है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां सीएचसी और पीएचसी पर यह सारी व्यवस्था कराने की कृपा करें।

---

†(देखिये मा0 सदस्यों के लिखित भाषण नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 204-217 पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्निवीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गई। वहां तो छापे भी पड़े हैं, डाक्टर भी जेल गये हैं।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, एक और अस्पताल है, वहां भी डाक्टर तथा अन्य कोई सुविधा नहीं है। उस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देने का कष्ट करें, धन्यवाद।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब नहीं। देखिये, सभी डाक्टरों ने उसकी कमियों के बारे में, उसके इन्स्टूमेंट के बारे में बोले हैं, अब बचा क्या है ? अपनी समस्या लिख कर दे दीजिये, हम जुड़वा देंगे।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट जो यहां पर माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, मैं उसके कटौती प्रस्ताव पर बोल चुका हूं। माननीय सदस्यगणों ने और विशेष रूप से मैं साधुवाद दूंगा, सत्तापक्ष के माननीय सदस्य और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे डा0 शिवाकान्त ओझा जी को कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सदन को दिये हैं और सदन के चलने की मंशा यही है कि महत्वपूर्ण सुझावों का आदान-प्रदान हो और बेहतर चीजें आयें ताकि जनहित मे काम हो सकें। मान्यवर, अपनी उन सारी बातों पर बल देता हूं क्योंकि बहुत सारे सदस्यों ने इनका समर्थन किया है और एक बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 25 करोड़ रुपये जो गम्भीर बीमारियों के लिए दिये जाने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, अच्छी मंशा है, मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा, मगर 25 करोड़ रुपये की जो बात की गई है, मान्यवर, बीपीएल कार्डधारकों की बात हो जाती है, हाई प्रोफाइल लोगों की बात हो जाती है लेकिन जो मीडियम क्लास के लोग हैं जो बेहतर पहनते हैं, बेहतर ढंग से रहने की कोशिश करते हैं लेकिन माली हालत उनकी बहुत बेकार होती है, उन जैसे लोगों के लिए जो आपने बात कही कि हम गम्भीर रोगों के लिए जो पाश्चात्य संस्कृति से जीते हुये गम्भीर रोगों को पाल रहे हैं, उन गम्भीर रोगो के इलाज की आप मुफ्त व्यवस्था करेंगे, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे वह कैंसर हो। आपने कैंसर के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, इसके लिए साधुवाद, मगर यह जो 25 करोड़ रुपये की धनराशि है यह वाकई कम है, जब आपके पास अप्लीकेसन्स आयेंगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से जो धनराशि जानी है, अभी तक उन धनराशियों को स्वीकृत नहीं कराया गया है। जो पत्र गया है, उसकी स्वीकृति आप करा दें और इस धनराशि को बढ़वा दें। मान्यवर, कामधेनु योजना जो मेडिकल कालेज में चल रही है, उस कामधेनु योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया है, उनके बीपीएल कार्डों को इग्नोर किया जा रहा है, इसका सख्ती से आप पालन करा दें। इसके साथ ही मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी, माननीय डा0 अग्रवाल साहब, माननीय ओझा जी, माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी और कुछ हमारे सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भी सुझाव दिये गये हैं। उस पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। बहुत अच्छे विचार आये हैं लेकिन हमारे त्रिपाठी जी को शायद यह नहीं पता है कि सरकार पूरी तरह से होम्योपैथिक, यूनानी के लिए संवेदनशील है और पिछली बार जो हमारा बजट था 414.65 इस वर्ष 518 कर दिया गया है। यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। होम्योपैथी का बजट जो 174 था उसको 247.4 कर दिया है। इसके अलावा जो अतिरिक्त जरूरत होगी वह भी हम पूरी करेंगे। मान्यवर, जहां तक एलोपैथी कालेजों में प्रवक्ता के पदों की जरूरत है 410 पदों के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है और जल्दी ही यह भर दिये जायेंगे। इसके अलावा आयुर्वेदिक कालेजों में प्राचार्य के दो पद, आचार्य के 7, रीडर 13, प्रवक्ता के 73, निदेशक के एक पद और अन्य 3 पदों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। होम्योपैथिक कालेज में निजी क्षेत्र के कालेज की जो दिक्कतें थीं वह दूर की जा रही हैं। होम्योपैथिक विभाग में 45 पदों के लिए अधियाचन जा चुका है। 55 पदों पर पदोन्नति का कार्य चल रहा है। रीडर के 52 पदों पर अधियाचन जा चुका है। प्रवक्ता के 105 पदों का भी अधियाचन जा चुका है। इस सरकार की नीयत और नीति पूरी तरह से सही है और निश्चित रूप से आपके जो सुझाव हैं उस पर बहुत ही ईमानदारी से विचार किया जायेगा। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने एक बात उठायी है भेजा भी है अब चूंकि वह हाईकोर्ट से संबंधित है इसलिए इस पर कोई आश्वासन यहां पर नहीं दे सकते।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

पिछली बार भी हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था और सरकार ने 24-03-2002 को एक आदेश जारी किया था इसकी प्रति मैंने आपको भेजी है। मेरा यह कहना है कि आपकी मंशा ठीक है आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के चिकित्सकों को जो अधिकार सरकारी आदेश के द्वारा प्राप्त हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन, तब अगर हाईकोर्ट ने कोई बात कही है तो आप हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करा लें। तब तक कम से कम नीचे जो आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही है एक अराजकता सी व्याप्त हो रही है। उसको रोकने के संबंध में आप आदेश कर दें और फिर जब इस सदन में आश्वासन दिये गये हैं, हाईकोर्ट से ऊपर सदन है। समय-समय पर सदन में सरकार के आश्वासन हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी आश्वासन था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब भी आश्वासन था तो मेरा निवेदन है कि उन आश्वासनों का परीक्षण भी करा लें और जो इस प्रदेश की सामान्य जनता के हित में हो उस पर कृपा करके विचार करें। उस संबंध में आपका अभिमत जरूर चाहूंगा।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि सारी मांगे पूरी हो गयी हैं वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसको स्पष्ट भी कर दिया है और आपने जो बात कही कि माननीय उच्च न्यायालय से ऊपर सदन है। सदन अपनी जगह पर उच्च है न्यायालय अपनी जगह पर उच्च है। मान्यवर, न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह उसका परीक्षण करा लेंगे जो अधिकतम होगा वह करेंगे। लेकिन न्यायालय के आदेश के प्रभावी रहते उसकी अवज्ञा करने का कोई प्रश्न नहीं है और उसकी सीमाओं में रहते हुए जो आपने इंगित किया है उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि उसको दिखवा लेंगे और जो गुंजाइश होगी वह करेंगे। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

परीक्षण कराकर उसको यथाशीघ्र करा दें जिससे कि न्यायालय का भी मान रह जाये और जनता की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने वही बात कही जो वह कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षण करा लेंगे और परीक्षण इसी मंशा के साथ करा लेंगे कि समस्या का समाधान भी हो जायेगा और न्यायालय का अपमान भी न हो। हम करेंगे इसको।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री अहमद हसन-

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पहली बार आपने मुझे मौका दिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहां बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये हैं और मुझे खुशी है कि हमको विभाग में सुधार करने में मदद मिलेगी यह बात भी अपनी जगह पर सही है। डा0 राधामोहन और राजेश त्रिपाठी जी दो आदमियों ने बड़े विस्तार से बोला और दोनों ही गोरखपुर में रहे हैं और हम भी वहां बहुत दिनों तक एस0एस0पी0, डी0आई0जी0 रहे हैं तो उनको कोई शक हो रहा था कि शायद हममें कोई तब्दीली आयेगी, कोई बुनियादी तब्दीली आई कि नहीं जो आपने देखा उसमें और मजबूती आपके सहयोग से आयेगी और विभाग में बहुत बड़ा बदलाव और तब्दीली मुझे उम्मीद है कि आयेगी। आपने अच्छा किया कुत्ते काटने के बारे में जो कहा था, उसके बहुत ज्यादा इन्जेक्शन हैं, एक और बात कही थी डा0 साहब ने कि कुत्ते काटने वाला इन्जेक्शन सबको देते हैं, लेकिन पागल कुत्ते को भी काटने का इन्जेक्शन देना चाहिए तो मेरा कहना है कि डाक्टर को अगर हम स्वयं यह कहेंगे कि पागल कुत्ते और पागल आदमी को, सब समझने में देर बहुत लग जायेगी, इन्जेक्शन लगने से कोई नुकसान नहीं है, इन्जेक्शन लगने दो, इन्जेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर कुत्ता काटता है तो एहितियात हो जायेगी, नहीं तो रियेक्शन में समस्या हो जायेगी। जहां तक पोस्टमार्टम के बारे में इन्होंने बताया है, उसमें सुधार किया जायेगा, बहुत अच्छे सुझाव है और पूर्णमासी जी बहुत सोच समझ कर सुझाव देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

पूर्णमासी जी भी डाक्टर हैं।

श्री अहमद हसन-

मान्यवर, हम गोरखपुर में चूंकि रहे हैं लिहाजा यह हमसे मिलते रहे हैं, यह बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम उनको बता दें कि डाक्टर का इन्तजाम दस बजे तक किया जा रहा है, समय पोस्टमार्टम का बढ़ाया भी जा रहा है, इसके लिए अलग से व्यवस्था हम कर रहे हैं। जहां तक अभी बताया गया था जे0ई0 के टीकाकरण के बारे में, लेकिन वह दूसरा चरण भी शुरू किया जा रहा है और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें हम व्यवस्था कर रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या की बात उन्होंने बताई थी, कन्या भ्रूण हत्या बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें दो बातें मुझे कहनी है मान्यवर, स्पष्ट बात कह देता हूं। मान्यवर, सालों से भ्रूण हत्या का कानून लागू है लेकिन आज तक किसी केस में कोई सजा नहीं हुई है। इस 30-31 सालों में, यह हालत है और पिछले पांचा सालों में तो मीटिंग ही नहीं हुई, तो हमने एक मीटिंग किया था, लेकिन इस सिलसिले में हमारी बहुत चिन्ता है और चिन्ता की बात भी है इस मामले में आप लोगों की मीटिंग भी कर देंगे और समिति भी गठित कर रहे हैं और थोड़ी सी कार्यवाही दो-तीन हुई हैं, लेकिन ज्यादा बड़े व्यापक पैमाने पर यह समस्या है, उसके समाधान की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो शुरूआत है, चूंकि मा0 अध्यक्ष जी ने कहा था कि जल्दी बजट पास करना भी है, जल्दी में हम नहीं थे, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी आज्ञा का हम लोग पूर्ण पालन करते हैं, लेकिन जो आपने चाईल्ड मार्टेलिटी की बात की उसके बारे में अलग से बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत सच्चाई से कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जितनी स्कीमें हैं जो सब कुछ है, उसमें फर्जी काम बहुत होता है जैसे टीकाकरण है, फर्जी हो रहा है। अगर मान लीजिये सेण्ट परसेण्ट व्यवस्था खसरे का टीका और हर चीजों का जैसे पांच प्रकार के टीके हैं तो बीमारियां खतम हो जाती तो मैंने अपने विभाग से भी कहा है कि यह फर्जीकरण बन्द होना चाहिए। जो सही काम है, सही तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ वही नहीं दिमागी तौर से भी मैंने डाक्टरों से भी अपील किया और लोगों से तो इसमें भी कोशिश करें बहुत कुछ मामलों में हमारी चिन्ता है दोनों तरीके से लक्ष्य उन्होंने जो रखा है और कोशिश यह किया है कि कम हों मां और बच्चे की मौत जो है प्यूरिन वह करके, इन्स्टीट्यूशनल डिलिवरी में तो कम होती है, लेकिन उसमें भी कुछ मेरे ख्याल में अभी बहुत नहीं है, लेकिन भारी फेरबदल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे उम्मीद है कि उसमें भी बढ़त कम हो जायेगी, 359 अभी है, 200 लाने की कोशिश है, लेकिन लायेंगे कैसे, जब फर्जी काम करेंगे तब थोड़े लायेंगे। सच्चा काम करना चाहिए आ जायेगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम अब बदलाव इसमें भी लायेंगे और ग्रोथ ठीक कर देंगे। एक चीज बहुत ज्यादा बहस में आई है, मान्यवर, यह आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक के बारे में। एक चीज जो मैंने अभी एन0आर0एच0एम0 का देखा है। क्योंकि मा0 मुख्यमंत्री जी अच्छी बातें में फौरन सहमति दे देते हैं बिल्कुल टाइम नहीं लगता है तो अब उनकी सहमति लेकर जितने जिला हॉस्पिटल हैं मा0 अध्यक्ष जी हर एक में एक यूनानी का डाक्टर बैठेगा एक होम्योपैथ का डाक्टर बैठाया जाये और एक आयुर्वेदिक का डाक्टर बैठाया जायेगा। हम मान्यवर, उन्हें बैठायेंगे और उन्हें तनख्वाह देंगे और उसी तरह का देंगे। इसमें हमको 25 प्रतिशत हमें देना पड़ता है जो मा0 मुख्यमंत्री जी ने उदारतापूर्वक दे दिया है, अप्रूव कर दिया है। यह इतना बड़ा कदम है, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा काम बुनियादी काम है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

इसी के संबंध में मुझे कुछ बताना था।

(श्री राजेश त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अहमद हसन-

मा0 सदस्य जो कुछ है आप लिखकर दे दीजियेगा। बता दीजियेगा अलग, हम उसको बतायेंगे। जैसे है वैसे दिखा देंगे अभी इसमें बता दीजिये। मैंने तो आपको बता दिया था कि यह सब कर दिया था लेकिन मैंने कहा कि हमारे नेता रोज कहते रहते हैं अपने काम से बोलना चाहिए सरकार को, बताओ नहीं ज्यादा। तो वैसे भी हमने कम बताया है और बहुत कर दिया है और जो एक काम हमने किया है और मा0 मुख्यमंत्री जी ने भी किया है एक गंभीर समस्या था कि जो आयुष डाक्टर जो थे 5 हजार 7 हजार थे, वह बेरोजगार हो गये। पहले होते थे लेकिन अक्टूबर में पिछली सरकार ने सबको बर्खास्त कर दिया और सबको पैदल कर दिया। इस बारे में हमारे पास वे लोग आये भी थे। इसके बाद मा0 मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी। बाद में वे मुख्यमंत्री जी के पास भी गये थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका किसी तरह से समायोजन होना चाहिए। इन्होंने डिग्री ली है, इनको बेरोजगारी की क्षेत्र में न रहे। तो यह अब तय किया गया है कि भेज दिया गया है कि बर्खास्त कर दिया जायेगा, भारत सरकार को इनटीमेट कर दिया। मान्यवर, 75 प्रतिशत भारत सरकार देती है और 25 प्रतिशत हम लोग देते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर 30 प्रतिशत भी देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इनको नौकरी देनी है तो अब यह हो रहा है, कह दिया गया है, कर लिया जाये। मान्यवर, यह मुझे इस सदन में कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहे हैं कि बहुत सी फर्जी डिग्रीयां हैं, तो मान्यवर, फर्जी डिग्री वाले को मत रखो। तो मान्यवर, यह बात जो तय हो गयी है इससे इतनी बड़ी समस्या का समाधान होगा कि कम से कम 5 से 7 हजार आदमियों को नौकरी मिल जायेगी। मान्यवर, यह संवेदनशील सरकार है, यह सरकार ऐसी सरकार है, हम चाहते हैं कि लोग देखें कि जनता की भलाई के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, गरीबों के घरों को रोशन करने के लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वह करेंगे। आप लोगों ने कुछ शिकायतों की हैं और आप लोगों की शिकायतें जायज हैं। हम भी चिंतित हैं, लेकिन एक यह बात भी है कि जो माहौल हमने देखा, इससे पहले तो सदन चलता ही नहीं था। पहले तो हमें भी धरने, प्रदर्शन और रैलियों में ही जाना पड़ता था, यहां पर बोल तो पाते ही नहीं थे। न हम बोल पाते थे, न वे बोल पाते थे। 5 साल में उनकी भी आवाज नहीं सुनी। तो मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे माहौल में काम हो रहा है, जो सुझाव आप दे रहे हैं, सरकार को उससे मदद मिलेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने बड़ी उम्मीदों से हमें सरकार में लाया है और हम उनकी उम्मीदों को पूरा करने में हर तरह से प्रयास करेंगे और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे कहते हैं कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं दो बातें पूछना चाहूंगा, सुझाव के तहत। अभी आज मेरे संज्ञान में आया है कि के0जी0एम0यू0 में 12 बच्चे इनश्यूलेटर पर थे और पावर कट की वजह से वह बच्चे मर गये तो क्या मंत्री जी, इनश्यूलेटर, वेंटीलेटर और आपरेशन थियेटर के लिए पावर बैकअप के लिए कोई

आल्टरनेट अरेंजमेंट भी करेंगे, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामले हैं कि आपरेशन थियेटर में बिजली चली गई और इनश्यूलेटर में अभी 12 बच्चे मर गये, वह भी दो-तीन दिन के अंदर। तो मान्यवर, इसके बारे में मैं कहूँगा कि यह बड़ा गंभीर मामला है, और इस तरह से मौतें हो रही हैं तो आप वहाँ पर पावर बैकअप का अरेंजमेंट कर लीजिए। यह मैं आपसे स्पष्टीकरण एक तरह का चाहता हूँ मा0 मंत्री जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिन्दु मैं कहना चाहूँगा मान्यवर, मा0 मंत्री जी एक हिमोफिलिया बीमारी होती है, जिसमें चोट लग जाए तो खून लगातार बहता रहता है जिला अस्पताल में उसका एक इंजेक्शन महीने में एक बार लगता है और उसकी कीमत लगभग 4 हजार रुपया होती है। आम आदमी को या उसके बच्चे को हिमोफिलिया हो जाए तो चार हजार रुपया वह अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चार हजार रुपये वह अपनी जेब से नहीं खर्च कर सकता और स्थिति यह है कि यदि आप लोकल परचेज के लिए सी0एम0एस0 वगैरह से कह दें कि यदि कोई हीमोफीलिया का पेसेंट आये तो उसके लिए आप स्पेसिफिक इंजेक्शन खरीद लें। यदि लोकल परचेज के लिए आप इन्स्ट्रक्शन जारी कर देंगे तो प्रदेश में हीमोफीलिया के जितने गरीब मरीज हैं उनकी जान बच जायेगी। दोनों मामलों में मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी जो पावर चले जाने से के0जी0एम0यू0 में इंसीलेटर पर 12 बच्चों की मौत हो गई तो क्या पावर न जाने पाये इसकी व्यवस्था करेंगे और हीमोफीलिया के गरीब मरीजों के लिए इंजेक्शन खरीदने के लिए माननीय मंत्री जी निर्देशित करेंगे ?

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर सवाल है, इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, नहीं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,80,58,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,77,06,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,64,44,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,22,33,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0 35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,53,50,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

महिला एवं बाल कल्याण विभाग का बजट पहले लिये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसके बाद मद सं0 11(7) से 11(10) तक समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित बजट है और मद सं0 11(11) में सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित बजट है और उसके बाद मद सं0-12 में महिला एवं बाल कल्याण विभाग से सम्बन्धित बजट है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग छोटा सा विभाग है, आधे घण्टे में इनका बजट पास हो जाये उसके बाद अन्य विभागों के बजट को लिया जाये, क्या इसके लिए आप लोग सहमत हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, ठीक है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान, अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

*बाल विकास पुष्टाहार एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,46,09,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, यह छोटा सा विभाग है। आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए समन्वित विकास के लिए प्रदेश की 897 परियोजनाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उनको हम पूरक पोषाहार दे करके स्वस्थ रखने की व्यवस्था करते हैं। 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु सीमा के बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं गर्भवती धात्री महिलाओं को कुपोषण से बचाने का काम हम निरन्तर करते आ रहे हैं और अनुपूरक के माध्यम से हम इनको पुष्टाहार देते हैं। अनुपूरक पोषाहार योजना गर्भवती धात्री महिलाओं और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को न्यूट्रियन्स फूड तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन दिया जाता है। इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 252.91 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। अनुपूरक पोषाहार के अन्तर्गत 2012-13 में 2682.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। आई0सी0डी0एस0 योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होता है, इसमें हम कार्यकत्रियों को, सी0डी0पी0ओ0 को, मुख्य सेविकाओं को हम ट्रेनिंग दे करके बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बचाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग दे करके हम महिलाओं, बच्चों को स्वस्थ बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। अभी चिकित्सा विभाग का बजट आया था उसमें डा0 अग्रवाल साहब ने कहा था कि बच्चों की मरने की संख्या और गर्भवती और धात्री महिलाओं की मरने की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। हम इस बात को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं क्योंकि हमारा विभाग महिलाओं और छोटे बच्चों को पका-पकाया भोजन दे करके उनको स्वस्थ रखने की प्रक्रिया को चालू रखे हुए हैं। किशोरी शक्ति योजना, इस योजना में हम किशोरियों को ट्रेनिंग देते हैं और जिन किशोरियों को हम ट्रेनिंग दे देते हैं वह किशोरी औरतों एवं बच्चियों को, बच्चा प्रजनन एवं उनको रोजगार परक शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी रख-रखाव के लिए हम उनको ट्रेनिंग दे करके समाज में रहने वाली महिलाओं धात्री और गर्भवती महिलाओं को विकसित करने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग दे करके तैयार करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य-मुख्य बातें हों वह बता दीजिये बाकी तो बुकलेट में छपा ही होगा। कोई नई नीति हो वह बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

एक राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण (सबला) योजना है, इस योजना में 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे और बच्चियों को जो कुपोषण के शिकार रहते हैं उनको हम पुष्टाहार दे करके उनको पुष्ट रखने तथा समाज के काम में लाने के लिए हम उनकी व्यवस्था करते हैं। इसके लिए हमने 109 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। एक योजना है इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोजना इसमें हमने 17 करोड़, 27 लाख, 62 हजार रुपये का प्राविधान किया है। इसमें जो गर्भवती महिलायें होती हैं मजदूर टाइप की होती हैं, वह गर्भवती हो जाये और काम पर न जायें तो उनके क्षतिपूर्ति के लिए हम सत्तरह सौ कुछ रुपये एकमुश्त देते हैं। श्रीमन्, आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण हम ठीक से कराना चाहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री के भर्ती में प्रायः इस बात की चर्चा होती है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता है उसको पारदर्शी बनाने के लिए हमने योजना बनायी है। हमने डी0एम0 की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है जिसमें एस0डी0एम0 का एक प्रतिनिधि होगा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की मुख्य सेविका और सी0डी0पी0ओ0 होगी उनकी एक कमेटी बनायी गयी है और उस कमेटी के माध्यम से ही यह चयन की प्रक्रिया की जायेगी। यह बहुत ही शर्म की बात है कि एक छोटा कर्मचारी जो कर्मचारी भी नहीं है, मानदेय पर है, उसकी नियुक्ति में जो हुआ, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं जो हुआ वह बिल्कुल शर्मनाक है, इसको हम पारदर्शी बना दे रहे हैं और आशा करते हैं कि अब

आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति में कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। हमने दूसरा यह भी कर दिया है, यह भी शिकायत बहुत आती थी कि सी0डी0पी0ओ0, कार्यक्रम अधिकारी और मुख्य सेविका जो सबसे कम मानदेय पाती हैं उसका जब मानदेय जाता है तो बहुत शिकायतें मिल रही थी कि उसमें गड़बड़ी होती है, लेनदेन की बात होती है तो उसको पारदर्शी बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के खाते में सीधे पैसा भेजने की व्यवस्था की है जिसमें कोई गड़बड़ी न हो सके।

श्री अध्यक्ष-

यह अच्छी बात है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

दूसरा, यह भी बहुत आता था, अभी कल मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी माध्यमिक शिक्षा के बजट पर अपनी बात रखे उसमें यह भी बात आयी उनहोंने कहा कि हमारे यहां बड़ी चर्चा है कि यह पुष्टाहार भैंसों को खाने के लिए बेच दिया जाता है। (सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आयी कि सही बात है) सही बात है, तो आप चुन करके किसलिए आये हैं, आपकी भी यह जिम्मेदारी है, आपकी क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है जनसेवक के रूप में। आप आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जायं और वहां देखें। मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं यह कह रहा हूं कि हमारे अन्दर पक्ष और विपक्ष नहीं है। माननीय सदस्य जो चुन करके आये हैं वह जनता के जनसेवक के रूप में चुन करके आये हैं और हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी सरकार की योजनायें चलती है चाहे हम, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोकदल या समाजवादी पार्टी के सदस्य हों, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जो कार्यक्रम समाज के हित के लिए चलाये जाते हैं उन कार्यक्रमों की निगरानी करें तथा जिसके लिए कार्यक्रम चलाया जाता है उस तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, इसको देखने की जिम्मेदारी भी हमें और आपको लेनी पड़ेगी। हमको विश्वास है कि जब आप इस जिम्मेदारी को लेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वर से बोलेंगे कि सही है तो गलत सिद्ध हो जायेगा और जिसके लिये यह पुष्टाहार जा रहा है, उस बच्चे को, गर्भवती महिलाओं को धात्री महिलाओं को मिलने लगेगा। मान्यवर, इसको दूर करने के लिए एक राशन कार्ड टाइप के कार्ड की व्यवस्था की गयी है उसमें जो गर्भवती और धात्री महिलायें हैं जो सेंटर पर आयेंगी उनको कार्यकत्री लोग जो भी पुष्टाहार देंगी वह उस कार्ड में डेट वाइस अंकित करेंगी और उनके बच्चों की संख्या अंकित करेंगी। मान्यवर, हमने एक अन्य व्यवस्था भी की है कि अभी तक 25 किलो के बैग में पुष्टाहार दिया जाता था अब हमने एक किलो के पैकेट में पुष्टाहार देने की व्यवस्था की है। मान्यवर, उसमें पैकेट पर कम्पनी का नाम उसकी निर्माण की तिथि और उसकी ऐक्सपायरी की तिथि भी अंकित रहेगी। उसके ऊपर यह भी लिखा रहेगा कि यह बिक्री के लिए पूर्णतया प्रतिबन्धित है जो बेचेगा और जो खरीदेगा वह बराबर बन्दी का भागीदार होगा। मेजों की थपथपाहट।

मान्यवर, जो बेचता है वही नहीं दोषी है केवल, बल्कि जो खरीदता है वह भी बराबर का दोषी है तो मा0 सदस्यगण ऐसे दोषी पाये जाने वाले लोगों के लिए एफ0आई0आर0 लिखाने के लिए तैयार रहें। वह जब बन्द हो जायेंगे तो स्थिति में सुधार आ जायेगा हम चाहते हैं जो असहाय हैं गरीब महिलायें हैं जिनमें खून की कमी होती है और उस कारण से जैसा डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी बता रहे थे कि प्रायः उनकी मौत हो जाती है खाने की कमी और पुष्टाहार की कमी से छोटे बच्चे प्रायः काल कल्पित हो जाते हैं उनको बचाने का काम यह सरकार कर रही है। हम चाहते हैं जो भी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इन योजनाओं में धन खर्च कर रही है उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे। मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है कि समाज की आंखों के सामने यह सब चीजें बिक रही है। मान्यवर, जब मैं पिछली बार भी मंत्री था इस विभाग का तो मैं एक जिले में गया था वहां पर प्रेस के

लोग आ गये और उन्होंने कहा कि साहब पुष्टाहार बिक रहा है। जब कि उससे पहले जो हमारे सचिव थे विभाग के, श्री के0एल0 मीना जी उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे पुष्टाहार की व्यवस्था की गयी है जिसको मवेशी खायेंगे नहीं और वह नहीं बिकेगा। तो जब प्रेस के लोगों ने मुझे बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने पूछा कि किसने खरीदा है तो एक प्रेस वाला बोला मैंने स्वयं खरीदा है। तो इस पर मैंने अपने पी0ए0 से कहा कि फौरन कोतवाल को बुलाओ और इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाओं तो वह सज्जन इधर-उधर होने लगे। तो मान्यवर, कुछ अफरा भी इसमें है और कुछ कमियां भी हैं जो सही हो सकती है। मान्यवर, अगर कहीं गांव में बिकता है तो वहां पर प्रधान है, बी0डी0सी0 के मेम्बर है, दूसरे संभ्रान्त लोग हैं वह लोग इसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। मान्यवर, बिना समाज की सहायता से तो सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए उनको भी निगरानी रखनी चाहिए हम तो चाहते हैं कि हमारे सम्मानित सदन में बैठे हुए मा0 सदस्य भी इसकी निगरानी करें और शिकायतों से हमको अवगत करायें। मान्यवर, आंगनबाड़ी केन्द्रों में हमने यह व्यवस्था की है कि प्रतिदिन कितनी गर्भवती और धात्री महिलायें वहां पर आयीं उनकी पूरी सूचना मोबाइल पर हेड क्वाटर पर दी जाये। मान्यवर, हमारी सरकार तो समाज के प्रति कटिबद्ध है हम चाहते हैं कि असहाय लोगों को गर्भवती और धात्री महिलाओं को जिलाने के लिए जो हम पुष्टाहार और अनाज दे रहे हैं वह उन तक विधिवत् रूप से पहुंचे और इसकी निगरानी समाज के संभ्रान्त लोग भी करें। मान्यवर, बाकी जो बिन्दु रह गये हैं महत्वपूर्ण वह मैं अपने उत्तर भाषण में कह दूंगा। मान्यवर, हमारे विभाग के बजट पर जो भी अच्छे सुझाव मा0 सदस्यों के आयेंगे उनको हम लोग मानेंगे। अब महिला कल्याण के बारे में कुछ बातें मा0 राज्य मंत्री जी कह देंगी।

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरूण कुमारी कोरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत बहुत सी महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनके प्रभावी क्रियान्वयन से महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण में गुणात्मक सुधार हो रहा है। महिला कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2011-12 का कुल बजट रु0 75769 लाख था और वित्तीय वर्ष 2012-13 का कुल बजट रु0 74963 लाख मात्र है। गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष का बजट लगभग उसी समान रखा गया है। एक अनुपयोगी योजना को समाप्त होने के कारण विभागीय बजट में लगभग 8 करोड़ की कमी की गयी है। मान्यवर, प्रमुख योजनायें जो हैं उनको मैं बता रही हूं। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान, दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता, कानूनी सहायता योजना, दम्पति पुरस्कार योजना, पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन/अनुदान प्राप्त कर रही पुत्रियों की विवाह योजना, समन्वित बाल संरक्षण योजना (आई0सी0पी0एस0) संचालित की जा रही है इसके बहुत से कम्पोनेन्ट हैं जिनका प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश में सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 7723 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है इसमें से भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में रु0 51 करोड़ 80 लाख तथा राज्यांश के रूप में 25 करोड़ 43 लाख का बजट है। इसमें बहुत सारी योजनायें हैं बालकों के उत्थान के लिए प्रत्येक जनपद स्तर पर बाल कल्याण समिति की स्थापना, शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में इधर-उधर भटके हुए, कूड़ा बीनने वाले तथा आश्रय हीन जरूरतमंद बालकों के लिए खुले आश्रय गृह योजना इस तरह से तमाम योजनायें हैं। एक स्वाधार आश्रय गृह योजना है यह एक केन्द्र पुनरोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को स्वावलम्बी एवं आर्थिक रूप से रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 135 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हेतु कुल रु0 211 लाख का बजट

प्रस्तावित किया गया है, किशोर निधि की स्थापना हेतु केवल रु0 25 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, महिला निधि की स्थापना हेतु कुल 50 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है, महिला उत्पीड़न एवं निवारण प्रकोष्ठ हेतु 30 लाख का बजट प्रस्तावित है। इस तरह से यह मुख्य-मुख्य योजनायें हैं जिन्हें मैंने आपके समक्ष रखा है।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग का 2012-13 का बजट रखा। हलांकि हमने सोचा था कि समाज कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास सब साथ ही में आयेगा लेकिन माननीय मंत्री जी को लगता है कि कहीं जाना था इसलिए जल्दी रख दिये। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी इसके पहले भी जब स्वास्थ्य का बजट चल रहा था तो भ्रूण हत्या पर लोगों ने चर्चा किया कि उसको रोकने के लिए तमाम उपाय किये जायें। मैं कहना चाहता हूं कि महिला कल्याण एवं बाल कल्याण विभाग इसके पूर्व आदरणीय बहन जी ने इसी सोच के तहत महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाने का कार्य किया था जिससे समाज में बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते अनुपात भ्रूण हत्या रोकने एवं बालिकाओं को सम्मानजनक आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच के प्रति लाने एवं वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना आरम्भ की गई थी। 15 जनवरी, 2009 को इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि इन तारीखों के बाद जो भी पहली लड़की जन्मा करती थी उसका एक साथ फिक्स डिपाजिट जमा होने के बाद उसकी उम्र 18 साल पूरा करने पर एक लाख रुपये देने का प्राविधान सिर्फ इसीलिए किया गया था कि जो बार-बार इस प्रकार की बात उठती है कि लड़कियों का जन्म लेना एक प्रकार का अभिशाप माना जाता है तमाम प्रकार की भ्रूण हत्यायें होती थीं लेकिन मान्यवर, इस सरकार द्वारा यह योजना बन्द कर दी गई इस योजना के अन्तर्गत तमाम बी0पी0एल0 परिवार के सर्वसमाज में जन्मी पहली बालिका को इस योजना का लाभ दिया जाता था लेकिन इसे बन्द कर दिया गया। सर्वसमाज में ऐसी महिला जो पहली बच्ची को जन्म देती थी उसको एक फिक्स डिपाजिट करके 18 साल की उम्र पूरा होने पर एक लाख इतना ही नहीं बल्कि दूसरी जन्मी बालिका को भी इस लाभ से आच्छादित किये जाने की योजना थी। यह योजना बन्द कर दी गई। अगर आपको यह कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मजबूती के साथ काम करना था तो आपको यह योजना बन्द करनी हो तो इस योजना के नाम पर दूसरी योजना निश्चित रूप से चलाना चाहिए था। अगर वास्तव में आप भ्रूण हत्या जैसी बुराई को रोकना चाहते थे। किसी अन्य नाम से भले ही योजना चलाते लेकिन इस योजना को चलाना चाहिए था। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब अपने इस बजट भाषण द्वारा वह उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सहायिकाओं को जहां आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 1500 रुपये मिला करता था उनको 3000 जहां सहायिकाओं को 750 रुपये मिला करता था उनको 1500 रुपये बढ़ा देने की घोषणा की थी। पूरा सदन जानता है कि सरकार बनने के पहले यानी चुनाव के पूर्व में ही केन्द्र सरकार द्वारा इस धनराशि की बढ़ोत्तरी कर दी गयी थी। लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से इस योजना को नहीं लागू की गई थी। मैं कहना चाहता हूं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुनें। माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री राजबली जैसल-

अगर आप पढ़े-लिखे होंगे तो निश्चित रूप से जानते होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आपने केन्द्रांश के अंश को तो बढ़ाने का काम करके अपनी पीठ थपथपवाने का काम किया लेकिन उत्तर प्रदेश का राज्यांश जो सहायिकाओं को 100 रुपया और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 200 रुपये मिला करता था, उसमें एक रुपये की भी बढ़ोत्तरी नहीं किया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि आपने इन आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं के साथ किसी भी प्रकार का न्याय करने का काम नहीं किया है। क्योंकि जो किया वो केन्द्रांश के अंश में किया। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज यह बहुत छोटा सा विभाग है लेकिन इस छोटे विभाग में तमाम ऐसे लोगों की रोजी-रोटी चलाने का काम होता है जो गरीब हैं। ऐसे तमाम कुपोषण से बचने का काम ऐसे बच्चे जो जीरो या 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे इस योजना का लाभ लेते हैं। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी आपके द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट को पेश करते समय आपने ऐसे विभाग में जो कटौती किया है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता थी और आपको बढ़ाना भी चाहिए था। मगर आपने केन्द्रांश के धन को बढ़ाने का काम किया तो अपने राज्यांश के अंश को भी बढ़ाने की आवश्यकता थी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष, कटौती प्रस्तुत करके तो विपक्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि वो महिलाओं के बहुत खिलाफ है, ये बात साबित हुई। अपनी नेता को चाहे जितनी बार कहते रहें, अपनी नेता को ये लोग बहन जी कहते हैं, पता नहीं बहन जी मानते हैं या नहीं मानते हैं, मुझे नहीं पता, मानते हैं तो अच्छा करते हैं, मानते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर बहन जी का भी आदर होगा तो महिला विभाग पर, महिलाओं के कल्याण पर तो कम से कम कटौती नहीं करते। मान्यवर, औपचारिकता पूरी हो गयी और हम सब लोगों की ओर से मंत्री जी ने जो कह दिया है, उससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। अब भैंस के खाने के लिए मिलना ही नहीं है, ये मंत्री जी ने सुनिश्चित कर दिया है तो वो प्राबलम भी नहीं है, वो समस्या भी हल हो गयी है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि इस पर मतदान करा लीजिये। मान्यवर, इससे ज्यादा आवश्यकता इसमें नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने 2 चीजें कहीं हैं। इन्होंने कहा कि महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना समाप्त कर दी गयी। निश्चित रूप से समाप्त कर दी गयी, उसमें इतनी गड़बड़ियां थीं कि जिसको आज तक साइकिल दी उसको पैसा नहीं दिया, जिसको पैसा मिला उसको साइकिल नहीं मिली। इन्हीं गड़बड़ियों को देखते हुए उसको हमने बंद किया है और इससे भी बड़ी योजना हम लड़कियों के लिए ले आने पर हम विचार कर रहे हैं। एक बात इन्होंने कही कि कोई बच्ची पैदा होती थी अनुसूचित जाति, जनजाति की उसको मिलता था, यह आपने किया। जब हम मंत्री थे पिछली बार, जब हम मंत्री थे तो यह योजना चालू की गयी थी और जब इनकी सरकार आयी तो वह योजना बंद हो गयी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं पिछली बार मंत्री था इस विभाग का, कटौती करने वाले हमारे मा0 सदस्य जो हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की मीटिंग थी आई0सी0डी0एस0 की और मैंने उसमें इस बात को उठाया था, जोरदार तरीके से उठाया था कि पूरे बाल विकास पुष्टाहार का कार्य केवल एक कार्यकत्री और सहायिका करती है, उनकी तनख्वाह 1000 और दूसरी का 500 और उनको देखने वाले कितने हैं मंत्री हैं, सचिवालय है, निदेशालय है, जिले में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यक्रम अधिकारी, डी0पी0ओ0 है, सी0डी0पी0ओ0 है, मुख्य सेविका है। काम करने वाला एक और सारी निगरानी करने वाले इतने, उसका मानदेय 1000 रुपया। मैंने केन्द्र के मंत्री से कहा कि या तो आप इस योजना को बंद कर दीजिये, अगर नहीं तो आप उनको कर्मचारी मानिये, नहीं तो उनका मानदेय बढ़ाइये। श्रीमन् मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्र सरकार ने मानदेय बढ़ाया और हम रु0 3000 कार्यकत्रियों को और रु0 1500 सहायिकाओं को हम मानदेय देने जा रहे हैं और दूसरा जो इन्होंने आरोप लगाया कि नहीं बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से यह विभाग चला है श्रीमन् चाहे किसी की भी सरकार हो किसी ने एक पैसा कार्यकत्री को देने का काम नहीं किया था। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री और आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुलायम सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरे आग्रह पर उन्होंने 200 रुपये कार्यकत्रियों को और 100 रुपये सहायिकाओं को उत्तर प्रदेश में देने का ऐलान किया और श्रीमन्, उसको भी यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया था। इस बार हम फिर मंत्री होकर के लाये हैं। हमारे प्रमुख सचिव और हम दोनों मिलकर के इसको कैबिनेट में ले गये और यह कैबिनेट में फिर वह पास हुआ है। बात वह कहनी चाहिए। काटा है आपने, एक लाख बच्चियों को दिया जा रहा था उसको समाप्त किया। मानदेय आपने नहीं बढ़ाया, हमने बढ़ाया। आपने कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ किया। इसलिए श्रीमन्, इस विभाग की जिम्मेदारी पूरे सदन की है, पुनः मैं पूरे सदन के तमाम सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि महिला कल्याण और बाल कल्याण के जो कार्यक्रम हैं उस पर सब लोग निगरानी रखें और उसके समुचित वितरण में अपनी सहभागिता दिखलावें। निश्चित रूप से गरीब, असहाय, अबला के लिये यह योजना फलदायी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,46,09,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान-अनुदान संख्या 79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या 80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या 81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या 83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), अनुदान संख्या 87-सैनिक कल्याण विभाग

पंचायती राजमंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि 13,78,57,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,68,57,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,33,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,70,13,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,80,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, भारत के संविधान में वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कल्पना की गई और उस कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए समाज कल्याण विभाग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मान्यवर, समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति विमुक्त जाति और समाज के अन्य गरीब वर्ग के लोगों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से ऐसे लोगों को शिक्षित करने के लिए, इनका शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए तमाम योजनायें संचालित हैं। उन तमाम योजनाओं में कुछ महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजनाओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन और किसान पेंशन की योजना है। इसमें 300 रुपये महीने देने का प्राविधान है। श्रीमन्, जिसकी उम्र 60 साल की हो गई है उसको 300 रुपये देने का प्राविधान है यह 79 वर्ष तक के लोगों के लिए यह है। भारत सरकार की तरफ से 80 साल की आयु जिस वृद्ध की हो जायेगी उसे 500 रुपये देने की योजना है। श्रीमन्, इसी तरह से इस सम्मानित सदन में कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का एक संकल्प है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, मा0 अखिलेश जी का, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पेंशन योजना का शुभारम्भ पहली अप्रैल से किया है।

(मेजें थपथपाई गई)

श्रीमन् मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तमाम ऐसे पात्र जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है। बी0पी0एल0 सूची आप भी भिज्ञ हैं कि केन्द्र सरकार के जरिए बनी है उसमें कई शिकायतें हैं, कई भ्रान्तियां हैं। जिनके चलते पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसे लोग जो बी0पी0एल0 सूची में नहीं हैं, जो अन्त्योदय सूची में नहीं हैं किसी अन्य योजना से पेंशन का

लाभ नहीं मिल रहा है ऐसे लोगों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का संचालन किया गया है। इसमें श्रीमन् 1101 करोड़ रुपये के प्राविधान का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है और हमारा लक्ष्य है कि 25 लाख लाभार्थियों को इसके द्वारा लाभान्वित करने का काम करेंगे।

(मेजें थपथपाई गई)

श्रीमन् इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक एज का फैक्टर होता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी भी 60 साल के बाद पेंशन होती है लेकिन यह जो हमारी योजना है इसमें अगर 35 साल की उर्म है और परिवार का मुखिया बहुत गरीब है और गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है बी0पी0एल0 सूची में उसका नाम हो या न हो ऐसे लोगों को 400 रुपये देने की हमारी सरकार की मंशा है।

(मेंजें थपथपाई गई)

मान्यवर, यही नहीं, समाज कल्याण विभाग द्वारा कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गई है। आज प्रदेश में 71 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। हमारे बगल में माननीय मंत्री जी बैठे हैं, एक विद्यालय 1 से 5 दर्जे तक के लिए लालगंज, आजमगढ़ में प्रस्तावित है, हम चाहते हैं, वहां बहुत जल्दी निर्माण शुरू हो जायेगा। इसी प्रकार से 76 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में 1 से लेकर 12 तक निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क किताब, सारी जो सुविधायें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को विकसित करने के लिए उपलब्ध हैं और आज हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है, अभी रिजल्ट आया है, हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट का, हमें बताया गया है, कई आश्रम पद्धति विद्यालय ऐसे हैं, जहां के लड़कों ने उत्तर प्रदेश में सेण्ट-परसेण्ट फर्स्ट डिवीजन में पास किया है। यह हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, यही नहीं, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 कोचिंग सेण्टर जो हैं, इन कोचिंग सेण्टर में तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे सेण्टर हैं, जहां पर आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 और जुडीशियल सर्विस में जो अभ्यर्थी अपियर होना चाहते हैं, उसमें बैठना चाहते हैं, उनको कोचिंग दी जाती है। श्रीमन्, यहीं पर जो भागीदारी भवन है जहां पर 300 लाभार्थियों के लिए या अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टर की व्यवस्था है और वहां पर उनको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, हमारी सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है हम डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम से उत्तर प्रदेश में एक कोचिंग सेण्टर की स्थापना बहुत जल्दी करेंगे। इसमें आई0ए0एस0 पी0सी0एस0 और दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें बैठने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनको यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। श्रीमन्, यही नहीं, हमारी यह भी व्यवस्था है, दिल्ली में जो उत्कृष्ट कोचिंग सेण्टर्स हैं, उन उत्कृष्ट कोचिंग सेण्टर में जो बच्चा आई0ए0एस0 पी0सी0एस0 की प्रिलिमनरी परीक्षा पास कर लेता है, उनके लिए विभाग द्वारा विज्ञापन निकलता है कि इस प्रकार की परीक्षा जो विद्यार्थी पास किए हैं, प्रिलिमनरी परीक्षा पास किए हैं, चाहे वह आई0ए0एस0 की हो या पी0सी0एस0 की हो, वह आ करके बैठें और दिल्ली के अन्दर जो उत्कृष्ट कोचिंग सेण्टर्स हैं, जो अच्छी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं, वहां पर वह एडमिशन लें और उसके लिए हमारी सरकार उन्हें 45 हजार रुपये देती है और उनके रहने के लिए 10 हजार रुपये की व्यवस्था की है। इस तरह से उन्हें 55 हजार रुपये देने की व्यवस्था है।

श्रीमन्, यही नहीं, हम इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को आमंत्रित करते हैं, हम इस योजना को पूरे प्रदेश के हर बिन्दु पर लाना चाहते हैं जिससे हमारे ग्रामीण अंचल के छात्र भी इन प्रशासनिक सेवाओं में जा करके इस प्रदेश और देश के उत्थान में अपना योगदान दे सकें।

श्रीमन्, निर्बल वर्गों का शैक्षिक विकास ही उनके सर्वांगीण विकास की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति एंव अन्य कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण समय पर पारदर्शी तरीके से करने हेतु राज्य सरकार सदैव बल देती रही है। छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयशीलता लाने हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

मान्यवर, वर्ष 2012-2013 में 1218 करोड़ रु0 का बजट प्रस्तावित है। श्रीमन्, इस छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति में तमाम शिकायतें मिल रही थीं। और पिछली सरकार के कार्यकाल में ऐसी संस्कृति बन गयी थी कि शिकायत की काफी गुंजाइशें थी। अभी एक महीने पहले इन शिकायतों को दूर करने के लिए भ्रष्टाचार पर रोक ही नहीं लगाने बल्कि भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश के कुछ वाइस चांसलर को आमंत्रित करके मीटिंग ली और हमने उनसे उपाय और सुझाव मांगा कि किस तरह से किया जाये जिससे छात्रवृत्ति के नाम पर जाने वाले पैसे को कोई खा न पाये। अगर एक रुपया भी कोई खाता है तो ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि उसका स्थान जेलों में होना चाहिए। इस तरह का हम बहुत जल्दी इंतजाम करने जा रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों/कर्मचारियों को हमने दण्डित किया है। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी है। मान्यवर, इस सदन में विश्वास दिलाता हूं कि जो पैसा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हो, चाहे सामान्य जाति के छात्रों के लिए हो चाहे पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए हो यह सब उन तक पहुंचे। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। श्रीमन्, पारिवारिक लाभ योजना है। यदि परिवार में 18 से 64 साल की उम्र के अगर परिवार का कोई मुखिया मरता है, ईश्वर न करे कि किसी परिवार का कोई मुखिया मरे, तो उसके लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रु0 देने का प्राविधान है। और इस संबंध में वर्ष 2011-12 में 232 करोड़ रु0 खर्च किया गया। और 2012-13 में 300 करोड़ रु0 का बजट का प्राविधान है और 1.50 लाख परिवारों को लाभान्वित कराये जाने की योजना है। वर्ष 2011-12 में 232 करोड़ रु0 खर्च किया गया था और 1.14 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया था। उसके सापेक्ष हमारी सरकार ने लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ायी है और उस पर होने वाले व्यय के प्राविधान को भी बढ़ाया है। छात्रावास, श्रीमन्, किसी भी समाज के विकास के लिये शिक्षा उसकी पूंजी है। इसलिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 252 छात्रावास संचालित हैं। पिछले वर्ष 2011-12 में 18 करोड़ रु0 खर्च किया गया था। 2012-13 में छात्रावास निर्माण हेतु बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना में 20 करोड़ रु0 की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्रीमन्, शादी और बीमारी, मान्यवर, गरीब अभिभावकों की बेटी के लिए जो गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं उनकी बेटी के लिए 10 हजार रु0 का प्राविधान है और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की पुत्री की शादी हेतु 20 हजार रु0 का प्राविधान है। वर्ष 2011-12 में 201 करोड़ रु0 का व्यय किया था और 1.85 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुये थे। चालू वित्तीय वर्ष में 2012-13 में लगभग 138 करोड़ रु0 का प्राविधान रखा गया है। और उनकी बेटियों को इससे लाभ मिलेगा। यही नहीं श्रीमन् अत्याचार निवारण अधिनियम एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट, यह ऐक्ट 1989 का पी0सी0आर0 ऐक्ट है, वर्तमान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता एवं पुनर्वासन की दरों को दुगना करके 14 मई, 2012 से 40,000 रुपये से लेकर

5,00,000 रुपये तक की सहायता की दरें प्रभावी कर दी गयी हैं। वर्ष 2011-12 में योजनान्तर्गत लगभग रु0 14.00 करोड़ व्यय करके 9408 पीड़ित परिवारों को लाभान्वित किया गया है और वर्ष 2012-13 में लगभग रु0 35.00 करोड़ की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। यही नहीं श्रीमन्, समाज कल्याण विभाग में जनजाति के लिए भी वही सुविधायें हैं जो अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए है। अनुसूचित जन जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित हैं। शिक्षा कार्यक्रम के तहत नौ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हमारे संचालित हैं, 2011-12 में 362 लाख रुपये व्यय किया गया था और 2012-13 में 769 लाख के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है, लगभग 01 हजार 60 छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे। मान्यवर, छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 2011-12 में 736 लाख रुपये व्यय किये गये 01 लाख 36 हजार 287 को लाभान्वित किया गया। 2012-13 में 1480 लाख की बजट की व्यवस्था है श्रीमन् जनजाति विशेष के लिए सहायता श्रीमन् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में इस बात की व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार देश के किसी भाग में देश के किसी वर्ग के लिए ऐसा एहसास करती है तो उसके लिए विशेष प्राविधान और विशेष बजट की व्यवस्था करती है। संविधान के अनुच्छेद-275 के सब क्लाज 01 में है, इसके तहत श्रीमन् उत्तर प्रदेश को भी पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास योजना जिसके अन्तर्गत श्रीमन् चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, बलरामपुर आदि जनजाति विकास योजना, नजीबाबाद, बिजनौर जनजातियों के विकास के लिए संचालित योजनाएं। भारत सरकार से धन प्राप्त हो उनके आर्थिक और सामाजिक विकास पर व्यय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत लगभग 669 लाख व्यय किया गया, इस धनराशि से दो एकलव्य आवासीय भवन का निर्माण कराया गया। इस योजना को पूर्ण करने में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लगभग 1600 लाख के आय-व्ययक के प्राविधान का प्रस्ताव है। इसी तरह खीरी और बलरामपुर में संचालित योजना द्वारा चिकित्सालयों की स्थापना, इस योजना के अन्तर्गत 2011-12 में 5.26 लाख का व्यय किया गया है, वर्ष 2012-13 में 3.25 लाख रुपये व्यय का प्राविधान प्रस्तावित है। श्रीमन् जिस तरह से एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट उत्पीड़न अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है, उसी तरह से जन जातियों के उत्पीड़न में भी वही लाभ, वही सहायता दी जाती है जो अनुसूचित जाति के लिए होता है।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए)

जिस तरह से अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की बेटियों की शादी के लिए भी समाज कल्याण विभाग से व्यवस्था है। मद्य निषेध में 2011-12 में 312.19 लाख का प्राविधान था। वर्ष 2012-13 के लिए 342.88 लाख का प्राविधान है। श्रीमन् यह प्रचार के लिए है कि समाज में इस तरह का प्रचार किया जाए कि शराब के वजह से परिवार बर्बाद हुआ है और परिवार में बिखराव हुआ है इस उद्देश्य से मद्यनिषेध में इस बजट का प्राविधान है श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी कितना समय और लेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, बस मुश्किल से 5 मिनट और लेंगे। एस0सी0एस0टी0 में इसके बाद क्या कटौती रह जायेगी। इसके बाद कटौती में रह क्या जायेगा। श्रीमन् यहां पर हमने पहले ही कहा है कि लखनऊ के अंदर ही 300 अभ्यर्थियों को प्रवेश क्षमता। पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति जनजाति,

अनुसूचित जाति को 45 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को 5 प्रतिशत पिछड़ी जाति को 50 प्रतिशत को कोचिंग हेतु प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 250.35 लाख का प्राविधान था। वर्ष 2012-13 में 238.43 लाख का प्रस्ताव है। श्रीमन् इस देश के सम्मान में सैनिकों का बड़ा योगदान है। सैनिकों का एक गौरवशाली इतिहास है और उन भूतपूर्व सैनिकों के पूर्व सैनिकों के और शहीद सैनिकों की पत्नियों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निदान हेतु उनके कल्याण हेतु हमारी सरकार सतत् प्रयत्नशील है। पूर्व सैनिकों के जीविकोपार्जन हेतु स्वरोजगार, द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को पेंशन एवं उनकी पत्नियों को विभिन्न मदों में समय-समय पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उद्यमिता विकास एवं सतत् रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। विभाग ने 2011-12 में 4420.72 लाख का प्राविधान किया था तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 4437.94 लाख का प्राविधान किया है। श्रीमन् यह विभाग की हमारी मुख्य-मुख्य योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी तमाम और योजनाएं हैं, जिसमें हम अनुसूचित जाति-जनजाति के बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगारपरक बनाते हैं। उनको ऐसा प्रशिक्षण का मौका देते हैं कि अपने जीवन में उनके सामने रोजी और रोटी की समस्या न पैदा हो। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं और हम चाहेंगे कि इन योजनाओं का लाभ श्रीमन् सबको मिले जिसके लिए है, क्योंकि ये किसके लिए है जो समाज में सबसे पिछली कतार में बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं और जिसकी तरफ अभी तक देखा नहीं गया है तो हमारी सरकार का हमारे नये मुख्य मंत्री का यह संकल्प है समाज को कि उन लोगों की तरफ हमारी पहली निगाह होगी जो आज पिछली कतार में बैठा हुआ है, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है और जिसका कपड़ा फटा हुआ है, जिसके हाथ में रोजगार नहीं है। इस तरह की योजनाएं लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मान्यवर, आज हम इस सदन के सभी सदस्यों को यह प्रार्थना करेंगे कि पूरी तरह से चौकसी रखें कि समाज कल्याण विभाग की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ समाज के उन लोगों तक पहुंचाएं। सदियों से जो परेशान हैं, थके हैं, भूखे और प्यासे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा काम और कुछ नहीं हो सकता है और हम और आप मिलकर एक ऐसा हिन्दुस्तान बनाएं, ऐसा समाज बनाएं जिस समाज की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी और जिस समाज की कल्पना डा0 राम मनोहर लोहिया ने की थी और जिस समाज की कल्पना आचार्य नरेन्द्र देव ने की थी और जिस समाज को बनाने का संकल्प मा0 मुलायम सिंह यादव और उनके कदमों पर चलने वाले उनके बेटे हम लोगों के नेता और इस आदरणीय सदन के नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री का भी यही सपना है और यही संकल्प है। यही सपना है, यही संकल्प है कि इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना करके इन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर फायदा देकर इस समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम उन लोगों को किया जाये, जो पीछे हैं। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि मेरी बात को आपने सुनने का काम किया है। मैं यहां बैठे हुये सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आज वह जाना भी चाहते थे लेकिन अपना टिकट रद्द करके इस समाज कल्याण विभाग के बजट को सुनने के लिये बैठे हैं। मैं समझता हूं कि समाज कल्याण विभाग, वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, उसको साकार करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मैंने अनुदान संख्या-79 विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित अनुदानों को माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया था, उसके बाद

अन्य मांगों को माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मान्यवर, इस विभाग के कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जो हैं और जिन कार्यों के लिये इस सम्मानित सदन के सामने मैंने बजट के माध्यम से धन की स्वीकृति की अपेक्षा की है, उसके कुछ क्रियाकलापों के संबंध में संक्षिप्त रूप में जानकारी देना चाहूंगा। मैं जान रहा हूं कि आज के बाद सदन कई दिन के लिये उठने वाला है इसलिए सदन में बैठे हुये सभी सम्मानित साथी आज उस भाव से बात को नहीं सुन रहे हैं, जिस भाव से वह कल तक सुनते रहे हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलांग और पिछड़ा वर्ग कल्याण के कुल प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान 2083 करोड़ 91 लाख 9 हजार है। जिसमें राजस्व मद में रु0 1912 करोड़ 1 लाख 19 हजार तथा पूंजी मद में रु0 171 करोड़ 89 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित व्यय में रु0 834 करोड़ 68 लाख एक हजार की व्यवस्था आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 1188 करोड़ 84 लाख 11 हजार की व्यवस्था आयोजनेत्तर पक्ष से प्रस्तावित है। उक्त के साथ-साथ आयोजनेत्तर पक्ष से रु0 60 करोड़ 56 लाख 97 हजार की व्यवस्था पूंजी लेखा के अन्तर्गत की गयी है। इस प्रकार आय-व्ययक में कुल रु0 2083 करोड़ एक लाख 9 हजार की व्यवस्था प्रस्तावित है, इन दोनों विभागों के लिये इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत है, वह पिछले साल की अपेक्षा 37.73 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है। मान्यवर, पिछले वर्ष जो वित्तीय व्यवस्था की गयी थी, उससे लगभग 570 करोड़ 97 लाख इस वर्ष अधिक है। मान्यवर, जिस पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये यह प्रस्ताव हमने सदन में प्रस्तुत किया है, उनकी आबादी सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 54.5 प्रतिशत है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समय देश आजाद हुआ था, उसी समय सामाजिक व्यवस्था को देखते हुये, उन्होंने विशेष अवसर के सिद्धान्त को स्वीकार किया था कि समाज के सब वर्गों को एकरूपता में रखने के लिये सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े चाहे अनुसूचित जाति कि भाई रहे हों, अनुसूचित जनजाति के भाई रहे हों या पिछड़े वर्ग के लोग रहे हों, उनके लिये संवधिान में व्यवस्था की गयी थी कि इनको विशेष अवसर देकर इनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाया जाये और इनको समाज में सबके समकक्ष लाया जाये। इसलिये मान्यवर, राजनीतिक कारणों से हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को, जनजाति के भाइयों को पहली ही लोक सभा में सरकार बनने के बाद लाभ देने की योजनायें आई, लेकिन 20-25 वर्ष तक केन्द्र की सरकार ने इस पर कुछ सोचने का काम नहीं किया। कालान्तर में जो राजनैतिक परिवर्तन हुआ, सन् 1977 में तथा सन् 1989 में, तब जाकर पिछड़े वर्गों के संबंध में चाहे सरकारी सेवायें हों, चाहे उनको समाज के साथ जोड़ने के लिये उनके विकास के लिये अनेक उन्नयन के कार्य हो, तब से यह योजनायें पिछड़े वर्ग के लिये प्रारम्भ की गयी है। लेकिन एक बात मान्यवर, आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन को कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश सरकार अपना आय-व्ययक (बजट) लेकर आती है तो उसमें केन्द्र सरकार की कुछ वचनबद्ध प्राप्तियां भी होती हैं। मान्यवर, इस समय जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा हूं, पिछड़े वर्ग का, तो विछले वर्षों में भारत सरकार ने, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, संयोग से इस समय कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अपनी वचनबद्धता को नहीं पूरा किया। क्योंकि जो योजनायें यहां प्रस्तावित थी, उनकी वचनबद्धता के आधार पर जैसे मान्यवर, हम पिछड़े वर्ग की शिक्षा के उन्नयन की कुछ योजनाओं को केन्द्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर चलाया था, लेकिन उनकी पूर्ति विगत कई वर्षों में लगभग 1300 करोड़ से अधिक रुपया इस मद में पिछले दिनों तक नहीं देने का काम किया गया, जिसके कारण पिछड़े वर्ग की चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे शुल्क प्रतिपूर्ति हो और चाहे अन्य जो योजनायें पिछड़े वर्ग के हितों में चलाई गयीं, उनका शति-प्रतिशत आय-व्ययक प्रस्तुत होने के बाद भी

उसको संतृप्त नहीं किया गया। आज उन्हीं योजनाओं के अन्दर कुछ योजना शिक्षा के उन्नयन के लिये, पिछड़े वर्गों के लिये, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग करता है जैसे मान्यवर, पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना ये 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पोषित योजना है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना यह 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, यह 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। यह योजना दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का ही एक अंग है। इसके अतिरिक्त छात्रावास निर्माण योजना 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है। इसी प्रकार शादी की योजना, जो हम पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिये अनुदान देते हैं या बीमारी में जो अनुदान देते हैं, यह भी शत-प्रतिशत राज्य की योजना है। ओ-लेविल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना जो हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब बच्चे हैं, जिनको कम्प्यूटर की ट्रेनिंग देकर के उनको रोजगार पाने का अवसर मिलता है, वह भी योजना राज्य सरकार की है, इस मद में केन्द्र सरकार की वचनबद्धता के बाद भी केन्द्र सरकार ने कोई भी योगदान नहीं दिया है, इसलिये पिछले दिनों में हम लोगों ने केवल पत्राचार ही नहीं किया बल्कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी से मिलकर केन्द्र सरकार की वचनबद्धता को याद दिलाया है। जब हम केन्द्र सरकार से कोई चीज मांगते हैं, तो हम अपने राज्य का हक मांगते हैं, अगर पिछड़े वर्ग के लिये हमारे आय-व्ययक में कुछ प्रस्ताव होता है तो मान्यवर, उनकी वचनबद्धता के आधार पर उस धनराशि की व्यवस्था के लिये हम अपने प्रदेश के सदन में आय-व्ययक प्रस्तुत करते हैं। पिछले वर्ष छात्रवृत्ति योजना और अन्य योजनाओं से 3284 करोड़ 66 लाख जो पिछले दिनों नहीं अवमुक्त किये गये थे, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री से और उस विभाग के मंत्री से पत्र लिखकर ही नहीं मिल करके प्रदेश के पिछड़ों के हक की पूर्ति के लिए आग्रह किया है कि प्रदेश की 54 प्रतिशत से अधिक लोगों की इस मांग को केन्द्र सरकार मानेगी और जो कार्ड हम प्रस्तुत किये हैं उसकी बचनबद्धता के आधार पर उसका हम शत-प्रतिशत पालन करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक आवश्यकता है। इसीलिए आज इन योजनाओं के सापेक्ष जो हम लोगों ने इस साल परिव्यय निर्धारित किया है वह पिछले वर्ष की अपेक्षा, पूर्व दशम छात्रवृत्ति का परिव्यय इस साल हम लोगों ने 74 करोड़ 343 लाख 84 हजार रखा है जो पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत से अधिक है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 332 करोड़ 16 लाख 85 हजार रखा है जो पिछले वर्ष से लगभग 59.24 प्रतिशत अधिक इस साल प्रस्तावित आय-व्ययक है। दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना जो पिछले वर्ष कुछ ही बच्चों को मिल पायी थी, इस साल हम लोग बचनबद्ध हैं। हम तो अपेक्षा करेंगे केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत पोषित योजना है लेकिन हमारी सरकार की बचनबद्धता है, उस बचनबद्धता को दोहराते हुए हम मा0 सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमने अपने दिये गये आय-व्ययक के अनुसार हम अपने राज्य के संसाधनों से इस आवश्यक मद में पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इस मद में पिछले साल की अपेक्षा हम लोगों ने अपने बजट में लगभग 104 प्रतिशत की वृद्धि की है। क्योंकि पिछले वर्ष आय-व्ययक के दिग्दर्शन की प्रति देखेंगे कि कितने पिछड़े वर्ग के बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति होती है वह मामूली हो पायी थी। आय-व्ययक प्रस्तुत रहा होगा 2011-12 का, लेकिन केन्द्र सरकार के धन न देने के कारण प्रदेश सरकार ने भी संवेदनहीनता दिखाते हुए प्रयास पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए नहीं किया। मान्यवर, इसी तरह से छात्रावास निर्माण योजना में भी हम लोगों ने 100 प्रतिशत की वृद्धि की है इस साल के बजट में। शादी-बीमारी की योजना में अबकी बार हम लोगों ने 80.67 प्रतिशत पिछले साल की अपेक्षा वृद्धि की है। इसी तरह से ओ लेविल कम्प्यूटर में जो ट्रेनिंग का है वह तो वैसे ही है।

इसी तरह से विकलांग विभाग के अंतर्गत कुछ विशिष्ट योजनायें इस साल मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार ने विशेष रूप से उस पर ध्यान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 276 करोड़ रुपये की प्राविधानित धनराशि से लगभग 8 लाख, आज तक जो विकलांग पेंशन मिलती थी, कोई मर जाता था, किन्हीं कारणों से स्थान रिक्त होता था, नये लोगों को वह सुविधा नहीं मिलती थी। नये फार्म बहुत जमा होते थे विकलांगों के लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी। इस साल हम 75 हजार नये लाभार्थियों को चयनित करेंगे जो पात्र होंगे, उसके लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। इसी तरह से सहायक उपकरण अनुदान योजना में 350 करोड़ रुपये का प्राविधान लगभग 7 हजार विकलांगजनों को लाभान्वित किया जाना है। इस मद में भी हम लोगों ने 7 हजार नये लोगों का लक्ष्य मान करके धन का प्राविधान किया है। मान्यवर, साथ ही साथ हमने शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत भी इस वर्ष रुपये 2.10 करोड़ का प्राविधान किया है। जिससे लगभग 1400 दम्पतियों को लाभान्वित किया जायेगा। मान्यवर, मैं इसमें यह बताना चाहता हूं कि गत वर्ष तक विकलांग जन से विवाह करने पर दम्पति में वर के विकलांग होने पर रुपये 11 हजार तथा वधू अथवा दोनों के विकलांग होने पर रुपये 14 हजार की धनराशि अनुदान के रूप में प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती थी वर्तमान सरकार द्वारा इस धनराशि को बढ़ाकर रुपये 11 हजार से रुपये 15 हजार तथा रुपये 14 हजार से बढ़ाकर रुपये 20 हजार कर दी गयी है। मान्यवर इसी तरह से उच्च शिक्षा अध्ययनरत् दृष्टि बाधित छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गोरखपुर में एक छात्रों हेतु तथा एक छात्राओं हेतु लखनऊ में एक छात्रों हेतु और एक छात्राओं हेतु, मेरठ में एक छात्रों हेतु तथा इलाहाबाद में एक छात्रों हेतु निर्मित 6 विभागीय छात्रावास भवनों का संचालन इस वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा। मान्यवर, दृष्टि बाधित बालिकाओं के लिए जनपद गोरखपुर तथा दृष्टि बाधित बालकों के लिए जनपद मेरठ में विभाग द्वारा निर्मित इण्टरमीडिएट विद्यालयों का संचालन इस वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा। मान्यवर, जनपद बांदा में दृष्टिबाधित बालकों के संचालित हाई स्कूल का उच्चीकरण करने हेतु निर्मित विभागीय भवन में इण्टर सेक्शन का संचालन इस वर्ष प्रारम्भ किया जायेगा। यह उम्मीद है कि इसी वर्ष जुलाई से यहां इण्टर की पढ़ाई प्रारम्भ हो जायेगी।

मान्यवर, मैं मा0 सदन की भावनायें समझ रहा हूं और संक्षिप्त कर रहा हूं मान्यवर, हमारा जो यह विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है इसमें मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में बहुत अच्छी-अच्छी योजनायें बनायी गयी हैं और इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम इन वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और इसी लिए यह बजट का परिव्यय सम्मानित सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है मान्यवर, यह समाज के संवेदनशील क्षेत्रों की सेवाओं के लिए उनकी धन की स्वीकृति के लिए यह प्रार्थना निवेदित है। मान्यवर, जो आप कटौती की बात रख रहे हैं। मान्यवर, अगर इस संवेदनशील सेवाओं में बजट की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जायेगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे सर्व सम्मति से पारित करने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदन और सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही मा0 समाज कल्याण मंत्री जी ने अपना एक चौथाई महत्वपूर्ण बातें ही अपने बजट भाषण में बतायी है। इसी तरह से मा0 विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग विभाग का बजट रख रहे मा0 मंत्री जी ने भी संक्षेप में अपनी बात रखी है। इसलिए अब इस पर कटौती का प्रस्ताव रखने का कोई सवाल नहीं है। हम लोगों ने यही

अनुरोध किया था कि हम संक्षेप में अपनी बातें कह देंगे और आप कटौती नहीं रखेंगे तो अब इसका पालन करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राजबली जैसल जी आप किन-किन अनुदानों पर कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी माननीय समाज कल्याण मंत्री द्वारा जो 2012-13 और माननीय विकलांग कल्याण और पिछड़ा कल्याण मंत्री द्वारा 2012-13 का बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय मंत्री जी ने अपनी विशिष्ट शैली एवं शब्द जाल द्वारा इस उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने का जो प्रयास किया तथा तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी और अपनी तारीफ भी की। मान्यवर, वास्तविकता यह है कि आज उत्तर प्रदेश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा विकलांग के लोग जहां पर आज भी 60 से 70 प्रतिशत लोग अक्षम, अशक्त असहाय एवं गरीब हैं जिन्हें आज भी पर्याप्त रूप से संरक्षण एवं सरकारी सहयोग नहीं मिल पा रहा है उनकी सुखद जिन्दगी और समाज में यह जो गैर बराबरी का आलम चला आ रहा है जिसके कारण पूर्ण रूप से उत्थान नहीं हो पा रहा है। जब तक इनका शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक उत्थान पूर्ण रूप से नहीं होगा तब तक बराबरी पर नहीं आ पायेंगी, और ऐसी स्थिति में जब मंहगाई अपनी चरमसीमा पर हो। बजट प्रस्तुत कर देने से ही सर्वांगीण विकास नहीं होगा जब तक उसके लिए एक कुशल प्रशासन उचित प्रबन्धन सुपरवीजन और मानीटरिंग सही तरीके से नहीं होगी। इस बजट का सही तरीके से प्रयोग नहीं होगा तो इस बजट का दुरुपयोग होगा और धन का सदुपयोग करना मात्र

कल्पना रह जाएगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट लाया गया है निश्चित रूप से मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक और संवेदनहीनता भरा बजट है। इतना ही नहीं बल्कि मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय समाज कल्याण मंत्री जी आप द्वारा आज जो बजट लाया गया है यह निश्चित रूप से दलित विरोधी बजट है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा अभी आपने राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन की बात की थी। इस समाज के वृद्ध लोग जिनकी जीविका का कोई सहारा नहीं होता है उन्हें प्रतिमाह पेंशन इसीलिए दी जाती है कि आज महंगाई अपने चरमसीमा पर है। सदन में तमाम सदस्य लोग अपनी बात कहते समय कहते हैं कि ईंटा मंहगा हो गया सरिया मंहगा हो गया सीमेंट मंहगी हो गई मान्यवर, क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोग जो निराश्रित हैं जिनका कोई सहारा नहीं है उनकी जो पेंशन की धनराशि मिलती है क्या उस धनराशि में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता थी तो निश्चित रूप से इस बजट में प्राविधान होना चाहिए था। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा इसके पहले जब आदरणीया बहन जी मुख्य मंत्री थीं तो जो 150 रुपये पेंशन मिला करती थी उनको 300 रुपये करने का काम किया था। मैं तो बधाई देना चाहता हूं आदरणीया बहन जी को कि 150 से बढ़ाकर 300 रुपये करने का उन्होंने काम किया था।

श्री रामकरन आर्य-

यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, सच्ची बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज यह महसूस हो रहा है कि निरीह गरीब असहाय लोगों की पेंशन में बढ़ोत्तरी होना चाहिए थी लेकिन आज नहीं हुआ।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय सदस्य सदन में गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शांत रहें। जब आपको मौका मिले उस समय अपनी बात रखें।

श्री राजबली जैसल-

मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि जो पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या 17 लाख थी आदरणीया बहन जी ने उसको बढ़ाकर लक्ष्य को 29 लाख करने का काम किया था। मान्यवर, इतना ही नहीं आपका यह बजट बताता है कि 2011-12 में इस योजना के अन्तर्गत 1773 करोड़ 59 लाख का प्राविधान किया गया है। यानी 300 करोड़ का सीधे-सीधे बजट में कटौती किया गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह दलित विरोधी सरकार है। मान्यवर, इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना जो बनाया गया था जिसकी नकल आज आप इस योजना को बन्द करके किया बहुत अच्छी बात है अच्छे काम का नकल करना भी बहुत अच्छी बात है। मान्यवर, इस योजना को इसलिए बनाया गया था कि जो तमाम बी0पी0एल0 परिवार अन्त्योदय कार्डधारक नहीं हैं जिसको किसी भी योजना से कोई लाभ नहीं मिलता था उसको 400 रुपए पेंशन देने का प्राविधान किया गया था। आपने इस योजना को बन्द करके रानी लक्ष्मी बाई पेंशन

योजना चालू किया यह अच्छी बात है लेकिन एक बात का संशय पूरे प्रदेश में है कि क्या इस योजना के अन्तर्गत अब जिनका विगत वर्षों में चयन पेंशन के लिये हुआ था, रु0 400 महीना दिया जा रहा था, क्या उस लाभार्थी को इसका लाभ देंगे या कोई नये सिरे से इसका चयन करेंगे। यह पूरे प्रदेश में एक भ्रान्ति है। लेकिन मान्यवर, मैं इसमें भी कहना चाहूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत आपने बहुत बड़ी कटौती करने का काम किया है। मैं डीटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय कम है। मान्यवर, अभी राजकीय आश्रम पद्धति की बात आपने कही, राजकीय आश्रम पद्धति में भी इसी तरीके से मा0 मंत्री जी ने अपने बजट को जिस तरह से सराहा है। मैं कहना चाहूंगा कि राजकीय आश्रम पद्धति में रहने वाले छात्रों को जिनको बहुत दिनों से अच्छा खाना खाने, अच्छे कपड़े पहनने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आदरणीय बहन जी ने एक अच्छी बात सोची और उनके रहन-सहन को ठीक करने के लिए खाने में जहां 550 रुपये प्रति माह मिला करता था उसको बढ़ा करके 1200 रुपये करने का काम किया था और सूती वस्त्र के लिए 300 रुपये से बढ़ा करके 850 रुपये और ऊनी वस्त्र के लिये 1500 अलग से वार्षिक धन देने की घोषणा करने का काम किया था। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा राजकीय आश्रम पद्धति में मा0 मंत्री जी ने कहा कि उसके संचालन में जो उन्होंने बजट का प्राविधान किया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये, उसमें भी 2011 में 9867 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी लेकिन आपने उसको घटा करके 4180 करोड़ करने का काम किया, इसमें भी लगभग 560 करोड़ की कटौती करने का काम किया है। मा0 मंत्री जी आपकी बजट पुस्तिका में है और किसी दूसरी जगह नहीं है। अनुसूचित जाति की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिये आपने जो कहा, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 2011-12 में लगभग 1100, इस फीस की प्रतिपूर्ति में लगभग हर साल एक सिस्टम होता है कि छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति में कम से कम 15 परसेण्ट की बढ़ोत्तरी करनी चाहिये कि जिससे आने वाले समय में जो तमाम ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस की प्रतिपूर्ति कर दी जाये। लेकिन इसमें भी कटौती करने का काम किया है। अनुदान संख्या-80 आयोजनागत में 330 करोड़ रुपये और 2673 करोड़ रुपये करने का काम किया है तो इसलिये आज इसमें भी आपने बड़ी अच्छे तरीके से कटौती करने का काम किया है। मान्यवर, अभी आपने कहा कि अनुसूचित जाति के शादी अनुदान में तो शादी अनुदान के लिये मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर, आज जो शादी अनुदान 10 हजार रुपये मिल रहा है। मा0 मंत्री आप और हम भी उसी समाज के हैं जिस समाज की पीड़ा आपको होगी, आपको उत्तर प्रदेश की पीड़ा होनी चाहिए। आज ऐसे समाज के लोगों को मात्र 10 हजार रुपये मिल रहा है। जैसे कि कोई मा0 सदस्य 20 हजार की बात कर रहे हैं उसके लिये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग हल्ला तो कर ही देंगे। लेकिन आदरणीया बहन जी ने बुन्देलखण्ड के मण्डलों को 20 हजार रुपया करने का काम किया था। आज आवश्यकता थी आपको आज के इस बजट में ले आने की कि कम से कम इस तमाम महंगाई को देखते हुय आपको कम से कम शादी अनुदान को 20 हजार रुपये करने की आवश्यकता थी। अगर आप 20 हजार रुपये नहीं किये तो बुन्देलखण्ड की तर्ज पर तमाम ऐसे जनपद हैं। जैसे सोनभद्र है, राबर्ट्सगंज है, मिर्जापुर है, जहां पर तमाम कोल जाति के लोग निवास करते हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति आज भी पिछड़ी हुयी है। उसी तरह से इलाहाबाद के जमुना पार में विकास खण्ड कोरांव, माण्डा मेजा और शंकरगढ़ का ब्लाक है जो तमाम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तमाम कोल जाति के लोग हैं जिनका स्तर आज भी नीचे है। कम से कम आपको इसमें बढ़ोत्तरी करके 10 हजार से 20 हजार रुपये शादी अनुदान करने की आवश्यकता थी।

श्री अधिष्ठाता-

राजबली जी, कितना समय और लेंगे ?

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, कुछ तो बोल दें आपने जो कहा उसका जवाब तो दे दें। मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि आज ऐसे अनुसूचित जाति के लोगों को तमाम जो प्राविधिक शिक्षा संबंधी सुविधएं मिला करती थीं आपने उसमें भी कटौती कर दी है। और वह भी थोड़ी नहीं बड़े पैमाने पर लगभग 80 प्रतिशत कटौती करने का काम आपने किया है। इसलिये हमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे समाज के लोगों की चिन्ता नहीं है कि ऐसे समाज के लोग भी पढ़ लिख कर अच्छी जगह पर पहुंच जायं। या तो मैं यह कह दूं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं कि यह अपना मुंह खोलकर अपने बजट में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते। हमें लगता यही है इसलिये सम्मानित अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेरिट उच्चीकृत किये जाने पर केन्द्र पुरोनिधानित योजना है उसमें भी बड़े पैमाने पर कटौती करने का काम हुआ है। मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावास के संचालन के लिये 1768 करोड़ रुपये पहले था, इसमें थोड़ी सी बढ़ोत्तरी आपकी सरकार ने करी है, इसको 1906 करोड़ कर दिया है। इसलिये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा लेकिन बधाई आपको अच्छा तब लगता जब इसमें 15 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी होती तो लगता कि आपने इसमें कुछ अच्छा काम किया है। सम्मानित अध्यक्ष जी, विमुक्त जाति के लिये भी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें 2011-2012 में आयोजनागत के पक्ष में जो पूर्व छात्रवृत्ति थी उसमें 4 करोड़ 55 लाख रुपये था उसमें भी आपने कटौती करके मात्र 50 लाख रुपये करने का काम किया है। इसमें भी बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। माननीय मंत्री जी आप इसको देख लीजियेगा। मान्यवर, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति कि पूर्व दशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भी आपने जो बजट में प्राविधान रखा है उसमें भी आपने बड़े पैमाने पर कटौती करने का काम किया है। आपने निराश्रित, विकलांग व्यक्तियों के भरण पोषण विकलांग पेंशन में मान्यवर, जो शारीरिक रूप से दृष्टि बाधित, मूक बाधित, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग एवं निराश्रित हैं, जिनके जीवन यापन के लिये स्वयं न तो कोई साधन होता है न वह किसी प्रकार का कोई ऐसा परिश्रम कर सकते हैं कि अपना भरण पोषण कर सकें।। उनके कल्याण के लिये, उनके भरण पोषण के लिये 300 रुपये प्रतिमाह की दर से उनको पेंशन दी जाती है मान्यवर, इसमें 2011-12 में चाहे आयोजनागत लागत के पक्ष में, आयोजनेत्तर के पक्ष में या सी0पी0 के पक्ष में और टी0एस0पी0 के पक्ष में तीनों चारों जोड़ देंगे तो इसमें भी आपके स्तर से बड़े पैमाने पर कटौती किया गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अन्य अनुसूचित जाति की जो तमाम विकास सम्बन्धी योजनाए हैं उसमें भी बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। बल्कि इतना ही नहीं अनुसूचित जनजाति की विकास संबंधी योजनाएं जो अनुसूचित जन जाति की छात्राएं हैं, जिनको यूनीफार्म और साइकिल अनुदान में दिया जाता था उसमें भी 2011-12 में 50 लाख की व्यवस्था थी और आज 2012-13 में आपके द्वारा एक रुपये की भी व्यवस्था नहीं की गई है। यह आपकी पुस्तिका में लिखा हुआ है। सम्मानित अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जन जाति के उत्पीड़न, अत्याचार पर भी जो सहायता राशि दी जाती थी उसमें भी आपने बड़े पैमाने पर कटौती करने का काम किया है। आधे से ज्यादा जो बजट था उसमें आधे का ही आपने बजट में प्राविधान करके उसमें भी कटौती करने का काम किया है। यह अच्छी बात नहीं है कि आप इतनी बड़ी कटौती करें और

उसके बाद भी आप अपनी पीठ थपथपवायें उत्तर प्रदेश में ऐसे समाज के लोग जो वास्तव में तमाम सदियों से दबा कुचला चला आ रहा है जो वास्तव में अपने स्तर को ऊंचा करने के लिये आज प्रयासरत् है। मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसे लोग, जो बगल में बैठा करते हैं, आज वह लोग नहीं हैं। सदियों से इनकी सरकारें थीं, सदियों से यह अनुसूचित जाति के विकास का काम करने का बीड़ा उठाये थे और विकास करने का काम ये लोग कर रहे थे लेकिन इनके सरकार ने कोई विकास नहीं कर सकी इसलिए किनारे जाकर बैठे हैं। इनको चिन्ता रहती है कि आज आप उधर हैं, कल इधर हो जाएंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूं मान्यवर, आप जहां पर हैं वही सुरक्षित रहने का काम करिए। आप न उधर बैठ सकते हैं और न आप इधर बैठ सकते हैं आप वहीं पर बने रहिए।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

शान्ति बनाए रखिए।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, सैनिक कल्याण पुनर्वास योजना है, मान्यवर, उत्तर प्रदेश के ऐसे निवासी जो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक थे या दिवंगत सैनिकों की जो पत्नियां हैं उनको किसी अन्य स्रोत से मदद नहीं मिल पा रही है। उनके लिए 1 अगस्त, 1990 से . . .

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाएं। शान्ति बनाए रखें।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, जो पेंशन की योजना थी वह 1 अप्रैल 2005 में एक हजार रुपये थी लेकिन उसको बढ़ाकर आदरणीया बहनजी ने एक हजार से ढाई हजार करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। ऐसे लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्व सैनिक या उनकी विधवा पत्नियां थीं।

श्री अधिष्ठाता-

जैसल जी, आपको दुबारा फिर बोलने का मौका मिले। कृपया समाप्त करें। समय का ध्यान रखें।

श्री राजबली जैसल-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण मंत्री जी आपको चिन्ता होनी चाहिए थी ऐसे समाज के लोगों की, जो वास्तव में अपने पैरों पर पूर्णरूपेण से नहीं खड़े हैं। उधर के तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्ता होनी चाहिए थी आपने उनकी चिन्ता नहीं की और उनकी चिन्ता किए बिना ही इस बजट को पेश किया इसलिये मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि सरकार और मंत्री जी दलित विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मेरे पास करीब 15 नाम आए हैं। अगर आप लोग एक-एक डेढ़-डेढ़ मिनट में अपनी बात कहें तो सबको मौका मिल जाएगा। 6 बजकर 5 मिनट पर यह बजट पास हो जाएगा। तो बिना भूमिका के नम्बर-1, नम्बर-2 करके सुझाव दे देंगे तो ठीक रहेगा।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा एक अनुरोध है आपसे कि जितना समय लग रहा है। स्वभाविक रूप से सबको जल्दी है और कई दिन की छुट्टी है। मैं दूसरा अनुरोध करना चाहता हूं मा0 सदस्य जो अपने सुझाव रखना चाहते हैं वह चाहे संक्षेप में ले लें लेकिन उनकी संख्या कम न करें। अब चाहे सवा छः बजे, चाहे साढ़े नौ बजे सदन में। क्योंकि मान्यवर, जब यही होना है सदन में कि किसी सदस्य को आपके निर्देश के अनुसार स्वयं पर अनुशासन नहीं रखना है तो बाकी सदस्यों को जो अच्छे सुझाव देना चाहते हैं। उस पर क्यों रोक लगे।

*श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी एवं सभी माननीय सदस्यगण, समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत किए गए बजट का मैं समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्ति बनाए रखें। आपस में बात न करें।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं समाज के विकलांग एवं कमजोर वर्गों के प्रति सदैव सजग एवं संवेदनशील रही है। समाज के कमजोर वर्गों की ठेकेदारी जो हमारे माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, कुछ पार्टियां राजनैतिक स्वार्थ के लिए कर रही हैं तथा ऐसी पार्टियों ने इन वर्गों का बहुत बड़ा नुकसान किया है पूर्व सरकार की नीतियों से कमजोर वर्ग के कल्याण के बजाय उनके प्रति अन्य वर्गों में वैमनस्यता एवं घृणा पैदा करवाई गई है। समाजवादी पार्टी समाजिक सौहार्द के लिए काम करती है चाहे रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना हो या अन्य कोई योजना हो, उससे दलित वर्ग के लोगों का अत्यधिक लाभ होगा। पूर्व सरकार के बजट एवं नीतियों से नेताओं की तिजोरी तो भर गई लेकिन दलित एवं सामान्यजन के हितों को नजरन्दाज कर दिया गया था। मान्यवर, समाजवाद का दर्शन इन्हीं वर्गों के उत्थान से है, जैसा कि इस बजट से स्पष्ट है, आने वाले समय में दलित वर्ग यह महसूस करेगा कि माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार की नीतियां दलित वर्ग के कल्याण के लिए है और वह इनके लिए प्रतिबद्ध है। मान्यवर, विधवा पेन्शन, किसान पेन्शन, डा0 राम मनोहर लोहिया योजना जिसकी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है। डा0 राम मनोहर लोहिया कोचिंग की व्यवस्था यह सरकार कर रही है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से यह भी घोषणा इस सदन में व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि जब आप हमारी विधान सभा ज्ञानपुर में वर्ष 2006 में गए थे, ज्ञानपुर विधान सभा के अन्तर्गत गोपीगंज में एक आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन में आ करके आपने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तत्कालीन जिलाधिकारी भदोही, श्री गौरी शंकर प्रियदर्शी जी ने ग्राम सभा बीरमपुर में करीब पौने 8 एकड़ भूमि की स्वीकृति करके आपके पास भेज दिया था। लेकिन वह जो दलित विरोधी सरकार आई 2007 में उसने उस विद्यालय को निरस्त कर दिया। मान्यवर, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और वह जनहित के कार्य कर रही है, दलितों के हित में, ज्ञानपुर भदोही की जनता के हित में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसी सदन में घोषणा करें दें कि आश्रम पद्धति विद्यालय ज्ञानपुर, ग्राम सभा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बीरमपुर में बनेगा। मान्यवर, यह भी बताया गया है कि 71 आश्रम पद्धति विद्यालय आपके प्रस्तावित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का, माननीय पंचायती राज मंत्री जी का, माननीय राजस्व मंत्री जी का और माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है, जो हर वर्ग, दबे-कुचले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े एवं अन्य सताये गए समाज के लोगों की सहायता के लिए है। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 65 साल देश की आजादी के होने के बाद भी आज तक तमाम सरकारें आईं और चली गई लेकिन 30 परसेण्ट से ज्यादा आज भी कमजोर, लाचार लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि हमारा देश मुगलों का साढ़े छः सौ वर्ष गुलाम था तथा डेढ़ सौ वर्ष अंग्रेजों का गुलाम था। इस गुलामी की लड़ाई में देश के तमाम दबे कुचले लोगों को एक आशा थी कि देश की आजादी में हम सहयोग करेंगे, हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हम लोग भी स्वतंत्र होंगे। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे देश में भारत का संविधान जब लागू हुआ, मान्यवर, देश की आजादी की लड़ाई में सरदार भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव जी, महारानी लक्ष्मी बाई, महारानी झलकारी बाई, महारानी ऊदादेवी आदि इस देश के मूल निवासियों ने शहीद हो करके भारत देश को आजाद कराने का काम किया था।

मान्यवर, देश की आजादी के बाद भारत का संविधान बना। भारत के संविधान में समता स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत के संविधान की रचना हुई। मान्यवर, आज तक भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। यदि भारत का संविधान लागू हो गया होता तो आज जो दबे-कुचले, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, जनजाति के लोग हैं वह पूरी तरीके से आजाद हो गये होते। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग में तमाम योजनायें अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अन्य जातियों के लिए जो बनायी गयी हैं चाहे वह विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे वह लड़कियों की शादी में अनुदान की योजना हो सहित बहुत सी योजनायें ऐसी हैं जिनको सदन में तो लागू किया गया है लेकिन गरीब और असहाय लोगों को पेंशन पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तहसील से लेकर ब्लाक तक दौड़ाते हैं लेकिन बिना पैसे कोई प्रमाणित नहीं करता है। वहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो वह बड़े विश्वास के साथ डी0एम0 के पास जाते हैं। डी0एम0 आदेश करते हैं एस0डी0एम0 को, एस0डी0एम0 आदेश करते हैं तहसीलदार को, तहसीलदार आदेश करते हैं नायब को, नायब आदेश करते हैं कानूनगो को और कानूनगो आदेश करते हैं लेखपाल को। तब लेखपाल के पास वह एप्लीकेशन पहुँचती है तो सीधे लेखपाल कहता है कि कुछ लाये हो तो दो वरना तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। बगैर पैसा लिये कुछ भी प्रमाणित नहीं होता है। मान्यवर, चाहे वह विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे पारिवारिक लाभ योजना हो, चाहे शादी के लिए अनुदान की योजना हो उनके लिए जो पात्र हैं वह दर-दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते रहते हैं लेकिन वह साक्ष्य/प्रमाण न दे पाने के कारण उनको लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ उनको मिलता है जो दलालों के माध्यम से सांठ-गांठ करके काम करा लेते हैं, उन्हीं को लाभ मिल जाता है, जो पाने के पात्र नहीं हैं। (कई सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपसे मांग करती हूँ कि हमको बोलने का मौका दिया जाये। तमाम लोग बोलते हैं, घण्टों बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो आप लोग उस पर रोक लगा देते हैं। 33 प्रतिशत आरक्षण हम लोगों का है इसलिये

बोलने का मौका हमको भी दिया जाये। मान्यवर, मैं बताना चाहती हूँ कि समाज कल्याण विभाग में जिस तरह से ठेकेदारों और दलालों का बोलबाला है। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को बैठाकर क्या कोई ऐसा ठोस कदम उठायेंगे जिससे वहाँ के जो पात्र व्यक्ति हैं उनको लाभ मिल सके। मान्यवर, बल्हा, विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड मिहीपूरवा अन्तर्गत मझांव व बोझिया ग्राम पंचायत में 1968 में समाज कल्याण विभाग से 100 परिवारों को 6-6 एकड़ का पट्टा दिया गया था और आवास की व्यवस्था भी दी गयी थी। लेकिन आज तक उन पट्टेदारों को न तो मौके पर कब्जा दिया गया और न आवास की व्यवस्था करायी गयी। मान्यवर, मैं मांग करती हूं कि 192 एकड़ भूमि आज भी खाली पड़ी हुई है और भू-माफियाओं द्वारा कब्जा है। इस पर माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि उस जमीन को खाली कराकर गरीब, कमजोर लोगों के नाम से पट्टा बनाकर दे दिया जाये तथा पट्टेदारों को पट्टे की भूमि पर कब्जा दे दिया जाय। सुविधा मुहैया करायी जाय।

*वाह्य सहायतित परियोजना, डॉ0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे समय दिया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मान्यवर, दो-तीन प्वाइण्ट पर अपनी बात कह कर के अपना भाषण समाप्त करूँगा। क्योंकि मा0 हमारे मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं समझता हूँ कोई क्षेत्र नहीं बाकी है जो छूटा हो। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस समय आबादी 20 करोड़ से ऊपर है जिसमें लगभग 04 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में दलितों की है। दलितों की जो विभिन्न जातियाँ हैं उनको मिलाकर के 04 करोड़ के आस-पास बन रही है। मान्यवर, एक मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल में और पूर्वांचल में हमारे बस्ती मण्डल में एक चमरमंगता जाति है। मान्यवर, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, एक सुझाव है, चमरमंगता जाति है, न तो उसे अनुसूचित जाति में लिया जा रहा है और न उसे अनुसूचित जन जाति में लिया जा रहा है। मान्यवर, चमरमंगता की जो परिभाषा है, [xxx] बिरादरी जो है वह खेती करते हैं, और जो चमरमंगता है इसी जाति का है, वह घूमता रहा ट्राइबल की तरह वह नहीं बस पाया। मान्यवर, इस समय वह अपना गांव बसा लिये हैं, खेतीबारी का भी काम करते हैं और पशुपालन का भी काम करते हैं, लेकिन उनको मान्यवर, न तो अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है और न ही उन्हें जन जाति का दर्जा प्राप्त है। उनके बेटों को, उनकी बेटियों को न छात्रवृत्ति मिलती है और न ही उनको कोई सुविधा मिलती है, और न ही नौकरियों में उनको कोई सुविधा मिलती है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमने भारत सरकार को भी पत्र लिखा था हमारे जो मा0 समाज कल्याण मंत्री हैं इन्होंने भी लिखा था, लेकिन भारत सरकार से इस पर कोई गाईड लाईन नहीं आयी है और इसीलिये आज हमारे जिले में कम से कम पाँच हजार की ऐसी जन संख्या है जो हमेशा अनुसूचित जाति और जन जाति की एकदम सुविधाओं से वंचित हैं क्योंकि उन पर आरोप लगा देते हैं, अगर वह कहीं जाते हैं किसी नौकरी में पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो ? तो मेरी मांग है मा0 मंत्री जी कि आप भारत सरकार को भी लिखें कि यह जातियां आखिर कहां जायेंगी ? इनके लिये क्या किया जा रहा है ? और ये जब यहीं रहती हैं वह ब्राह्मण, ठाकुर वह हो नहीं सकते, मुसलमान वह हो नहीं सकते, जब दलित ही हैं तो कम से कम उनका सर्टीफिकेट बनना चाहिये। दूसरी बात मान्यवर, एक गोण्ड जाति है हमारे पूर्वांचल में रहती है, जिसके यहाँ हमारे एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

एम0एल0ए0 पूर्णमासी देहाती जी हैं। हमारे बस्ती में इनकी तादाद काफी है। भारत सरकार ने इनको जन जाति में सन् 2003 में शामिल किया है, लेकिन बस्ती जिले में और आस-पास के जिलों में इनको न तो जनजाति का प्रमाण और अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मिलता है न तो यह पिछड़ी जाति में हैं, और न तो यह दलित में हैं। इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है और इनको न सर्टीफिकेट दिया जा रहा है। मा0 मुलायम सिंह यादव 2006 में शासनादेश जारी किया था कि इनको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया जाय, मगर पिछली बसपा सरकार ने वह सर्टीफिकेट भी खतम कर दिया और आज वह मारे-मारे फिरते हैं। मान्यवर, आज अनुसूचित जातियों के छात्रावासों की हालत बहुत बद् से बद्तर हो गयी है। क्योंकि अनुसूचित जाति के छात्रावास में कम से कम 10 साल की मैंने अपनी जिन्दगी गुजारी है, इसलिये मुझे उनसे लगाव है। क्योंकि इन्हें महल बनाना है। पत्थर का पार्क बनाना है। नोएडा में महल बनाया है। इन्हें [xxx] की दलितों की, पासी और खटिक के लिए, उनके छात्रावास की कहाँ इनको ध्यान था कि इसे भी बनाया जाय ? आप जाइयेगा तो पायेंगे सारे छात्र रोग से ग्रसित हो जाते हैं, छात्रावासों के कोने-कोने में मच्छर भरे पड़े हैं। वहाँ न तो शुद्ध पेय जल की व्यवस्था है, न लेट्रिन, बाथरूम की व्यवस्था है और एक-एक कमरे में कम से कम सात-आठ बच्चे अपना गुजारा कर रहे हैं। जिन मा0 सदस्य ने कटमोशन लगाया है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पाँच साल में आपने दलितों के लिए किया क्या है ? अभी आपने कहा कि अनुसूचित जाति की लड़कियों को साइकिल मिलती थी, वह खत्म कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी जातियों।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने अपने भाषण में [xxx] शब्द इस्तेमाल किया है, मेरा आग्रह है [xxx] शब्द को कार्यवाही से निकलवा दिया जाय।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं चौथी बार चुनाव जीतकर आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं चला आया आसमान से टपक गया हूँ। मैंने सभी सरकारों को देखा जितना मुलायम सिंह यादव में दलितों के लिए किया है पिछड़ों के लिए किया है उतना किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जाकर के छात्रावासों को देखो कि आज उसकी हालत क्या है और आश्रम पद्धति में, मा0 मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आश्रम पद्धति में टैक्नीकल कॉलेज और नये सिरे से उसको देखिये, क्योंकि यह माना गया है कि आश्रम पद्धति, ये बेसहारा लोगों का है, जिनके रोजी-रोटी का साधन नहीं है। जो एक तरह से निराश्रित और गरीब लोग हैं उनकी भर्ती हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली सरकार ने तो भरपूर लूटा। इस बार कम से कम इन छात्रावासों में घूम करके आप उनको देखने का काम करें और छात्रावास कम से कम अच्छा तो बने ताकि वहाँ से निकले हुये लड़के अपनी ऊँचाई पर पहुँचें। मान्यवर, खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि 2003 में जो दुकानों को निर्माण हुआ है, मान्यवर, यह मुलायम सिंह यादव के जमाने में हुआ है, दलितों के लिए। वर्तमान समय में कितना पैसा इन पर खर्च किया। मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता। अभी कहा गया कि मायावती जी ने इसका पैसा बढ़ाया। मैं कहना चाहता हूँ कि सदन को कभी गुमराह नहीं करना चाहिये और जो सदन को गुमराह करता है

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

मैं समझता हूँ कि वह देशद्रोही है, वह कभी भी सदन में आने लायक नहीं है। सबसे ज्यादा पेंशन अगर बढ़ाया है तो वह मुलायम सिंह यादव ने बढ़ाया है और केवल दलितों का ही पेंशन नहीं उन्होंने चाहे चौकीदारों का बढ़ाने का काम किया हो या अन्य किसी का। क्योंकि चौकीदारी के काम में 90 फीसदी दलित जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने उसको देखा। और आज हमारे यहाँ जो लक्ष्मीबाई पेंशन योजना चल रही है। इससे आपको क्या घबराहट है ? यह एक ऐसी पेंशन है जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए है। जनप्रतिनिधि गांव में जायेगा देख लेगा कि यह गरीब है, अधिकारी वहाँ जायेंगे और देख लेंगे कि यह गरीब है और उनको पेंशन मिल जायेगा। चूँकि हम जानते हैं कि बी0पी0एल0 सूची कैसे बनी है ? हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक एडिशनल जज साहब का बी0पी0एल0 सूची में नाम था और उनका जो गरीब भाई था, उसका बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं था। कलेक्टर को हमने बुलाया, हमने कहा कि यह जज साहब जो बलिया में हैं इनका बी0पी0एल0 सूची में कैसे नाम है और ये जो हमारे नेता हैं, गरीब हैं इसका क्यों नहीं है ? मुझे अफसोस होता है कि कलेक्टर ने कहा कि यह मेरे वश में नहीं है, यह प्रधान ने बनाया है। मेरा निवेदन है कि आने वाली जो हमारी सरकार बी0पी0एल0 सूची बनाये वह बिलकुल निष्पक्षता से बी0पी0एल0 सूची बनाये। गरीबों की सूची बने क्योंकि 5 साल तक जो लूटा-पाटा गया। सारी चीजें लूटपाट ली गयी हैं, प्रदेश तबाह हो गया है। हमको इस प्रदेश को चलाना है और इसे आगे ले जाना है। दलितों का मसीहा अगर कोई डॉक्टर अम्बेडकर के बाद है तो मुलायम सिंह यादव हैं, डॉ0 अम्बेडकर के बाद (मुलायम सिंह) उन्होंने प्रधान बनाया है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने हमें हर ऊँचाई पर पहुँचाया है और आपने क्या किया है ? माननीय अधिष्ठाता महोदय अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो मैंने चमरमंगता और इसके साथ ही साथ जो गोंड जाति का जिक्र किया उनको जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जायं। मा0 मंत्री जी से भी और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी अपील करता हूँ मान्यवर, यह जो गरीब लोग हैं। मेरे दरवाजे पर जब ये आते हैं तो मैं आह भरता हूँ। मेरे बच्चों को तो छात्रवृत्ति मिल जाती है, लेकिन जो हल जोतता है, बकरी पालता है, जो भीख मांगता है उसके बेटे को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। यह दर्द मैं आपसे कहने आया हूँ। बोलने की तो मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं थी मान्यवर, लेकिन दो मुद्दों पर अपनी बात सदन को बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का मैं समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बजट जनहित में है और जनता के हित में है। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

*श्री मो0 मुस्लिम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समाज कल्याण के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मैं आपसे और सत्तापक्ष के मंत्री जी से और सरकार से इस बात को जानना चाहता हूँ कि जो समाज कल्याण विभाग है। ये जब बनाया गया था, उस वक्त और आज भी उसका एक मायने है। मैं समझता हूँ कि गरीब, कमजोर, असहाय, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था उनके लिये यह बनाया गया था। आज माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि एक समाजवादी विचारधारा और उनके लड़के जो हैं हमारे मुख्य मंत्री अखिलेश जी, जो एक अच्छी सोच के तहत् सरकार चला रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। मैं अपने समाज कल्याण मंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूँ कि जिनको विकलांग, वृद्धावस्था और किसान पेंशन असहाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हमारी बहन ने यह बात बहुत अच्छी तरह से अभी सदन के सामने रखी है। सही यह है कि जो दलाल हैं, बीच में जो दलाल हैं, बिचौलिये हैं, जिनके कारण सही लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है। मैंने अपने अमेठी छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के समाज कल्याण अधिकारी से यह जानना चाहा कि यह पेंशन कैसे कट जाती है, क्यों काट दी जाती है और अगर कटती है तो उसकी सूचना क्यों नहीं दी जाती। वहाँ कोई सूचना नहीं हजारों-हजार आदमी मारा-मारा फिर रहा है। वहाँ का जो बाबू है वह चेक में पासबुक का नम्बर गलत लिख देता है और बैंक भेज देता है फिर वह बैंक से समाज कल्याण ऑफिस वापस आ जाता है और फिर से बाबू पैसा ले लेता है, फिर पैसा मिलता है, फिर पैसा भेजा जाता है, यही खेल चला करता है। जो 300 रुपये की पेंशन आप देते हैं उसमें दलालों का पूरा बँटवारा हो जाता है। जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है वह भी सही नहीं मिल पाती है, समाज कल्याण विभाग के लोग सोते रहते हैं, काम नहीं करते। समय का अभाव है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। माननीय मंत्री जी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी वृद्धावस्था, विकलांग और किसान पेंशन देनी है उसके लिए हर ब्लॉक में कैम्प लगाया जाय, डॉक्टर बुलाया जाय और अन्य लोगों को बुलाकर उनको पेंशन वहीं स्वीकृत कर दी जाय और सही लोगों को पेंशन दी जाय। मैं माननीय मंत्री जी का और सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना आपने शुरू की है। यह बहुत अच्छी है, जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है लेकिन वह गरीब हैं, कमजोर हैं, 35 साल की उम्र है, इस पेंशन को आपने उनको देने का काम किया है, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्य मंत्री जी का और सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जय हिन्द।

*श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाजवादी पार्टी का सपना है, संकल्प है कि जो समाज के सबसे शोषित, पीड़ित, कमजोर, असहाय और बेसहारा लोग हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आये। हमारा यह संकल्प है कि जो समाज की अन्तिम पंक्ति में खड़ा है उसको न्याय मिले, उसको उसका अधिकार मिले और यह जो बजट पेश किया गया है इसमें समाज के शोषित, पीड़ित, कमजोर और असहाय लोगों को न्याय और हक देने का काम शुरू हुआ है। समाज में सबसे पीड़ित और कमजोर लोग वह होते हैं जो हमारी बहन जवानी में विधवा हो गई हैं, जो विकलांग हैं, जो साठ साल से ऊपर का वृद्ध है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको पेंशन मिलने का काम होता है। पिछली सरकार में पाँच साल में भ्रष्टाचार और लूट की सारी सीमायें तोड़ दी गयी थीं। विकलांग, विधवा पेंशन के अन्दर घपला करने का काम हुआ था, मान्यवर, हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते है। कि इसकी जाँच करा ली जाय, पहले यह पेंशन 6 महीने में मिलती थी लेकिन पिछले पाँच साल में यह पेंशन हर बार 9-10 महीने में क्यों दी जाती रही, इस पैसे को गबन करने और इस पैसे की लूट करने का काम किया गया है। मान्यवर, पाँच साल में किसी एक उम्मीदवार को पेंशन नहीं मिली, विधवायें इस बात का इन्तजार करती थीं कि जब कोई विधवा मर जायेगी तो उसके स्थान पर हमें पेंशन मिल जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस तरीके से पिछले पाँच साल में काम हुआ है। यहाँ माननीय मंत्री जी ने तमाम घोषणायें करने का काम किया है, जो विकलांग लोग हैं लखनऊ शहर के अन्दर 100-100 कमरों का छात्रावास बनाने का काम किया है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी तीन बार प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं जब वह पहली बार मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने पेंशन की राशि को 100 रुपये करने का काम किया था, जब दोबारा माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री हुए तो उन्होंने इस पेंशन राशि को डेढ़ सौ रुपये करने का काम किया और जब तीसरी बार मुख्य मंत्री हुए तो उन्होंने इस पेंशन राशि को 300 रुपये करने का काम किया और मान्यवर, हम लोगों ने लखनऊ शहर के अन्दर चालीस कैम्प लगाये थे और कैम्प के अन्दर, जो बात हमारी बहन ने कही थी वह सही है कि लेखपाल रिपोर्ट लिखने के नाम पर पैसा मांगते हैं इसलिये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कैम्प लगवाकर पेंशन देने का काम किया जायेगा। दूसरी बात हमारी यह है कि हम चाहते हैं कि तीन बार माननीय मुलायम सिंह जी ने पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम किया है, मान्यवर, अब यह 300 रुपये पेंशन की राशि बहुत कम हो गई है जो मंहगाई बढ़ी है उसके हिसाब से इस पेंशन को बढ़ाने का काम किया जाय, यह मेरी मांग है। मान्यवर, वृद्धावस्था पेंशन यह नियम बना हुआ है कि जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड होंगे उनको पेंशन मिलेगी, हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन में जो बी0पी0एल0 कार्ड की रोक लगी हुई है उस रोक को खत्म करने का काम करें। तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी और 2006-07 में लखनऊ शहर में 40 कैम्प लगे थे, ऐसे ही इस सरकार में भी विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन के लिए कैम्प लगाने का काम हो। मान्यवर, चौथी हमारी मांग यह है, मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है पूर्व की सरकार ने जहाँ पर पहले समाज कल्याण कार्यालय था उसे बन्द कर दिया और उस कार्यालय को इन्दिरानगर में बहुत दूर भेज दिया गया। तीसरी मंजिल के ऊपर यह कार्यालय है जहाँ वृद्धों को पेंशन मिलती है, वहाँ वृद्ध लोग पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिये मेरी मांग है कि जहाँ पर पहले समाज कल्याण का कार्यालय था उसी स्थान पर पुनः समाज कल्याण के कार्यालय को लाने का काम किया जाय। मान्यवर, अन्तिम बात हमारी यह है कि आप जाँच कराने का काम कीजिये, क्योंकि विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में घपला हुआ है, इसकी रिकवरी करायी जाय और जिनकी पेंशन काटी गई है उन्हें फिर से पेंशन देने का काम किया जाय। जो माननीय मंत्री जी ने आज बजट पेश किया है उसका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने समाज कल्याण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। समाज कल्याण विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में पिछड़ी पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उनकी मदद करना। क्योंकि इसमें दलित, शोषित, पिछड़े और सबसे कमजोर व्यक्ति की मदद करने का प्रयास भर है। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से दो-तीन सुझाव देना चाहती हूँ, उसे माननीय मंत्री जी लागू करने की कोशिश करेंगे। अभी मा0 मंत्री जी द्वारा बताया गया कि जब परिवार में किसी मुखिया की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसको 20 हजार रुपये देने का प्राविधान है। मैं सदन के माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और जब परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है तो हम लोगों को भी विशेष रूप से वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ जाने के पश्चात् वह परिवार और जो गांव के लोग होते हैं, यह आशा करते हैं कि विधायक जी आये हैं और इस परिस्थिति को समझते हुए वे हमारी मदद करने की कोशिश करेंगे। माननीय अधिष्ठाता जी, हम शासन से जो नियम है उसके अनुसार 20 हजार रुपये की मदद दिलवा सकते हैं लेकिन फिर वही नियम कायदों में वह बात उलझ जाती है जैसा कि मेरी बहन सावित्री बाई फूले जी ने कहा। मेरा आपसे और सदन से तथा मा0 मंत्री जी से भी निवेदन है कि कम से कम यहाँ बैठे हुए विधायक अगर उस परिवार के लिए संस्तुति करते हैं तो उस पर विशेष बल देना चाहिये। डी0एम0 को तुरन्त इस बात को देखना चाहिये कि एक सम्मानित जनप्रतिनिधि

इस परिवार के लिए संस्तुति कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई न कोई सच्चाई है और एक सच्चाई के लिए जनप्रतिनिधि कह रहा है तो उसके बात को मानना चाहिये। मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात और मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि गरीब बेटियों की शादियों के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसमें शादी होने के बाद पैसा दिया जाता है। जब कि जरूरत शादी के वक्त पड़ती है। होता क्या है शादी के बाद उसके ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है और वह दर-दर भटकना शुरू हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह निवेदन है कि इसमें अगर कुछ भी सुधार होने की गुंजाइश हो तो कृपया इसमें प्रयास करें। मान्यवर, एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं, सभी विधायकों के साथ ऐसा होता होगा। हम लोग गांवों में जब जाते हैं तो सारी महिलायें एकदम हम लोगों को घेर लेती हैं। सारी विधवा और बुजुर्ग ऐसी कोई नहीं रहती जो हमें घेर न लें। चाहे वह नियम के तहत हो या न हो, उनको लगता है कि अब वृद्धावस्था पेंशन लेना सबका अधिकार हो गया है। मेरा माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है कि जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो पूरी तरीके से अपने बच्चों पर निर्भर हो जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम वृद्धावस्था पेंशन में कोई नियम, कायदा-कानून न लागू करें। क्योंकि आपका जो नियम है कि बच्चे हों और जमीन हो तो उसको पेंशन नहीं दी जायेगी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि क्योंकि वृद्ध व्यक्ति कमाने लायक रहता नहीं है और पूर्णतया अपने बच्चों पर निर्भर हो जाता है इसलिये आप कृपा करके वृद्धावस्था पेंशन सबको देने के लिए सोचें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें, श्री सत्यवीर मुन्ना जी अपनी बात रखें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मैं बहन सावित्री जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना-

मान्यवर, आपने समाज कल्याण के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं अनुग्रहीत महसूस कर रहा हूँ, मान्यवर, समाज कल्याण एक ऐसी संकल्पना है कि जो हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में हम देखें तो समाज का एक ऐसा वर्ग रहा है, जो हजारों साल दासता का शिकार रहा है। उनके कल्याण की संकल्पना रही है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश की संकल्पना समाज वाद पर आधारित थी। संविधान में सामाजिक कल्याण के साथ-साथ आर्थिक विकास की बात कही गयी है। मान्यवर, एक ओर दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी नजर रहती है कि कैसे आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाये। फिर समाज कल्याण की बात वह करते हैं। मान्यवर, हमारे इस गरीब देश में पिछड़े और दलित बाहुल्य है। अतः यहां पर समाज कल्याण की बात पहले होती है और फिर आर्थिक विकास की संकल्पना होती है। मान्यवर, जैसे अमरीका और यूरोपीय देश है वहां पर काले गोरे के आधार पर समाज की व्यवस्था रही है। और अमरीका के स्वतंत्रता संग्राम में तो अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर का नाम आता है, जिन्होंने विपन्न लोगों के उत्थान के लिए काफी संघर्ष किया और जिन्हें गोली भी खानी पड़ी। मान्यवर, हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉ0 भीम राव अम्बेडकर और डॉ0 राम मनोहर लोहिया जैसे महानुभाव रहे हैं जिन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग को

ऊपर उठाने के लिए संघर्ष किया है। और गरीब दलित लोगों को आगे बढ़ाया है। मान्यवर, अभी विपक्ष के लोग समाज वादी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार के विधान सभा चुनाव में दलितों की जितनी सीटें थीं उसमें सबसे ज्यादा सीटें दलित वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जीत कर आये हैं। मेजों की थपथपाहट।

यह खुद उन्हें आईना दिखाने का काम करता है। मान्यवर, जब हमारी पिछली सरकार थी मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में गठित थी उस समय समाज के जो सबसे दलित और विपन्न वर्ग के लोग हैं पासी वर्ग हैं उसको ऊपर उठाने का काम उसके उत्थान का काम उन्होंने किया। मान्यवर, हमारे समाजवादी पार्टी की सोच और मा0 नेता जी की सोच यह प्रदर्शित करती है कि वह दलित और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील है। आपने कहा कि हम लोग मनुवादी सोच के हैं। आप हम लोगों को मनुवादी कहते हैं और दूसरी ओर मा0 हुकुम सिंह जी और राधा मोहन दास अग्रवाल जी की पार्टी के साथ मिलकर 3बार यहां पर मिलकर सरकार बनाने का काम किया।

मान्यवर, यह जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है यह निहायत ही शानदार है मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना जिसमें 25 लाख रुपये का प्राविधान है। मान्यवर, एक बिन्दु आता है बी0पी0एल0 का यह सही है कि बी0पी0एल0 का लाभ बहुत सही लोगों को नहीं मिल पाता है। इस पर सरकार को सोचना चाहिये कि कैसे गरीब दलित लोगों को बी0पी0एल0 का लाभ मिल सके। मान्यवर, हमारे विधायकगण गरीबों की दशा को देखते हैं। यदि बी0पी0एल0 के बारे में कुछ विचार हो जाये तो बहुत से अर्ह लोग योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

मा0 मंत्री जी ने और उनके अधिकारियों ने आश्रम पद्धति स्कूलों की संरचना पर काम किया है यह अच्छा कदम है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हमारे सोरांव विधान सभा क्षेत्र में एक आश्रम पद्धति स्कूल की स्थापना की कार्यवाही की जाये तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, जो आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 की परीक्षाओं में विपन्न वर्ग के छात्र बैठते हैं उसकी तैयारी करते हैं उसके लिए आपने यह व्यवस्था की है कि जो प्री परीक्षा पास कर लेते हैं उनको 45 हजार रुपये दिये जाते हैं ओर 10 हजार अतिरिक्त दिये जाते हैं इस तरीके से लगभग 55 हजार रुपये दिये जा रहे हैं इसके लिए मा0 मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, मैं भी दलित वर्ग से हूँ मैंने भी पी0सी0एस0 की प्री एवं मुख्य परीक्षा 3-4 बार पास की है और 5वीं बार में मौखिक परीक्षा पास की और सहकारी एवं पंचायत अधिकारी नियुक्त हो गया था उसके बाद भाग्य से यहां आ गया हूं। तो मैं प्री और मेन परीक्षा के महत्व को समझता हूँ। अतः इन्हें आर्थिक मदद देना सराहनीय काम है।

(इस समय 6 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष जी, ईश्वर को कुछ और मंजूर था मैं आप सबके बीच हूँ लेकिन बधाई के पात्र हैं मंत्री जी, पारिवारिक लाभ योजना जिसमें 12-13 में एक डेढ़ लाख परिवारों की वृद्धि की गयी है जो 1.14 लाख थे वह बढ़ाकर डेढ़ लाख किये गये हैं उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। यह जो 232 करोड़ का एलोकेशन था उसको भी बढ़ाकर 300 करोड़ किया गया है उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। अन्त में मैं इस बजट का पूर्णतः समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत बड़ा आपका आभारी हूँ कि आपने जैसल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे अनुमति दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक दो छोटे-छोटे सुझाव देना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं उसमें एक विद्यालय ऐसा भी है जो विधान सभा रसड़ा बलिया में पड़ता है यह विद्यालय ग्राम बस्तौरा में है इसका नाम है राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बस्तौरा, रसड़ा बलिया। वहाँ पर 10 साल से कोई अधीक्षक नहीं है, 10 साल से उस विद्यालय को वहाँ के अध्यापक ही चला रहे हैं चूँकि आज बजट है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उसे अधीक्षक देने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा मान्यवर, एक व्यावहारिक दिक्कत आ रही है वह यह है कि जब हम लोग गांव में जाते हैं तो कुछ लोग नया पेंशन की बात करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जो इसमें है वह लोग अपनी पासबुक दिखाते हैं कहते हैं कि देखो पिछली बार पेंशन मिला था इस बार पेंशन नहीं आ रहा है। हमारा नाम छूट गया है। इसमें हम लोग समझ नहीं पर रहे हैं कि व्यावहारिक दिक्कत क्या है। जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क करने पर वह कहते हैं कि अगली बार जुड़ जायेगा, कुछ डाटा फीडिंग में कुछ नाम छूट गया है तो मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है यह हर जगह की समस्या हो गयी है। काफी लोगों की पासबुक हम लोग फोटोकापी कराकरा कर रखे हैं लेकिन उसका जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं कि आखिर यह काटा गया या छूट गया या क्या दिक्कत है इसको भी जरा दिखवा लें।

दूसरा, इधर कुछ दिनों से जो वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गयी है वह शायद आपके संज्ञान में भी होगा, इस समय जिलों को लक्ष्य नहीं दिया जा रहा है कि उनको कितना वृद्धावस्था पेंशन करना है शायद एक साल या डेढ़ साल से यह दिक्कत आयी हुई है तो मैं निवेदन करूँगा कि इसको भी आप दिखवा लेंगे क्योंकि जब तक हम जिले को लक्ष्य नहीं देंगे वह पूरी जिम्मेदारी से उसे पालन नहीं कर पायेंगे। अभी हमारे एक सदस्य ने सुझाव दिया कि जो शादी के अनुदान के लिए लोग आते हैं तो केवल वहीं लोग आते हैं जिनको विधायक का लेटर लिखवाना रहता है कि हमारी शादी हो गयी है। कहते हैं कि एक पत्र आप लिख दीजिये यह हम वहाँ जमा करेंगे, जब हम विधायकों द्वारा यह पूछा जाता है कि शादी आपने कैसे किया और जब शादी कर लिये फिर क्या तो वह बताते हैं कि बहुत महंगे ब्याज दर पर पैसा लेकर उन्होंने शादी किया है। मान्यवर, जब तक पैसा लेने का समय आता है जो अनुदान मिलेगा एक तो सीमित अनुदान है और तब तक उनकी ब्याज की धनराशि बहुत आगे बढ़ जाती है तो अगर इसमें कोई संशोधन सम्भव हो कि अगर जो बजट हम बाद में देते हैं वह बजट उनके पास पहले रहे जिससे वह लोग अपनी शादी कर लेंगे उसको प्रमाणित आप चाहे जिससे करा लें, जिस सक्षम अधिकारी को आप समझें उससे प्रमाणित कराना है ताकि कोई फर्जी कार्ड देकर के न अनुदान ले लें, आप प्रमाणित करा दें लेकिन अगर यह सम्भव हो कि हम शादी से पहले उनको यह राशि दे दें तो यह बहुत बड़ा उन गरीबों के लिए कल्याणकारी कदम होगा। आपने समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।

*श्री रामपाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत समाज कल्याण के बजट पर समाजवादी पार्टी की सरकार के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार हर समाज के समर्थन और हर समाज के सहयोग से बनी है इसलिये पूरी तरह से समाज कल्याण विभाग का माननीय मंत्री जी ने ध्यान रखा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जनपद सीतापुर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। सीतापुर में सन् 2010-11 में एक बहुत बड़ा संगठित घोटाला समाज कल्याण विभाग में हुआ था। उसमें समाज कल्याण के अधिकारी और दलाल और बहुत से कुछ लोगों ने मिलकर प्रधानों की मुहर खण्ड विकास अधिकारी की मुहर डाक्टर की मुहर बनाकर फर्जी तरीके से हजारों लोगों की पेंशन निकालने का काम किया। उसमें से पैसे की कोई लिमिट नहीं रखी गयी थी जितना पैसा यहाँ से मांगा जाता था उतना पैसा उन दलालों को मिल जाता था। कारण क्या था शासन से लेकर जनपद स्तर और ब्लाक स्तर तक संगठित तरीके से यह भ्रष्टाचार का अड्डा चलाया जा रहा था। जब शिकायत हुई तो माननीय समाज कल्याण आयुक्त जी गये वहाँ बैंकों से भी सांठगांठ थी बैंक और समाज कल्याण और दलाल तीनों ने मिलकर किसी के नाम से भी पैसा निकाल लेते थे। उस पर जाँच हुई जाँच में कई बैंक मैनेजर जेल गये और कई समाज कल्याण अधिकारी भी जेल गये। समाज कल्याण के सारे कर्मचारी भी जेल गये। दलाल भी जेल गये लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ जिन लोगों की असली पेंशन थी सबको कम्प्यूटर से गायब कर दिया गया सबकी पत्रावलियाँ फूँक दी गयीं। तो जो असली पेंशन पाते थे तो मान्यवर आज जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं वह हमसे कहते हैं। असली पेंशन धारक जिनको बहुत पहले से पेंशन मिल रही थी उनकी भी पत्रावलियाँ गायब हैं। कम्प्यूटर से डिलीट कर दिया गया है उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस मामले में कोई स्पेशल अभियान चलाकर जनपद सीतापुर के लाभार्थियों को लाभ पहुँचायें। यह पूरे जनपद की समस्या है वहाँ उचित पात्र व्यक्ति भी किताबें लिए घूम रहे हैं लेकिन उनका खाता समाज कल्याण में नहीं है। पत्रावलियाँ भी फूँक दी गयीं थीं पूरा विभाग जेल चला गया था। मैं आपके माध्यम से इस संवेदनशील सरकार से यहाँ सारे वरिष्ठ मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं अनुरोध करूँगा कि कृपा करके सीतापुर के लिए स्पेशल अभियान चलाकर स्पेशल तरीके से कैम्प लगाकर सबको न्याय दिलाने की कृपा करें। इसी के साथ में इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ। माननीय मंत्री जी संवेदनशील हैं वह इस पर जरूर विचार करेंगे। धन्यवाद।

*श्रीमती रूबी प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने समाज कल्याण विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा के उन आदिवासी बाहुल क्षेत्रों का ध्यान सरकार की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि हमारा दुद्धी विधान सभा आदिवासी बाहुल अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है हमें पूर्ववर्ती सरकार जो आदिवासी विरोधी थी लेकिन इस सरकार और हमारे माननीय मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश भैया से उन आदिवासी समाजों को बहुत उम्मीद है वह आदिवासी समाज जो आज भी आदिमानव की तरह जंगलों में निवास करते हैं और उनकी शैक्षणिक स्तर और विकास जो होनी चाहिये वही नहीं है। उनसे विकास कोसों दूर है आज के समय में भी आजादी के इतने वर्ष बाद भी जब कि आई0टी0 का आज जमाना है उसके बावजूद वह लोग हमारे क्षेत्र में आदिवासी लोग सामा कोदों का भात खाते हैं। और प्रत्येक साल यह आदिवासी लोग सैकड़ों की तादात में इन सामा कोदों का भात खाकर बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में भर्ती होते हैं। क्योंकि उन्हें तो शिक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं है शिक्षा का स्तर इतना कम है कि वह अंधविश्वास रूढ़िवादिता इत्यादि में विश्वास करते हैं वह अपने इलाज के लिए अस्पताल जाना भी उचित नहीं समझते हैं। वह झाड़ फूँक में विश्वास करते हैं मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि समाज में ऐसे भी लोग जो आदिवासी वर्ग हैं उनको भी विशेष तरजीह दी जाय और उनके शैक्षणिक स्तर को सुधारा जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिए हमारे क्षेत्र में अलग से स्कूलों की कालेजों की व्यवस्था की जाये। साथ ही साथ, समाज कल्याण में जो विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन आती है। मैं अपनी ओर से एक सुझाव सरकार को देना चाहती हूँ हमारा विधान सभा जो बहुत अन्तिम छोर पर है और जिला मुख्यालय से काफी दूर है, वहां पर विकलांग लोग इतने गरीब हैं कि 100 कि0मी0 की दूरी के लिये भी उनके पास किराया-भाड़ा नहीं रहता है। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाये कि जिले में जो सी0एम0ओ0 जो सर्टीफिकेट इश्यू करते हैं, विकलांग प्रमाण-पत्र वो कैम्प लगाकर ब्लॉक वाइज उनके सर्टीफिकेट बनाने का काम करें जिससे उन्हें आसानी हो और उनके पैसे की भी बचत हो और यह सही बात है कि बहुत सारी बहनों ने भी यह बात उठायी कि इसमें बड़े पैमाने पर दलाल, बिचौलिये, जो विधवा, विकलांग पेंशन है, जो मानक के अनुसार पात्र लोगों तक न पहुँच कर बिचौलिये, दलाल बीच में खा जाते हैं। यह भी बहुत बड़ी शर्म की बात है वो विधवा और विकलांग की पेंशन को खाते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि इन सब बातों का भी संज्ञान लेकर और समाज कल्याण अधिकारी पर नकेल कसें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री सुदामा प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने समाज कल्याण पर सरकार के पक्ष में बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। मा0 मुख्य मंत्री जी के दिशा निर्देशन पर मा0 समाज कल्याण मंत्री जी ने जो एक सराहनीय बजट पेश किया है, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग बहुजन समाज का दिखावा करने वाली पार्टी के सामने कमजोर समाज कल्याण के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बजट पेश हो रहा है। सरकार पक्ष के सामने और बहुजन समाज पार्टी के लोग जिनके बल पर 5 बरसों से सरकार चलाया है, वे समाज के उस बजट पर नगण्य संख्या में से उपस्थित हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना सराहनीय बजट पेश किया है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन जो 6 महीने में दिया जाता है। मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उसे अगर गरीबों के और वृद्धा के पोषाहार के लिये दिया जाता है तो निश्चित तरीके से इसमें कुछ सुधार करके छः महीने से कम किया जाये क्योंकि ये उनकी जीविका के लिये व उनके सहारे के लिय दिया जाता है। दूसरी तरफ समाज कल्याण का एक विभाग अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है। मा0 अध्यक्ष जी, समाज के बेरोजगार नौजवानों के लिये तमाम योजनायें चलायी गयी थीं, उन योजनाओं में उन नौजवानों को ऋण मुहैय्या कराया गया था। समाज के वो दबे कुचले नौजवान जिन्होंने ऋण योजना में ऋण कभी टैक्सी के लिये लिया था, कभी दुकान के लिये लिया था। किन्हीं परिस्थितियों में उन तमाम नौजवान जो बीमार हो गये, अस्वस्थ हो गय जिसके कारण उनका पूरा ऋण जमा नहीं किया जा सका। मा0 मंत्री जी, इन परिस्थितियों में उन्होंने अपने ऋण के मुताबिक कम अपना पैसा जमा कर दिया है। लेकिन उसमें उस ऋण के बराबर तमाम जगह पर ब्याज हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि निश्चित रूप से यह पूरे प्रदेश में इस तरह की भावना होगी, उनके ऋण माफ कर दीजिये । दूसरी तरफ मैं महाराजगंज जनपद से आता हूँ, वो मुख्यालय है नेपाल की तलहटी में बसा हुआ है। वहाँ तमाम गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित हो करके प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि समाज कल्याण का जो आश्रम पद्धति का विद्यालय है उसे जनपद मुख्यालय महाराजगंज में करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के आय-व्ययक पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, यह विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों, निर्बलों के कल्याण और वैभव का प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने का कार्य करता है। हमारे देश को आजाद हुए मान्यवर 65 वर्ष हो चुके हैं। आजादी से पहले जो इन दलितों, पिछड़ों ने कल्पनायें की थीं मुझे लग रहा है कि आजादी के 65 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी उनकी कल्पनायें साकार होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। मान्यवर, मैं जनपद पीलीभीत के एक विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वहाँ पर वृद्धा आश्रम एवं आश्रम पद्धति का विद्यालय स्थापित करने के लिये समाज कल्याण अधिकारी ने जिला प्रशासन से भूमि चाही है। लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक वह भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। मान्यवर, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि प्रशासन को भूमि उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित कर दिया जाय। मान्यवर, हमारे जनपद पीलीभीत में जो अनुसूचित जाति, विकलांग, वृद्धावस्था, विधवा की जो पेंशन है उसमें लगभग 40 प्रतिशत पेंशन बन्द कर दी गयी। मान्यवर, मैं अवगत कराऊँगा कि एक गांव मोहम्मदपुर भैजा है। जिसमें 9 लोगों को मृतक दर्शाकर उनकी पेंशन बन्द की गई है। मान्यवर, अंदाज लगा लीजिये हमारी विधान सभा क्षेत्र में 344 गांव हैं। जब एक ही गांव में 9 लोगों को मृतक दर्शाकर उनकी पेंशन बन्द कर दी गयी है तो 344 गांवों में जो पेंशनें बन्द की गयीं हैं। अन्दाजा कर लीजियेगा 40 प्रतिशत से भी अधिक पेंशनें बन्द की गयी हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहूँगा कि जो पेंशन, विधवा , वृद्धा, विकलांग बन्दी की गयी हैं मृतक दिखाकर उनको पुनः चालू कराया जाय। हमारे यहाँ विलसण्डा थाना के अन्तर्गत एक पुलिस चौकी करेली है जिसमें तोता राम नामक अनुसूचित जाति का व्यक्ति था उसकी हत्या कर दी गयी जिसमें अनुसूचित जाति का अनुदान दिया गया। इसमें उत्तराधिकारी उसकी लड़की थी, लेकिन उसकी लड़की को अनुदान न देकर गांव के एक दूसरे व्यक्ति को अनुदान दे दिया गया। इसमें एफ0आई0आर0 तो लिखी गयी और जेल भी भेजा गया लेकिन उस अनुदान की संस्तुति करने वाले के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही उस लड़की को अनुदान दिये जाने की कोई कार्यवाही की गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहूँगा कि उस लड़की को अनुदान दिलवाया जाय और जिन लोगों ने गांव के दूसरे व्यक्ति को अनुदान दिलवा दिया, जिन लोगों ने संस्तुति की है उनको भी दंडित किया जाय। मान्यवर, एक आखिरी बात और मैं आपसे कहूँगा कि जो विवाह का अनुदान दिया जाता है हमारे जनपद पीलीभीत में वर्ष 2011 में 160 प्रार्थना-पत्र दिये गये जिसमें कि चिकित्सीय प्रमाण-पत्र लगाया जाना आवश्यक होता है। उन 160 प्रार्थना-पत्रों में से 105 प्रार्थाना-पत्र ऐसे पाये गये जिसमें फर्जी प्रमाण-पत्र था। न किसी चिकित्सक का हस्ताक्षर था न मुहर थी। इस प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिये कोई व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मैं इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रशंसा करता हूँ कि वह विपक्ष का सामना करने और कल्याणकारी निर्णय लेने के लिये प्रशंसा की पात्र है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियों की शादी होती है अगर सबको अनुदान दिया जाता तो हमें लगता कि किसी प्रकार का वर्ग भेद सरकार कर रही है तो मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने विवाह हों उन सब लड़कियों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष-

एक दो मा0 सदस्य और बोल लें, फिर बजट पास हो जाय सबको जाना है।

*स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मनोज कुमार पारस)-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगणों से बहुत दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि सदन के अन्दर हों, या सदन के बाहर, हमारे सामने पुरानी सरकार के बैठे साथी यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार दलित विरोधी सरकार है। समाज कल्याण विभाग के बजट में, वैसे तो पिछड़े, अति पिछड़े समाज के जो व्यक्ति होते हैं, पात्र व्यक्ति होते हैं मुख्य रूप से उनको जोड़ने के लिए यह बजट बनाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की हमारी आबादी है उसमें से लगभग 4 करोड़ की दलित आबादी है। आज उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्री परम आदरणीय मा0 मुलायम सिंह यादव जी को और इस समय जो हमारे मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी योजनायें शुरू की गई हैं उन योजनाओं में समाज के सभी लोगों को आगे लाकर योजनायें शुरू की गयी हैं। जैसे हमारे साथी कहते हैं कि दलित विरोधी सरकार है मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर हाई स्कूल की बच्ची जैसे ही दसवां पास करेगी उसे टैबलेट दिया जायेगा और लैपटॉप दिया जायेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज सबसे ज्यादा आबादी हमारी है तो हमारी बच्चियां सबसे ज्यादा हाई स्कूल पास करेंगी, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा हाई स्कूल पास करेंगे, तो अगर इससे किसी का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो यह हमारे दलित समाज का होने वाला है। इसी तरह से हमारी आबादी के बच्चे 12वीं पास करेंगे तो लैपटॉप उनको दिये जायेंगे इससे भी सबसे ज्यादा फायदा हमारी आबादी के बच्चों का होगा। चाहे किसान बीमा योजना हो, किसान बीमा योजना में जब किसी किसान के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उससे पहले उसको देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने योजना शुरू की थी कि अगर कोई किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जायेगा तो उसको एक लाख रुपया देने का काम किया जायेगा। श्रीमन् और लोग तो अपना-अपना बीमा कराकर रखते हैं लेकिन दलित समाज के लोग, दलित किसान जिनको कोई बीमा नहीं होता है तो इस योजना से भी अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होना है तो वह दलित समाज के किसान को होने वाला है। ऋण माफी की योजना है हमारे दलित समाज में छोटे-छोटे किसान हैं, दो बीघे के किसान हैं, चार बीघे के किसान हैं, दस बीघे के किसान हैं, पन्द्रह बीघे के किसान हैं, अगर इन किसानों को लोन लेना पड़ता है, वह लोन नहीं ले पाता था तो अगर इस योजना से भी अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो वह दलित समाज के किसानों को होने वाला है। इसी तरह से चाहे निःशुल्क शिक्षा का मामला हो, इसमें भी हमारे समाज के बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, पेंशन का मामला हो उसमें भी सबसे ज्यादा फायदा हमारे समाज के लोगों को होता है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह लोग इस बात का प्रचार करना चाहते हैं कि हमारी सरकार दलित विरोधी सरकार है मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने पिछली सरकार में अम्बेडकर योजना शुरू की तो जो अम्बेडकर गांव में और समाज के लोग रहते थे वहाँ यह योजना नहीं लगायी जाती थी, दलित समाज के लोगों में वह योजना लागू की गई। तो यह लोग इस मानसिकता के हैं कि यह किसी वर्ग विशेष के लिए कार्य करते हैं लेकिन हमारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी लोग बराबर हैं और बराबरी का हक देना चाहते हैं। (मेजें थपथपाई गईं) इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने सभी वर्गों को बराबर लाने के लिए उनके हितों को जोड़ा गया है। इसलिये कहना चाहता हूँ कि अगर इन योजनाओं से हमारे दलित समाज को वंचित रखा जाता है तो हम कह सकते थे कि समाजवादी पार्टी दलित समाज के विरोध में है। इसमें सबसे बड़ा हक हमें मिलने वाला हैं समाजवादी पार्टी दलितों के विरोध में नहीं दलितों के पक्ष में है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

*श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में अधिक आबादी में पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत गम्भीर समस्या है, शादी अनुदान में जब वह आवेदन करते हैं तो उन्हें यह कह दिया जाता है कि एक साल बाद आपका आवेदन निरस्त हो गया है। अध्यक्ष जी, मार्च का महीना शुरू होता है, किसी परिवार की शादी अगर फरवरी में है, मार्च में बजट नहीं होता या बहुत सी ऐसी परेशानियाँ सरकार के सामने होती हैं, जिसके कारण बजट नहीं पहुँच पाता। मान्यवर, एक साल के बाद उनके फार्म को निरस्त कर दिया जाता है और वह इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। लेकिन अन्य धर्मों और जातियों के लिए अन्य जो योजनायें हैं, उन सभी के फार्म अगले साल लाभ देने के लिए सम्मिलित कर लिये जाते हैं और उन सबको उस योजना का लाभ मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि जैसे और लोगों को जिनको उस वर्ष में लाभ नहीं मिल पाता, उनको अगले वर्ष से लाभ मिल जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पिछड़े वर्ग के लिए शादी अनुदान हेतु उनके जितने आवेदन हों, अगर बजट आपके पास 100 आवेदन के लिए हैं और 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो बाकी जो 100 आवेदन बचे हैं, उनको अगले साल ले लिया जाय और उन्हें इस योजना का लाभ दे दिया जाय, इससे उन गरीबों की बहुत सारी दुआयें आपको मिलने वाली हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।

*श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान सफाई मजदूर वर्ग जो दलितों में अति दलित समाज है और देश की आजादी के 65 वर्ष गुजर जाने के बाद भी सिर पर मैला ढोने का कार्य कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए योजनायें बनी लेकिन सिर पर मैला ढोने वाले लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिये था, उतना लाभ नहीं मिल सका। दो पंक्ति कहकर समाज कल्याण विभाग के बजट को बल देना चाहूँगा।

"दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग, बिना ढाल।
साबरमती के लाल, तूने कर दिया कमाल।।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्मानित अध्यक्ष जी, देश की आजादी के 65 वर्ष बाद भी आज भी यह अति दलित समाज सिर पर मैला ढोने को मजबूर है। जब-जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तब-तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस सफाई मजदूर वर्ग के हित के लिए अनेकों-अनेक योजनाएं चलायीं और समाज कल्याण विभाग द्वारा इन लोगों को लाभ देने का काम किया गया। सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं आज भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बार हमारे नौजवान मुख्य मंत्री, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने है, सफाई मजदूर वर्ग के लिए कोई अच्छी से अच्छी योजना चला दें ताकि इस जाति को, इस वर्ग के लोगों को समाज कल्याण विभाग से अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट पर बल देता हूं, जयहिन्द।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को जानकारी में ला दें कि गत मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में मैला ढोने पर पाबन्दी ही नहीं लगी थी बल्कि कि कानून बना दिया गया था। अगर उसके बाद कोई शिकायत है या आज कोई शिकायत है तो हमारे संज्ञान में आनी चाहिए और आपकी जानकारी में यह भी होगा कि हमने 65 हजार सफाई कर्मी रखे थे, वह शायद आपको याद नहीं रहा, वह भी आपको याद करना चाहिए।

*श्री अजय कुमार "लल्लू"-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं मात्र दो शब्द कहना चाहूंगा। तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दुदही ब्लाक में एक/बांसगांव ग्राम सभा है। और उसका टोला जटवलिया है और एक चोबिया पटकौली ग्राम सभा है दुधही ब्लाक में ही, उसका टोला लाला टोला है। जहां पचासों साल से समाज कल्याण का स्कूल स्थापित है। दो टीचर नियुक्त हैं लेकिन आज तक वहां भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां भवन निर्माण हो जाये जिससे जो विद्यालय चल रहे है उसमें ठीक ठाक ढंग से पठन-पाठन हो सके। साथ ही साथ जो शादी के अनुदान के संदर्भ में हमारे बड़े भाई ने अभी बताया, यह निश्चित रूप चिंता का विषय है। शादी अनुदान में जब फार्म जाता है खासकर जनपद कुशीनगर में, और जनपद कुशीनगर में तो पिछले सात साल से कोई समाज कल्याण अधिकारी नहीं है। वहां एडिशनल व्यवस्था की गयी है। एक व्यक्ति तीन-तीन विभाग लेकर चलता है। और शादी के अनुदान में इतना भेदभाव है कि एक-एक साल तक लोग शादी अनुदान के लिए चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते-लगाते थक जाते हैं। जो पैसा देता है। उसका अनुदान पास हो जाता है। जो पैसा नहीं देता है। उसका अनुदान नहीं मिल पाता। हमारे जनपद कुशीनगर में खासकर तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में एक मुसहर जाति है हर साल सौ से अधिक मुसहरों की मौत होती हैं। यह बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। और मुसहरों को यह दिखाया जाता है कि कुपोषण के कारण मरते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की काफी कमी होती है। समाज कल्याण विभाग से मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि मुसहर जाति के लिए शिक्षण में छात्रवृत्ति की व्यवस्था या उनका जो पेंशन है अगर अधिक से अधिक दिलवाया जाये तो उनको जीवन यापन करने में काफी सुविधा होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामलाल अकेला-

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे मित्र जो सामने बैठे हैं इन्होंने कटौती के प्रस्ताव के भाषण में यह कहा कि लगता है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता दलित विरोधी है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इतिहास पढ़ लेना और तब इतने बड़े सदन में कोई भाषण देने की बात किया करों। हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 1989-91 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभालने का काम किया तो विधान सभा के सामने बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर महासभा के नाम से एक इमारत का सृजन किया है तो उस महापुरुष का नाम है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव। और विभान सभा के सामने जाने वाले मार्ग का नाम बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के नाम से किसी ने रखने का काम किया है तो उस नेता का नाम माननीय श्री मुलायम सिंह यादव। आपने क्या किया। जैसे इन्होंने भगवान राम को पोलिंग एजेण्ट के रूप में इस्तेमाल किया वैसे ही आपने बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर को पोलिंग एजेण्ट के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं समाज कल्याण मंत्री को आज जिन्होंने समाज कल्याण विभाग को जिंदा करने का काम किया था। आपने तो उसे भंग कर दिया था और सुनो आप हमको दलित विरोधी कहते हो। आपके लिए दलित समाज क्या कहता है। सुन्दर स्वर्णिम सपनों को सितारों ने लूटना चाहा, सुन्दर किनारों को लहरों ने लूटना चाहा, और आज पूरे उत्तर प्रदेश का दलित आपके लिए क्या कहता है स्वर्णिम सपनों को सितारों ने लूटना चाहा सुन्दर किनारों को लहरों ने लूटना चाहा और क्या कहूं इस दुनिया को मेरे दोस्त मेरी डोली को बसपा के लोगों ने लूटना चाहा। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने जितना दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और सुन लीजिए। एक नेता दलितों की राजनीति करने के लिए झोला लेकर आये थे, एक पैसे के मालिक नहीं थे आज आठ हजार करोड़ के मालिक हो गये। आप सब कहते हो कि दलितों का विकास नहीं हुआ। एक आदमी आठ हजार करोड़, पूरे दलितों का हिस्सा खा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के दलितों का विकास कहां से होगा। आज विकास की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी ली है इसलिए आप कभी समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं करें। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़ा और सर्वहारा की कोई बात करता है तो उस नेता का नाम है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव और उस दल का नाम है समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं वक्त नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालांकि मैं सत्ता पक्ष का आदमी नहीं हूं, लेकिन इनके सताने की वजह से मुझे इनकी बात यहां करनी पड़ेगी। बहुत कल्याणकारी बजट मा0 अवधेश प्रसाद जी ने रखा है मैं एक बात कहना चाहूंगा मा0 मंत्री जी पेंशन के बारे में जो शिकायतें हैं, वजीफा के बारे में जो शिकायतें हैं और मृतक आश्रित को मिलने वाले धन के बारे में जो शिकायतें हैं इसकी मॉनीटरिंग की व्यवस्था कर दो, काम पहले से बढ़िया चलेगा ऐसी हमारी अपेक्षा है। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो मजाक है, लड़की की शादी के नाम पर दस हजार रुपये देने का आज मंहगाई बढ़ी है मैं यह सुझाव के तौर पर कह रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि कम से कम 25 हजार रुपये उसकी व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार को करनी चाहिए। साथ में मृतक आश्रित के लिए तो 20 हजार रुपये की व्यवस्था है उसको बढ़ा कर कुछ ज्यादा करना चाहिए क्योंकि विधवा के सामने पति के मरने के बच्चों की देखभाल की कुछ जिम्मेदारी होती है चूंकि मेरी बात सुझाव के तौर पर है आज 300 रुपये की पेंशन की बात बीपीएल और एपीएल के कार्ड की बात कही गई, आदरणीय अध्यक्ष जी उनका क्या दोष है जो बीपीएल और एपीएल के कार्ड धारक हैं आज लक्ष्मीबाई के नाम से पहले दूसरे किसी के नाम से ये योजनाएं चली एक नई योजना जो बीपीएल, एपीएल में नहीं है, उनको सरकार ने 400 रुपये करने का काम किया है तो मैं यह चाहूंगा कि एपीएल और बीपीएल के लोगों को जो 300 रुपये पेंशन है, उसे भी 500 रुपये करने का कम किया जाय। जहां तक 89 से ऊपर के उम्र के लोगों को पेंशन आपने 500 रुपये करने की बात, आदरणीय अध्यक्ष जी मंत्री जी ने कही है, वृद्ध व्यक्ति के सामने औलाद भी साथ छोड़ जाती है उसे 800 करने की बात की जाय और अध्यक्ष जी जो यह लोग अभी दलित विरोधी सरकार बता रहे थे, हमें भी यह कह रहे थे कि आप साथ दे रहे थे, आप यहां बैठे रहे। अध्यक्ष जी, आप लोगों को भी ज्यादा गुमराह करने का काम इन्होंने किया आपको भी पता नहीं चला इनकी पहली बार, इस पहली का टेस्ट कराने का काम रात को 12 बजे उतराने का काम हमारी नेता ने किया, आदरणीय मोती लाल बोरा ने किया उसके बाद भले ही हमारे डा0 साहब बैठे हैं चार बार मुख्य मंत्री बनाने का काम किया। अध्यक्ष जी इनके जिला कोआर्डिनेटर और ब्लाक कोआर्डिनेटर के लोगों ने मैं दलित सीट से जीत कर आता हूं और उस जाति से हूं जिस जाति से यह लोग बैर मानते हैं, बैर से मेरा मतलब यह यदि यह बात कहें कि अपरकास्ट के लोग हमें नहीं सुन रहे हैं, हमें सम्मान नहीं दे रहे हैं, हमें हक नहीं दे रहे हैं, हम इनके साथ हैं आपसे कुछ मांगने के लिए, लेकिन जब इनसे मांगने की बात, खटिक, पासी, बाल्मीकी, कोल और गोड़ करता है तो इनको आप कानून और संविधान में समझाने की बात करते हो और यह हमें ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। सारा हक इस प्रदेश में आज अध्यक्ष जी जांच करा लो पांच साल की कितना मृतक आश्रित को, विधवा, वृद्धा पेंशन को, छात्रों की छात्रवृत्ति को और टेक्निकल एजूकेशन में एमबीए, बीबीए और बीसीए के उसमें एक भी पैसा पूरे पांच वर्ष में मा0 अध्यक्ष जी मैं इस बात का ज्यादा उत्सुक नहीं हूं, मैं उस कैटागिरी में नहीं आता, हक मेरा भी बनता है। मेरे दो भतीजे एमबीए कर रहे हैं, पिछले पांच वर्षों में एक पैसा फीस का उनको नहीं मिला, लाख बार कहने के बावजूद, मा0 अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसे टेक्निकल एजूकेशन के छात्रों को, यह जो मैनेजमेण्ट के कालेज हैं यह पुराने पैटर्न पर इण्टर कालेज, डिग्री कालेज वगैरह जो हैं, वह छात्र की छात्रवृत्ति के लिए और अन्य अनुदानों के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन यह जो पांच साल में अरबों रुपये लूटने का काम इस सरकार ने किया टेक्निकल इन्स्टीट्यूट खुलवा कर, उन लोगों ने बेइमानी की, दलितों के छात्रों के फार्म ही नहीं भरे गये और यदि भरे गये तो लेट पहुंचे। इन्होंने फीस बढ़ाने की बात नहीं कही। दलितों के मुखिया यह बनते हैं, मा0 अध्यक्ष जी मैं कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं हूं आज एक पण्डित जी एक ठाकुर साहब की जमीन मेरे खेत के बराबर में, उनका 1650 नम्बर है, मेरा 51 है, अध्यक्ष जी उन्होंने नोएडा के उन लोगों को वह जमीन बेंच दी जिनको मुआवजा मिल गया नोएडा में और वह बिकी पांच लाख रुपये बीघे, अध्यक्ष जी वही पार्टी मुझसे कहने लगी कि पहाड़िया जी आप भी बेंचना चाहते हों। मैंने कहा कि मैं भी बेचना चाहता हूं तो कहा गया कि आपको मिलेंगे 2 लाख रुपये बीघे। माननीय अध्यक्ष जी, मूरख कोई नहीं है। आज 5 साल से दलितों की ठेकेदार बनने वाली यह जो पार्टी बसपा है। यदि यह दलितों की हितैषी थी। आज मेरा बेटा बीमार है, मुझे बेटी की शादी करनी है और मेरी

जमीन 2 लाख में बिकेगी। आज यह दलितों की जमीन बेचने पर जो प्रतिबंध लगा है उसको हटाने का काम करते तो यह दलित समर्थक होते। जहां तक वर्तमान सरकार की बात है मैं उस पार्टी का नहीं हूं लेकिन समाजवादी कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति हूं। माननीय अध्यक्ष जी आज से 15 साल पहले एक दलित जिलाधिकारी ने वहां पर 88 नौकरी एक जाति विशेष को देने का काम किया। मैं ग्राम प्रधान था, मुझे जेल भेजने के प्रयास किए लेकिन मैं उनका भ्रष्टाचार जानता और चरित्र जानता था मैंने यह काम किया 1000 जगह उस कलेक्टर की बदनामी की। उसने मुझे बुलाकर बात की और कहने लगा कि मैं आपकी इस बात को सुनूंगा वहां के एस0पी0 और ए0डी0एम0 को, वहां के एस0डी0एम0 को मेरे पीछे लगा दिया लेकिन मैं भी अध्यक्ष जी घबराया नहीं मुझे आप जैसे लोगों का आर्शीवाद प्राप्त है। 88 में 4 स्वीपर की नौकरी थी। आज सभी जातियों को स्वीपर की नौकरी दिए जाने का प्राविधान है, उस समय नहीं था। वह चार स्वीपर की नौकरी भी उस जाति विशेष को दिए जाने का काम किया गया। वह लड़के एम0बी0ए0 थे, उनको बाबू बनाने का काम किया गया। अध्यक्ष जी, 65 सालों में हमें सर्वहारा, अपर कास्ट के लोगों से कोई तकलीफ नहीं है किसी भी बाल्मिकी, धोबी, पासी, खटिक को सबसे ज्यादा हमें लूटने का काम इनकी मुखिया ने किया है। अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह की बातें हो रही हैं। आज सारे सरकारी पदों में 5 साल में अध्यक्ष जी, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से भी अपील करूंगा कि पिछले 5 साल में बैकलांग के नाम पार नौकरी भरने का जो काम हुआ है उसमें दिखवाया जाए कि अन्य लोग, हम लोग जो उस जाति विशेष से दोगुनी संख्या में हैं, हमें कितनी नौकरी दी गई, तब आप दलित विरोधी किसी को कहना और अपने को दलित समर्थक बताना। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं मैं भी उसी जिले से हूं जिस जिले से इनकी मुखिया है। मेरे पास आज 80 बीघे जमीन है और इनकी मुखिया के पास एक बीघे जमीन नहीं थी और आज वह 110 करोड़, विधान परिषद् और राज्य सभा में वह आंकड़ा देती हैं। वह 110 करोड़ कहां से आए, इसकी भी जांच करायी जाए। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सूरजपुर में नोयडा में होटल बन रहा हो, जिसका भाई कारपेन्टर हो। मैं बहुत गरीब आदमी हूं पर क्योंकि मैं राजनीतिक सोच का आदमी हूं। बड़े लोगों में बैठने का शौक है, बड़ी बुद्धि और बड़ी सोच की बात है। मैं अपने भाई को कारपेन्टर में नहीं लगवा सकता। यह मैं अपने सम्मान को चोट पहुंचाउंगा। जिसने अपने भाई को कारपेन्टर लगवा दिया और उसी को बाद में 5 सौ अरब का आदमी बना दिया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, जिनके घर शीशे के होते हैं, वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए। मा0 राजबली जैसल जी आपने कटौती का प्रस्ताव रखा है तो आप दो मिनट बोल दें। आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेंगे या कुछ बोलेंगे।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, हम बहुत समय नहीं लेंगे। मान्यवर, पहले चूंकि मा0 अधिष्ठाता महोदय, उस कुर्सी पर विराजमान थे, आप यहां पर नहीं थे। उस समय माननीय एक सदस्य के द्वारा उधर से एक शब्द आया था, उसको हमने वापस लेने के लिए कहा था चूंकि वह गलत शब्द है इसलिए उसे वापस ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

हम देख लेंगे, वह अससंदीय होगा तो हम उसे निकाल देंगे।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, मुझे लगता है कि देर हो रही है इसलिए हम सिर्फ यह कहते हुए कि मा0 मंत्री जी जो शादी अनुदान है इसको 10 हजार से बढ़ा कर 20 हजार कर दें और जो किसान पेंशन है जो 300 रुपये मिलता है उसको दो गुना या 500 रुपये करने का काम कर दें तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं नहीं तो मैं कटौती पर बल देता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी ने अभी आदरणीय सदन के समक्ष यह कहा कि 10 हजार को बढ़ाकर 20 हजार कर दिया जाय। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति भी ठीक है, जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और हमारी नीयत भी ठीक है। लेकिन हमें तकलीफ है, जो आज के चार महीने पहले सरकार थी बहनजी की, उस सरकार में पैसा पत्थरों में, हाथी की मूर्ति में और पार्कों में खर्च कर दिया गया और आज इनको चिन्ता है और यह भी कह रहे थे कि पेंशन की दर 300 रुपये है, वह बहुत कम है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस समय तो आपकी हिम्मत नहीं रही होगी, बहन जी के सामने सीधे-सीधे खड़े होने की और आज आप यहां कह रहे हैं कि बहनजी ने 150 रुपया कर दिया। सुश्री बहन मायावती जी, तो उन्होंने एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया और सच बात तो यह है कि 100 रुपये राज्य सरकार की तरफ से और 200 रुपया भारत सरकार की तरफ से कुल मिलाकर 300 रुपया दिया जाता है, इसमें बहन जी का 150 रुपया कहां चला गया, क्या वह भी पत्थर में चला गया।

मान्यवर, आपने कहा कि हमारी सरकार दलित विरोधी है, तो लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना को आपने पढ़ा नहीं जिसमें 25 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 50 प्रतिशत लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये रखा गया है। अब आप बताइये कि हम, हमारी सरकार और जो यह नेता यहां बैठे हैं, क्या यह दलित विरोधी हैं। दलित विरोधी तो आप हैं, दलित की बेटी के नाम पर आप चार-चार बार इस प्रदेश की सत्ता में आये लेकिन वह दलित बड़ी उम्मीद लगाये रहा, लेकिन उसको निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। यही नहीं उसको सम्मान भी नहीं मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चार-चार बार बहनजी जो दलित की बेटी के रूप में आई, उत्तर प्रदेश में किसी दलित परिवार में शादी के समय उसकी चारपाई पर बैठकर अगर एक गिलास पानी भी पिया हो तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूं। अगर दलित का सम्मान किसी ने किया है तो वह एक ही नेता है, माननीय मुलायम सिंह यादव, एक ही नेता है, शिवपाल सिंह यादव और एक ही नेता है, अखिलेश यादव। एक छोटे से छोटे गांव में भी हम लोग इत्तला कर देते हैं, एक कार्यकर्ता के यहां तो यह फट से पहुंच जाते हैं, बाई रोड पहुंच जाते हैं। आप बता दीजिये, आप लोगों के यहां भी कभी किसी बहन बेटी की शादी रही होगी, पहले तो आपकी यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ती होगी कि बहन जी हमारे यहां आ जाओ। कहा भी होगा तो वह कहीं नही गयी। इनको दलित के प्रति मोह नही है, अगर दलित के प्रति मोह है और उसका सबूत है इस आदरणीय सदन में जितने माननीय सदस्य अनुसूचित जाति के हैं, उसका एक/आधा भी आपके पास नही हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के जितने हमारे सांसद हैं, उसका एक/दो भी आपके पास नहीं है। कहां 10 और कहां दो, उसके बाद भी आपको शर्म नही आती। इतने बड़े सदन में आप ऐसी बात करते हैं, जिनको राज कहते हो वह बहन जी का राज था, बहन जी जो कह दें, जी बहन जी, जी बहन जी। वह राज चला गया, अब सच को सच कहना होगा और झूठे को झूठा कहना होगा।

आपने कहा कि हमने बजट कम कर दिया, लगता है आप पढ़े लिखे तो हैं, आप फिर से पढ़ लीजियेगा उसमें दिया हुआ है कि राजकीय ए0टी0एस0 संचालित हैं और जिस पर आपके समय 3.62 करोड़ का व्यय हुआ था, उसके सापेक्ष इस बार 7.69 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। आप बताइये कि हमने कम किया है या बढ़ाया है। आप लोग बजट को जाकर फिर से पढ़ लेना। इसी तरह से छात्रवृत्ति के मद में विगत वर्ष में 7.36 करोड़ रुपये व्यय हुआ था, इस वर्ष वर्तमान बजट में इसी मद में 14.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार अन्य योजनाओं में भी वृद्धि की गयी है। श्रीमन् हम इनके बहुत ही आभारी होते, यह एक अच्छा सुझाव देते, अच्छी बात कहते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मान्यवर, इसलिये अभी भी सवेरा है, कि आपने कटौती का जो प्रस्ताव रखा है, उसे वापस कर लें।

मान्यवर, हम बहुत ही आभारी है सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के साथ ही माननीय सदस्य कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के भी कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण बजट पर आने विचार दिये। हम तो इस ख्याल के है कि-

"निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय।

बिन पानी साबुन बिना, निर्मल होय सुहाय।।"

लेकिन इनका कोई भी सुझाव इस तरह का नही आया, पता नहीं यह अब भी डरते हैं बहन जी को। अब बहन जी यहां नहीं आयेगी, आपको बहन जी का डर नहीं होना चाहिये। इसलिये अच्छी बातें करिये, अच्छा सुझाव दीजिये जिससे क्षेत्र की जनता खुश हो। श्रीमन् आज के इस महत्वपूर्ण बजट में भाई विजय मिश्र जी ने जो अपनी बातें रखी। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कोई समस्या ही नहीं है। आपने जो कहा है उस पर विचार कर लेगें। जाइये पिछले साल का जो आश्रम पद्वति विद्यालय था, वह आपका विद्यालय आपको फिर मिल जायेगा। अब विजय मिश्र जी माननीय विजय मिश्र जी हो गये। राम करन आर्य जी, इन्होंने बस्ती जनपद में एक चमरमंगता जाति की कुछ समस्यायें बताई। न यह इधर हैं न उधर हैं, यह तो अधर में हैं तो इसको आप चमरमंगता जी से कह दीजियेगा कि अब अधर में नहीं रहेगें। कुछ तकनीकी गलतियां थीं, उन तकनीकी गलतियों को ठीक कराकर, उनको जो हक मिलता है, वह मिलने लगेगा, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। इसी तरह से श्रीमन् माननीय सदस्य रविदास मेहरोत्रा जी ने कहा कि पिछली सरकार ने समाज कल्याण विभाग जो उजाले में, कचेहरी में था उसको वहां से हटाकर बहुत दूर ले गये जिससे कि जरूरतमंद आदमी वहां पहुंच न पाये और दलालों को बोलबाला रहे। मैं आपको तथा इस आदरणीय सदन को यकीन दिलाता हूं कि एक सप्ताह के अन्दर जो हमारा जिला समाज कल्याण का कार्यालय कैसरबाग बस अड्डे के दक्षिण तरफ था अगर कोई मुकदमा न चल रहा होगा या कोर्ट के आदेश के तहत खाली न किया गया होगा तो एक सप्ताह के अन्दर फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय वहां पर आ जायेगा और जो भी उसके मरम्मत, रख-रखाव पर पैसा लगेगा उसको कल ही अपने विभाग के अधिकारी भेजेंगे, निर्माण शुरू हो जायेगा। माननीय सदस्य, सीतापुर ने पेन्शन घोटाले की बात कही है तो इसमें हम विशेष जांच करके और जो आदमी जिन्दा है उसको मरा दिखाया है, यह समस्या है श्रीमन्, आपके भी क्षेत्र मे होगा। पिछली बार जब मा0 नेता जी की सरकार थी तो जिनको पेंशन स्वीकृत की गयी थी उसमें से आधे से ज्यादा पेंशन बहुजन समाज पार्टी की सरकार आते ही काट दी गयी और उसका पैसा पत्थरों में लगाया गया। तकलीफ उस समय हुई कि तमाम लोगों को मरा हुआ दिखाया गया है।

आज मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम जांच करायेंगे जो लोग जिन्दा हैं पेंशन पाने के पात्र हैं, उनको मृतक दिखया गया है तो जिसकी रिपोर्ट पर मृतक दिखाया गया है, जिन्दा व्यक्ति को मरा दिखाना आई0पी0सी0 के तहत बहुत बड़ा अपराध है। हम उसको सस्पैंड भी करेंगे और उसको जेल भेजेंगे तथा जो पेंशन कटी है, अगर पात्र है तो उसको पेंशन फिर से दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, सारी बातें आ गयी, अब खत्म करिये। आज सबको जाना भी है।

श्री अवधेश प्रसाद-

रसड़ा बलिया में बता रहे हैं कि दस साल से अधीक्षक नहीं हैं, इसको देखेंगे। इस बात की चिन्ता व्यक्त की गयी कि लड़कियों की शादी अनुदान का पैसा शादी के बाद मिलता है, यह सही है। लेकिन यह पैसा मैं आदरणीय सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो शादी अनुदान अब तक मिलता था वह शादी अनुदान अब शादी के पहले मिल जायेगा।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने कहा कि जो शादी अनुदान दिया जा रहा है वह मंहगाई को देखते हुए बहुत कम है, इसे मा0 मंत्री जी बढ़ाने की कृपा करें।)

चलिये, शादी अनुदान की राशि बढ़ाने पर विचार कर लेंगे। यही नहीं समाज कल्याण की समिति अब साल में कम से कम 03 बार बैठेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो महत्वपूर्ण और नीतिगत बात हो उसे बता दीजिए और संक्षेप करिये क्योंकि कई माननीय सदस्यों को ट्रेन पकड़नी है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, बाल्मीकि जी ने यह चिंता व्यक्त की है मैला ढ़ोने की। यह वास्तव में चिंता का विषय है लेकिन जहां तक श्रीमन् मुझे जानकारी है मैला ढ़ोने की प्रथा पहले थी अब खत्म हो गयी है। हम चाहेंगे बाल्मीकि जी हमारे साथ पिछली बार अध्यक्ष भी थे, राज्यमंत्री का दर्जा भी मिला था, इनके तमाम कार्यक्रमों में हम गये हैं। ये हमको दो दिन के अन्दर सूचना दे दें कि जिस मोहल्ले में जिस मकान मालिक के घर से यह मैला ढ़ोने का काम हो रहा है उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 करके उसको बंद करायेंगे और जो इस तरह के लोग हैं उनको वित्त विकास या किसी योजना के तहत उनको रोजगारपरक योजना से हम लाभान्वित करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अभी कितना समय लेंगे ?

(सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि अभी पहाड़िया जी बाकी हैं)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, मेरा माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से यह अनुरोध है कि दलित किसानों को अपनी जमीन बेचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए बिना परमिशन के। दूसरे, गरीबों के लिये बनायी जाने वाली दुकानों की स्कीम बंद कर दी गयी है उसे लागू किया जाना चाहिए। मान्यवर, तीसरी बात यह है

कि फरवरी-मार्च में जिनकी मृत्यु होती है या जहां शादी होती है उनके कागज समय पर तैयार न हो पाने के कारण और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण उनको लाभ नहीं मिल पाता है। मैं चाहता हूं कि उनके प्रार्थना-पत्र अप्रैल, मई माह तक स्वीकृत करने का विनिश्चिय किया जाये ताकि वह वंचित न रह जायें। चौथी बात यह है कि पहले दलित बेरोजगार युवकों को जिनके पास कामर्शियल लाइसेंस होता है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से बैंकों के माध्यम से और समाज कल्याण विभाग की योजनान्तर्गत सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिल जाता था टैक्सी क्रय के लिये वह लोग वैन आदि क्रय करके अपनी रोजी रोटी कमा लेते थे। अब वह स्कीम बंद कर दी गयी है उसे जनहित में पुनः चालू किया जाये।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, चाहे वह पेंशन योजना हो या छात्रवृत्ति हो यह पिछले दिनों बहुत बड़े घोटाले हुए थे इस ओर मा0 सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है। मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कड़े से कड़े कदम चाहे उठाने पड़ जायें लेकिन अब कोई भी चाहे अनुदानित तकनीकी विद्यालय हो या स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित विद्यालय हो अब वह लोग पैसा नहीं खा पायेंगे और अगर खायेंगे तो उन्हें जेल के सीखचों में जाना पड़ेगा। इस दिशा में हम लोगों ने अभी बैठक की थी उसमें विश्वविद्यालय के वीसी साहब को भी इन्वाइट किया था। उसमें प्रमुख सचिव शिक्षा, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग भी सम्मिलित हुए थे और इस प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गयी थी। एक सदस्य के यह कहने पर कि जो लोग पैसा खा चुके हैं उनका क्या करेंगे। अब जो खा गये हैं मान्यवर, मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने विभाग की बजट चर्चा में भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं यह हमारे लिए वरदान का काम करेगा जो सुझाव जायज होंगे उसके तहत पूरी कार्यवाही होगी। कहीं पर भी कोई शिकायत हो तो आप हमें लिखित रूप से दे सकते हैं। अब मैं आप सब से विनती करूंगा कि इसको सर्व सम्मति से पारित करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे बजट की चर्चा पर समय बढ़ाया और हमें अपनी योजनायें बताने का अवसर दिया।

*श्री राकेश सिंह-

मान्यवर, मेरा एक छोटा से सुझाव है कि जो शादी का अनुदान दिया जाता है उसमें दलित और सामान्य वर्ग के प्रार्थियों से एफिडेविट विथ नोटरी नहीं लिया जाता है जब कि पिछड़ी जाति के लोगों से लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को रोका जाये। और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को भी एफिडेविट विथ नोटरी नहीं लिया जाता है जब कि पिछड़ी जाति के लोगों से लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को रोका जाये। और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को भी एफिडेविट विथ नोटरी देने की बाध्यता को समाप्त किया जाये। सबके लिए समान प्रक्रिया रखी जाये। मान्यवर, जब इसी तरीके से यू0पी0 के बाहर दलित और सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको वजीफा, छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन पिछड़ी जाति के बच्चों को यह सुविधा नहीं मिल पाती है तो इस नियम में सुधार होना चाहिए और पिछड़ी जाति के बच्चों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, वैसे तो मैं अपने विभाग के बजट पर बोल चुका हूं। मान्यवर कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार से सदस्यों ने जानकारी चाही है कि क्या पुराने विकलांग लोगों को ही पेंशन मिलेगी और उनकी संख्या 8 लाख बतायी गयी है। व्यय अनुमान। मान्यवर, इस साल नये विकलांग पेंशन लाभार्थियों की संख्या, नये 75 हजार लोग हैं इनके लिए 26 करोड़ 93 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। और मैं समझता हूं कि हमारी महिला सदस्य जो दृद्धी क्षेत्र से थी उन्होंने कहा कि दूर का क्षेत्र होने के नाते विकलांगों का विशेष कैम्प लगाकर इतनी बड़ी संख्या में, आजादी के बाद एक वर्ष में नये पेंशन धारकों के लिए पेंशन की कभी भी योजना नही लाई गयी थी। सम्भवतः मैं समझता हूं कि 75 हजार लाभार्थियों की यह संख्या को लाभ पहुंचाने के बाद कदाचित कोई भी विकलांग श्रेणी का लाभार्थी बचे इसलिए मान्यवर, कैम्प लगाकर के इस योजना का जहां पर डाक्टर होगा, विभाग के अधिकारी होंगे, लाभार्थी होंगे, कैम्प लगाकर के मान्यवर, जो उन्होंने सुझाव दिया है उसका पालन कराया जायेगा।

दूसरा, मान्यवर, शुल्क प्रतिपूर्ति पिछड़े वर्ग के छात्रों को दसमोत्तर या विशिष्ट श्रेणी की जो शिक्षा है उसमें क्षतिपूर्ति देने का प्राविधान है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, पिछड़े वर्ग को स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को भी यह छात्रवृत्ति दी जाती है अब इधर इसका धन नहीं जाता है इस पर आप कुछ कर रहे हैं।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, यह योजना भारत सरकार की सहायता से ही नहीं बल्कि इसका सम्पूर्ण परिव्यय भारत सरकार को वहन करना चाहिए। लेकिन इस वचनबद्ध व्यय की भी पूर्ति लगातार कई वर्षो से उन्होंने नहीं किया, अब तो हैं लेकिन पिछड़े वर्ग के बहुत से, बहुत कम संख्या में बच्चों की निःशुल्क क्षतिपूर्ति दसमोत्तर और विशिष्ट जो डाक्टरी की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बीएड करते हैं, उनकी भी क्षतिपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाई है कारण जो राज्य के संसाधनों से की जा सकती थी उसे किया गया है। चूंकि इस वर्ष पिछड़े वर्ग के छात्रों की पढ़ाई में केन्द्र सरकार द्वारा जो सम्पूर्ण व्यय भार वहन करना चाहिए था, मान्यवर, केवल 20 परसेन्ट उन्होंने विगत वर्षो में दिया है। तकरीबन 3 हजार 200 कुछ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से जो आना था वह विगत वर्षो के नहीं आये हैं लेकिन इसके बावजूद माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों को हम आपके माध्यम से सूचित करना चाहेंगे कि हमारी सरकार का प्रयास होगा और इन बच्चों को राज्य संसाधन से हम प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव की सरकार इन छात्रों की जो शुल्क प्रतिपूर्ति है, उसका अधिक से अधिक लाभ दे सकें। लेकिन मान्यवर, यहीं पर कहना चाहेंगे कि जो देयता है केन्द्र सरकार की विभिन्न मदों में उत्तर प्रदेश सरकार को, हम कोई अनुदान और भीख नही मांगते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का हक मांगते हैं। जबकि वह वचनबद्ध हैं। जब किसी प्रदेश का बजट आता है तो कुछ न कुछ केन्द्र सरकार की वचनबद्धता के बाद इस माननीय सदन में प्रदेश का बजट आता है और उस वचनबद्धता की धनराशि को पूर्ण न करने के कारण जो हमारा लक्ष्य होता है लाभ पहुंचाने का वह मान्यवर, बाधित होता है। हमारा लक्ष्य बाधित होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले अप्रैल के महीने में ही इस श्रेणी के लिए जो सहायता राशि पिछले कई वर्षो से नहीं मिली थी उसके

लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा मिलकर भी उन्होंने तीन हजार दो सौ कुछ करोड़ रुपया जो इस प्रदेश का नहीं मिल पाया पिछड़े वर्ग की विभिन्न योजनाओं के लिए उसके लिए भी उन्होंने आग्रह किया कि दिया जाय। इस वित्तीय वर्ष में जो उनको देना है हम अपेक्षा करते हैं क्योंकि यह मामूली संख्या के लोगों का नहीं है प्रदेश की 54/55 प्रतिशत जनसंख्या की यह आवश्यकता है और इतनी बड़ी संख्या की आवश्यकता की अनदेखी होने पर मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को भी इस पर सोचना पड़ेगा। उसके लिए अभी पत्र भी गया है विभागीय मंत्री सहित हमारे मुख्य मंत्री जी और अन्य लोग बात करके भी इस धन को लेने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए जितनी भी योजनाएं हैं चाहे केन्द्र सरकार द्वारा उसका वित्त पोषण होना चाहिए था नहीं हुआ है हम राज्य के संसाधनों से पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए चाहे जितनी भी योजनाएं हों उन योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने पाएगी। यही निवेदन करना था। इस निवेदन के साथ हम माननीय सदस्य जैसल साहब से आग्रह करेंगे कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

डा0 शिव प्रताप यादव-

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

आप सुझाव दे रहे हैं आप मंत्री हैं।

डा0 शिव प्रताप यादव-

ढाड़ी और दुषाद जाति यह दोनों न पिछडे वर्ग में माने जाते हैं न अनुसूचित जाति में जबकि अनुसूचित जाति में पहले थे। हमारा आग्रह है कि ढाड़ी और दुषाद जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाय। और निषाद चाई जाति के लोग आपके क्षेत्र में भी यह आते हैं इनको पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मुझे आश्चर्य है कि आप लोग खुद कैबिनेट के सदस्य हो मंत्री से स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, किस जाति को अनुसूचित जाति में रखा जाय किस जाति को जनजाति में रखा जाय यह केन्द्र सरकार का विषय है। डा0 साहब जो सदस्य बलरामपुर हैं ने जो समस्या रखी है। हम इनसे कल मंगवा लेंगे और हमारे यहां शोध संस्थान है उससे हम 15 दिन के अन्दर जांच कराकर भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी दुषाद जाति अनुसूचित जाति में पहले से ही सूचीबद्ध है। इस सदन में भी एक माननीय सदस्य आए हैं जो उस जाति के हैं और अनुसूचित जाति का बाकायदा प्रमाण-पत्र पाकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से जीतकर आए हैं। दुषाद आलरेडी अनुसूचित जाति में शामिल है। उसके लिए दूसरी सूचना नही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री शंखलाल माझी)-

माननीय मंत्री जी को एक छोटा सा सुझाव देना चाहते थे मझवार, खरवार, तुरहा, गोंड यह 10 अगस्त, 1950 से अनुसूचित जाति की सूची में इनका नाम है। पूरे प्रदेश के जनगणना 1931, 1941, 1951, 1961 में इनकी जनसंख्या लाखों में है। किन्तु पूरे प्रदेश के किसी जनपद के किसी तहसील में इनको मान्यता नहीं मिलती है। इनको प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है। जबकि 1951 की प्रेसीडेंसिएल लिस्ट में इनका नाम है। माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में यह जातियां 1950 से ही अनुसूचित जाति की कैटेगरी में हैं इनको केवल परिभाषित कर दिया जाय जिनकी संख्या कई लाख में है। चूंकि हम पहले से नहीं कहें हैं, हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि इन जातियों को सिर्फ परिभाषित कर दिया जाये कि हम अगर नहीं मंझवार, तुरहा, कोल तो कौन इनका हक दिला दें और सिर्फ परिभाषित कर दें मान्यवर।

श्री अवधेश प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 राम सरन जी एक वरिष्ठ साथी हैं और इनको पता भी है कि समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप से है कि इन जातियों को हम अनुसूचित जाति की सूची में ला करके जो अनुसूचित जाति को फायदा मिलता है, उसी तरह इनको दिलायेंगे। श्रीमन् ये हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में है तो इस दिशा में हम परीक्षण करा रहे हैं कि जब भारत सरकार में भेजें तो वहां कोई कठिनाई न हो, तकनीकी गलती न हो। श्रीमन् इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं लगेगा, हम उसको भेजेंगे भी।

*श्री मदन चौहान-

मान्यवर, हमारे वहां कुछ जातियों के प्रमाण-पत्र बनाने में प्राब्लम है। मान्यवर, मैं बता रहा हूं कि कई जातियां ऐसी हैं जो हमारी तरफ पश्चिम की तरफ धुना कहा जाता है और पश्चिम की तरफ धानुक कहा जाता है, उसी तरह से हमारी तरफ अरेड़िया कहा जाता है और वहां पर बहेलिया कहा जाता है, एक और जाति है कोरी और कोली। इन तीनों जातियों का आज कल प्रमाण-पत्र नहीं बन रहा हैं, पहले प्रमाण-पत्र बने हैं मान्यवर। मान्यवर, उनके सामने दिक्कत आ रही है, न एडमीशन हो रहे हैं, न उनको किसी भी योजना का लाभ मिल पा रहा है मान्यवर। वो किसी जाति के प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहे हैं। पूर्व में वो बने हैं। तो मा0 समाज कल्याण मंत्री जी के संज्ञान में, मैं लाना चाहता हूं कि उनको किस जगह पर अनुसूचित जाति में इन लोगों के प्रमाण-पत्र बने हैं। धुना-धानुक, अरेड़िया-बहेलिया, कोरी-कोली तो मान्यवर, अब हमारे जिले में उनके प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, सुनिये बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष-

महत्वपूर्ण क्या, भाषण नहीं होगा, स्पष्टीकरण में भाषण होता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट में यह प्रकरण खत्म होगा। दो तरह की समस्यायें हैं। एक समस्या यह है कि अमुक जाति अनुसूचित जाति की सूची में है नहीं, और यह कठिनाई है कि उसको होना चाहिये। दूसरी समस्या मान्यवर, कई जगहों से आयी, जैसे अभी गोण्ड के बारे में आया, खरवार के बारे में आया, धानुक के बारे में आया, मंझवार के बारे में आया, चाई के बारे में आया कि वो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जातियां उस सूची में तो लेकिन उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने में अधिकारीगण ढिलाई कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इसमें तत्कालीन जो समाज कल्याण आयुक्त थे मान्यवर, लाखा साहब। उन्होंने एक स्पष्ट पत्र भेजा था सारे जिलों में और उस पत्र में स्पष्टतया यह उल्लेख किया गया था कि जो जिस सूची में दर्ज है उस सूची के अनुसार उसको प्रमाण-पत्र दे दिया जायें और उसके निराकरण के लिये भी, मैं एक मिनट आपका इसलिये लेना चाहता हूं, बहुत देर से इस समस्या का हल नहीं निकला। उसमें उन्होंने कह दिया कि इसके लिये जो आधार है 59, 62 फसली की खतौनी में दर्ज है तो, टी0सी0 में दर्ज है तो, विद्यालय के एडमीशन में दर्ज है तो, उसके पूर्वजों को है तब या इसके पूर्व कभी प्रमाण-पत्र दिया गया है तो।

(श्री मदन चौहान के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

सुन लो भइया, हड़बड़ाओं नहीं, तुम घबड़ा जाते हो तो बैठ जाओ, सुन लीजिये इत्मिनान से और श्रीमन् उसमे निर्देश स्पष्ट थे, हुआ क्या, ये आरोप नहीं है लेकिन असलियत बताना चाहता हूं पिछले पांच वर्ष में अनुसूचित जाति से बाकी लोगों को वंचित करके और कैसे एक जाति विशेष को ही उसका फायदा दिया जाये कि जो दर्ज हैं उनको भी न मिल सके। इसके मान्यवर, अघोषित निर्देश थे और अगर निर्देश नहीं थे तो अपनी ओर से चापलूसी में अधिकारियों ने खुश करने के लिये अतिरिक्त रूप से ऐसा करने का काम किया, अनायास। मैं दोनों बातें कह सकता हूं, मुझे नहीं पता इसका और वो रिवाज अभी कुछ अधिकारी चला हैं। चूंकि यह जाति प्रमाण तहसीलों से बनता है। इस प्रदेश का राजस्व मंत्री होने के नाते मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि जहां इस तरह की शिकायतें हैं, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से दे दीजिये। जो सूची में दर्ज है और जो किस जाति का है।

अगर प्रमाण-पत्र उसको नहीं जारी किया जाता है तो जो अधिकारी जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से दण्डित किया जायेगा। मान्यवर, इसको ठीक करेंगे और इसकी जरूरत है क्योंकि कार्य संस्कृति एकदम गड़बड हो गई है। उसने क्या किया एक तरीका अगर गोड़ है तो उसको लिख दिया यह भडभूजा है। हमने कहा कि अगर तुम्हारी जाति बदल लें तो तुमको कैसा लगेगा। इसलिये मान्यवर, यह गड़बड़ी हो रही है, उसको ठीक करेंगे। आप लोग शिकायतें दे दीजिये, हम देख लेंगे। अभी भी शिकायत जारी है। कुशीनगर में जारी है, आपके यहां जारी है, आपके यहां जारी है, किसी न किसी जिले में जारी है। उसको दूर करेंगे, आप लिखकर दे दीजिये हम उसका निराकरण करेंगे।

(माननीय सदस्य श्री मदन चौहान के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मदन चौहान जी, अब बात आ गई, आप इनको लिखकर दीजिये ना?

*श्री बावन सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जनपद गोंडा में पिछड़ा वर्ग।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, इसमें बहेलिया दर्ज है, कोरी दर्ज नहीं है कोली दर्ज है लेकिन पूर्व में तहसीलदार के द्वारा अरेड़िया आबलिक करके बहेलिया।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं। चौहान जी, अब हो गया। मंत्री जी ने कह दिया है लिखकर दे दीजियेगा, वह दिखवा लेंगे। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। जैसल जी, आप कुछ पूछेंगे। जो पूछना है पूछ लीजिये। आपने जो कहा वो मैं शब्द देख कर निकलवा दूंगा। बात खत्म हो गई। इनको हक है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, समाज कल्याण विभाग के बजट के बारे में जो शंकाए हैं और जो जिज्ञासायें हैं आपके माध्यम मैं अनुरोध करता हूं कि उसको लिखकर दे दें, मैं गम्भीरतापूर्वक दिखवा लूंगा।

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जैसल जी, अब क्या है ? प्रस्ताव करा लें।

श्री राजबली जैसल-

माननीय अध्यक्ष जी, हमसे ज्यादा स्पष्टीकरण सत्ता पक्ष के लोगों ने मांगा।

श्री अध्यक्ष-

सुझाव दिया है, स्पष्टीकरण नहीं।

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, सुझाव नहीं दिया है स्पष्टीकरण दिया है। सुझाव माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद ही हुआ था। स्पष्टीकरण पूछा गया। मैं स्पष्टीकरण के तौर पर माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने जो एक बात रखी एक महत्वाकांक्षी योजना रानी लक्ष्मी बाई की। मेरा इसमें कोई ऐतराज नहीं है, मैंने इसमें बधाई दिया था मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि जिस महत्वकांक्षी योजना महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को बंद करने के बाद जो रानी लक्ष्मीबाई की योजना को चालू किया गया है क्या उसमें उन लाभार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा कि नहीं जो पूर्व से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह हम ज्ञान वर्धन के लिये जानना चाहेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, कौन योजना थी इनकी, यह अच्छी तरह समझ रहे हैं हम। लेकिन जो हमारी योजना है जग जाहिर है। हिन्दुस्तान और देश की आजादी की लड़ाई में इनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो तमाम स्टैचू बने हुए हैं उनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है उनके स्टैचू पर करोड़ों-करोड़ रुपया खर्च हुआ। लेकिन जो इनको चिन्ता है कि जो लाभार्थी थे उनको मिलेगा कि नही ? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य बहुजन समाज पार्टी को आश्वस्त और यकीन दिलाता हूं, हम जांच करायेंगे अगर पात्रता सही है तो मिलता रहेगा और अगर पात्र नही है तो काट दी जायेगी। अगर अपात्र को पात्र बनाया गया है तो जिसने किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा औरों को भी मिलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,78,57,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण, अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण, अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,68,57,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,33,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,70,13,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,80,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश में यू0 पी0 एस0 एस0 सी0 एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी आग्रह करके चले गये हैं कि इसको किसी दूसरे दिन लगा दिया जाये। उन्होंने आग्रह किया था कि आज न लगाया जाये।

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आज की कार्यसूची पर है और मा0 सदस्य स्वयं उपस्थित नहीं हैं तो इसको स्थगित किये जाने की कोई कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा जो कहना है, वह कह लूंगा, तब होगा न मान्यवर, अभी तो मैंने कहा ही नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से उसमें मेरे भी हस्ताक्षर होंगे। आप कहें तो मैं दो लाइन कह कर चर्चा को बढ़ा देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं चर्चा हटाने की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची पर जो मद संख्या 12 है। नियम 52 के अन्तर्गत माननीय हुकुम सिंह जी की सूचना पर चर्चा के लिये आज एक घण्टे का समय नियत था। कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में उसको पारित किया गया है। सदन में कौन सी कार्यवाही कब हो, स्थगित की जाये, नहीं की जाये, इस सम्बन्ध में मान्यवर, आपके विवेक को चुनौती देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सर्वोपरि है, आप जो निर्णय देंगे, वह शिरोधार्य है। लेकिन जो डा0 राधामोहन दास अग्रवाल कह रहे हैं, वह सही नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैंने क्या कहा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं बता रहा हूं, आप बैठ जाइये। खड़े होकर सुनना चाहेंगे तो सुनाई नहीं देगा, कान में इयर फोन लगा लें तो सुनाई देगा। बैठ जाये तो साफ सुनाई देगा। मान्यवर इन्होंने कहा कि मेरे भी नोटिस पर हस्ताक्षर होंगे। उसका मान्यवर, कोई प्रावधान नहीं है जो आलरेडी कार्यसूची में लगा है, उसके अतिरिक्त इस समय नाम जोड़े जाने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यह अनुरोध आपसे कर रहा हूं कि आपका सम्पूर्ण विवेक है और माननीय सदस्य ने आपसे व्यक्तिगत रूप से भी कहा हो तो आपके अधिकार मान्यवर, इस मामले में असीमित है, आप इसको स्थगित करना चाहें तो स्थगित कर दीजिये।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल कुछ बोलने का प्रयास करते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

सुन लीजिये, डाक्टर साहब सुन लीजिये। नियम 52 में एक सदस्य उसे प्रस्तुत करता है, दो उसके समर्थन में रहते हैं लेकिन प्रस्तुतकर्ता ही सब कुछ होता है, समर्थन आपने प्रस्तुत करने के लिये दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस सदन में दृष्टांत है कि यदि प्रस्तुतकर्ता नहीं होगा तो चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है, इसलिये इसको स्थगित करता हूं। उन्हें जाना था, जल्दी थी।

(मद संख्या 12 की चर्चा स्थगित)

जिला योजना समिति में विधान सभा सदस्यों/जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एवं वर्ष 2011-12 में इस हेतु आवंटित धन के दुरुपयोग के विषय में तथा प्रदेश के इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र, छात्राओं हेतु वर्ष 2010-11 के बजट में आवंटित धनराशि की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जांच हेतु संसदीय समिति के गठन की सूचना

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है।

दिनांक 31 मई, 2012 व 05 जून, 2012 के उपवेशन में दिये गये निदेशों के क्रम में दिनांक 08 जून, 2012 को सम्पन्न हुई दलीय नेताओं की बैठक में उक्त प्रकरणों की जांच हेतु एक संसदीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। सदन को यह सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 200 के अन्तर्गत उक्त प्रयोजन हेतु निम्नवत् जांच समिति गठित की गई है-

1-श्री मो0 आजम खां, संसदीय कार्य मंत्री	सभापति
2-श्री अम्बिका चौधरी, राजस्व मंत्री	सदस्य
3-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नेता, विरोधी दल	सदस्य
4-श्री हुकुम सिंह, नेता, विधान मण्डल दल, भा0ज0पा0	सदस्य
5-श्री प्रदीप माथुर, नेता, विधान मण्डल दल, भा0रा0 कांग्रेस	सदस्य
6-ठा0 दलवीर सिंह, नेता, विधान मण्डल दल, रा0 लोकदल	सदस्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 201 के उपनियम (1) के अन्तर्गत श्री मोहम्मद आजम खां उक्त जांच समिति के सभापति नियुक्त किये गये हैं।

समिति का अधिकार क्षेत्र-

उक्त समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर जांच सम्पादित करेगी-

1-जिला योजना समिति में विधान सभा सदस्यों/जनप्रतिनिधियों की भागीदारी न होना एवं वर्ष 2011-2012 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परिव्ययों की धनराशि को अन्यत्र डाईवर्ट कर धन का दुरुपयोग किये जाने के विषय में।

2-प्रदेश की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेजों में पिछड़े वर्ग के छात्र, छात्राओं हेतु वर्ष 2010-2011 के शुल्क की प्रतिपूर्ति का बजट प्रावधान होने के पश्चात् भी पिछड़े वर्ग के छात्रों, छात्राओं के लिये शुल्क की प्रतिपूर्ति न होना एवं आवंटित धन का दुरुपयोग किये जाने के विषय में समिति विधिवत् जांच सम्पादित करेगी एवं दायित्व निर्धारित करेगी।

उपर्युक्त विषयों पर जांच सम्पादन हेतु समिति स्व-विवेक से अपने कृत्यों एवं आनुषांगिक विषयों के संदर्भ में भी निर्धारण करने हेतु स्वतंत्र होगी।

उपर्युक्त जांच समिति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियम लागू होंगे।

समिति यथासम्भव विधान सभा के वर्ष 2012 के तृतीय सत्र के सत्रावसान से पूर्व उक्त जांच सम्पादित कर अपनी जांच आख्या सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन बैठक में यह तय हुआ था कि इसमें मेरे स्थान पर मेरे द्वारा नामित एक सदस्य होंगे।

श्री अध्यक्ष-

तो आप किसी को नामित कर दीजिये। जो आप नाम दे देंगे मैं उसी को कर दूंगा। या अभी दे दें तो अभी जोड़ देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बाद में दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 जून, 2012 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनायें प्राप्त हुईं-

पहली सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की उ0 प्र0 समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की करायी गयी जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की आवास विकास परिषद्, इलाहाबाद द्वारा तेलियरगंज तथा मेहदौरी में औतार टाकिज के पास पुस्तैनी रूप से निवास कर रहे सैकड़ों गरीब, दलित व मेहनतकश परिवारों की झोपड़ियां उजाड़े जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री गायत्री प्रसाद की अमेठी जनपद की छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम बदल कर पुनः अमेठी किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री उदयराज यादव की इण्डियन गोरखा रेजिमेन्ट में भर्ती के लिये भारतीय गोरखा समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र तत्काल जारी किये जाने के सम्बन्ध में तथा पांचवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0, लखनऊ में कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। छठी सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया की विधान सभा क्षेत्र महोबा में कबरई मण्डी का प्रशासन द्वारा उत्पीड़न कर व्यवसाय को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्रीमती हेमलता चौधरी की बागपत से चमरवत मार्ग जाने वाली सड़क के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की पीलीभीत के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री गुलाबचन्द सरोज की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र 372 केराकत अन्तर्गत गांगी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती उमाकान्ती सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत जी0 एस0 वी0 द्वारा राज्य योजना (सामान्य) वर्ष 2011-12 में कालपी-राठ के मार्ग के चौड़ीकरण हेतु कराये गये कार्य की टी0 ए0 सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में तथा ग्यारहवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की जनपद इलाहाबाद की पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में रुके

हुये विद्युतीकरण के कार्य को तुरन्त आरम्भ कराने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

1-श्री गोरख पासवान,
2-श्री आदिल शेख,
3-श्री प्रदीप माथुर,
4-श्री अरुण वर्मा,
5-श्री बृजलाल सोनकर,
6-श्री दलजीत सिंह,
7-डा0 धर्म पाल सिंह,
8-श्री संजय कपूर,
9-डा0 धर्म सिंह सैनी,
10-श्री बाला प्रसाद अवस्थी,
11-श्री इन्द्रपाल सिंह,
12-डा0 पूर्णामासी देहाती,
13-श्री विजय कुमार,
14-श्री जय प्रकाश अंचल,
15-श्री जगन प्रसाद गर्ग,
16-श्री बंशी सिंह पहाड़िया,
17-श्री शारदा प्रताप शुक्ला,
18-श्री तेज नारायण पाण्डेय,
19-डा0 महेश शर्मा,
20-श्री अजय मिश्रा,
21-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
22-श्री सुरेश कुमार खन्ना,
23-श्री धर्म पाल सिंह,
24-श्री अजय कुमार 'लल्लू',
25-श्री मुकेश श्रीवास्तव,
26-श्री उमाशंकर सिंह,
27-श्री ठा0 सूरजपाल सिंह,
28-श्री मदन गोपाल वर्मा,
29-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
30-श्री शेर बहादुर सिंह,
31-श्री प्रमोद तिवारी,
32-श्री पूरन प्रकाश,
33-श्री सुशील सिंह,
34-श्री कालीचरन सुमन,
35-श्री गयादीन अनुरागी तथा
36-श्रीमती रूबी प्रसाद।

जनपद बुन्देलखण्ड में वर्ष 2007-2008 में किसानों द्वारा निजी नलकूपों हेतु विद्युत् कनेक्शन में छूट हेतु कराये गये पंजीकरण के आधार पर छूट के साथ विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर सिंह यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री विशम्भर सिंह यादव हैं। (श्री विशम्भर सिंह यादव के अनुपस्थित रहने पर) बताइये अब क्या करें।

(सदस्य की अनुपस्थिति के कारण वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

राज्यमंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, अब आगे बढ़िये।

(सदस्य की अनुपस्थिति पर वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

जनपद इलाहाबाद मेजा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 15 को माननीय श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप ने इसे स्थगित करने के लिये आग्रह किया है। इसलिये इसे स्थगित किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में जंगली सुअरों द्वारा फैलाये जा रहे आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री सुरेश राणा जी हैं। नहीं हैं। माननीय सदस्यगण, अभी हमारे प्रमुख सचिव जी ने पत्र दिया है। श्री सुरेश राणा जी ने कहा है कि आज मैं नहीं रह पाऊंगा तो किसी दूसरे दिन लगा लें। तो इसे किसी दूसरे दिन लगा देना। इसे कैंसिल मत करना।

जनपद महोबा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला अस्पताल का दर्जा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

बुधौलिया जी हैं। हाँ हैं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद महोबा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र . . . .

श्री राजबली जैसल-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[महोबा को जिला चिकित्सालय, महोबा का दर्जा शासनादेश संख्या 5130/सेक-2/पांच-97-5(6)/96, दिनांक 22-09-1997 द्वारा दिया जा चुका है। जनपद महोबा में पूर्व से स्थापित सी0एच0सी0 को उच्चीकृत करते हुये 100 शैय्यायुक्त जिला संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना वर्ष 2005 में की जा चुकी है, जिसके संचालन हेतु शासनादेश संख्या 4257/सेक-2/पांच-05- 7(367)/04, दिनांक 20-06-2005 के द्वारा चिकित्साधिकारियों एवं अन्य विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष चिकित्साधिकारी एवं अन्य स्टाफ कार्यरत हैं तथा चिकित्सालय में एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, ब्लड बैंक, पैथालॉजी व आपरेशन यूनिट स्थापित एवं क्रियाशील हैं, जिसके द्वारा क्षेत्रीय जनता को समुचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त करायी जा रही है। चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमी को पूरा करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, महोबा से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव मांगा गया है।

यद्यपि चित्रकूट धाम मण्डल में घोषित मण्डलीय चिकित्सालय, बांदा, जो कि महोबा से लगभग 55 किमी0 दूरी पर है, के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक सी0टी0 स्कैन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार चित्रकूट धाम मण्डल के सभी जनपदों के साथ ही जनपद महोबा के रोगियों को भी सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

प्रदेश में चिकित्सक विशेषज्ञों की कमी होने के कारण एण्डोस्कोपी, सी0टी0 स्कैन इकाई की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों का बुरा हाल होने एवं डाक्टर लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यस्त होने के कारण सरकारी अस्पताल में नहीं आने का प्रश्न है, जिसके सम्बन्ध में इस आशय के कड़े निर्देश पुनः निर्गत किये गये हैं कि यदि कोई चिकित्सक राजकीय चिकित्सालय की ड्यूटी से अनुपस्थित/प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। जनपद के स्वास्थ्य केन्द्रों में मुख्य चिकित्साधिकारी, महोबा द्वारा जनवरी 2012 से अब तक लगभग 45 निरीक्षण किये गये हैं, निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0) बन्द नहीं पाये गये हैं तथा चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।]

श्री राजनरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि महोबा अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दे दिया गया लेकिन जो मानक है जिले का दर्जा दिये जाने का वहां सी0एच0सी0 के मानक के अन्तर्गत मात्र 17 लोगों का स्टाफ है, जबकि जिला अस्पताल के लिये कम से कम 150 का होना आवश्यक है, अब एक जनपद में 17 लोगों के स्टाफ से क्या अस्पताल चलेगा, यह मैं जानना चाहूंगा जवाब बड़े झूठे आये हैं इसमें और दूसरा आया है कि बांदा में सी0टी0 स्कैन मशीन है, महोबा के लोग बांदा जा करके इलाज करायेंगे, अब महोबा के मरीज बांदा जायेंगे

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सी0टी0 स्कैन कराने, ई0सी0जी0 कराने, एक्सरे कराने की व्यवस्था तो महोदय जनपद महोबा है और बांदा अलग जिला है। बांदा जनपद की व्यवस्था अलग है, महोबा जनपद में जो भी आवश्यक मानक के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिये सी0टी0 स्कैन है, एक्सरे मशीन है, एण्डोस्कोपी है, डायलिसिस है, ब्लड बैंक की स्थापना है यह तमाम उचित मानक के अनुसार वहां व्यवस्था होनी चाहिये। महोदय डेढ़ सौ का जो स्टाफ का मानक है वह वहां जरूर पूरा किया जाय तभी वह जिला अस्पताल चल पायेगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब आपने कह दिया ठीक है।

जनपद गोण्डा के ब्लाक मुजेहना अन्तर्गत ग्राम बनकसिया दतौली मोतीगंज मार्ग पर अवैध रूप से आरा मशीन का संचालन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती नन्दिता शुक्ला द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, श्रीमती नन्दिता शुक्ला, मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश . . . .

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[द्वारा दिनांक 14-06-2012 को नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना मांगी गयी है कि-

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र मेहनौन, जनपद गोण्डा अन्तर्गत ब्लाक मुजेहना के ग्राम सभा बनकसिया में दतौली-मोतीगंज के मार्ग सं0 किमी0 2 पर कुन्नूपुर ग्राम सभा जाने के रास्ते पर एक आरा मशीन मानकों के विपरीत संचालित हैं उस पर मेरे द्वारा पूर्व में लिखित रूप से कई शिकायतें की गयीं। चूंकि आरा मशीन मालिक जगदम्बा सिंह उर्फ पहाड़ी सिंह द्वारा संचालित है और ग्राम सभा बनकसिया शिवरतन सिंह के निवासी जगदम्बा सिंह आरा मशीन मालिक पर पच्चीसों मुकदमें दर्ज हैं, माफिया किस्म के व्यक्ति हैं और डी0एफ0ओ0 गोण्डा को मिला कर अवैध संचालन कर रहे हैं चूंकि डी0एफ0ओ0 सारे गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं इसलिये आरा मशीन मालिक के विरुद्ध कार्यवाही करने से बचते हैं।

अभी कल दिनांक 12-06-2012 को 10.00 बजे रात में तीन ट्राली लकड़ी (सागौन, साखू) मोतीगंज थाने के पुलिस के संरक्षण में जगदम्बा सिंह के घर से लाया गया और बेचने के लिये सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं हुई। समस्त प्रकरण गम्भीर है एवं तत्काल अवैध रूप से संचालित आरा मशीन जिसमें अवैध रूप से लकड़ियों का कारोबार हो रहा है, बन्द कराया जाने व मालिक के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करती हूं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वक्तव्य

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोण्डा, पुलिस अधीक्षक, गोण्डा एवं प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश से आख्या प्राप्त की गयी। वस्तुस्थिति निम्नवत् है-

जिलाधिकारी गोण्डा से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में उप जिलाधिकारी गोण्डा (सदर), उप जिलाधिकारी मनकापुर तथा प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, गोण्डा से आख्या प्राप्त की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, गोण्डा तथा उप जिलाधिकारी गोण्डा (सदर) की आख्यानुसार वर्तमान समय में दतौली-मोतीगंज के मार्ग पर कुन्नूपुर ग्राम सभा जाने वाले रास्ते में जगदम्बा सिंह द्वारा किसी प्रकार की आरा मशीन का संचालन नहीं किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक, गोण्डा से प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम बनकसिया शिवरतन सिंह, निवासी जगदम्बा सिंह उर्फ पहाड़ी सिंह पुत्र राधिका सिंह, थाना मनकापुर के हिस्ट्रीशीट संख्या 52ए पर दर्ज अपराधी है। नियमानुसार जिला स्तर पर चिन्हित वन माफियाओं में इनका नाम उल्लिखित नहीं है। जगदम्बा सिंह उर्फ पहाड़ी सिंह के विरुद्ध दर्ज वन अधिनियम के अभियोगों को दृष्टिगत रखते हुये वन माफिया चिन्हित करने के लिये कार्यवाही प्रचलित है और इनके कृत्यों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक, गोण्डा ने यह भी अंकित किया है कि बनकसिया दतौली मोतीगंज मार्ग पर अवैध रूप से संचालित कोई भी आरा मशीन नहीं पायी गयी। वन विभाग के सहयोग से अवैध आरा मशीन व अवैध वृक्ष पातन पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। भविष्य में किसी सूचना पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, गोण्डा की आख्या के अनुसार दिनांक 12-06-2012 को 10.00 बजे रात्रि में तीन ट्राली लकड़ी (सागौन, साखू), मोतीगंज थाने की पुलिस के संरक्षण में जगदम्बा सिंह के घर से लाये जाने और बेचने के लिये सुरक्षित स्थान पर पहुंचाये जाने विषयक तथ्यों कर जांच उप जिलाधिकारी मनकापुर से करायी गयी। उप जिलाधिकारी मनकापुर की रिपोर्ट दिनांक 12-06-2012 के अनुसार टीन सेड में पुआल से ढ़क कर सागौन के बोटे रखे जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ।

प्रमुख वन संरक्षक से प्राप्त आख्या के अनुसार गोण्डा वन प्रभाग में वन अपराध पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर कार्यवाही की जाती रही है। दिनांक 31-05-2012 को क्षेत्रीय वन अधिकारी पड़रीकृपाल रेंज एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी रेहरा द्वारा अपने रेंज स्टाफ के साथ एक अभियान के तहत जगदम्बा सिंह उर्फ पहाड़ी सिंह के कथित स्थल पर छापा डाला गया तथा विधिवत् जांच किया गया, जांच किये जाने पर आरा मशीन मौके पर स्थापित नहीं पायी गयी। पुनः दिनांक 05-06-2012 को उप प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी पड़रीकृपाल, क्षेत्रीय वनाधिकारी टिकरी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी रेहरा थे, अपने पूरे स्टाफ के साथ कथित आरा मशीन पर ग्राम सभा बनकसिया शिवरतन सिंह में औचक छापा डाला गया, कथित स्थल पर कोई आरा मशीन स्थापित नहीं पायी गयी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 11 व 12-06-2012 को 9 स्थानों पर आकस्मिक छापा मारा गया। छापे में 05 आरा मशीने बन्द थीं, जिनके हेड उखाड़कर लाये गये तथा विधिक कार्यवाही के तहत वन अपराध संख्या 11/12-13, 16/12-13, 17/12-13, 18/12-13 एवं 20/12-13 पंजीकृत किया गया। छापे के दौरान अन्य 4 स्थानों पर आरा मशीनें स्थापित नहीं पायी गयीं।

गोण्डा वन प्रभाग के अन्तर्गत अवैध आरा मशीनों के विरुद्ध माह अप्रैल, 2011 से 15 जून, 2012 तक 72 स्थानों पर छापे डलवाये गये तथा 20 प्रकरणों में प्राथमिक सूचना पुलिस में व 50 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही हेतु सूचना दर्ज करायी गयी। इस दौरान 50 आरा मशीनें उखाड़ी गयीं। स्पष्ट है कि उक्त अवधि में गोण्डा वन प्रभाग की सभी रेंजों में अवैध आरा मशीनों के विरुद्ध अभियान चलाये गये और उनके मालिकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही गोण्डा वन प्रभाग द्वारा की गयी।

गोण्डा वन प्रभाग के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2011 से 15 जून, 2012 तक भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्राविधानों के अन्तर्गत 176 वन अपराध दर्ज किये गये तथा 375 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये रु0 3.97 लाख का प्रतिकर वसूल किया गया। इसी प्रकार वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 373 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी तथा 615 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये रु0 14.08 लाख का प्रतिकर वसूल किया गया।]

श्रीमती नन्दिता शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो यह सूचना दी गई है यह नितान्त भ्रामक है। मेरा निवास उसी स्थान पर है मैं नित्य देखती हूं कि वह आरा मशीन चलती है। सूचना देने के उपरान्त ही अधिकारियों की मिलीभगत से इसे बन्द कराया गया है और 2011 में मेरे सूचना देने पर ही पूर्व में एस0 पी0 ने इनकी मशीन बन्द करायी थी और लकड़ी बन्द करायी थी और इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मेरा यह कहना है कि वहां के स्थानीय मोतीगंज थाने की मिलीभगत से मेरे बार-बार सूचना देने के पश्चात् भी तीन सिपाहियों के द्वारा तीन ट्राली लकड़ी को पार कराया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एस0 ओ0 से बार-बार मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरे सिपाही गये हैं परन्तु वह थाने पर लकड़ी लायेंगे या जिले पर ले जायेंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरा यह कहना है कि इस पर कार्रवाई करायी जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्या की सूचना को गम्भीरता से लेते हैं, रिपोर्ट में नहीं भी उल्लेख है तो भी दोबारा से इसकी जांच करा लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे।

जनपद प्रबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र शामली में फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री पंकज कुमार मलिक जी हैं ?

(माननीय सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में मालीपुर से जलालपुर होते हुये रामगढ़ तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेर बहादुर सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री शेर बहादुर सिंह जी हैं ?

(माननीय सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में मानक के अनुरूप कानून व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु नया थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जाकिर अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री जाकिर अली जी हैं ?

(मा0 सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

जनपद लखनऊ के कुर्मांचल नगर एवं समीपवर्ती इलाकों में विद्युत् के अत्यन्त लो वोल्टेज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू हैं ?

(मा0 सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

जनपद सहारनपुर के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के शेष वेतन का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्म सिंह सैनी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

मा0 डॉ0 धर्म सिंह सैनी जी हैं ?

(मा0 सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

जनपद बागपत में वाटर लेबल नीचे होने तथा नहरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती हेमलता चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

कृपया अवगत कराना है कि जनपद बागपत में वाटर लेबल . . . . .

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[नीचे हो जाने के कारण डार्क जोन घोषित कर दिया गया है और लगभग दो माह से नहरों में पानी नहीं आ रहा है। जिसके कारण किसानों के सामने सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गयी है। डार्क जोन घोषित हो जाने के कारण ट्यूबवेल लगाना भी बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में नहरों में पानी न आने के कारण किसानों की फसलें सूखने के कगार पर है। जिससे क्षेत्रीय किसानों में काफी जनाक्रोश है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केवल वक्तव्य-

जनपद बागपत के अन्तर्गत पांच विकास खण्डों को 'अति-दोहित' की श्रेणी में रखते हुये 'डार्क जोन' घोषित किया गया है। सामान्यतः खरीफ फसल में नहरों की सफाई नहीं की जाती है, परन्तु इस वर्ष सरकार की प्राथमिकता के अनुसार खरीफ 1420 फसली में नहरों की सिल्ट सफाई करायी जा रही है, ताकि कृषकों को नहरों में पर्याप्त पानी मिल सके। खरीफ 1420 फसली में रोस्टर में प्रस्तावित समस्त नहरों को यथासम्भव जल की उपलब्धता के अनुसार चलाया गया है तथा जनपद बागपत में स्थित कुल 37 टेलों में से 35 टेलों पर पानी पहुंचाकर सींच सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। शेष दो टेलों पर पानी पहुंचाया जा रहा है। डार्क जोन में भूजल पुनर्भरण हेतु समग्र योजना विभाग द्वारा बनायी जा रही है।]

श्रीमती हेमलता चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, मैं आपको बता दूं कि केवल वक्तव्य में सवाल नहीं पूछा जाता है।

श्रीमती हेमलता चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में पानी की इतनी किल्लत है और नहरों में दो महीने से पानी नहीं आया है। मैंने क्वेश्चन उठाया था और मैं यही सवाल कर रही थी कि मेरे क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं है। जो जवाब आया है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं।

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, नहरें खुलवा दी गई हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

ठीक है, अब हो जायेगा।

जनपद बलरामपुर स्थित विकास खण्ड रेहराबाजार के कई ग्रामों में विद्युतीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि . . . .

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

[उन्होंने अपने विधायक क्षेत्र विकास निधि से विकास खण्ड रेहरा बाजार के कई ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित कर विद्युत् विभाग बलरामपुर को धन आवंटित कराया था। विद्युत् विभाग की लापरवाही व उदासीनता के कारण प्रस्तावित ग्रामों में विद्युत् लगाये जाने का कार्य शून्य है, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। अतः दोषी जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुरूप जनपद बलरामपुर में विधान सभा क्षेत्र सादुल्लानगर में विकास खण्ड रेहरा के निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु जो धन प्राप्त हुआ था, उसका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	ग्राम का नाम	प्राप्त धनराशि (लाख में)	कार्य की प्रगति
1	2	3	4
1	शेरापुर बंजरिया	2.010	कार्य पूर्ण
2	ढफालीडिहवा	3.090	कार्य पूर्ण
3	किशुनपुर ग्रन्ट (जानलिकडीह)	0.900	कार्य पूर्ण
4	किशुनपुर खैरहना में दरियापुरवा का विद्युतीकरण	1.160	कार्य पूर्ण
5	मिर्जापुर	0.900	प्रगति पर
6	देवरिया इनायत (मुजीबडीह)	2.350	प्रगति पर
7	विशुनपुर खैरहना	2.350	प्रगति पर
8	गोल्हीपुर (बड़का प्रधान डीह)	3.340	प्रगति पर
9	भैरवा (रमपुरवा)	1.890	प्रगति पर
10	रामपुर ग्रन्ट (चितियापुरवा)	1.380	प्रगति पर
11	सादुल्लानगर में टीचर्स कालोनी में 25 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर की स्थापना	7.970	प्रगति पर
12	रानीपुर मस्जिदडीह	3.920	प्रगति पर

2-उ0 प्र0 सामान्य विधान सभा निर्वाचन 2012 के लिये 24 दिसम्बर, 2011 को आचार संहिता लागू होने के कारण सामग्री उपलब्ध नहीं हो पायी थी। वर्तमान में अवशेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु सामग्री उपलब्ध हो गयी है। अवशेष ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, 29 तारीख को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 08 बजकर 07 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 29 जून, 2012 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 20 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

कुम्भ-मेला 2012-13 हेतु स्वीकृत मार्गों की सूची

लोक निर्माण विभाग के कार्य

क्र0 सं0	कार्य का नाम
1	फाफामऊ-सहसों-हनुमानगंज रोड की राइडिंग क्वालिटी सुधार।
2	जी0टी0 इस्ट रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
3	झूंसी-गारापुर मार्ग (सोनौटी) से ए0जी0 रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
4	झूंसी-काकरा-दुर्वासार लीलापुर रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
5	पुराना इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग (ओल्ड ए0जी0 रोड) का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
6	जी0टी0 रोड से कि0मी0 180 से 197 का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
7	इलाहाबाद लिंक रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
8	जी0टी0 रोड से किमी0 198 से 202 तक का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
9	इलाहाबाद हंडिया मार्ग (हनुमानगंज बाजार) का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
10	इलाहाबाद हंडिया मार्ग (शहरी भाग) का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
	सेतु
11	अरैल घाट रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
12	नैनी रेलवे फीडर रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
13	मेला क्षेत्र में इण्टर लाकिंग कांक्रीट ब्लाक पेवमेन्ट तथा मार्ग ब्रिक आन एज का कार्य।
14	महावीर रोड, त्रिवेणी रोड से काली लिंक रोड, आर्डीनेन्स विभाग के सामने, जगदीश रैम्प रोड, बैरहना से यमुना बैंक रोड, जी0टी0 से त्रिवेणी पाण्टून ब्रिज रोड का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण।
15	बक्शी बंध, बेनी बंध, युमना बैंक-1 रोड की राइडिंग क्वालिटी का सुधार।
16	मेला क्षेत्र की काली रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
17	मेला क्षेत्र की लाल रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
18	मेला क्षेत्र की त्रिवेणी रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
19	अलोपी क्रासिंग से त्रिवेणी रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
20	पुरानी जी0टी0 रोड से त्रिवेणी रोड एवं हनुमानजी मंदिर रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
21	किला घाट रोड (हनुमान मंदिर से दारागंज रोड) का चौड़ी एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
22	समुद्रकूप रोड की राइडिंग क्वालिटी सुधार।
23	झूंसी छतनाग की राइडिंग क्वालिटी सुधार।
24	पुरानी जी0टी0 रोड से नागवासुकी मंदिर रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।

क्र0 सं0	कार्य का नाम
25	मेला क्षेत्र की युमना बैंक-2 रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
26	सी0एस0पी0 सिंह रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
27	ड्रमण्ड रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
28	कमला नेहरू रोड से चौक तक का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
29	कमला नेहरू रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
30	साहित्य सम्मेलन रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
31	डी0 रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
32	सरोजनी नायडू रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
33	जीरो रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
34	टी0बी0 सप्रू मार्ग का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
35	यूनिवर्सिटी रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
36	कस्तूरबा गांधी रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
37	लाउदर रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
38	पुरानी जी0टी0 सिटी रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
39	जी0टी0 सिटी से वाया रामबाग रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
40	बैंक रोड का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
41	मिर्जा गालिब रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
42	चकिया राजरूपुर रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
43	सर सुलेमान रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
44	महात्मा गांधी रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य।
45	महात्मा गांधी रोड का पार्ट का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
46	इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग किमी0 11.65 से 33.65 का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
47	झांसी इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार। (झांसी इलाहाबाद मिर्जापुर मार्ग से ए0डी0ए0 कालोनी होते हुए अरैल घाट तक चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
48	इंदलपुर रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
49	रेवा रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार। (रीवा रोड से पुराना यमुना पुल डी0पी0एस0 स्कूल से ओमेक्स सिटी होते हुए मिर्जापुर मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण)
50	कोठा पार्चा से रीवा रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
51	रोड जंक्शन आफ इलाहाबाद शहर का जीर्णोद्धार।
52	सोरांव-फूलपुर-हडिया मार्ग के किमी0 16 से 61.20 तक के (लम्बाई 46.20 किमी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।
53	इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर गंगा नदी पर निर्मित शास्त्री पुल की मरम्मत एवं पुनरोद्धार का कार्य।

क्र0 सं0	कार्य का नाम
54	बालसन चौराहे से कुन्दन गेस्ट हाउस (गोपाल बिहारी माथुर रोड) होते हुए बाघम्बरी गद्दी से संगम की ओर जाने वाले मार्ग।
55	गीता निकेतन मंदिर जवाहर लाल नेहरू रोड से इलाहाबाद बैंक ढिंगवस कोठी होते हुए एफ0सी0आई0 मार्ग।
56	लीडर रोड पर राइडिंग क्वालिटी के सुधार हेतु एस0डी0बी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य।
57	नवाब यूसुफ मार्ग पर राइडिंग क्वालिटी सुधार हेतु एस0डी0बी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य।
58	नूरूल्ला रोड पर राइडिंग क्वालिटी सुधार हेतु एस0डी0बी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य।
59	राम मनोहर लोहिया मार्ग पर राइडिंग क्वालिटी के सुधार हेतु बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 का कार्य।
60	उस्तापुर महमूदाबाद लिंक रोड के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।
61	थार्नहिल रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
62	मदन मोहन मालवीय रोड का चौड़ीकरण एवं राइडिंग क्वालिटी सुधार।
63	म्योर रोड का राइडिंग क्वालिटी सुधार।
64	खुसरोबाग के पास लीडर मार्ग पर स्थित रेलवे उपरिगामी सेतु के विशेष मरम्मत का कार्य स्टेशन की तरफ।
65	खुसरोबाग के पास लीडर मार्ग पर स्थित रेलवे उपरिगामी सेतु के विशेष मरम्मत का कार्य मा0 उच्च न्यायालय की तरफ।
66	सब वे एवं फुट ओवर ब्रिज।

नगर पंचायत झूंसी द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कार्य-

क्र0 सं0	कार्य का नाम
1	रेलवे अन्डर ब्रिज से योगानन्द आश्रम होते हुए शिवगंगा आश्रम तक डामर रोड का निर्माण का कार्य।
2	प्रभुदत्त ब्रम्हचारी के आश्रम से गोधाम गंगा घाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण का कार्य।
3	रेलवे क्रासिंग से मुरारी की गली कुंआ होते हुए प्रभुदत्त ब्रम्हचारी के आश्रम तक डामर रोड का निर्माण एवं रोड का चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।
4	वन विभाग रेलवे क्रासिंग से कैलाशपीठ होते हुए श्मशान घाट तक निर्माण एवं चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।
5	रामायणी आश्रम से गंगा ढाल तक डामर रोड, नाली एवं क्रासिंग का निर्माण का कार्य।
6	सुरेश अग्रवाल के मकान से शास्त्री ब्रिज सम्पर्क मार्ग का डामर रोड का निर्माण, रोड का चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य।
7	गंगोली शिवाला मन्दिर से गंगा घाट तक सीढ़ी निर्माण का कार्य।
8	गंगोली शिवाला के पास कल्वर्ट का निर्माण का कार्य।
9	रामलाल के घर से पाली क्लीनिक होते हुए परमानन्द आश्रम के गेट तक डामर रोड का निर्माण एवं रोड का चौड़ीकरण का कार्य।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0डी0पी0एल0,
लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

विषय-बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रीकन्सट्रक्शन (बी0आई0एफ0आर0) द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम उ0 प्र0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी (यू0पी0डी0पी0एल0) लखनऊ के पुनर्वासन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-यू0पी0डी0पी0एल0/का0 एवं प्रशा0/11/990 दिनांक 18-4-2011 के सन्दर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रीकन्सट्रक्शन (बी0आई0एफ0आर0) द्वारा दिये गये निर्देशों के तारतम्य में उ0प्र0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी (यू0पी0डी0पी0एल0) लखनऊ के पुनर्वासन के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है-

(i) वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष रु0 50.00 करोड़ की औषधियों का क्रयादेश तथा उस क्रय आदेश के सापेक्ष औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में रु0 10.00 करोड़ का रोलिंग एडवान्स स्वीकृत किया जाय तथा उसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में समायोजित कर लिया जाये।

(ii) कम्पनी की रुग्ण स्थिति, बी0आई0एफ0आर0 के निर्देश एवं एतद्विषयक सुसंगत प्राविधानों के दृष्टिगत पूर्व आस्थगन के अनुक्रम में प्रश्नगत बकाये की धनराशि रु0 441.72 लाख को दिनांक 31-3-2014 तक आस्थगित किया जाये।

(iii) यू0पी0डी0पी0एल में वर्तमान में कार्यरत मानव संशाधनों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तर्कसंगत सीमा तक कम करने हेतु सार्वजनिक उद्यम अनु0.1 के शासनादेश संख्या 288/पी0आर0सी0/चौवालिस-193-85/90 दिनांक 8-6-1993 एवं शासनादेश संख्या 1045/11-1-2003-85/90 दिनांक 2-8-2003 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जाये।

(iv) उ0 प्र0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी (यू0पी0डी0पी0एल0) लखनऊ के निजीकरण की कार्यवाही आगामी 01 वर्ष के अन्दर पूर्ण कर ली जाये।

2-कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरिवर्णित निर्णयानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

संख्या 2830(1)/पांच-1-11, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-अध्यक्ष, बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रीकन्सट्रक्शन (बी0आई0एफ0आर0) आठवां तल एनेक्सी, जवाहर लाल भवन, नई दिल्ली।

2-अवस्थापना एवं आद्यौगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आद्यौगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।

3-प्रमुख सचिव, वित्त/सार्वजनिक उद्यम/कर एवं निबन्धन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

4-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0 प्र0 लखनऊ।

5-महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।

6-निदेशक, भण्डार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।

7-चिकित्सा अनु0-5

8-गार्ड फाइल।

नत्थी 'ग'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 128-129 पर)

श्री राम मगन रावत-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र 272 हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी जो जिले के आखिरी छोर पर स्थित है। जिसकी दूरी लगभग 50-55 कि0मी0 है और कई जनपद जैसे राय बरेली सी0एम0एस0 नगर तथा लखनऊ का भी आखरी छोर है सभी मुख्यालय 55 से 65 किलोमीटर है सुल्तानपुर लखनऊ रोड पर केवल हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर केवल एक सी0एच0सी0 केन्द्र है यदि कोई दुर्घटना होती है तो जि0 मुख्यालय ले जाते रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता है ऐसी तमाम दुर्घटना हुई है तमाम लोगों की मौत हो चुकी है यदि हैदरगढ़ मुख्यालय पर जिला स्तर की चिकित्सा सुविधा हो जाय तो मेरे जनपद बाराबंकी सहित सुल्तानपुर, राय बरेली जनपद जो विधान सभा हैदरगढ़ की तहसील हैदरगढ़ के निकट का क्षेत्र है। सबको सुविधा हो जायेगी। अतः आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि हैदरगढ़ तह0 स्थित सी0एच0सी0 पर एक जिलास्तरीय चिकित्सालय बनवा कर जिला स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मेहरवानी की जाय।

श्री अजय कुमार लल्लू-

तमकुहीराज विधान सभा के अन्तर्गत सेवरही जो सा0 स्वकेन्द्र है लेकिन उसे उप स्वास्थ्य केन्द्र की तरह प्रयोग किया जा रहा है उसे सा0 स्वास्थ्य केन्द्र की तरह संचालन करने का आदेश मा0 स्वास्थ्य मंत्री करने का कष्ट करें। साथ ही साथ उप स्वास्थ केन्द्र समउर, रवानगी बाजार, सलेमगढ़ व बहादुरपुर को प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र में समलित कर दिया जाय। चूंकि जापानी बुखार से पुराक्षेत्र पीड़ित रहता है। साथ ही साथ हर वर्ष तमकुहीराज विधान सभा में मुसहर जाति की मरने की संख्या 100 से अधिक होती है। जिला प्रशासन द्वारा यह बताया जाता है। कुपोषण से मरते हैं। अविलम्ब इनके लिए मुसहर जाति जो तमकुहीराज विधान सभा के सेवरही, दुदही, तमकुहीराज ब्लाक में समय-समय पर कैम्प लगाकर उनका परीक्षण कर उनका इलाज का समुचित व्यवस्था करने की मांग करता हूँ। तथा सा0 स्वास्थ केन्द्र पर जो सेवरही में स्थित उसमें अधीक्षक तथा डाक्टर की नियुक्ति तथा सारे संसाधन से लैस करने की मांग करते हैं। तथा उप स्वास्थ केन्द्र समउर, सलेमगढ़, बहादुरपुर, रवानगी बाजार में डाक्टर व स्टाफ की तत्काल नियुक्ति की मांग करता हूँ।

श्री गुलाब चन्द-

माननीय अध्यक्षजी, आपने स्वास्थ मंत्री के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर स्वास्थ मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत है बहुत ही शानदार है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मान्यवर मेरा क्षेत्र विधान सभा केराकत जौनपुर है जहां से निर्वाचित हुआ हूँ। मेरे विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड डोभी तहसील केराकतमें चन्दवक बाजार में सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र था जो वीरीवारी नया सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बन गया जो चन्दवक बाजार से 8 कि0मी0 दूर पर है वहां जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहां करीब 10 हजार जनता को परेशानी उठानी पड़ती है।

मान्यवर मेरा यह सुझाव है कि जो पुराना सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र चन्दवक बाजार में वहां पर एक महिला डाक्टर की नियुक्ति कर दी जाय तो वहां के महिलाओं को दवा इलाज हेतु सुविधा होगी तथा उस बिल्डिंग का उपयोग भी होगा। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार-

महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा 303 कपिलवस्तु जनपद सिर्द्धाथनगर में जिला अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या है, जब कोई महिला डीलेवरी कराने आती है तो वहां के डाक्टर बहुत अनदेखी करते है उन गरीब एवं मजबूर परिवारों को डराते है कि अपरेशन करना पड़ेगा, अगर पांच हजार दो तो कोशिस किया जायेगा वहां जो नर्स है उन्ही से वसूली कराई जाती है और कई डाक्टर ऐसे भी है जो बाहर अपनी डिसपेन्सरी बना रखे है। जायदा तर मरीजों को अपनी निजी डिसपेन्सरी में बुलाते है बहुत से गरीब अपने बच्चो को और अपनी सही इलाज नहीं करा पाते, अतः आपसे अनुरोध है कि इन डाक्टरों पर सक्त कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री अलगू प्रसाद चौहान-

सेवा में, आदरणीय अध्यक्षजी विधान सभा उ0 प्र0 आपने हमे स्वास्थ एवं चिकित्सा पर बोलने के लिए हमे अवसर दिया गया उसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, आदरणीय डा0 राम मनोहर लोहिया का सपना था उन्होंने कहा रोटी कपड़ा सस्ती होगी दवा पढ़ाई मुफ्त होगी अध्यक्षजी मुख्य मंत्री मुलायम सिंह के सरकार में पांच रुपया का पर्ची उन्होंने किया था मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने गम्भीर बीमारी के लिए जैसे कैन्सर, गुर्दा, हृदय आदि का मुफ्त इलाज किया जायेगा। मान्यवर धनघटा विधान सभा मे दो नवीन साव प्रा0 स्वा0 केन्द्र धनघटा एवं हरिहरपुर तथा सामु0 स्वा0 केन्द्र नाथ नगर का भवन निर्माण जिसमें बनकर तैयार हो गया है। मान्यवर इन अस्पतालों पर डाक्टर तैनात करने के लिए आप के द्वारा से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ इन अस्पताल करने का अनुरोध करता हूँ जिससे जनता को मुफ्त इलाज हो सके मान्यवर हमारे जिले में नया जिला बना हुआ है यहां पर बहुत से मशीने नहीं है तमाम महिलाए अस्पताल में अल्ट्रासाउन्ड न रहने के कारण बाहर जाकर कराना पड़ता है जिससे उनको शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न होता है।

श्री उमेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, विधान सभा, उ0 प्र0।

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर जो मा0 राजेश त्रिपाठी जी ने रखा है, उस पर बल देने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र मधुवन जिला मऊ में सुग्गी चौरी प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र जो कि करोड़ों की लागत से बना है। वहां पर न दवा की व्यवस्था है और न ही किसी प्रकार की व्यवस्था है उक्त स्वास्थ केन्द्र पर जब भी जाओ तो वहां पर ताला लटकता मिलता है।

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाफे में डाक्टर एवं दवा उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

मा0 अध्यक्ष जी, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र सिपाह, जो करोड़ों की लागत से बना है उसमें दवा एवं डाक्टर न उपलब्ध होने के कारण जनता को काफी आक्रोश व्याप्त है।

मा0 अध्यक्ष जी, ग्राम सभा गोठा में ग्राम सभा द्वारा बनाये गये भवन में लगभग 42 वर्षों से प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है। वह भवन कभी भी गिर सकता है और कभी भी भीषण दुर्घटना घटित हो सकती है और 2006 में मा0 मुलायम सिंह यादव जी द्वारा ग्राम सभा गोठा में रु0 34 लाख 65 हजार की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छत और भवन तो बन गयी परन्तु उस भवन में न तो बिजली और न पंखे है और उसमें खिड़की एवं न दरवाजे हैं। अतः इसको जनहित में ध्यान में रखते हुए उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर जर्जर भवन में चल रहे स्वास्थ्य केन्द्र को उसमें स्थानान्तरित किया जाए।

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा बहुत से लोक लुभावने इन्होंने वादे किये हैं कि हमें तो पांच साल का मौका मिला है लेकिन दो सालों में पूरे प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म कर देगें और निचले पायदान पर जीवनयापन करने वाले गरीब लोगों को अच्छे डाक्टर एवं दवा उपलब्ध करा देगें। अगर ऐसा इन वर्षों में मा0 मंत्री जी द्वारा अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जायेगी तो मैं मा0 मंत्री जी को बधाई दूंगा। मा0 अध्यक्ष जी वादे तो किये जा सकते हैं परन्तु उन्हें निभाना बहुत कठिन है।

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ।

श्री संजय कपूर-

मा0 अध्यक्ष जी, विधान सभा, उ0 प्र0

मा0 महोदय, मुझे आपने कटौती पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मेरे क्षेत्र की निम्न समस्या है।

1-जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में पी0एच0सी0 स्टाफ, महिला डाक्टर व डाक्टर एवं उपकरण नहीं है इसको चिकित्सा का लाभ पहुंचाने के व्यवस्था कराने की कृपा करें।

2-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर की सी0एच0सी0 जो कि एन0एच0.8 उपलब्ध है यहां पर स्टाफ व डाक्टर एवं उपकरण की कमी है जिससे उपचार नहीं हो पा रहा है कृपया इसका इन्तजाम कराने की कृपा करें।

3-जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में ग्राम बेगमावाद में पी0एच0 बना हुआ है इसमें स्टाफ व डाक्टर नहीं हैं कृपया इसकी व्यवस्थायें कराने की कृपा करें।

4-जनपद व तहसील मुरादाबाद के ग्राम भीतखेड़ा में पी0एच0सी0 का निर्माण कराने की कृपा करें।

5-एम्स अस्पताल रामपुर में खोलने की कृपा करें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री गुलाम मौहम्मद-

माननीय अध्यक्ष जी, आज स्वास्थ्य विभाग के बजट प्रस्तुति के समय न बोल पाने के कारण आपको लिखित रूप में अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1-नये पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 के कायम करने के लिए भूमि का मानक एक एकड़ से घटाकर आधा कर देना चाहिए। मल्टी स्टोरी इमारत बनाई जाये क्योकि गांवों में भूमि की उपलब्धता कम है मेरे क्षेत्र में खिकाई ग्राम में जिसकी आबादी 25000 है में पी0एच0सी0 बनाने के लिए 3200 वर्ग मीटर भूमि अस्पताल के नाम है जिस पर पी0एच0सी0 के निर्माण हेतु आवेदन किया गया है।

2-आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा जहां कल थी वही आज खड़ी हैं इन पद्धितियों में भी शोध कार्य कराये।

3-जिन ग्रामों में ए0एन0एम0 सेन्टर खोले गये है वहां पर सम्बन्धित कर्मचारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाये। धन्यवाद।

डा0 महेश शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, कृपया सादर मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री (माननीय मुख्यमंत्री जी) को इस तथ्य की जानकारी देनी है कि उत्तर प्रदेश में एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा की विद्या में उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इन्टर्नशिप विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में करते है उनमें उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेशों के अन्तर्गत केवल शासकीय सेवाओं में कार्यरत अभिभावकों के अभ्यर्थियों (इन्टनर्स) को तो रुपये 7,500.00 (रु0 सात हजार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होती है, परन्तु निजी क्षेत्र या व्यवसाय में कार्यरत अभिभावकों के अभ्यर्थियों को कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होती है जबकि इन्टर्नशिप कर रहे सभी अभ्यर्थी समान रूप से अपनी सेवायें प्रदान करते हैं।

अतः मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में इन्टर्नशिप कर रहे अभ्यर्थियों को समान रूप से रुपये सात हजार पांच सौ प्रतिमाह छात्रवित्त प्रदान करने पर विचार करने का कष्ट करें। यदि इन्टर्नशिप भत्ता देने के सम्बन्ध में मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, भारत सरकार, नई दिल्ली की कोई शर्तें हो तो उसको भी शिथिल कराने की कृपा करें।

श्री गोरख पासवान-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा उ0 प्र0 लखनऊ।

महोदय, कृपया मेरे विधान सभा 357 बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ब्लाक सियर एवं नगरा में समुदायिक स्वास्थ केन्द्र बना जो आज भी अधुरा पड़ा हुआ है। सबसे खराब हालत नगरा की है। एक डाक्टर छोड़कर सब अपना नर्सिग होम चला रहे है। नगरा समुदायिक केन्द्र का आज तक भवन भी ठीक नहीं है। डाक्टर आवास के सारे दरवाजा एवं पंखा गायब कर दिया गया है। बिजली, रास्ता और चाहरदीवारी भी नहीं है।

अतः जांच कराकर समुदायिक केन्द्र नगरा को समुचित ढंग से चलाने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा, उ0 प्र0 आपने बोलने का अवसर दिया हम आप के प्रति आभार प्रकट करते हैं स्वास्थ चिकित्सा विभाग का बजट बहुत अच्छा है उसका समर्थन करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा में तमाम जगह हास्पिटल (चिकित्सालय) नहीं है बजट में निम्न जगहों पर चिकित्सालय बनवाने की कृपा करें।

1-ब्लाक मुख्यालय बेलहर कला में सी0एच0सी0 चिकित्सालय।

2-विकास खण्ड बघौली में 10 शैया चिकित्सालय ग्राम पकडीया में।

3-विकास खण्ड बेलहर कला के भेडौरा नये पिकौरा में 10 शैया चिकित्सालय

4-विकास खण्ड मेंहदावल में 10 शैया चिकित्सालय ग्राम विसौवा में।

5-बेलहर कलां ब्लाक मुख्यालय पर होमयोपैथिक चिकित्सालय बनवाया जाय।

6-बेलहर कलां ब्लाक मुख्यालय यूनानी चिकित्सालय बनवाया जाय।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मा0 अध्यक्ष जी, आज स्वास्थ विभाग पर चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं मा0 स्वास्थ मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि स्वास्थ विभाग में अमुलचुल परिवर्तन करके इनके हाथ में पहले पुलिस का डन्डा था विगड़े लोगों को ठीक करने के लिए आप यह बिगड़ा स्वास्थ विभाग भी आपको ठीक करना है। बसपा सरकार ने स्वास्थ विभाग को टकसाल बना दिया था। पैसा कमाने का संसाधन बना दिया था। अरबों रुपया इस विभाग से मंत्री से लेकर ऊपर तक खया गया। 3 सी0एम0ओ0 की हत्यायें हुईं। बेशर्मी से विभाग को लुटा गया। एक ट्रक गाड़ी गांवों में मरीजों के इलाज के लिए भेजा गया था परन्तु उस गाड़ी में जान लेवा दवा दिया जाता था। मरीज ठीक होने के बजाय और बिमार हो जाता था। अब आप विभाग में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। मेरा आपसे मांग है कि सभी प्रा0 स्वास्थ केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों पर कुत्ता काटने की सूई प्रर्याप्त मात्रा में दिया जाय। सभी प्रा0 स्वास्थ केन्द्रों पर सी0 टी0 स्कीन मशीन लगाया जाय। जिला चिकित्सालयों में बल्ड बैंक स्थापित किया जाय। मेरे क्षेत्र सिकन्द्रपुर में समुदायिक एक सर्जन डाक्टर अविलम्ब भेजा जाय। एवं मेरे क्षेत्र के न्यू पी0एच0सी0 पुर ग्राम का डाक्टर एवं स्टाफ भेजकर चालू किया जाय। डाक्टर सभी प्रा0 स्वास्थ केन्द्रों पर उपस्थित रहे। आपको बहुत धन्यवाद।

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर भाषण देने के लिए जो मौका दिया है धन्यवाद। स्वास्थ ही धन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। जनपद के अस्पताल में भी एन्जो प्लास्टिक, हर पी0एन0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर डाक्टर तैनात हो रहे हैं। बजट का स्वागत एवं समर्थन करता हूँ। मेरे भी विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में 10 साल एंव 12 साल से निर्मित सिरकोमी टेहरी उच्च

प्रा0 स्वा0 केन्द्र में आज तक दवा एवं डा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र मेहरूमगर में दवा डा0 नहीं तैनात हुए हैं। दवा डा0 की व्यवस्था कर बजट को सफल बनाये। उच्च प्रा0 स्वास्थ केन्द्र गौराबाद, शाहपुर जनवरी 2004 से निर्माणाधीन आज तक नहीं बन पाया है हर अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का आपका लक्ष्य है इन सबों को जोड़ कर बजट को लोक लुभावन बनावें।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा के बजट पर अवसर दिया मैं आपका अभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, समाजवादी पार्टी ने चुनावों में हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद दवा और पढ़ाई मुफ्त होगी इस बजट में उस वायदें को पूरा करने का प्रयास किया गया है। मान्यवर, कैंसर जैसे गम्भीर रोग के इलाज के लिए लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना करने पर मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री को बधाई देता हूँ। मान्यवर, यह कैंसर संस्थान कैंसर होने के कारणों तथा उसके इलाज पर शोध करेगा। मान्यवर, कैंसर, गुर्दे तथा हृदय रोग से पीड़ित लोगों को इलाज पर काफी खर्च करना पड़ता है कमजोर एवं असहाय लोग पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं कर पाते हैं इस सरकार ने यह प्रावधान किया है कि प्रदेश सरकार कैंसर, गुर्दे तथ हृदय रोगों से पीड़ित लोगों के निःशुल्क इलाज के लिए 25 करोड़ रु0 की व्यवस्था की है उसके लिए प्रदेश के मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में आई0सी0यू0 नहीं है जिससे मरीजों को भारी परेशानी होती है बलरामपुर अस्पताल में आई0सी0यू0 की स्थापना की जाये। मान्यवर, लखनऊ मेडिकल कालेज में एक डायबटीज शोध संस्थान बनाया जाय। तथा पोस्ट मार्टम जो अपरान्ह 2 बजे प्रारम्भ होता है वह पोस्ट मार्टम प्रातः 11 बजे से प्रारम्भ किया जाये। मान्यवर, पिछली बसपा सरकार ने एन0आर0एच0एम0 में जो घोटाला किया था उसकी रिकवरी करायी जाये। इसके साथ में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य बजट को जनहित था बजट बताते हुए इसका समर्थन करता हूँ।

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत-

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, महोदय जी, सादर विनम्र अनुरोध है कि जनपद झांसी में पैरा मेडिकल कालेज शुरू कराने के सम्बन्ध में क्योकि बिल्डिंग वन के तैयार है उसे शुरू कराया जाय। 2-मेडिकल कालेज झांसी में सरकारी डाक्टरों को प्राईवेट नर्सिग होम पर भर्ती करके उनके इलाज करते है तो उन पर सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए। 3- पी0एच0सी0 पर पी0एम0 हाऊस खोले के सम्बन्ध में क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज पर पी0एम0 होता है। जिसमें पूरे जिले से लोग आते हैं लेकिन एक दिन में लगभग 15 से 20 पी0एम0 होते हैं। लेकिन पूरे डेन्ड बाडी का पी0एम0 नहीं हो पाता है क्योंकि दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पी0एम0 करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि पी0एच0सी0 पर पोस्ट मार्टम की व्यवस्था की जाय। 4-पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर डा0 महिलाओं की नियुक्ति की जाय जिससे गरीब लोगों को जिला मुख्यालय पर न जाना पड़े और उनको वहीं पर इलाज हो जाय। तो आपकी अति कृपा होगी।

नोट-आयुर्वेदिक कालेज मानक को पूरा नहीं कर पा रहा है। वह बन्द की कगार पर है उसका मानक पूरा करके उसे बचाया जाय।

श्री महावीर सिंह राणा-

परम आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ। सहारनपुर जनपद में मान्यवर कांशीराम मेडिकल कालेज 95% बनकर तैयार है। कृपया इस मेडिकल कालेज अस्पताल को अतिआवश्यक शुरू कराकर इलाज कराने का कार्य प्रारम्भ कराने का कार्य करे। दूसरा मेरे विधान सभा बहेट के विकास खण्डों सखैली नदी में व जनपद के अति गम्भीर बीमार व्यक्ति चण्डीगढ़ पी0जी0आई एवं जौलीग्रांट पी0जी0आई0 में इलाज के लिए जाते हैं कृपया ब्लाक की P.A.W. अथवा जिला अस्पताल में एम्बुलेंश मरीज को पहुंचाने का कार्य करें।

श्री उमाशंकर-

मान्यवर आप ने हमें कटौती प्रस्ताव पर बल देने की आप ने अनुमति दिया मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर आप के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे बलिया जनपद जहां पर उच्च स्तर का चिकित्सीय सुविधा नहीं है इसलिए बलिया जिला मुख्यालय पर एक ट्रामा सेन्टर खोलने हेतु अनुमति देने की कृपा करें। मान्यवर हमारे रसड़ा विधान सभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा है जहां पर मात्र ओ0पी0डी0 में 60 बेडों की है। कृपया इसे बढ़ाकर 100 करने की कृपा करें क्योंकि बलिया मुख्यालय के बाद यहीं बड़ा दूसरा अस्पताल है। मान्यवर इस रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा पर कोई अधीक्षक तक नहीं, कोई सर्जन है। यहां कि लेबोरेटीज में भी कुछ नहीं है। इस पैथोलाजी में संसाधन मुक्त करें। साथ ही यहां पर नेत्र चिकित्सक एवं नेत्र सहायक भी नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सराय महती भी एक फर्मासिस्ट के सहारे चल रहा है। मान्यवर बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अंसार अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, पिछली 2004 मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हमारे फाफामऊ इलाहाबाद में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेड था कौड़िहार में अब तैयार है परन्तु आज तक न ही इसका लोकार्पण हुआ और न ही इसे आज तक चालू किया गया।

आपसे अनुरोध है तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति कर स्वास्थ्य केन्द्र चालू करायें।

श्री रामलाल अकेला-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें मेरा निवेदन है कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र घुरौना में रूथुवा तथा सेटगों जनपद रायबरेली में कोई डाक्टर नहीं है तथा सा0 स्वा0 केन्द्र शिवगढ़ अव्यवस्था का शिकार है। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था को सुधारा जाये।

श्री जय प्रकाश अंचल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो प्रदेश के गरीब, मजदूर एवं सुदूर अंचल के लोगों को जिस तरह की जन योजनाएं लाये हैं मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं।

मान्यवर इसी के साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र वैरिया, जनपद बलिया के तरफ ले जाना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनवरसा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जय प्रकाश नगर, प्रा0

स्वा0 केन्द्र कोटवा, प्रा0 स्वा0 श्रीनगर, सा0 स्वा0 केन्द्र सोनवानी आदि पर न ही आवश्यकतानुसार डाक्टर हैं और न ही वहां प्रचुर मात्रा में दवायें ही उपलब्ध है अतः आपसे आग्रह है कि मा0 मंत्री जी द्वारा जनहित में डाक्टरों, फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वाय आदि के साथ ही सभी अस्पतालों पर दवा उपलब्ध कराया जाय।

मान्यवर हमारा क्षेत्र पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर गोपालनगर, दलन छपरा, रामपुर कोडरहा, लालगंज शिवन टोला, दया छपरा इत्यादि गांवों में न्यू पा0 स्वा0 केन्द्र खोलवाने का कष्ट करें। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री सन्त प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी मैं खजनी विधान सभा से चुन कर आया हूं यह क्षेत्र गोरखपुर का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है तेजघाट पी0 ए0 सी0 है वहां सी0एच0सी0 का भवन बन कर तैयार है तत्काल सी0एच0सी0 की सुविधा उपलब्ध करायी जायें तथा वहां पर सर्प काटने पर लगने वाली दवा और कुत्ते वाली दवा वहां पर्याप्त उपलब्ध करायी जायें क्योंकि यह क्षेत्र घाघरा के किनारे का क्षेत्र है जिला मुख्यालय से 55 कि0मी0 दूर है।

महोदय हरनही सी0एच0सी0 पर कुत्ते काटने वाली दवा और सर्प काटने पर लगने वाली दवा भी पर्याप्त मात्रा में सुलभ होनी चाहिये तथा प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र उरूवा एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्र खजनी में महिला डाक्टरों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। जिसमें महिलाओं को प्रसव के समय अच्छे डाक्टरों की देख-रेख में जच्चा-बच्चा की देख रेख हो सके। मा0 अध्यक्ष जी आप के माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्राइवेट नर्सिंग होम में मनमानी ढंग से कमरों का चार्ज लिया जाता है। एक कमरे का क्या शुल्क हो यह निश्चित किया जाये।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है। विभिन्न जटिल रोगों की चिकित्सा इस पद्धति से शरीर पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के की जाती है। उ0प्र0 में आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के चिकित्सालय सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवायें दे रहे हैं किन्तु इसमें से अधिकतर चिकित्सालय किराये के भवनों में संचालित हैं।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 2354 चिकित्सालय हैं इन चिकित्सालयों में कुल 10597 शैय्यायें रोगियों को चिकित्सा हेतु उपलब्ध हैं एवं प्रतिवर्ष 1.50 करोड़ रोगियों को आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति के इन शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन चिकित्सालयों के माध्यम से मरीजों की अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निमित्त अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

जनपद स्तर पर 25 शैय्या युक्त चिकित्सालय भी स्थापित हैं। इन चिकित्सालयों में 25 रोगियों को भर्ती करने की सुविधा के साथ-साथ रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श तथा उपलब्ध औषधियों का वितरण किया जाता है। यदि इन चिकित्सालयों पर पंचकर्म यूनिट और क्षारसूत्र यूनिट की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण जनरेटर आदि की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय तो इन 25 शैय्या से चिकित्सालयों की उपयोगिता बढ़ जायेगी तथा जनमानस को अधिकाधिक लाभ मिल सकेगा।

प्रदेश में 141 चिकित्सालय 15/25 शैय्यायुक्त स्थापित है जिसमें से 53 चिकित्सालय दान/निःशुल्क भवनों में हैं शेष 88 चिकित्सालय किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इन किराये के भवनों में संचालित चिकित्सालयों को प्राथमिकता के आधार पर विभाग द्वारा सरकारी भवनों अवस्थापित कराने के पहल होनी चाहिए तथा चिकित्सालय परिसर में ही स्टाफ के आवासीय परिसर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे की मरीजों को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके तथा स्टाफ की चिकित्सालय पर शत-प्रतिशत उपस्थिति हो सके।

मेरे कुछ सुझाव भी शामिल कर लिये जायें तो सुधार होगा,

1-प्रदेश के जन-जन तक भारतीय चिकित्सा पद्धति की सुगम, सरल एवं सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

2-आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में अपेक्षित अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना।

3-वर्तमान आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में समुचित औषधियों की उपलब्धता व अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

4-अनाच्छादित क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति में नये चिकित्सालयों की स्थापना किया जाना।

प्रदेश के सभी आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में शोध एवं अनुसंधान को अधिकाधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यशालाएं, सेमिनार एवं संगोष्ठियां आयोजित किये जाने, आयुर्वेद कालेजों से शिक्षकों को देश/विदेश में आयोजित कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किये जाने तथा छात्र-छात्राओं को शैक्षिक टूअर पर देश के अन्य संस्थाओं में भेजने हेतु बजट की आवश्यकता है। शोध एवं अनुसंधान हेतु शैक्षिक संस्थाओं को जेनरेटर, वीडियो, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर आदि से सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिससे आयुर्वेद की ख्याति फैल सके, प्रत्येक जनपद में 40-45 चिकित्सालय स्थापित हैं तथा कम से कम 25-50 तक आयुर्वेदिक फार्मेसियां स्थापित हैं। समय-समय पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ चिकित्सालयों/फार्मेसियों के निरीक्षण हेतु वाहन की महती आवश्यकता है, अतः प्रत्येक जनपद स्तर कार्यालय पर एक वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ-साथ प्रत्येक जनपद स्तरीय कार्यालयों में विभागीय कार्य को त्वरित गति प्रदान करने हेतु तथा एलोपैथ की ही भांति आयुर्वेद एवं यूनानी की शिक्षण व्यवस्था में एकरूपता लाने हेतु यदि एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय को खोलने की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त हो सके तो यह आयुर्वेद के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं सहित प्रबुद्धनगर में अस्पताल का उच्चीकरण करते हुए अस्पताल में 300 बेड तथा पोस्ट मार्टम की सुविधा को हर वक्त किया जाय। वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए।

शामली में मेडिकल कालेज खुलना चाहिए।

जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच भी हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायं।

एक्स-रे, सीटी-स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, सामग्री उपलब्ध कराया जाय तथा निर्धन लोगों की भयंकर बीमारियों का इलाज निःशुल्क होना चाहिए।

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

अध्यक्ष जी, मेरे जनपद बुलन्दशहर का सिकन्द्राबाद नगर तहसील मुख्यालय है तथा नेशनल हाइवे 91 पर स्थापित होने के साथ-साथ एक औद्योगिक नगरी है कहने को यहां पर एक संयुक्त चिकित्सालय है जिसमें 25 बेड़ की व्यवस्था हैं लेकिन उस चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं के लिये लोग तरसते रहते हैं, अस्पतालों में डाक्टरों के दर्शन नहीं होते ओ0पी0डी0 कभी चलती नहीं बेड हमेशा खाली पड़े रहते हैं यदा-कदा उन पर कुत्ते आराम करते हैं। यहां पर एक आपरेशन थियेटर है लेकिन पिछले छः माह से कोई आपरेशन नहीं हुआ। मरीजों के एक्सरे होते नहीं खून आदि की कमी होती नहीं। अगर नेशनल हाइवे पर या औद्योगिक क्षेत्र में कोई दुर्घटना हो जाती है तो गंभीर स्थिति में मरीज को बचाने के लिये अस्पताल में आपातकाल की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती केवल देखने की औपचारिकता करके तुरन्त जिला अस्पताल या अन्य किसी अस्पताल को रेफर कर दिया जाता है यहां पर एम्बुलेन्स की सुविधा नहीं है। कृपया समस्या का समाधान करने का कष्ट करें।

श्री गंगा-

माननीय अध्यक्ष जी, निम्न बिन्दुओं पर विचार करने का कष्ट करें-

1-सा0 स्वा0 के0 फाजिल नगर में कोई महिला डा0 नहीं है। महिला डा0 की नियुक्ति की जाय।

2-डाक्टरों की कई जगहें खाली हैं। सृजित पद के सापेक्ष डाक्टरों की नियुक्ति की जाये।

3-एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जाय।

4-डा0 पूरा समय तक बैठते नहीं हैं। उन्हें पूरा समय तक बैठने की व्यवस्था कराई जाये।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर अध्यक्ष जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट (आय-व्ययक) पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन किये जाने का जो मुझे आपने प्रदान किया है इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं तथा हृदय से आभारी हूं।

मान्यवर, चिकित्सकों को ईश्वर एवं उनके चिकित्सालयों को ईश्वरीय प्रयोगशाला की उपमा से अलंकृत किया जाये तो कोई भी अतिश्योक्ति नहीं होगी। चिन्ताजनक एवं निन्दनीय विषय यह है कि निजी क्षेत्र के चिकित्सक छोटी-छोटी बीमारियों को बड़ी-बड़ी बीमारियां बताकर गरीब जनता का भारी शोषण उत्पीड़न एवं दमन करते हैं। मान्यवर यह नियन्त्रित किये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130 वीसलपुर के अन्तर्गत मात्र 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक फर्स्ट रेफरल यूनिट है ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्र चौकीदारों, फर्मासिस्टों के सहारे है फर्स्ट रेकरिल यूनिट में चिकित्सा विशेषज्ञ एवं सर्जनों के अभाव में, एक्सरा, अल्ट्रासाउन्ड, सी0टी0 स्केन एवं पैथालाजी की भारी असुविधा है।

मान्यवर, ईदगौत एवं अमृता खास जिन गांवों की जनसंख्या अधिक है उनमें भी प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की जानी अपरिहार्य है।

मान्यवर, फर्जी दवाओं की फैक्ट्रियों, झोलाछाप चिकित्साकों पर भी नियन्त्रित किया जाना आवश्यक है।

मान्यवर, सचल डाक्टरों की भी व्यवस्था गुजरात जैसी पशुओं की व्यवस्था के समान की जाये। जिसकी गुजरात में सराहना है वहां के नागरिक कहते हैं कि मर जाऊं तो अगले जन्म में पशु बने।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

मान्यवर, अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं हृदय से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य शिक्षा के एवं स्वास्थ्य के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवान मुख्य मंत्री ने अपनी सरकार की संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गोरखपुर श्री इन्फेलाइटिस की समस्या हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी ने 80 करोड़ रुपया तत्काल निर्गत करके दिखाया है। मान्यवर मेरे विधान सभा में फूलपुर PHC पर एक महिला सर्जन सहित तमाम उपकरणों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराने की कृपा करें तथा भ्रूण हत्या के कानून को सख्ती से लागू कराने की कृपा करें। मान्यवर, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि पूर्वांचल का मध्य आजमगढ़ जनपद ही जो की मण्डल है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्तावित एक्स आजमगढ़ में निर्मित कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री मो0 मुस्लिम-

आदरणीय अध्यक्ष जी विधान सभा उत्तर प्रदेश मेरी विधान सभा तिलोई 178 जिला डामंड नगर में जायस नगर पालिका है। जहां की आबादी करीब 1 लाख की है। यहां पर पीएचसी है। यहां पर केवल एक डा0 है वह भी बी0यू0एम0एस0 है महिला डाक्टर वह भी नहीं है। डाक्टर रहते नहीं हैं।

यही हालत तिलोई सी0एच0सी0 भी है यहां पर भी डाक्टर नहीं हैं। तहसील है अच्छे डाक्टर की आवश्यकता है। डाक्टर से दवा के लिए कहा जाता है तो जवाब में मिलता है कि दवा नहीं है कृपया आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त पर विचार करने की कृपा करें।

श्री विजय कुमार दूबे-

मा0 अध्यक्ष जी,
उ0प्र0 विधान सभा,
लखनऊ।

महोदय, अवगत कराना है कि 329 खड्डा विधान सभा अन्तर्गत 2 पी0एच0सी0 एवं 6 सी0एच0सी0 हैं, परन्तु बरवारतनपुर स्वास्थ्य केन्द्र करोड़ों रुपये की लागत का भवन है, सभी अस्पताल के उपकरण स्थायी डाक्टर एवं स्थायी स्टाफ के बिना खराब हो रहे हैं, राजस्व का भारी नुकसान तो है ही उक्त क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए काफी दूरी तय करना पड़ता है। इसी तरह ग्राम हितौनी स्थित नयी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति है, परन्तु उक्त अस्पताल पर महिला चिकित्सक कोई नहीं है, पूरे विधान सभा अन्तर्गत किसी अस्पताल पर महिला चिकित्सक न होने से गर्भवती महिला एवं बीमार महिलाओं को इलाज के लिए काफी दिक्कत उठाने पड़ते हैं। खजूरी ग्राम सभा में इसी तरह आज से वर्षों पहले करोड़ों लागत की नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण हुआ, परन्तु रजिस्टर में डा0 की नियुक्ति है परन्तु वास्तविक रूप से कोई डा0 या स्टाफ नियमित न रहने के कारण इलाज के लिए ग्रामीणों को दूसरे अस्पतालों पर जाना पड़ता है, मान्यवर चाहें तो औचक निरीक्षण कराके इन कमियों की जानकारी व सत्यता जाना जा सकता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी विधान सभा, उ0प्र0 इसको कार्यवाही में जोड़ दिया जावे।

1-शाहजहांपुर में 300 बेड का जिला अस्पताल बना था परन्तु आज तक 100-125 से ज्यादा बेड क्रियाशील नहीं हो पाये इसको तुरन्त 300 बेड का क्रियाशील किया जावे।

2-शहर के बीचो-बीच पुराना अस्पताल है उसमें यदि दो डाक्टर व स्टाफ की व्यवस्था हो जावे तो नगरवासियों को बहुत सुविधा रहेगी।

3-जनरेटर है परन्तु अस्पताल में अंधेरा रहता कृपया जनरेटर चलवाने की व्यवस्था करें, ताकि मरीजों को अंधेरे में बिना पानी के न रहना पड़े।

4-कन्या भ्रूण हत्या को हत्या की संज्ञा में लाया जावे।

श्री रामचन्द्र चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा, लखनऊ, महोदय अध्यक्ष जी आप की अनुमति से माननीय मंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर जो बजट प्रस्तुत किया गया उसका स्वागत करता हूं मान्यवर डाक्टरों की कमी नहीं है। बहुत से डाक्टरों की नियुक्ति की गयी है। आयोग ने चयनित कर दिया उन डाक्टरों पर हाईकोर्ट में मुकदमें चल रहे हैं। विभाग द्वारा पैरवी न करने के कारण लम्बित पड़ें हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र 191 कादीपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कादीपुर में चल रहा है। बिना उद्घाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है उद्घाटन हो जाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्वरूप बदल सकता है। उसी प्रकार से मेरे कादीपुर के अन्तर्गत गमनाइकपुर में अस्पताल चल रहा है उसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है। मैंने एक दो दिन अस्पतालों का निरीक्षण किया तब से डाक्टर बैठने लगे वैसे अस्पतालों की दशा खराब चल रही है। कुत्ते तथा सांप काटने का इंजेक्शन अस्पतालों में नहीं मिल पा रहे हैं। कादीपुर तथा अमनाइकपुर का अस्पताल मैंने बनवाया है। मेडिकल कालेज लखनऊ में संविदा पर रखे गये वार्ड ब्वाय तथा चपरासी काफी दिनों से कार्यरत हैं उन्हें स्थायी नहीं रखा जा रहा है। संविदा के एक ही परिवार चार पांच लोग स्थायी हो गये हैं संविदा पर कार्य करने वालों को स्थायी कर देना चाहिये।

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भी मैं प्रस्तुत करते हुए बधाई देता हूं कि एक बेहतरीन बजट प्रस्तुत करने का काम किया है मैं जनपद गोण्डा का रहने वाला हूं गोण्डा देवीपाटन मंडल का मुख्यालय है। गोण्डा में मेडिकल कालेज खोलने का कष्ट किया जाय। मेरे क्षेत्र में 1-तरबगंज, 2-बेमनसद, 3-नवाबगंज, 4-वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं परन्तु आवश्यकतानुसार डा0 व पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है जिसे पूरा किया जाय। मेरे क्षेत्र में 8 एडीशनल पी0एच0सी0 1-माधवपुर, 2-सनौली, 3-पकड़ी, 4-बौरिह, 5-परास, 6-रांगी, 7-पिपनी, 8-तुलसीपुर में डा0 व पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है सभी स्टाफ को पोस्ट स्वास्थ्य सेवाओं की शुरूआत किया जाय मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 नई एडिशनल पी0एच0सी0 खोली जाय जो 1-बलेश्वर गंज, 2-उमरी, 3-बहादुरपुर में हो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होने के कारण सांप काटने की घटनायें बढ़ेगी इसलिए मेरे क्षेत्र में सांप की सुई उपलब्ध करायी जाय।

श्री अबरार अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मान्यवर, निवेदन है कि सुल्तानपुर शाहू जी महराज नगर में होमियोपैथिक अस्पतालों में कार्य कर रहे वार्ड ब्वायों को लगभग पांच छः वर्ष से वेतन नहीं मिला है। दोनों जिलों के बीच फंसे हुए कर्मचारियों का वेतन दिलाने का कष्ट करें, धन्यवाद।

श्री गयादीन अनुरागी-

मा0 अध्यक्ष जी, महोदय, मा0 अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अति पिछड़े जिले की राठ विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में 3 संयुक्त चिकित्सालय राठ, सरीला एवं मुस्करा है। संयुक्त चिकित्सालय राठ, सरीला, मुस्करा 30 बेड का है। इन चिकित्सालयों में सर्जन बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलाजिस्ट, पैथालाजिस्ट तक नहीं है। पद सृजित है लेकिन डाकटरों की तैनाती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की भारी कमी है। हमीरपुर जनपद में एम0बी0बी0एस0 डा0 संविदा में आते ही नहीं हैं। मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति कराने के आदेश देने की कृपा करें।

श्री दलजीत सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैं तिन्दवारी वि0स0 क्षेत्र 232, बांदा जनपद से चुनकर आया हूं। मैंने अभी पिछले रविवार बांदा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, वहां सारे बेड सीट गन्दे थे, बदबू आ रही थी तमाम मरीज गन्दगी की वजह से मुंह व नाक में रूमाल व अगौंछा बांधे हुऐ थे कुछ मरीजों ने मेरा हांथ पकड़ बार-बार जिद की कि शौचालय देख लीजिए, मैंने जब शौचालय चेक किया तो अध्यक्ष जी दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि मरीज की तो बात छोड़िए स्वस्थ आदमी को पांच मिनट के लिए शौचालय में बैठा दिया जाय तो बेहोश हो जायेगा, मा0 अध्यक्ष जी वहां मरीजों ने ये भी शिकायत की कि कोई भी डाक्टर सही ढंग से नहीं देखता तथा दवाएं बाहर के मेडिकल स्टोर से लानी पड़ती है। यहां कोई दवाइयां नहीं मिलती, मा0 अध्यक्ष जी सरकारी डाक्टर प्राईवेट प्रैक्टिस करते हैं तथा सरकारी डा0 अस्पताल में गुपचुप तरीके से जिससे पैसा पा जाते हैं। उसी का इलाज ठीक से करते हैं। मा0 अध्यक्ष ये हाल तो जिला अस्पताल के हैं। जो पी0एस0सी0 व सी0एस0सी0 देहात क्षेत्रों में है उनके और भी बुरे हाल हैं। रात में कोई भी डाक्टर नही रुकता तथा बिजली जाने पर अंधेरा बना रहता है, जनरेटर या तो खराब व फिर डीजल चोरी के चक्कर में चलाए नहीं जाते, मा0 अध्यक्ष बांदा जनपद के जसपुरा वि0 ख0 में पी0एस0सी0 है उसके बहुत बुरे हाल हैं, ये सारी समस्याएं दूर कराएं जाने की कृपा करें महान कृपा होगी, धन्यवाद।

श्री राम चन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी आपने चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के बजट के कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र रूदौली नगर में स्थापित पी0एच0सी0 (पुरानी) के बंद होने से नगर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प हो गई हैं। दूसरी समस्या मवई विकास खण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण पूरे क्षेत्र के ग्रमीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जबकि दिनांक 03-04-2012 को लखनऊ में प्रमुख सचिव चि0स्वा0प0क0उ0प्र0 शासन के निर्देश पर 100 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण का प्रस्ताव उ0प्र0

सरकार को 18 मई, 2012 को भेजा जा चुका है। मान्यवर, विकास खण्ड मवई अन्तर्गत 60 कि0मी0 की दूरी पर बाबा बाजार में अस्पताल की स्थापना हेतु धन आवंटित करने की मांग करता हूं साथ ही बंद पड़ी रूदौली नगर की पी एच सी को पुनः चालू कराने की मांग करता हूं।

मान्यवर मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा दिनांक 18 अगस्त 2004 द्वारा स्वीकृत 100 शैय्या चिकित्सालय ग्राम मेवापुर मुतालके देवगांव जिस पर 9 करोड़ 51 लाख रु0 की धनराशि जारी होने के बाद निर्माण कार्य पर एक करोड़ रु0 खर्च किया गया। सत्ता बदलने पर उक्त अस्पताल को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया जबकि गोमती नदी के किनारे स्थित विकास खण्ड अमानीगंज मवई व रुदौली की सैकड़ों गांवों की ग्रामीण जनता को इसका पूरा फायदा मिल रहा था। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग करता हूं कि 100 शैय्या अस्पताल मेवापुर मुतालके देवगांव का निर्माण शीघ्र कराने व स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना है कि मेरा विधान सभा अत्यन्त पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं मेरा विधान सभा दुद्धी, म्योरपुर एवं बभनी तीन ब्लाक हैं। यहां तीन सालों से मलेरिया दवा का छिड़काव नहीं होने के कारण दिमागी मलेरिया से सैकड़ों लोग काल कवलित हो जाते हैं। पिछली सरकार में मेरे जनपद सोनभद्र के सी0एम0ओ0 ने छिड़काव पर रोक लगायी थी जिसके कारण डिडहरा गांव जो की क्योरपुर ब्लाक में है अकेले कम से एक दर्जन बच्चों की मौत हो गई थीं। जिसके कारण वहां के सी0एम0ओ0 ने कहा कि अज्ञात बीमारी से हुई। लेकिन वह दीमागी मलेरिया से मरे थे, इसलिए इन तीन ब्लाकों में दवा का छिड़काव की व्यवस्था की जाए।

श्री महावीर राणा-

परम आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 समाज कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी के लिए अनुदान की व्यवस्था है। मैं सभी सामान्य जाति, पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यकों के इलाज के लिए अनुदान की मांग गरीब व्यक्तियों के लिए शासन से करता हूं।

श्री अबरार अहमद-

सेवा में माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा, लखनऊ महोदय, माननीय अध्यक्ष जी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 के समस्त 70 जनपदों में निवासरत महिला एवं पुरुष विकलांगजन की जनसंख्या का जनपद विवरण जो छपा है। उसमें जनपद सुल्तानपुर का नाम नहीं छपा है। उसे दुरुस्त किया जाय।

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्यय (परफार्मेन्स बजट) वर्ष 2012-13।

पी0एस0यू0पी0-188 विधान सभा-20-09-2012-813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।